वर्ष 38, अंक 143
(अप्रैल-जून 2015)

राजभाषा भारती

जन-जन की भाषा है हिंदी

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीया राज्यपाल गोवा, श्रीमती (डॉ॰) मृदुला सिन्हा द्वारा रचित गीत 'हिंदी भारत मां की बिंदी' की सीडी के लोकार्पण के अवसर पर

माननीया राज्यपाल, गोवा, श्रीमती (डॉ॰) मृदुला सिन्हा जी 'हिंदी भारत मां की बिंदी' की सीडी का लोकार्पण के अवसर पर

राजभाषा भारती

वर्ष: 39 अप्रैल-जून, 2015 अंक : 143

संरक्षक
गिरीश शंकर, आई.ए.एस.
सचिव, राजभाषा विभाग

परामर्शदाता
पूनम जुनेजा,
संयुक्त सचिव

संपादक
डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल
संयुक्त निदेशक
(नीति/पत्रिका)

सहायक संपादक
राकेश शर्मा 'निशीथ'

सहयोग
शांति कुमार स्याल

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। सरकार अथवा राजभाषा का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अपना लेख एवं सुझाव भेजें :
संपादक: राजभाषा भारती
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
एन डी सी सी-2 भवन,
चौथा तल, बी विंग,
जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष सं॰ : 011-23438137
ई-मेल : patrika-ol@nic.in
पोर्टल:
www.rajbhasha.gov.in

नि:शुल्क वितरण के लिए

विषय सूची

लेख का नाम		लेखक का नाम	पृष्ठ
हिंदी, उसका उद्‌भव और विकास	:	सीताराम पाण्डेय	3
हिंदी की सामर्थ्य एवं सार्थकता	:	सत्येन्द्र कुमार सिंह	6
विश्वमंच पर हिंदी की स्थिति और संभावनाएं	:	डॉ॰ स्वदेश भारती	9
भूमंडलीकरण, बाजारवाद और हिंदी अस्मिता	:	डॉ॰ लता अग्रवाल	12
भारत के भाषाई परिवार	:	राकेश चंद्र नारायण	16
अंडमान-निकोबार में हिंदी की दशा और दिशा	:	कृष्ण कुमार यादव	18
हिंदी सिनेमा और साहित्य	:	साकेत सहाय	22
राष्ट्रभाषा का वर्तमान परिदृश्य और भविष्य	:	मनीष कुमार सिंह	24
शब्दकोश: अनुवाद का सहयोगी उपकरण	:	प्रो कृष्ण कुमार गोस्वामी	27
त्रिआयामी योग-शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक	:	राकेश शर्मा 'निशीथ'	30
नई सदी का महिला कथा लेखन और स्त्री-विमर्श	:	डॉ॰ संदीप रणभिरकर	36
भारत का पर्यावरण चिंतन : पृथ्वी का सुरक्षा कवच	:	डॉ॰ मोहन चंद तिवारी	40
पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती	:	मीनू कुमार	44
राजभाषा कार्यान्वयन में प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग-कितना कारगर	:	मंजुला वाधवा	47
ऑनलाइन गोपनीयता	:	क्षेत्रपाल शर्मा	51
गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर-महान क्रांतिकारी विचारक	:	राकेश शर्मा 'निशीथ'	54
हिंदी के आदि कवि: सरहपाद	:	राजेन्द्र परदेशी	58
पारंगत-एक परिचय	:	डॉ॰ जयप्रकाश कर्दम	60
राजभाषा संबंधी गतिविधियां			
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें			62
राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें			63
कार्यशालाएं			69
राजभाषा समारोह/राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठी			74
कार्यालय ज्ञापन			**77**
पाठकों के पत्र			**78**

संपादकीय

बीसवीं सदी के उत्तर्राद्ध में हिंदी साहित्य की एक सशक्त भाषा के साथ-साथ वाणिज्य, जनसंचार, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं राजकाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। वर्तमान में रूस, चेक गणराज्य, पोलैण्ड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी आदि देशों का हिंदी को समर्थन प्राप्त है। जिन-जिन देशों में भारतवंशी गए हैं, वहां हिंदी भी पहुंची है। तमाम एशियाई देश, विशेष रूप से भारत के पड़ोसी देशों को हिंदी के प्रति विशेष अनुराग है। भूमंडलीकरण के इस दौर में आज हिंदी के विद्वानों, चिंतकों, वैज्ञानिकों एवं लेखकों को इस दिशा में निष्ठापूर्वक सक्रिय भागीदारी निभाने की आवश्यकता है।

हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रस्ताव पेश किया था कि 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्द्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इस दिन को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाए। इसे विश्व के 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। 'विश्व योग दिवस' के अवसर पर योग की जानकारी को पत्रिका में स्थान दिया गया है। 22 अप्रैल को ''विश्व पृथ्वी दिवस'' मनाया जाता है।

भारत का पर्यावरण चिंतन: पृथ्वी का सुरक्षा कवच शीर्षक लेख में भारत के पर्यावरण चिंतकों का पक्ष उजागर किया गया है। पर्यावरण से ही संबंधित 'पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती' लेख शामिल किया गया है। व्यक्तित्व के अंतर्गत गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा हिंदी के आदि कवि सरहपाद के बारे में जानकारी दी गई है।

राजभाषा भारती के इस अंक में राजभाषा से संबंधित लेखों में हिंदी उसका उद्भव और विकास; हिंदी की सामर्थ्य एवं सार्थकता; विश्व मंच पर हिंदी की स्थिति और संभावनाएं; भूमंडलीकरण, बाजारवाद और हिंदी अस्मिता, भारत के भाषाई परिवार, राष्ट्रभाषा का वर्तमान परिदृश्य और भविष्य; राजभाषा कार्यान्वयन में प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग-कितना कारगर आदि तथा ऑनलाइन गोपनियता लेखों को सम्मिलित करके पत्रिका को सूचनापरक, ज्ञानवर्द्धक और सुरुचिपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है।

राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन, प्रतियोगिता तथा पुरस्कार की रिपोर्टों, सूचनाओं और कार्यालय आदेश को स्थान दिया गया है।

सुधी पाठकों की प्रतिक्रिया एवं सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

संपादक

\\192.168.3.1\E\2533HA

हिंदी, उसका उद्‌भव और विकास

— सीताराम पाण्डेय

हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रभाषा के रूप में भी होता है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र का निर्माण एवं प्रगति संभव नहीं है। इस बात से कौन इंकार कर सकता है, हिंदुस्तान में एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित एवं प्रचारित हो रही है। इसके अतिरिक्त समुद्र पार विदेशों और उपनिवेशों के हिंदुस्तानियों में भी हिंदी ने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। आप चाहे अफ्रीका महादेश में जाएं या फिजी द्वीप समूह में, ट्रिनीडाड, डमरारा या सुरीनाम अथवा मारीशस उपनिवेश में, आपको यह देखकर आश्चर्य के साथ हर्ष भी होगा कि सर्वत्र हिंदी की कीर्ति पताका फहरा रही है।

राजपूताने के मारवाड़ी भारत के कोने-कोने में जाकर व्यापार करते हैं और उनकी व्यावहारिक भाषा होती है हिंदी। यद्‌यपि उसकी हिंदी साहित्यिक नहीं होती, फिर भी वह हिंदी ही होती है और उसमें उनके सभी कार्य आसानी से सिद्‌ध हो जाते हैं। हिंदी के विकास क्रम की परंपरा में मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया आदि गौड़ीय भाषाओं का भी विकास हुआ है। हिंदी सहित ये सभी भाषाएं पहले प्रान्तीय बोलियां ही थी।

भाषा और बोली यथार्थ में एक ही चीज है। पर दोनों में किंचित अंतर अवश्य है। भाषा, बोली का व्यापक, संयत, संशोधित साहित्यिक एवं अपेक्षाकृत स्थाई स्वरूप है। बोली जब तक अपने छोटे आकार में रहती है, तब तक उसका नाम बोली है और जब वह आगे समुन्नत और सम्मार्जित होती हुई, व्यापकता, स्थायिता और साहित्यिकता के वृहद् क्षेत्र में प्रवेश करती है, तब भाषा कहलाने लगती है। भाषा-संसार की सृष्टि का यही स्वाभाविक नियम है।

हिंदी, किस प्रांत की बोली थी इस पर मतभेद है। हमारी समझ से हिंदी दिल्ली प्रांत की बोली थी। मुगल-बादशाहों ने पृथ्वीराज की राजधानी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। वहां की भाषा हिंदी थी। मुसलमानों ने इस हिंदी को ही सर्व-साधारण एवं देशभर की भाषा बनाने का श्री गणेश किया।

कुछ विद्‌वानों के अनुसार हिंदी और उर्दू, चाहे उसकी उत्पत्ति और विकास जिस क्रम और नीति से हुआ हो, परन्तु, ये दोनों भिन्न-भिन्न भाषा नहीं है, अर्थात् हिंदी और उर्दू को एक मानते हैं। इसका अकाट्य प्रमाण है-उस समय के लेखकों की भाषा। बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मध्यकालीन भारत के एक महान प्रतिभाशाली शख्सियत एवं खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अमीर खुसरो ने अपनी फारसी की किताबों में यहां की भाषा के लिए हिंद और हिंदी दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमारी भाषा में पहले पहल हिंदी शब्द का व्यवहार राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिंद' के लेख में मिलता है। अब वही शब्द हिंदी भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है।

लखनऊ में सम्मेलन के 5वें अधिवेशन के सभापति श्री श्रीधर पाठक जी ने भी कहा था कि हिंदी भाषा का देववाणी संस्कृत से प्राकृत द्‌वारा उत्पन्न होना सर्वविदित है और हिंदी शब्द का पंजाब के प्रसिद्‌ध 'नद सिंधु' से संबंध होना प्राय: सर्वसम्मत है। कोई हिंदी और संस्कृत का एक ही उद्‌गम स्थान बताता है। इससे भी इसका संबंध संस्कृत ही से सिद्‌ध होता है। अनुसंधानों के आधार पर इस भौतिक संसार की सृष्टि के आरम्भ में जो भाषा थी, उसका नाम वैदिक भाषा था। वैदिक भाषा का अभिप्राय है-जिस भाषा में 'वेद' कहा गया है। यह वैदिक भाषा किससे और कब उत्पन्न हुई, यह दार्शनिक विषय है। अत: इस बहस से विरत हो प्रतिपाद्‌य विषय की ओर बढ़ते हैं।

'ऋग्वेद' से बढ़कर पुराना संसार के साहित्य में दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं है। यह बात अनेक गवेषणाओं और अनुसंधानों से सिद्‌ध हो चुकी है। काल-क्रम से उस वैदिक भाषा में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। भाषागत इस परिवर्तन का परिणाम हुआ कि भाषा दो धाराओं में बंट गई। एक तो पूर्व की वैदिक भाषा रही ही, दूसरी लौकिक भाषा अथवा भाषा गाथा के रूप में कायम हो गई।

इस प्रकार भाषा के दो स्रोत चले। देवताओं की भी भाषा होने के कारण इसे देव भाषा या देववाणी कहते थे। देववाणी तत्कालीन ऋषि, मुनि, राजा, महाराजाओं एवं संभ्रान्त और शिक्षित लोगों की भाषा हुई और लौकिक भाषा अशिक्षित, जन-साधारण और अशिष्टों की भाषा रही। महर्षि पाणिनि ने लौकिक एवं वैदिक भाषा के संमिश्रित रूप के नियम संकलित और ग्रंथित किए, जिसका परिणाम वर्तमान संस्कृत भाषा का उद्‌गम है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व की बात है।

वैदिक भाषा से जो लौकिक नाम की भाषा निकली उसका नाम आगे चलकर 'प्राकृत' पड़ा और जब प्राकृत की भी कई शाखाएँ फूट निकली, तब उसका नाम आर्ष प्राकृत पड़ा। आर्ष प्राकृत की कई

\\192.168.3.1\E\2533HA

शाखाओं के विकास होने पर लगभग सहस्र वर्षों के पश्चात् दसवीं शताब्दी के आस-पास हिंदी भाषा का स्वरूप दृष्टिगोचर हुआ। हिंदी के अतिरिक्त और भी कई प्रांतीय भाषाएँ उसी से निकली। हार्नली के अनुसार-''आठवीं से बारहवीं शताब्दी के मध्य में प्राकृत के युग का सर्वथा लोप होकर हिंदी, नेपाली, बंगाली आदि कई भाषाओं की वृद्धि हुई जिसका एक समूह-वाचक नाम गौड़ीय भाषा है।'' जैसे पंचगौड़ और पंच द्राविड़ ब्राह्मणों की नाम सूचक संज्ञा है, वैसी ही गौड़ भाषा वाली द्राविड़ भाषा के जोड़ का है। जिस द्राविड़ भाषा का उद्गम प्राकृत की एक शाखा पैशाचिक से हुआ है।

इस प्रकार शताब्दियों से यह हिंदी भाषा कई नामों और रूपों में परिणत होती हुई आज अपने इस विकसित नाम और रूप में हम लोगों के समक्ष है। आज से अनुमानित शताब्दी पर्यन्त तक इसका नाम केवल भाषा प्रसिद्ध था। आगे चलकर बीच में यह नागरी भाषा भी कहलाने लगी थी। पर, भारतेन्दु के समय से विशेषकर हिंदी प्रचारित और प्रचलित हुआ। जो आज सर्वत्र इसी नाम से इनका डंका बज रहा है।

मुसलमानों ने हिंदी भाषा में 'फारसी' शब्दों का प्रवेश नहीं कराया। पहले हिंदु ही इसमें फारसी शब्द घुसाने लगे। उस समय मुसलमान हिंदी अच्छी तरह सीख गए थे। इस भाषा में खूब बातचीत करते थे।

मुगल बादशाह 'अकबर' ने हिंदी में कविता करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। खुसरो के पिता ने खुसरो को मात्र छः वर्ष की अवस्था में ही भूदत्त भट्टाचार्य के पास हिंदी पढ़ने के लिए भेजा। 'खुसरो' ने आगे चलकर 'खालिकवारी' नामक पद्यबद्ध फारसी-हिंदी का कोश बनाया, जिसे हिंदी विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी। शाहजहाँ, अच्छे फारसीदाँ होकर भी सबसे हिंदी में बातचीत करते थे।

मुसलमानी शासन ने हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में बड़ी सहायता पहुँचाई है। मुगलकाल तक हिंदी के तीन रूप हो गए थे-एक नागरी लिपि में व्यक्त ठेठ हिंदी, जिसे अधिकांश लोग भाषा, देवनागरी या नागरी कहते थे। दूसरा उर्दू यानी फारसी में लिखी फारसी भाषा मिश्रित हिंदी अर्थात् उर्दू और तीसरा पद्य-हिंदी यानी ब्रजभाषा। इस प्रकार उस समय के कवियों ने हिंदी की स्थापना की है। भारतेन्दु के संदेश की व्याख्या पं॰ प्रतापनारायण मिश्र ने नीचे लिखे शब्दों में की है-

सब मिलि बोलो मंत्र महान,
हिंदी-हिंदु-हिंदुस्तान।

हमारी प्राचीन राष्ट्रभाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं ने हिंदी को परास्त कर अपना अधिकार जमाना चाहा, लेकिन विशाल, पुष्ट और शक्तिशाली हमारी हिंदी को सिद्ध कवियों ने इसका रूप संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से पृथक कर,उसे अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया और उसके बाद से निरंतर उसके सेवकों की संख्या बढ़ती ही गई।

चंदवरदाई, भूषण आदि ने उसे वीरता और निर्भयता प्रदान की, तो सूर और अष्टछाप के कवियों ने उसे वात्सल्य की माधुरी और लालित्य प्रदान किया। कबीर ने उसे ज्ञान दिया, तो जायसी ने उसे प्रेम का स्वर दिया। विद्यापति ने उसके सौंदर्य प्रेमी को गुदगुदाया, तो तुलसी ने उसे जीवन की समस्त लीलाओं के चित्रण के लिए समर्थ बना दिया। रहीम, गिरिधर और वृन्द ने नीति सिखाई, तो रसिक रसखान ने उसके हृदय में भक्ति-रस का संचार किया। केशव, बिहारी, देव और पदमाकर ने उसे रति-रंग में डुबाकर उसमें तरह-तरह की रंगीनियाँ पैदा की। तभी से हमारी हिंदी का निरन्तर विकास होता गया।

मुगल-साम्राज्य स्थापित होने के सैकड़ों वर्ष पूर्व के लेखक 'अमीर खुसरो' की कविताओं को लीजिए और विचार कीजिए कि उसकी भाषा आज की खड़ी बोली से किस प्रकार भिन्न है? अमीर खुसरो ने अनपढ़ 'बी चम्मो' के लिए यह कविता लिखी है-

औरों की चौपहरी बाजे, चम्मों की अठपहरी,
बाहर के कोई आये नहीं, आये सारे शहरी।

इस उदाहरण को देखने से पता चलता है कि आज की हिंदी और उस समय की हिंदी तथा उस वक्त की कही जानेवाली उर्दू में बहुत भेद नहीं है।

मुसलमानों ने अपने समय की हिंदी को (दिल्ली प्रान्त वाली को विशेष कर) फारसी लिपि में लिखना आरम्भ किया और ठेठ हिंदी की जगह फारसी, अरबी और तुर्की के शब्द भी व्यवहृत करने लगे। इस मिश्रित हिंदी का नाम 'रेखता' रखा। उर्दू शब्द भी तुर्की भाषा से ही निकला है। इसका अर्थ है- 'छावनी', खेमा या पराव। पहले यह मिश्रित मुसलमानी फौजी छावनी से ही आरम्भ हुई। इसीलिए इसका नाम उर्दू भी पड़ गया। अतः हिंदी और उर्दू भाषा में कोई भिन्नता नहीं है। हाँ, फारसी भाषा अवश्य विदेशी भाषा है। लेकिन हमारी हिंदी की व्यापकता में अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की आदि सभी विदेशी शब्द भी विलीन हो गए हैं।

तभी तो सुविख्यात कवि एवं लेखक बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 'भारतेंदु' के समय 'बंग दर्शन' द्वारा बंग देशीय बन्धुओं को कह गए हैं कि 'बंग भाषा तुम्हारी भाषा है। इसकी उन्नति करना तुम्हारा कर्त्तव्य है। परंतु, तुम हो कितने आदमी? भारत का सच्चा शुभ-चिंतक वही होगा, जो हिंदी भाषा की उन्नति के लिए बलवान होगा।'

सिक्ख-गुरुओं ने भी हिंदी पर अच्छी छाप छोड़ी है। सब गुरुओं

\\192.168.3.1\E\2533HA

का उपदेश, जिसका संग्रह 'श्री आदि' ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, प्राय: हिंदी में ही हुआ है। किसी-किसी गुरु के वाक्यों में जहाँ-तहाँ पंजाबी भाषा के शब्द आते गए हैं। परन्तु, पाँचवे गुरु श्री अर्जुन जी की वाणियाँ तथा नौवें गुरु तेजबहादुर सिंह जी की विनय तो शुद्ध सरल हिंदी में ही है। दशवें गुरु श्री गोविंद सिंह जी तो महान कवि ही थे।

मद्रास प्रांत में भी हिंदी के वक्ता, लेखक और संपादक पैदा होते दिखाई पड़ रहे हैं। पंजाब में भी हिंदी के कई पत्र-पत्रिकाएँ निकल रहे हैं, जो हिंदी को परवान चढ़ाते दिखाई पड़ते हैं। कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर असम तक एक राष्ट्रभाषा होने की उपयोगिता का अध्ययन किया जाए, तो हिंदी ही उस आसन के लिए उपर्युक्त है।

'हिंदी' की पाचन-शक्ति इतनी समर्थ बन गई है कि उसने अपने देश में जन्म-धारण करने वाली उर्दू के साथ आने वाली अरबी-फारसी को ही नहीं पचाया, बल्कि अंग्रेजी, लैटिन आदि अन्य भाषाओं के आने वाले शब्दों को भी पचा डाला। पहाड़ी भाषाओं के पथरीले शब्द भी इसे अपच का शिकार नहीं बना सके। यशस्वी पुरातत्वज्ञ डॉ॰ वासुदेव शरण अग्रवाल अपने अनुसंधानों के आधार पर कहते है कि-''हिंदी भाषा उस समुद्र जल-राशि की तरह है, जिसमें अनेक नदियाँ मिली हों। निषाद, शबर, उराँव आदि मुंडा भाषाओं ने हिंदी को अनेक शब्द दिए हैं।''

अगर हिंदी से देश की अन्य भाषाओं को रंचमात्र भी क्षति पहुँचने की आशंका होती तो गुजराती-भाषी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और दक्षिण में उसके प्रचार के लिए प्रयास नहीं किया होता, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने बंगाल, ओड़िसा और असम में उसके प्रसार के लिए भरपूर चेष्टा नहीं की होती और तमिल के यशस्वी लेखक और देश के सुविख्यात नेता श्री राजगोपालाचारी ने अपने राज्य में, हिंदी-विरोधी आन्दोलन के होते हुए भी, हिंदी-प्रचार के लिए अनवरत चेष्टा नहीं की होती। अत: तमाम साहित्यकारों, साहित्यानुरागियों, हिंदीज्ञों एवं भारतवासियों को हिंदी को समृद्ध एवं समुन्नत बनाने के लिए अन्य भाषाओं की अपेक्षा हिंदी के प्रति अधिकाधिक समर्पित भावनाओं का परिचय देना चाहिए।

रामबाग चौड़ी, पो॰-रमना,
मुजफ्फरपुर-842002 (बिहार)
मो॰ 09386752177

विवेकानंद वाणी

☞ ''छोटी अवस्था से ही मैं बड़ा साहसी था। यदि ऐसा न होता तो खाली हाथ सारी दुनिया घूम आना क्या मेरे लिए कभी संभव होता।''

☞ ''चूंकि हम लोगों ने अपना आधार जीवन विश्वविद्यालयों में बिता दिया है, अत: हमारा मन दूसरों के विचारों से भर गया है।''

☞ ''विस्तार जीवन है और संकोच मृत्यु।''

☞ ''बाधा जितनी होगी, उतना ही अच्छा है, बाधा बिना पाए क्या कभी नदी का वेग बढ़ता है? तो वस्तु जितनी नई होगी। जितनी अच्छी होगी वह वस्तु पहले-पहल उतनी ही बाधा पाएगी। बाधा ही तो सिद्धि का पूर्ण लक्षण है। जहां बाधा नहीं वहां सिद्धि नहीं।''

\\192.168.3.1\E\2533HA

हिंदी की सामर्थ्य एवं सार्थकता

— सत्येन्द्र कुमार सिंह

प्राय: भाषा को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में ही परिभाषित किया जाता रहा है लेकिन सच पूछिए तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं होती बल्कि इसके साथ उस समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्य भी जुड़े होते हैं। इसे समझने के लिए हमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात करने वाले लार्ड मैकाले के फरवरी, 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिए गए उस व्याख्यान को समझने की जरूरत है, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की वकालत करते हुए उसने कहा था—

''मैंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया लेकिन इस दौरान मुझे एक भी चोर (नैतिकता) या भिखारी (आर्थिक रूप से कमजोर) नहीं मिला। यदि हम इतने समृद्धशाली एवं नैतिक रूप से सशक्त भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, तो हमें उसके नागरिकों को सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर करना होगा और ऐसा हम उन्हें उनकी भाषा से दूर करके ही कर सकते हैं।''

यही लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी—अंग्रेजी की पूंछ पकड़ाकर भारत को नैतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक रूप से खोखला करने की, जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। हमें समझाने की कोशिश वर्षों पहले सोवियत रूस ने भी की थी जब गणतंत्र बनने के उपरांत अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से एक भारतीय राजनयिक को सोवियत रूस में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया और उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण पत्र अंग्रेजी में सौंपा, जिसे वहाँ की सरकार ने स्वीकार करने से साफ मना कर दिया क्योंकि वह किसी भारतीय भाषा में नहीं था। कारण स्पष्ट करते हुए कहा गया कि अंग्रेजी गुलाम भारत की भाषा थी और अंग्रेजी में पत्र प्रस्तुत करना उसी गुलामी का द्योतक है फिर किसी गुलाम देश के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। साथ ही उनसे यह भी प्रश्न किया गया कि क्या आपके देश की कोई अपनी भाषा नहीं है। उस समय तो हमारे देश के कर्णधारों के कानों में बापू का यह कथन जरूर गूँजा होगा कि—

''देशी भाषा का अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या के समान है''।

हम भारतवासी बात-बात में गाँधी जी की दुहाई देते हैं और अपनी संस्कृति का राग अलापते हैं परंतु वास्तविकता यह है कि हमें न तो अपनी राष्ट्रीय गरीमा पर गर्व है और न ही महात्मा गाँधी के इस कथन का स्मरण है, जब उन्होंने कहा था— ''स्वतंत्र भारत की गाड़ी अंग्रेजी में चले इससे अधिक शर्मनाक और क्या हो सकता है''।

भाषा का अंतर संस्कृति में भी साफ-साफ दिखाई देता है। जैसे ही कोई अंग्रेजी बोलता है, चाइनीज बोलता है, अरबी या उर्दू बोलता है, जापानी बोलता है तो हम उसके खान-पान, पहनावे, उसकी पसंद आदि सांस्कृतिक अंतरों को तुरंत जान लेते हैं। ऐसे ही भारतीय भाषाओं में भी जैसे ही कोई तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, बांग्ला, ओड़िया आदि बोलता है तो उसके खान-पान, पहनावे, रूप-रंग, कद-काठी, उसकी पसंद, उसके त्यौहार आदि का मोटेतौर पर अंदाजा तो लग ही जाता है। इसके अतिरिक्त जब हम रसोईघर के बदले 'कीचेन' कहते हैं, प्रणाम या नमस्कार की जगह गुडमोर्निंग कहते हैं, गुरुजी की जगह सर कहते हैं, मां-बाबूजी या माता-पिता की जगह मम्मी-डैडी या मॉम-डैड कहते हैं, तो भाषा की जगह संस्कारों में भी अंतर स्पष्ट रूप से झलकता है। संस्कृति का यह अंतर धीरे-धीरे हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार एवं अंतत: हमारे आचरण में उतर जाता है और हमारी मानसिकता अपनी ही संस्कृति, परंपरा एवं भाषा को निकृष्ट समझने की बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि लार्ड मैकाले चाहता था।

अब बात आती है कि क्या वास्तव में हमारी भारतीय भाषाएं इतनी अक्षम है कि हम अंग्रेजी का दामन नहीं छोड़ सकते? यहां मेरा आशय भाषा के रूप में अंग्रेजी का विरोध करना नहीं अपितु हमारा प्रयास अपनी भाषाओं की शक्ति और सामर्थ्य समझने का है। जहां तक बात भाषा की श्रेष्ठता का है तो संसार की हर वह भाषा श्रेष्ठ है, जिसमें अपने समाज के सभी भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। प्रत्येक समाज अपने भावों को व्यक्त करने वाले शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां खुद-ब-खुद सृजन करता है। और अपनी भाषा को समृद्ध बनाता है। भाषा भावों, विचारों एवं संकल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए ही बनी है। जहां तक भाषा के सामर्थ्य की बात है तो हर वह भाषा सामार्थ्यवान है, जिसमें साहित्य सृजन की क्षमता है क्योंकि किसी भी समाज के भावों की कसौटी उस समाज का साहित्य होता है और हम जानते हैं कि हिंदी भाषा के साहित्य सहित अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य कितने समृद्ध एवं विशाल हैं। मधुशाला, कामायनी, गीतांजली, मेघदूतम जैसी कालजयी कृतियां तथा रविंद्र नाथ ठाकुर, प्रेमचन्द एवं शरतचन्द्र के उपन्यास एवं कहानियां क्या किसी अन्य

\\192.168.3.1\E\2533HA

विदेशी भाषा के साहित्य एवं कृतियों से कमतर हैं? व्यक्ति विकास पर आज दुनिया में हजारों किताबें उपलब्ध हैं लेकिन मेरा दावा है कि अगर उन सभी किताबों को मिला दिया जाए तो भी उन पर हमारी ''श्रीमदभगवत गीता'' भारी ही पड़ेगी, जो कर्मवाद एवं व्यक्तित्व विकास का विशुद्ध दर्शन है। इसी प्रकार रिलेशनशिप पर आज हजारों किताबें बाजार में उपलब्ध हैं लेकिन जो बात ''रामायण'' या ''रामचरितमानस'' में है वो शायद ही उन सारी किताबों में हो। आप सभी जानते ही हैं कि हमारा ''अथर्ववेद'' और कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार से विशुद्ध विज्ञान ही हैं। इसी प्रकार कोटिल्य के ''अर्थशास्त्र'' के समतुल्य इस विषय की कोई किताब आज तक नहीं लिखी जा सकी। चिकित्सा के क्षेत्र में ''आयुर्वेद'' और ''चरक संहिता'' की तुलना की किताबें शायद ही मिल पाएं। लेकिन सवाल यह है कि इनमें छुपे ज्ञान एवं दर्शन को क्या हमने कभी सच्चे मन से टटोलने का प्रयास किया? आखिर करें भी तो कैसे? वर्षों पहले एक षड्यंत्र के जरिए हमसे हमारी समृद्ध भाषिक विरासत जो छीन ली गई और वैसी ही मानसिकता वाले लोगों द्वारा वहीं षड्यंत्र आज भी चलाया जा रहा है। अत: इस षड्यंत्र को समझने के बाद यह कहना कि भारतीय भाषाएं सामर्थ्यवान नहीं है कदापि सही नहीं होगा।

बात जब तकनीक ही आती है तो हम यह स्वत: मान लेते हैं कि अब हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन यहां यह बात बतानी जरूरी है कि साहित्य की तरह तकनीक भी समाज की ही उपज है। अगर साहित्य सृजन के लिए कोई समाज अपनी भाषा को उस स्तर तक समृद्ध कर सकता है तो फिर तकनीक के क्षेत्र में भला कैसे पिछड़ सकता है? लेकिन सच्चाई यह है कि हमने तकनीक के क्षेत्र में कुछ नया किया ही नहीं। तकनीक के मामले में अब तक हमने बस उधार से ही काम चलाया है। जब नई-नई तकनीकें अंग्रेजी भाषी देश विकसित कर रहे हैं तो उनकी भाषा भारतीय कैसे हो सकती है? क्या ''श्रीमदभगवत गीता'', ''वेदों'', ''पुराणों'', ''उपनिषदों'' आदि की भाषा अंग्रेजी हो सकती है? इन्हें हमने अपनी भाषा में विकसित किया और सैकड़ों-हजारों वर्षों बाद भी ये अतुलनीय हैं। इसी प्रकार यदि तकनीक हम अपनी भाषा में विकसित करें तो फिर यह हमारी ही भाषाओं में होंगे और तब हमारी यह गलत धारणा बदलते देर नहीं लगेगी कि तकनीक के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं से काम नहीं चल सकता। सच्चाई यह है कि तकनीक के मामले में तो हम हजारों साल पहले से ही विकसित रहे हैं। यह बात मैं नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान सर विलियम जोंस कहते हैं—

''वेदों से हमने सर्जरी, औषधि, संगीत और भवन निर्माण के विषय में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। वे जीवन के सभी क्षेत्रों मसलन संस्कृति, धर्म, विज्ञान, नैतिकता, कानून और ब्रह्माण्ड की एनसाइक्लोपीडिया हैं''।

हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग होता है और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने यह स्वीकार किया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकास के लिए संस्कृत दुनिया की सर्वोत्तम भाषा है।

हमने एक गलत धारणा और बना ली है कि अंग्रेजी ही विकास का पैमाना है और इसके बिना विकास संभव नहीं। लेकिन यह जान लेना चाहिए कि भाषा कभी विकास का टूल हो ही नहीं सकती। भाषा तो हमारे विचारों की अनुचर है, हमारे विचारों की वाहक है। भाषा से विकास का लेना-देना कैसा? विकास तो हमारे चिंतन, हमारी सोच, हमारे ज्ञान से होता है। जो ज्ञान हम पढ़कर अर्जित करते हैं वह बाजारू ज्ञान है, जो सर्व सुलभ है। असली ज्ञान तो वह है जो हम अपने चिंतन-मनन एवं अपनी कल्पनाशीलता से अर्जित करते हैं और ऐसा हम अपनी भाषा में ही स्वाभाविक एवं सहज रूप से कर सकते हैं। हम उदाहरण देते हैं ब्रिटेन एवं अमेरिका का लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि वहां के लोगों की मातृभाषा ही अंग्रेजी है। अत: वहां विकास अंग्रेजी के कारण नहीं बल्कि उनकी अपनी मातृभाषा में सहज एवं स्वाभाविक सोच के कारण हुआ है। अगर अंग्रेजी ही विकास का जरिया होती तो चीन, जापान, रूस, कोरिया, सिंगापुर, फ्रांस आदि देश आज विकास की दौड़ में सदियों पीछे होने चाहिए और जिस तरह से हमने अंग्रेजी को आलिंगनबद्ध किया है, हमें उनसे काफी आगे होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी स्थिति है? शायद नहीं। क्योंकि भाषा को ध्यान में रखकर हम अपनी सोच विकसित करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे लिए आत्मघाती प्रयास है। यही कारण है कि अंग्रेजी में हमसे पीछे होने के बावजूद चीन और जापान 400 कि॰मी॰ रफ्तार वाली बुलेट ट्रेनें चला रहे हैं, चीन लगभग 18000 मेगावाट की पनबिजली परियोजना बना रहा है, ओलंपिक खेलों का अनुकरणीय आयोजन कर रहा है और इन खेलों में उसके खिलाड़ी पदकों की झड़ी लगा रहे हैं। अत: विकास किसी भाषा विशेष का मोहताज नहीं। इसके लिए चिंतन एवं सोच का होना जरूरी है और ऐसा व्यक्ति केवल और केवल अपनी मातृभाषा में ही कर सकता है फिर चाहे वह तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ओड़िया या अंग्रेजी ही क्यों न हो। इसीलिए राष्ट्रीय अस्मिता के प्रहरी भारतेन्दु ने ठीक ही कहा है—

''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल।''

आज देश की लगभग 70 प्रतिशत जनता हिंदी समझती है। फिर भी आज सरकारी दफ्तरों में अंग्रेजी पैर जमाए बैठी है। इसका कारण

\\192.168.3.1\E\2533HA

हम सभी जानते हैं लेकिन दोष हम भारतीय भाषाओं को देते हैं। हम जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में अधिकांश काम फाइलों के पन्ने पलट कर किए जाते हैं। अब इस कंप्यूटर युग में ये काम बस कॉपी-पेस्ट या कट-पेस्ट से ही चलते हैं। अंग्रेजी के समय से ही जो काम अंग्रेजी में चले आ रहे थे आजादी के बाद भी हमने उन्हें कभी अपनी भाषा में नए सिरे से करने की कोशिश नहीं की। आज भी हम अंग्रेजी के दिए कानूनों एवं कोडों से ही काम चलाते आ रहे हैं। अगर कोई कोड-मैनुअल या नियम पुस्तक हिंदी में उपलब्ध है तो वह भी सिर्फ मूल अंग्रेजी का अनुवाद मात्र ही और इसी कारण से हिंदी अनुवाद पर लिख दिया जाता है कि विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी ही मान्य होगा। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? क्या ऐसे हिंदी आगे बढ़ेगी? हम आज भी दफ्तरों में हिंदी को अनुवाद के सहारे लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा धोखा है। जब हिंदी इतनी सशक्त भाषा है कि वह आसानी से सरकारी काम-काम का माध्यम बन सकती है तो फिर इसे अंग्रेजी का अनुगामिनी बनने का षड़यंत्र क्यों? धारा 3(3) जैसे द्विभाषी उपबंध क्यों? यह बात किसी से छिपी नहीं है कि धारा 3(3) के अधिकांश कागजात मूलत: अंग्रेजी में ही तैयार किए जाते हैं और इनको द्विभाषी करने के लिए इन्हें हिंदी में अनुवाद किया जाता है। आखिर इस द्विभाषी की ही जरूरत क्यों? हम आज भी द्विभाषी की उस षड़यंत्रकारी मानसिकता से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं?

भारत जैसा देश जो संयुक्त राष्ट्र में अपनी दावेदारी का झंडा गाड़ने के लिए प्रयासरत है, उसकी पहचान वहां किस भाषा से होनी चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भी समय रहते ढूंढ़ना जरूरी है। जितना सीना चौड़ा कर हम अंग्रेजी बोलते हैं क्या उतने गर्व से हम यह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अधिकारिक भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए? जब संयुक्त राष्ट्र में रूस की पहचान रसियन, चीन की पहचान चाइनिज, फ्रांस की पहचान फ्रेंच, अमेरिका एवं ब्रिटेन की पहचान अंग्रेजी है, तो फिर स्थायी सदस्य की हैसियत से भारत की पहचान किस भाषा से होनी चाहिए? आज भारत में हिंदी की जो स्थिति है, इसकी दशा देख कर बस इतना ही कहने का मन हो रहा है कि—

''इसे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था...''

यदि इस प्रश्न का उत्तर हम ईमानदारीपूर्वक खोजें तो भाषा का महत्व हम आसानी से समझ सकते हैं और तब शायद हम यह नहीं कह सकेंगे कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र होती है।

एन॰एच॰पी॰सी॰ लिमिटेड,
तीस्ता-5, पावर स्टेशन, बालूटार, सिंगताम, सिक्किम।
मो॰ 9002095437

वाक्यामृतम

मानव जिससे डरता है, उससे प्यार नहीं करता। ☞ **अरस्तु**

बुराइयाँ मनुष्य के मर जाने के बाद भी जीवित रहती है। ☞ **शेक्सपियर**

कौशल मानव के वश में रहता है, मानव प्रतिभा के वश में रहता है। ☞ **लॉवेल**

मौन निद्रा के समान है। यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। ☞ **बेकन**

प्रसन्न और हंसमुख रहने में कुछ प्रयास की आवश्यकता है। अपने को प्रसन्न रखना भी एक कला है।

☞ **लार्ड एवेबरी**

प्रसन्न रहने के लिए तुम आत्म विस्मृत हो जाओ, परोपकारी बनो, दूषित विचार को दूर करने का सिर्फ यही एक उपाय है।

☞ **शेक्सपियर**

\\192.168.3.1\E\2533HA

विश्वमंच पर हिंदी की स्थिति और संभावनाएं

— डॉ॰ स्वदेश भारती

किसी भी तीर्थ या पर्यटन स्थल पर जाने पर वहां कुछ विदेशी पर्यटक अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, जापान और दूसरे देशों से आए हुए मिल जाएंगे। वे हिंदी में बोलने का प्रयास करते हैं। हिंदी में नमस्ते, अभिवादन करते हैं और हम विदेशों में जाते हैं तो गलत-सही अंग्रेजी बोलते हैं। इस फर्क को समझना होगा। यदि हम भारतीय भी देश-विदेश में हिंदी को अपनाने के लिए भारतीयता और राष्ट्रीयता से मन को बांधे तो हिंदी विश्व भाषा बहुत जल्दी बन सकती है। विदेशों में हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, परन्तु अपने ही देश में हिंदी प्रयोग में हम पिछड़े हैं। राजनीति के वृक्ष में गहरी पैठ वाली प्रांतीयता की जड़ें जनमानस को संकीर्ण बना रही हैं। आज हिंदी की फिल्में, गाने हिंदीतर और अहिंदी भाषी प्रांतों तथा विदेशों में अधिक लोकप्रिय हो रही हैं। रूस, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका आदि देशों में हिंदी पठन-पाठन के लिए लगभग 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी विभागों की स्थापना की गई है। ऐसे हिंदी विभागों में विदेशी विद्यार्थी, हिंदी विद्वान हिंदी का पठन-पाठन करते हैं, वहीं अपने स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पाठय पुस्तकें तैयार होती हैं। स्नातक तथा स्नातकोत्तर उच्च शिक्षा की पुस्तकें भी लिखी जाती हैं। हिंदी अध्ययन, अध्यापन में भी भारत के बारे में उपयोगी, ज्ञानवर्धक ज्ञान, संस्कार और सभ्यता का मानदंड शामिल किया जाता है और भारत की भाषा, साहित्य और संस्कृति की जानकारी प्राप्त करने का लक्ष्य होता है। विश्व में बोली जाने वाली हिंदी सबसे बड़ी दूसरी भाषा है, जिसका प्रयोग लगभग 160 देशों में होता है जिनकी संख्या 90 करोड़ से अधिक है। 10 लाख लोगों को केवल अमरीका में प्रतिवर्ष हिंदी शिक्षा दी जाती है। लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। अब तक दस हजार से अधिक हिंदी के शब्द अंग्रेजी इंसाइक्लोपीडिया में शामिल किए गए हैं। मानक अंग्रेजी हिंदी कोशों में हिंदी के हजारों शब्दों को शामिल किया गया है जैसे घेराव, बंध, समोसा, ढोकला, अहिंसा, आतंक, महाराजा, सिपाही आदि, कुछ अप्रभंश रूप में, तो कुछ ज्यों-के-त्यों है। विश्व की प्रत्येक भाषा के बारे में विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदी बहुत ही सरल और सर्वग्राह्य भाषा है। हिंदी हर तरह से वैश्विकता के मानदंडों पर खरी उतरती है।

हिंदी के संदर्भ में वैश्विकता के 7 मानदंड हैं—

1. लिखने बोलने में सरलता
2. सुलभता
3. ग्राह्यता
4. सार्वजनीयता
5. धर्म, जाति, वर्ण, देश, कालादि बंधनों से परे
6. राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता
7. भाषिक तथा जन-संपर्कों की सहजता

हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए सरकारी स्तर पर और व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से सघन प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए हिंदी प्रयोग और अनुवाद की भाषा को सरल तथा सहज, क्लिष्टता से मुक्त कर व्यवहारिक बनाना, तकनीकी भाषा कोश, परिभाषा कोश, शब्दावलियां, देशी तथा विदेशी-छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों आदि में उपयोगी रचना शामिल करना और आवश्यकतानुसार उन्हें सार्थक सर्वग्राह्य बनाना समय की मांग है। इसके लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, विदेश मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देशी-विदेशी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए नए पाठ्यक्रमों को बनाना होगा। कुछ विद्वानों का मत है कि हिंदी की लिपि वैज्ञानिक नहीं और उसमें व्याकरणिक दोष हैं, परन्तु यह उनका भ्रम है, उनकी अज्ञानता है। आज अंग्रेजी की तुलना में पड़ोसी देश की चीनी जैसी कठिन भाषा कंप्यूटर पर ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी भाषा बन सकती है तो हिंदी क्यों नहीं बन सकती। चीन की लगभग दो सौ करोड़ आबादी में से 70 प्रतिशत लोग कंप्यूटर पर चीनी भाषा का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक पठन-पाठन, तकनीकी प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के व्यापक प्रसार में चीनी भाषा ने उपयुक्त स्थान ग्रहण किया है। हिंदी इतनी सरल और आसान भाषा होते हुए भी वह स्थान क्यों नहीं ग्रहण कर सकती। हिंदी की नागरी लिपि को सबसे अधिक वैज्ञानिक और ध्वनात्मक माना गया है। तात्पर्य यह है कि हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। जब सारी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ था, अंग्रेजों ने रोजी-रोटी को अंग्रेजी से जोड़ दिया। अंग्रेजी नहीं, रोटी नहीं। भारत मैकाले जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकर्त्ता भविष्यदर्शी ने अंग्रेजी को रोटी से जोड़ा और

\\192.168.3.1\E\2533HA

स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में धड़ल्ले से अंग्रेजी पढ़ने की रफ्तार तेज हो गई। सरकारी भाषा अंग्रेजी बन गई और इस तरह सरकार एवं कानून की भाषा, न्यायपालिका तथा प्रशासकीय कार्यों में अंग्रेजी को लोगों पर थोपा गया।

हंटर कमीशन ने वर्ष 1882 में जबरन प्रशासनिक दबावों से देशज भाषाओं को अंग्रेजी द्वारा विस्थापित किया गया। तब से अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हुआ और हिंदी को हिंदुस्तानी कहकर अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हिंदी या हिंदुस्तान को दूसरी श्रेणी की भाषा मानने पर भारतीय जनमानस को मजबूर किया गया।

हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने में 18वीं सदी के अंत में फीजी, सूरीनाम, मारीशस, गायना, त्रिनिदाद, टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा भारत से लाए गए बंधुआ गिरमिटिया मजदूरों का बड़ा योगदान है। उनके द्वारा हिंदी प्रयोग में व्यापक भूमिका के कारण आज डेढ़ सौ वर्षों के बाद विश्व भाषा हिंदी का नारा विश्वजयी बन गया है। हिंदी को विश्वभाषा बनाने के फ्रेडरिक पिंकाट का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने 1860 से 1896 तक ब्रिटेन में तथा ब्रिटेन के बाहर हिंदी का प्रचार किया। तब प्रिंट मीडिया आज के जैसे आधुनिक तकनीकी से समृद्ध नहीं थे। फिर भी पिंकाट ने हिंदी को फैलाने में सराहनीय भूमिका निभाई। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी का संत और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन्हें हिंदी का कर्मयोगी कहा था। श्री पिंकाट अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेजी शासन काल में भारत तथा हिंदी से असीम भाव से जुड़े थे।

10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम संसद के दोनों सदनों द्वारा पास होते ही दक्षिण में व्यापक पैमाने पर राजनैतिक आंदोलन शुरू हो गए, जिसकी आंच अन्य प्रदेशों में भी फैल गई। आजाद देश में हिंदी के लिए यह विडम्बना रही है कि राजनैतिक संकीर्णता के दलदल में फंसे कुछ लोग प्रांतीयता की सोच का वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपनी भाषा की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हिंदी की उपेक्षा करते रहे हैं। ऐसे लोग राष्ट्रीयता से भटक गए और देश की अखंडता के विरुद्ध राजनीति के चक्रव्यूह में भाषा को छोड़ दिया। देश के सार्वभौमिक पैमाने और राष्ट्रीयता के संस्कार से हम दूर होते चले गए हैं।

आज सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने बच्चों का भाषा संस्कार बनाए। उन्हें मातृभाषा के गुणों और सांस्कृतिक परिवेश और अपनी मिट्टी की जड़ों से जोड़ें। अंग्रेजी पढ़ाने की मानसिकता से बचे, उन्हें बचाएं। इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि भावाभिव्यक्ति की सहजता जो हिंदी में है वह अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में नहीं मिलती। हिंदी में लिखना, पढ़ना बहुत सरल है, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं। विश्व में यदि भाषा सहज, सरल, शुद्ध शब्दार्थ, अभिव्यक्ति, सटीक बोलचाल और वसुधैव कुटंबकम को सार्थक बनाने में सक्षम है तो वह हिंदी ही है, जिसमें विश्वभाषा के रूप में सारे विश्व की संपर्क भाषा बनने के सभी गुण विद्यमान है। इसीलिए डॉ॰ भीमराव अंबेडकर जैसे महान राष्ट्रप्रेमी ने भारतीय संविधान की रचना करते समय हिंदी को अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी रखने का प्रावधान रखा था। तद्नुसार 10 मई, 1963 को राजभाषा अधिनियम बना और वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए और इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक अलग राजभाषा विभाग की स्थापना की गई।

हिंदी के पास सरल, सहज भाषा का सौष्ठव शिल्प की व्यापकता, विशाल शब्द भंडार, महान सांस्कृतिक विरासत, उदार, आत्मीय लोकप्रियता है। हिंदी के सृजनात्मक साहित्य की विविधता, व्यावहारिकता सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए हिंदी में विश्वभाषा बनने का स्वरूप, संस्कार और अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त है। हिंदी का लम्बा अतीत है। लगभग हजार वर्षों से अधिक समय से हिंदी भारतीय मनीषा की कड़ी रही है। इसके अनेक रूप देखे जा सकते हैं-अवधी, ब्रज, मगधी, भोजपुरी, हिंदुस्तानी, दक्खिनी आदि। परन्तु खड़ी बोली ही हिंदी का वास्तविक स्वरूप है।

प्रसंगवश हिंदी की निम्नलिखित प्राथमिकताएं भी रही हैं—

- प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तण्ड कोलकाता से श्री जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित किया गया।
- प्रथम दैनिक हिंदी समाचारपत्र हिंदोस्तान कालाकांकर (प्रतापगढ़) उत्तर प्रदेश से राजा राम पाल सिंह द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसके प्रथम संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे।
- हिंदी का प्रथम व्याकरण अंग्रेजी में मिस्टर केलांग द्वारा लिखा गया।
- भारत में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक ओंकार भट्ट द्वारा रचित ज्योतिष चन्द्रिका थी, जो वर्ष 1840 में आगरा से प्रकाशित हुई।
- प्रथम मासिक पत्र हिंदी में प्रकाशित हुआ।
- हिंदी में सबसे पहले एम॰ ए॰ की पढ़ाई कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुई। नलिनी मोहन सान्याल प्रथम हिंदी एम॰ ए॰ के स्नातक रहे।
- भारत में सर्वप्रथम हिंदी में डी लिट करने वाले डॉ॰ पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल थे। इसके पूर्व गोस्वामी तुलसीदास के

\\192.168.3.1\E\2533HA

रामचरित मानस पर कई देशों में शोध हुए। पहले हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि एल॰ पी॰ टेस्टी टोरी को प्रदान की गई।

- ग्रियर्सन कृत माडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम पुस्तक है।
- भारत की संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव दक्षिण भारतीय विद्वान राजनेता अनंद शयनम आयंगर ने रखा।
- महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास (चेन्नै) में की।
- भारत की स्वाधीनता संग्राम की भाषा हिंदी थी, जिससे सारा देश अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। इसलिए हिंदी सारे देश को जोड़ने वाली संपर्क भाषा बनी और एकता के सूत्र की मजबूत कड़ी सिद्ध हुई।

राष्ट्रीयता के पैमाने से अलग-थलग प्रशासकीय वर्चस्व और निहित स्वार्थपरता के कारण द्वितीय स्तर के प्रशासनिक लोगों की संकीर्ण मानसिकता के चलते ही देश में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में दिमाग में पाले हुए हैं। अमरीका, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, रूस, कोरिया, वियतनाम आदि देशों में अपनी एक राष्ट्रभाषा तकनीकि ज्ञान-विज्ञान की भाषा हैं, अंग्रेजी समझने वाले लोग भी हैं। गिनीज बुक के वर्ष 1997 के संस्करण में पूरे विश्व में अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या 33 करोड़ 70 लाख थी। इन बीस वर्षों में यह संख्या बढ़कर कुल 35 करोड़ के आसपास होगी, जबकि अंग्रेजी भाषी देशों-ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, आयरलैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों की कुल जनसंख्या से अधिक संख्या में लोग भारत में हिंदी-उर्दू भाषियों की है। भाषाई आधार पर उर्दू एक पृथक भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी की खड़ी बोली पर आधारित फारसी लिपि में लिखी जाने वाली एक शैली है, जिसमें अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है।

भारत एक विशाल सार्वभौम लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तीसरी महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ आर्थिक और सैन्यशक्ति में विकसित देशों की बराबरी करने वाला। इसे ध्यान में रखते हुए हिंदी को विश्वभाषा और राष्ट्रसंघ की भाषा के रूप में मान्यता दिलाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और 125 करोड़ भारतीयों की है, प्रवासी तथा अनिवासी भारतीयों की है।

राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की भावना सारे देश में फैलाने और नई पीढ़ी को सार्वभौमिकता, राष्ट्रीयता एवं अखंडता की रक्षा करने के लिए राष्ट्र की चार मूलभूत आवश्यकताएं हैं—1. संविधान 2. राष्ट्रगान 3. राष्ट्रध्वज 4. राष्ट्रभाषा। इन आधारभूत आवश्यकताओं के प्रति देश के लोगों को जागरूक करना आज समय की मांग है। विश्वभाषा के रूप में हिंदी को उसका स्थान दिलाना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य बोध और राष्ट्रीयता की मजबूत कड़ी हिंदी को राष्ट्रभाषा, विश्वभाषा, राष्ट्रसंघ की भाषा बनाना अनिवार्य है।

उत्तरायण
331, पशुपति भट्टाचार्य रोड
कोलकाता-700041
(मो॰) 9903635210

लेखकों से अनुरोध

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित करता है। लेख सामान्यत: 3000 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। अपठनीय लेख स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है। लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा।

कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें:—

संपादक,
राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, (गृह मंत्रालय),
एन डी सी सी भवन-II,
चौथा तल, 'बी' विंग, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष: 011-23438137
ई-मेल: patrika-ol@nic.in

\\192.168.3.1\E\2533HA

भूमंडलीकरण, बाजारवाद और हिंदी अस्मिता

— डॉ॰ लता अग्रवाल

आज भूमंडलीकरण और बाजारवाद के वर्तमान परिवेश में साम्राज्यवादी शक्तियां विकासशील राष्ट्रों की भाषा पर कुठाराघात कर रही हैं, जिसमें भाषा की गरिमा पर कुठाराघात होने के साथ उसकी अस्मित को विलुप्त करने की साजिश है। यही कारण है कि आज इन राष्ट्रों के समक्ष अपनी भाषा व संस्कृति की अस्मिता को लेकर बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। भारत भी इससे अछूता नहीं क्योंकि यह विश्व का एक मात्र लोकतांत्रिक देश है, जो बहुसंख्यक, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय है।

नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी प्रेमियों के एक सम्मेलन में 29 दिसम्बर, 1905 को बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा की थी कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, और यह घोषणा तब की थी जब सरकारी कार्यालयों में देवनागरी लिपि के प्रवेश मात्र के लिए किया गया आंदोलन सफल हुआ था। फिर न जाने कब और कैसे हिंदी वोट की विभेदक राजनीति का शिकार हो गई। धीरे-धीरे हिंदी के प्रति हमारा रवैया पराएपन का हो गया। हिंदी अपने ही घर में बेगानी हो गई। विदेशी भाषा ने अपने ही देश में उसके लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दीं। उसके अस्तित्व को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। विडम्बना की बात यह है कि हमने उन चुनौतियों के आगे हथियार डाल दिए और अपनी ही भाषा को लेकर समझौता कर लिया। हम भूल गए कि भाषा के प्रश्न पर किया गया समझौता स्वदेशी के उस भाव का तिरस्कार है, जिसके जागरण ने देश को आजादी दिलाई। विश्वप्रेम के लिए सदैव दरवाजे खुले रखने चाहिएं यह ठीक है मगर निजत्व का विनाश कर परत्व को ग्रहण कर उसके रंग में रंजित होना अनुकृति और स्वांग है। हिंदी के साथ यही हुआ हम भूल गए कि मौलिकता व्यक्तित्व और समाज के विकास की जीवन-शक्ति है।

चाहे कोई भी भाषा हो, भाषा का मूल आधार शब्द है, जो उस समाज की जरूरतों, आकांक्षाओं और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप गढ़े जाते हैं। तब कहीं जाकर कोई भाषा आकार लेती है। चिंता का विषय है कि आज भाषा की वह संवेदना खोती जा रही है। भाषा के नाम पर न केवल अभिव्यक्ति का उथलापन दिखाई देता है बल्कि यह भाषा समाज की संस्कृति के लिए आतंक का जाल बुन रही है। जहां तक हिंदी की बात है इंटरनेट के युग ने उसकी राह और भी मुश्किल कर दी है। दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि से समृद्ध इस भाषा को जो वैश्विक पहचान मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई। न केवल हिंदी बल्कि उसकी आबोहवा में पली हमारी अन्य उपभाषाओं और बोलियों पर भी औपनिवैशिक आक्रमण जारी है।

यह बात नहीं कि अंग्रेजी से हिंद या हिंदी को कोई परहेज है, हिंदी ने पहले भी तीन हजार के लगभग शब्द अंग्रेजी से ग्रहण किए हैं। किन्तु एक सीमा तक कोई भी नवाचार उचित होता है मगर जब वह हमारी संस्कृति, भाषा और संस्कारों पर आ बने तो बात कुछ गंभीर चिंतन की हो जाती है। हिंदी में अन्य विदेशी भाषाओं को शामिल करने से पूर्व हमें यह भी सोचना चाहिए कि हिंदी की अपनी सगी-संबंधी अन्य उपभाषाएं भी हैं, जिनके बीच वह सदा से रहती आई है। बिना अपने परिवेश के विकास के कोई भी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। जो लोग मानते हैं कि अंग्रेजी ने हिंदी का हाजमा बढ़ा दिया है वे भ्रम में है। दरअसल अंग्रेजी हिंदी का हाजमा सुधारने के चक्कर में हिंदी पर हावी हो बैठी है। वर्तमान में हिंदी का जो रूप सामने आ रहा है उसे हमने हिंग्लिश का नाम दिया है। और सोचते हैं कि इससे भाषा संप्रेषण अच्छा होता है। किंतु मेरा मानना है कि ये साजिश है बाजारवाद की। आज उपभोक्तावादी प्रवृत्ति की मंशा यही है कि उपभोक्ताओं का विवेक कमजोर पड़े ताकि लोगों के संस्कार बिगड़े। किसी देश के संस्कार बिगाड़ने के तमाम औजारों में एक हथियार यह भी है कि आदमी की बोलचाल की भाषा बिगाड़ दी जाए। यही कारण है कि बाजारवाद की तमाम ताकतें आज हमारी भाषा को बिगाड़ने पर तुली हुई हैं।

एक समय था जब भाषा का सारा दारोमदार परिवार, समाज व शैक्षणिक संस्थाओं पर हुआ करता था किन्तु आज यह पाठशाला मीडिया ने खोल रखी है। जिस तरह की भाषा वे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं वह भाषा के साथ किसी बलात्कार से कम नहीं है। हिंदी न्यूज चैनल भी इससे अछूते नहीं। इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों की भाषा तो मानो अंग्रेजी की टकसाल से निकलकर आई है। हो भी क्यों न दिन भर स्कूल, कॉलेज और दफ्तर से खपा आदमी अपने ड्राइंग रूप में टेलीविजन के सामने ही तो वक्त गुजारता है। यहां तक कि बच्चों का भोजन और गृहकार्य भी वहीं होता है, जहां टेलीविजन अपने आकर्षण भरे जज्बाती कार्यक्रमों से उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं।

भाषा के साथ नवाचार में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटमीडिया दोनों में होड़-सी लगी है। सारी खबरों के अंग्रेजी शीर्षक देखने को मिलेंगे।

\\192.168.3.1\E\2533HA

13 दिसम्बर, 2006 को नवभारत टाइम्स में हिंग्रेजी की वकालत से आरंभ हुए इस नए शीर्षकों (छात्रसंघ पोल में नो पॉलिटिक्स', कॉटन को ऐसे करें केरी, आर यू स्मार्ट, समरनाइट में मिड नाइट का मजा, सुपर स्टार चिरंजीव की पोलटिक्स में नो एंट्री ....) ने अन्य अखबारों में भी क्रांति खड़ी कर दी। प्रश्न उठता है कि इस तरह के शीर्षक जैसा कि मीडिया की सोच है खबर को रोचक और बोधगम्य बनाते है, संभवत: मीडिया की खबरों को बिकाऊ होने में मददगार भी। मगर मेरी दृष्टि में ये भाषा की मूल पहचान को मिटाते हैं। क्या यह भाषा के साथ अविवेकी प्रयोग नहीं? पत्रिकाओं में भी देखें हैल्थ खबरें, फ्यूचर जान, फिटनेस फंडा जैसे स्तंभ आसानी से दिखाई देंगे। मानो अंग्रेजी में हिंदी का छोंक लगा रहे हैं, इस बात से अंजान कि यह खिचड़ी भाषा, भाषा के नाम पर फूहड़ प्रयोग है। हर शिक्षित वर्ग इस बात से परिचित है मगर खामोश है, कारण आज यह भाषा हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में किसी प्रकार की परेशानी खड़ी नहीं कर रही। इसलिए संभवत: हम इसे गंभीर मसला नहीं मानते।

उल्टे हम अपने गुनाहों की इस तरह पुष्टि कर रहें हैं कि जो कुछ हो रहा है वह समय के प्रभाव से हो रहा है। अफसोस तो यह है कि यह दुर्व्यवहार न केवल हिंदी के साथ है बल्कि ज्यों-ज्यों अंग्रेजी का प्रभुत्व बढ़ रहा है त्यों-त्यों हमारी बोलियां लुप्त होती जा रही हैं। हिंदी की सारी मिठास उसकी बोलियों में तो निहित है। आज पुन: कुछ धारावाहिकों में प्रादेशिक भाषाओं को स्थान मिला है एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यह भाषा प्रेम नहीं बाजारवाद है। एक धारावाहिक में इस प्रयोग को प्रभावकारी देख अन्य धारावाहिकों को निर्माण की होड़-सी मच गई है। अत: आज हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महेश्वरी, भोजपुरी, इलाहबादी बोली का रस दर्शक ले पा रहे हैं वह बाजारवाद के ही कारण। हम कह सकते हैं कि इस कारण हिंदी की ये उपभाषाएं प्राणतत्व पा रही हैं।

हम भूल गए कि हिंदी ने अपना श्रृंगार अपनी इन्हीं बोलियों से किया था। खटिया, माचिस, लुडिया, भेली गोना ..... आदि। वहीं हिंदी की अपनी संपदा भी कम गरिमामय नहीं आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रवक्ता, रेखाचित्र, ... आदि। आवश्यकता है इच्छाशक्ति और संकल्प की, ऐसे शब्द और भी बन जाएंगे।

मगर हम तो समय के प्रवाह में बह रहे हैं जहां हर फर्म मालिक बाजार में अपनी घुसपैठ बनाने में जुटा है। दूसरे संपादक वर्ग भी संपादक कम प्रबंधक अधिक बना हुआ है। वे कई अधूरे ज्ञान के साथ इस महासमर में कूद पड़ते हैं और जाने-अनजाने भाषा को क्षति पहुंचा रहे हैं। एक संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी ठीक है मगर जब सांस्कृतिक अस्मिता की बात आती है तो प्रश्न गहरा जाता है। आज भी भारत में अधिकांश जनसंख्या ऐसी है जो हिंदी भाषी है और हमारी अंग्रेजी प्रदत्त शिक्षा भारत के युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा को कुंठित कर रही है। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी दायित्व निर्वाह मात्र सरकारी स्तर पर होता है। इस अंग्रेजी माध्यम ने शिक्षा का पूरी तरह से व्यावसायीकरण कर दिया है आदर्श और मूल्य मानो पीछे कहीं छूटकर रह गए।

उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम और हिंदी को विषय के रूप में अनिवार्य करने के बजाय हमारी सरकार ने हायर सेकेण्डरी कक्षाओं में हिंदी को प्रायोगिक विषयों के साथ जोड़ते हुए ऐच्छिक विषय के रूप में रख दिया है। हिंदी भारतीय संस्कृति की प्रमुख भाषा है। जब तक हिंदी व अन्य बोलियों के विकास और अस्मिता की रक्षा नहीं होगी, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा दर्शन और भारतीय युवाओं का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता।

जहां तक विदेशी में हिंदी की प्रतिष्ठा और विश्व के परिदृश्य में हिंदी अस्मिता का सवाल है तो संयुक्त राष्ट्रसंघ की छह अधिकारिक भाषाओं में चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, अरबी, रूसी और फ्रेंच हैं। जबकि हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा में द्वितीय स्थान पर है। भाषिक आंकड़ों को यदि देखें तो हिंदी की स्थिति कुछ इस प्रकार है – 1. चीनी (80 करोड़) 2. हिंदी (55 करोड़) 3. स्पेनिश (40 करोड़) 4. अंग्रेजी (40 करोड़) 5. (20 करोड़) 6. रूसी (17 करोड़) 7. फ्रेंच (9 करोड़)

बेशक चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या हिंदी की अपेक्षा अधिक है। यदि हिंदी का सर्वेक्षण उसकी तमाम उपभाषाओं के साथ किया जाए जो कि सही भी है, तो हिंदी बोलने वालों की संख्या डॉ॰ नौटियाल के अनुसार 1 अरब 10 करोड़ होकर हिंदी विश्व की प्रथम भाषाओं के स्थान पर होगी। मगर हिंदी को सदैव उसकी सभी भाषाओं से हटकर देखा जाता रहा है। विश्व के कुछ देशों में हिंदी की स्थिति को देखकर हम उसकी अस्मिता को माप सकते हैं। आज हिंदी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं। मगर क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता है ....? क्योंकि यह आंकड़े हमें जो सूचना दे रहे हैं उनसे तो पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति काफी सुदृढ़ है।

अमेरिका में दो करोड़ से भी अधिक भारतीय मूल के लोग निवास कर रहे हैं। हार्वड, पेन, मिशिगन, येल आदि विश्वविद्यालयों में हिंदी का शिक्षण हो रहा है। लगभग 65 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। जहां हिंदी का अध्ययन करने वालों की संख्या पन्द्रह सौ से अधिक है। हिंदी को लेकर कई संस्थाएं कार्यरत हैं, बड़ी मात्रा में पत्र-पत्रिकाएं वहां से प्रकाशित भी हो रही हैं।

जापान के भारत से आध्यात्मिक जुड़ाव से सभी परिचित हैं। अपने धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की पावन मातृभूमि होने के कारण भारत के प्रति उनकी श्रद्धा सतत् बनी हुई है। इसी से भारतीय

\\192.168.3.1\E\2533HA

हिंदी साहित्य पढ़ने के प्रति उनकी रुचि ने हमारी कई रचनाओं का अनुवाद जापानी में कर हिंदी को विस्तार दिया है। इतना ही नहीं हिंदी के प्रति शोध को भी बढ़ावा दिया है वहां लगभग साढ़े आठ सौ महाविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। तथा हिंदू धर्म, पौराणिक कथाओं के साथ-साथ वहां के साहित्यकारों के प्रति जिज्ञासा उन्हें हिंदी से जोड़े हुए है।

इंग्लैंड के केम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन, यार्क विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई काफी समय से होती आ रही है। 2004-05 के स्कूली सर्वेक्षण में क्रमश: 180, 764, 711 बच्चों ने अपने को हिंदी भाषी बताया। इसके अतिरिक्त कई हिंदी संस्थाएं व पत्र-पत्रिकाएं वहां से सतत् प्रकाशित हो रही हैं।

कनाड़ा में भी हिंदी बोलचाल, शैक्षणिक तथा साहित्य भाषा के रूप में विस्तार पा रही है। वहां समय-समय पर हिंदी कविता पाठ, गोष्ठियों जैसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं।

मारीशस विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां संसद ने हिंदी के वैश्विक प्रचार के लिए और उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की अधिकृत भाषा के रूप में प्रतिष्ठत करने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की है। 12 लाख आबादी वाले इस द्वीप में पांच लाख हिंदी भाषी हैं। मनोरंजन के साधन रेडियो, टेलीविजन आदि पर भी हिंदी कार्यक्रमों को प्रधानता मिल रही है। लगभग 48842 छात्र हिंदी पढ़ और सीख रहे हैं। लेखन की बात करें तो विदेश में सर्वाधिक व्यवस्थित लेखन मारीशस में ही देखने को मिलता है।

इटली में वेनिस, टूरिन, रोम, ओरिएंटल, मिलान विश्वविद्यालयों में 150 विद्यार्थी हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं।

नीदरलैंड में सवा दो लाख भारतवंशी हैं। वहां के चार विश्वविद्यालय में हिंदी को लेकर कार्य किए जा रहे हैं साथ ही रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए अच्छा नेटवर्क तैयार है।

कोरिया के दो विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग अलग से बने हुए हैं। सियोल के हांकुक विश्वविद्यालय और बुशान के विश्वविद्यालय में लगभग पांच-छ: सौ विद्यार्थी हिंदी अध्ययन करते हैं।

सूरीनाम में तो लोग हिंदी संस्कृति में जीते हैं। वहां छ: आकाशवाणी और चार दूरदर्शन केन्द्र हैं। विज्ञापनों से लेकर धार्मिक प्रचार, साक्षात्कार भी हिंदी में किए जाते हैं।

पौलैंड में हिंदी अध्यापन हेतु विश्वविद्यालयों में काफी मात्रा में हिंदी सामग्री उपलब्ध है। इतना ही नहीं उन्होंने सूर, तुलसी और कबीर जैसे ख्यातिनाम कवियों के साहित्य का पोलिश भाषा में अनुवाद किया है।

रूस से भारत का संबंध प्राचीन है, जहां दो दर्जन संस्थाओं में डेढ़ हजार से अधिक रूसी छात्र हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रूस से लगभग आधा दर्जन से अधिक छात्र प्रतिवर्ष भारत आते हैं।

बल्गारिया में तो न केवल हिंदी वरन् संस्कृत के प्रति भी अधिक रुचि और उत्साह देखने को मिला। वहां के सोफिया विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रति समर्पित प्राध्यापक हिंदी की प्रगति हेतु अपना योगदान दे रहे हैं।

फीजी के बाजारों, गलियों में हिंदी की धारा स्वतंत्र रूप से बह रही है। वहां हिंदी भाषा साहित्य एवं संस्कृति के उद्भव एवं विकास में विद्वानों के साथ-साथ वहां का श्रमिक समाज भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है वे जो भी टूटी-फूटी हिंदी जानते हैं उसी से भजन, कीर्तन, रामायण पाठ जैसी भारतीय परंपराओं को जीवित बनाए हुए हैं। जन्माष्टमी, दशहरा, रामनवमी, होलिका दहन जैसे त्योहारों को पूर्ण श्रद्धा से मना कर हिंदू संस्कृति की रक्षा करते हैं।

फिनलैंड के हेलसिंकी, स्वीडन के स्टॉकहोम विश्वविद्यालय, डेनमार्क के कोपेनहैगन विश्वविद्यालय के साथ ही नार्वे में भी हिंदी की स्थिति दिन-प्रति-दिन सुदृढ़ होती जा रही है। 46 लाख आबादी वाले इस देश में 7 हजार भारतीय हैं, जो प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हिंदी चैनलों की यह श्रृंखला, जी॰टी॰वी॰, सोनी, सिनेमा, बी॰फार॰यू॰ मूवी, एम॰टी॰वी॰ से आरंभ होकर 146 देशों तक पहुंची है।

चीन और भारत का तो प्राचीन संबंध है ही। वे भारतीय जीवन पद्धति दर्शन तथा बौद्धमत से काफी प्रभावित हैं। वहां के प्रो॰ चिनहान व प्रो॰ ची॰ श्येन ने क्रमश: रामचरितमानस व बाल्मीकि रामायण का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसके साथ ही कई नवीन महत्वपूर्ण साहित्यकारों की रचनाओं को भी हिंदी से चीनी में अनुवाद किया। हाल ही के वर्षों में चीनी में हिंदी के प्रति तेजी से रुझान बढ़ा है, इसके पीछे भी आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण का प्रभाव है।

इसी तरह भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक संबंध काफी पुराने हैं, यहाँ से प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं, प्राथमिक पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक हिंदी शिक्षण हेतु किए गए प्रयास बताते हैं कि विदेशों में तो हिंदी अपने को मजबूती के साथ स्थापित किए हुए है।

बाजारवादी कंपनियाँ भी भली-भांति जान चुकी हैं कि आज भारत में व्यापार के क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाने हेतु हिंदी को जानना और समझना बहुत आवश्यक है। इसके लिए वे अपने तौर पर प्रयास कर रही हैं। किन्तु सबसे बड़ी विडम्बना है कि हिंदी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है। यह भी सच है कि हिंदी बोलने वाले विश्व

\\192.168.3.1\E\2533HA

में बड़ी मात्रा में हैं। यहाँ तक कि प्रवासी भारतीयों की सांस्कृतिक भाषा भी हिंदी है। हिंदी ने अपना वर्चस्व अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिय महाद्वीपों के तिरानवे देशों में फैला रखा है। विदेशों से यात्री हिंदी सीखकर हमारे देश में आते हैं और हिंदी बोलकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दूसरी ओर हम हैं कि अँग्रेजी झाड़कर स्वयं में अभिमान महसूस करते है। जो भाषा विश्वभाषा बनने की राह में अग्रसर है वह अपने ही देश में राष्ट्रभाषा बनने से वंचित है। यह हमारे लिए खेद का विषय है। जाहिर है कि हिंदी सबसे अधिक अपने ही देश में उपेक्षा की शिकार है। हमारे प्राथमिक स्कूल हों या फिर विश्वविद्यालय, सरकारी दफ्तर हो या भारतीय दूतावास हिंदी के प्रति सबका रवैया उपेक्षापूर्ण ही रहा है। हिंदी विश्व के जिस भी कोने में पहुँची है अपने स्वयं के प्रयासों से ही पहुंची है। भूमंडलीकरण के दौर में टी॰वी॰ चैनल, हिंदी फिल्में, दूरदर्शन, समाचारपत्र-पत्रिकाएं, इसमें महती भूमिका निभा रहे है। हिंदी की लोकप्रियता के रहते ही डिस्कवरी, नेशनल, ज्योग्राफी चैनल, विदेशी फिल्में, धारावाहिक आदि भी हिंदी में आ रहे हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी देश को परस्पर जोड़ने वाली भाषा है। इसकी सहायता से पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोग विचार-विमर्श करते आए हैं। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी ही नहीं समस्त भारतीय भाषाओं में, भारतीय आत्मा छिपी है, अस्मिता छिपी है, हमारा स्वाभिमान और गौरव छिपा है। दुख है कि आज हमारे दैनिक जीवन के तमाम क्रियाकलापों में विदेशी सोच का वर्चस्व बना हुआ है। इससे न केवल हमारे संस्कार दूषित हो रहे हैं बल्कि हमारी भाषाएं उपेक्षित हो रही हैं। आज पुनः आवश्यकता है भाषायी स्वाभिमान को जगाने की। हिंदी की उपेक्षा देश की उपेक्षा है, प्रगति की अवहेलना है। हिंदी पर किया जाने वाला व्यय एक औपचारिकता है। वास्तव में जब तक इसे मौलिक चिंतन की भाषा बनाकर उसे प्रतिष्ठित करने का संकल्प हम नहीं लेंगे, देश के व्यक्तित्व में नैसर्गिक सौंदर्य और पुष्टि नहीं आएगी। इसके लिए आवश्यकता किसी सभा अथवा आयोजन की नही बल्कि आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की।

73-यशविला भवानीधाम फेस-1
नरेलाशंकरी, भोपाल-462041
मो॰ 9926481878

हिंदी का उपकार

यदि मैंने हिंदी का सहारा न लिया होता, तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से केरल तक के गांव-गांव में जाकर मैं भू-दान, ग्राम-दान का क्रांतिपूर्ण सन्देश जनता तक न पहुंचा पाता। यदि मैं मराठी का सहारा लेता तो महाराष्ट्र से बाहर और कहीं काम न बनता। इसी तरह अंग्रेजी भाषा को लेकर चलता तो कुछ प्रान्तों में तो काम चलता, परन्तु गांव-गांव जाकर क्रांन्ति की बात अंग्रेजी द्वारा नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी भाषा का मुझ पर बड़ा उपकार है।

— आचार्य बिनोबा भावे

\\192.168.3.1\E\2533HA

भारत के भाषाई परिवार

— राकेश चंद्र नारायण

अनुमान किया जाता है कि संसार में लगभग सात हज़ार भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से केवल दस भाषाएं ही ऐसी हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या दस करोड़ से अधिक हैं। ऐसी भाषाओं में भारत में बोली जाने वाली दो भाषाएं आती हैं – 'हिंदी' और 'बांग्ला'। ये दोनों भाषाएं एक ही परिवार की हैं, जिन्हें हम भारतीय-यूरोपीय भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं।

भाषा वह साधन है, जिससे हम अपने भाव दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकते हैं। पशु-पक्षियों में भी राग और द्वेष आदि भाव होते हैं। ये भाव वे अपनी आकृति के अतिरिक्त अपनी ध्वनि से प्रकट करते हैं। पहले हम भी संभवत: उसी प्रकार अपने मन के भाव प्रकट किया करते थे। जैसे-जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता चला गया, वैसे-वैसे हमारी भाषा भी बनती चली गई।

भाषा बहुत-से ऐसे शब्दों के मेल से बनी है, जिनके कुछ अर्थ होते हैं। स्वयं किसी शब्द में कोई ऐसी विशेषता नहीं होती, जिससे उसका कोई अर्थ सूचित हो। अलग-अलग देशों के निवासी अपने लिए अलग-अलग शब्द बनाते हैं और उनके अलग-अलग अर्थ स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता कि भाषा स्वेच्छित है। हम जन्म से भाषा सीख कर नहीं आते हैं बल्कि अपने समाज से सीखते हैं। अलग-अलग आवश्यकताएं होती हैं अत: उन्हीं के अनुरूप भाषाएं भी अलग-अलग होती हैं।

कुछ भाषाओं में समानता होती है। कारण यही होता है कि वे किसी एक भाषा परिवार का हिस्सा होती हैं। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में अद्भुत समानता है। सर विलियम जॉन्स ने इसका समाधान इन भाषाओं का एक समान स्रोत बताकर किया है। वर्ष 1786 में एशियेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में उन्होंने कहा था: ''संस्कृत भाषा चाहे कितनी भी पुरानी हो, पर इसका गठन शानदार है। यह ग्रीक से अधिक निर्दोष, लैटिन से अधिक भरपूर और दोनों से कहीं अधिक परिष्कृत है। फिर भी उन दोनों के साथ इसमें धातुओं और व्याकरण के रूपों में इतनी समानता है कि वह आकस्मिक नहीं हो सकती। यह सब एक समान स्रोत से निकली है, जिसका अब सम्भवत: अस्तित्व नहीं रहा है''।

सर विलियम जॉन्स की इस खोज ने ऐतिहासिक भाषा विज्ञान को जन्म दिया। संसार की सभी भाषाओं को उनके ऐतिहासिक संदर्भों और परस्पर संबंध और संरचनात्मक समानता के आधार पर अलग-अलग परिवारों में बाँटा गया है। पूरे विश्व में अठारह भाषापरिवार माने जाते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है— (1) यूरेशिया खंड, (2) अमरीकी खंड, (3) प्रशांत महासागरीय खंड और (4) अमरीकी खंड।

यूरेशिया खंड के अंतर्गत यूरोप और एशिया की भाषाएं हैं। भारत में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएं इसी परिवार का अंश हैं।

भारत की भाषाएं चार भाषा परिवारों में वर्गीकृत की गई हैं। यूरेशिया खंड की भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी-तिब्बती परिवार तथा प्रशांत महासागरीय खंड।

उत्तर भारत की भाषाएं जैसे – हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती तथा मराठी आदि भारोपीय भाषा परिवार की हैं। इनमें बहुत अधिक निकटता है। इन भाषाओं का संबंध एक ऐसी प्राचीन भाषा से है, जिसे हमारे और यूरोप वालों के पूर्वज किसी समय बोलते थे। एक समय ऐसा था जब दोनों के पूर्वज एक ही साथ या पास-पास रहते थे और एक ही भाषा बोलते थे। पर वे किस देश में रहते थे बतलाना सहज नहीं है। ज्यादातर विद्वानों का मत है कि हमारे और यूरोप वालों के पुरखे दक्षिणी रूस के पहाड़ी प्रदेश में जहां यूरोप और एशिया की हद एक दूसरे से मिलती है, वहां रहते थे। भेड़, बकरियाँ और गायें चराने के अलावा ये खेती भी किया करते थे। जब आस पास रहने से गुज़ारा नहीं होता था तो उनमें से कुछ पश्चिम की ओर तो कुछ लोग पूर्व की ओर चल दिए। पूर्व के अंतिम छोर पर इनकी भाषा उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं तथा पश्चिम के अंतिम छोर पर बोली जाने वाली भाषा जरमैनिक है, जिसका अंग्रेजी से संबंध है।

भारत-ईरानी भाषा परिवार इस उप-परिवार की दो मुख्य शाखाएं हैं— (क) भारत आर्य और (ख) ईरानी-जरमैनिक भाषा

इस शाखा की भाषाएं जर्मनी, ब्रिटेन, हॉलैंड, स्वीडन, नार्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, कनाडा और अमेरिका में बोली जाती हैं। हैलेनिक भाषा उप-परिवार इसी भाषा परिवार का अंग है। ग्रीक इसकी सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। यह भाषा यूनान, दक्षिणी अलबानिया, युगोस्लाविया, दक्षिण-पश्चिम बुलगारीया तथा तुर्की और साइप्रस में बोली जाती है।

इतालिक-इसे लैटिन या रोमांस भाषा उप-परिवार भी कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे अधिक प्रसिद्ध भाषा लैटिन है। यूरोप में इसका

\\192.168.3.1\E\2533HA

वही स्थान है, जो भारत में संस्कृत का है। लैटिन के अतिरिक्त प्रमुख आधुनिक भाषा फ्रांसीसी, स्पेन, पुर्तगाली और रूमानी है।

केल्टिक – इस शाखा की भाषा का प्रयोग यूरोप के बड़े भूभाग ब्रिटेन, फ्रांस, उत्तरी इटली से लेकर एशिया माइनर तक होता था। बाद के रोमनों के प्रभुत्व और विस्तार के कारण ये भाषाएं समाप्त हो गईं। इस समय यह भाषा ग्रेट ब्रिटेन, स्काटलैंड, आयरलैंड और वेल्स में बोली जाती है।

भारोपीय भाषाओं की प्राचीनतम कृति ऋग्वेद है, जो संस्कृत में बोली गई तथा बाद में लिखी गईं। धीरे-धीरे संस्कृत आचार्यों की भाषा हो गई तथा प्रकृत भाषा ने जन्म लिया।

भाषा गतिमान होती है तथा हमेशा सरसता की ओर अग्रेषित होती है। प्राकृत ने भी नई भाषाओं को जन्म दिया, जो उससे सरल थी। भगवान बुद्ध ने पाली का प्रयोग किया क्योंकि धीरे-धीरे यह जनभाषा बन चुकी थी। क्रमशः उत्तरी भारत में मुख्य रूप से दो भाषाएं प्रचलित थीं शौरसेनी और मगधी। वर्तमान पश्चिमी हिंदी शौरसेनी की उत्तराधिकारिणी है और पूर्वी या बिहारी, हिंदी, बांग्ला, उड़िया आदि भाषाएं मगधी से निकली हैं।

ईरानी शाखा– इस शाखा की भाषाएं ईरान के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती हैं। पूर्वी ईरान की प्रमुख भाषा अवेस्ता है, जिससे पारसियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता की रचना हुई थी। यह भारोपीय भाषा का दूसरा सबसे पुराना ग्रंथ है। फारसी तथा पस्तो इस शाखा की प्रमुख भाषाएं हैं।

बाल्टो-स्लाविक – इस परिवार के दो उप परिवार हैं। बाल्टो उप परिवार में लिथुआनी और लेटवियन भाषाएं आती हैं, जबकि स्लाविक उप परिवार में रूसी, उक्रेनी, चेक, स्लोवाक तथा क्रोयिशियन आदि भाषाएं आती हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः पूर्वी यूरोप में होता है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी आधुनिक भारतीय आर्य – भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, पंजाबी, गुजराती तथा नेपाली आदि भाषाएं इसी वृहत परिवार का हिस्सा है।

हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है – हिंदी का या हिंदी से संबंधित। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु – सिंध से हुई है। ईरानी भाषा में 'स' का उच्चारण 'ह' किया जाता था। इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का प्रतिरूप ही है। कालांतर में हिंद शब्द, संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा और इसी हिंद से हिंदी शब्द बना।

भारत का दूसरा बड़ा भाषा परिवार द्रविड भाषा परिवार है। इसमें मुख्यतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आती है। इनमें से तमिल सब से पुरानी भाषा है और इसे शास्त्रीय भाषा माना जाता है।

चीनी – तिब्बती भाषा पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के पहाड़ी इलाकों और भारतीय उप महाद्वीप में बोली जाने वाली लगभग 400 भाषाओं का एक भाषा परिवार है। इस परिवार की ज्यादातर भाषाएं भारत के सात उत्तर पूर्वी राज्यों में बोली जाती हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम का कुछ हिस्सा शामिल है। इस परिवार की मुख्य भाषाओं में नागा, मिजो, मणिपुरी, खासी तथा आमो इत्यादि भाषाएं शामिल हैं।

आस्ट्रो-एशियाड भाषा–यह प्राचीन भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। संथाली इस परिवार में सबसे प्रचलित भाषा है। मुंडारी, हो तथा कुडुख इस परिवार की अन्य प्रचलित भाषाएं हैं।

भाषा परिवारों की जानकारी, भाषा के प्रति हमारे दृष्टिकोण को सहिष्णु बनाती है। यह भी समझने की आवश्यकता है कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि देश की अस्मिता की पहचान भी है। कोई एक भाषा अगर भारत की राजभाषा बनने की योग्यता रखती है तो वह भाषा हिंदी ही है क्योंकि यह भाषा भारत के बड़े भू-भाग में बोली और समझी जाती है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का संबंध उसी तरह है जैसे बहनों का संबंध होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदी बड़ी बहन है और अन्य भारतीय भाषाएं इसकी छोटी बहनें हैं, जो भारत के भाषा रूपी परिवार की सुंदरता बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं।

महा प्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्रधान कार्यालय
'बैंक हाउस' 21 राजेंद्र प्लेस
नई दिल्ली – 110 008

पाठकों से

प्रिय पाठको!

राजभाषा भारती में प्रकाशित रचनाओं के संदर्भ में हमें आपकी प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों का इंतजार रहेगा।

— संपादक

\\192.168.3.1\E\2533HA

अंडमान-निकोबार में हिंदी की दशा और दिशा

— कृष्ण कुमार यादव

भारत की भाषायी विविधता हमारी सांस्कृतिक विविधता का मूलाधार है और हिंदी इस सांस्कृतिक सामासिकता की संवाहक है। यही कारण है कि भारत के हर अंचल में हिंदी का बखूबी प्रयोग होता है। भारत के सुदूर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान-निकोबार द्वीप समूह भी इससे अछूत नहीं है। इन द्वीपों में हिंदी उस समय से संपर्क भाषा बनी हुई है जब वर्ष 1858 में ब्रिटिश सरकार ने स्वाधीनता सेनानियों को कालेपानी की सजा देकर इन द्वीपों में भेजा था। भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ लाए गए यह स्वाधीनता सेनानी भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते थे। ऐसे में आपस में संपर्क और आजादी के जज्बातों को धार देने के लिए उन्हें एक ऐसी भाषा की जरूरत महसूस हुई, जिसे सभी लोग समझ-बोल सकते थे और इस प्रकार एक संपर्क भाषा के रूप में यहां हिंदी का तेजी-से विकास हुआ। यहाँ तक कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इन द्वीपों में आए विभिन्न भाषा-भाषी लोगों ने भी राष्ट्र प्रेम को दर्शाते हुए हिंदी को सहर्ष संपर्क भाषा के रूप में अपनाया, जो आज भी इस द्वीप समूह की संपर्क भाषा बनी हुई है। यहाँ बसे सभी लोग चाहे उनकी मातृभाषा कोई भी हो हिंदी बोलते और समझते हैं।

अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा तमाम लेखकों-संपादकों-कवियों-शायरों को अंडमान में निर्वासित किया गया। इन लोगों ने यहां हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेल्युलर जेल की दीवारों पर तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। सेल्युलर जेल की दीवारों पर वीर सावरकर ने 11,000 पंक्तियों की अप्रतिम रचना 'कमला काव्य' की रचना की। लेखनी के अभाव में उन्हें जेल की कोठरी की दीवारों पर कीलों और कांटों से उत्कीर्णित कर कठस्थ करने की चेष्टा की। वीर सावरकर ने सेल्युलर जेल में कारावास के दौरान न सिर्फ अन्य क्रांतिकारी कैदियों को पढ़ाना आरम्भ किया बल्कि एक हिंदी वाचनालय भी शुरू किया। सावरकर ने देश के विभिन्न प्रांतों से आए क्रांतिकारियों के मध्य संप्रेषण-भाषा के रूप में हिंदी की आवश्यकता पर भी जोर दिया और मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी के प्रबल समर्थक व प्रचारक बने। वीर सावरकर के साहित्य में करीब 12,000 पृष्ठ तत्कालीन काला पानी पर आधारित है। 10 साल की कैद के दौरान सावरकर ने द्वीपों का सच्चा इतिहास लिख दिया, जो भारत के इतिहास में अमिट है। कालांतर में उन्होंने हिंदी भाषा से विदेशी शब्दों को हटाने हेतु 'भाषा शुद्धि आंदोलन' भी चलाया और तमाम नए शब्दों की रचना की। 'शहीद' के स्थान पर 'हुतात्मा', 'मेयर' के स्थान पर 'महापौर', मोनोपोली के स्थान पर 'एकत्व', 'प्रूफ' के स्थान पर 'उपमुद्रित' जैसे शब्दों की रचना वीर सावरकर की ही देन है।

इलाहाबाद से प्रकाशित मशहूर 'स्वराज्य' पत्र के संपादक होतीलाल वर्मा और संपादक लद्दाराम समेत कुल नौ संपादकों को यहाँ निर्वासित किया गया था। समय-समय पर इन लोगों सहित युगांतर के संपादक रामचरण लाल इत्यादि तमाम लोगों ने यहाँ क्रांतिकारी साहित्य को प्रोत्साहित किया। उर्दू शायर मिर्जा गालिब के परम मित्र अल्लामा फज्जुल हक्क (खैराबादी) व मौलाना लियाकत अली भी यहाँ कैद रहे। कामागाटामारू कांड से जुड़े पं॰ परमानन्द, डी॰ए॰वी॰ कानपुर के छात्र एवं भगत सिंह व चन्द्रशेखर आजाद के सहयोगी महावीर सिंह, अरविंद घोष के भाई वारीन्द्र कुमार घोष, बटुकेश्वर दत्त, शचीन्द्रनाथ सान्याल सहित तमाम ऐसे लोग यहाँ कैद थे। इन सभी क्रांतिवीरों ने निर्वासन के बावजूद यहाँ क्रांतिकारी साहित्य को प्रोत्साहित किया। स्वराज्य के संपादक होतीलाल वर्मा ने अपनी बुद्धिमत्ता से सेल्युलर जेल की भयंकर यातनाओं पर एक पत्र जेल से बाहर भेजा, जिसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी तक पहुँचाया गया और उन्होंने उसे प्रकाशित कर अंग्रेजी हुकूमत को बाध्य किया कि सेल्युलर जेल का अवलोकन कर जेल अधिकारियों के अत्याचार को रोका जाए।

द्वितीय विश्वयुद्ध की विभिषिका और जापानियों के जुल्मोसितम के बावजूद इन द्वीपों में हिंदी का प्रचार-प्रसार जारी रहा। जापानी-आधिपत्य के दौरान स्थानीय 'सत्संग-मण्डली' के मंच मास्टर केसरदाम ने देशभक्ति गीतों की रचना करके हिंदी को समृद्ध करने का प्रयास किया। गुरुद्वारा डॉ॰ दीवान सिंह में हिंदी की कक्षाएं चलाई जाती थीं जो तत्कालीन समाज सेविका इच्छावती नाग और उससे पूर्व प्रेम देवी ने घर-घर, गाँव-गाँव जाकर महिलाओं को हिंदी पढ़ने-लिखने के लिये प्रेरित किया। द्वीपवासियों के हिंदी के प्रति गहरे लगाव के साथ-साथ नौटंकी, फाग, आल्हा, रामलीला इत्यादि के माध्यम से इन सुदूर टापुओं में भारतीय कला व संस्कृति जीवित रही। कला व संस्कृति के इन उपासकों में रामसिंह, अंगद सिंह व सरजू लाल इत्यादि के नाम सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। यह हिंदी एवं भारतीय कला व संस्कृति का ही प्रभाव था कि ये द्वीप समूह आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान से न जुड़कर भारत के साथ जुड़े

\\192.168.3.1\E\2533HA

और स्वाधीन भारत के साथ इन द्वीपों का जनमानस भी जुड़ा। आजादी के बाद यहाँ हिंदी का क्रमिक विकास हुआ। 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' जैसी संस्था की इन द्वीपों में भी स्थापना हुई। द्वीप समूह के स्कूलों में हिंदी शिक्षा का माध्यम बनी। शिक्षा से परे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी तमाम लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बिना आजादी का इतिहास अधूरा है। इतिहास का यह 'काला पानी' आज 'मुक्ति तीर्थ' के रूप में जाना जाता है। स्वाधीनता आंदोलन के बहाने हिंदी बीज स्वरूप में इन द्वीपों में लाई गई, जो आज समय व अवसर पाकर इन द्वीपों की धरती पर पल्लवित व पुष्पित हो रही है। देश व इन द्वीपों के तमाम साहित्यकारों ने काला पानी की यातनाओं को केंद्रबिंदु में रखकर कविताएं लिखीं। ये काव्य रचनाएँ द्वीप समूह के हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। बानगी के रूप में कुछ पंक्तियाँ गौरतलब हैं–

जो वर्षों तक लड़े जेल में/उनकी याद करें
जो फाँसी पर चढ़े खेल में/उनकी याद करें
याद करें काला पानी को/अंग्रेजों की मनमानी को
कोल्हू में जुट तेल पेरते/सावरकर की बलिदानी को।
(उनको याद करें: अटल बिहारी वाजपेयी)

.....

दिन भर कोल्हू को खींच-खींच/मेरे कंधे कट जाते हैं
रजनी में इन हत्यारों के/अभिशाप बहुत बढ़ जाते हैं
दीवारों पर नाखूनों से/लिख रहा मुक्ति के गीत बंधु
मुर्गे ने दे दी बाँग कहीं/सो सका न सारी रात बंधु।
(विजगीषु : जगदीश नारायण राय)

.....

सड़ा आटा, सूखी जली रोटियाँ/सड़ी रेतीली साग-सब्जियाँ
दाल में कीड़े, पानी न मिलता/ऐसी थी जेलों की प्राण लेवा दुर्गति।
(गौरव गान : जंगबहादुर सिंह 'भ्रमर')

.....

जिसकी कोठरी नं॰ 113/वीर सावरकर के
वर्षों एकांतवास की/कहानी कहती है।
(किसको नमन करूं : डॉ॰ गोविंद सिंह पवार)

वक्त बीतने के साथ-साथ, जैसे-जैसे बाहरी लोगों का पदार्पण अंडमान-निकोबार में हुआ, काला पानी का दाग छूटता गया। यहाँ का सुन्दर प्राकृतिक परिवेश, लहराता समुद्र, चारों तरफ बिखरी हरियाली, चहचहाती चिड़िया से लेकर यहाँ के आदिवासी व आज का अंडमान-निकोबार प्रस्फुटित होने लगा। ऐसे में यहाँ के साहित्यकारों-रचनाधर्मियों ने इन द्वीपों के गौरवपूर्ण इतिहास, अनूठी संस्कृति से लेकर इसके अप्रतिम सौंदर्य और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण को सुंदर शब्दों में गूँथकर अभिव्यक्त किया है। द्वीपों की सामासिकता व सद्भाव किसी के लिए भी आकर्षण का केंद्रबिन्दु हो सकती है–

गीता, गुरुग्रंथ, बाइबिल, कुरान/सब ग्रंथों का यहाँ सार होगा।
कलियुग में चलकर नाम इसी का/अण्डमान-निकोबार होगा।

(द्वीपों की उत्पत्ति : राम प्रसाद 'निर्दोष')

अंडमान का सौंदर्य कवियों को अपनी ओर अनायास ही खींचता है–

प्रिय/तुम द्वीप-समूह हो/सौंदर्य की अपूर्व प्रतिमा
नीले वस्त्रों में लिपटी/लहरों–सी अकुलाती तुम
माउंट हैरियट के विशाल माथे पर/
नार्थ की हरियाली की टिकुली।

(द्वीप–एक रेखाचित्र : राजेश कुमार 'निराश')

आज भी अंडमान के आदिवासी आधुनिकता से दूर प्रकृति के साहचर्य में जी रहे हैं–

अंडमान के आदिवासी/सभ्यता से कोसों दूर/
द्वीपों पर अलग-थलग पड़े/
तीर-भाले से करते शिकार/प्रकृति के सहवास में।

(अंडमान के आदिवासी : कृष्ण कुमार यादव)

आज अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह जहाँ पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्रबिन्दु है, वहीं तमाम मानव-वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और साहित्यकारों को भी गवेषणा, अनुसंधान और साहित्य सृजन के लिए अपनी ओर खींचता है। स्वतंत्रता सेनानियों के पदरज से पावन इस पुण्यभूमि की शहीदी गाथाओं, त्यागों और बलिदानियों की कहानियाँ सुनने के लिए भी लोग निरंतर आ रहे हैं। वे यहाँ का भौगोलिक परिवेश, सागर-तटों, झरनों-पहाड़ों का सौंदर्य, लता-गुल्मों, वृक्षों की हरीतिमा, 'कालेपानी' की यातना, आदिमानवों की सांस्कृतिक विरासत आदि को अपनी आँखों में बसाकर ले जाना नहीं भूलते। उनमें से कुछ अपने अनुभवों को बाँटने और उन्हें स्थायी बनाने के उद्देश्य से पुस्तकों की रचना तक कर डालते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की यातनाओं से द्रवीभूत हिमांशु जोशी 'यातना शिविर' लिखने से नहीं चूकते तो चर्चित साहित्यकार लीलाधर मंडलोई ने 'काला पानी' नामक पुस्तक रच डाली। ग्रेट अंडमानी, ओंगी, निकोबारी तथा शोम्पेन जनजातियों की लोक-कथाओं को भी हिंदी में लाने वाले वे पहले रचनाकार हैं। डॉ॰ ब्रह्मस्वरूप शर्मा की पुस्तक 'आँखों देखा अण्डमान' यहाँ की जीवन-शैली, रीति-नीति, आचार-विचार, मान्यता-सिद्धांत, सुन्दरता-कुरूपता, स्नेह-सौहार्द्र को बड़ी सहजता और स्वाभाविकता के साथ प्रस्तुत करती है। वस्तुत: जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग यहाँ बिताया हो, पेड़-पौधों से बातें की हों, नदी-झरने

\\192.168.3.1\E\2533HA

का संगीत सुना हो, सेल्युलर जेल की भयावहता को रोज निहारा हो, आदिमानवों के जीवन को करीब से देखा हो, ऐसे में अगर वह इन पर पुस्तक लिखे तो निश्चित रूप से अन्य की अपेक्षा उसके अनुभवों में अधिक गहराई और प्रामाणिकता होगी।

अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में एक लघु भारत बसता है। यहाँ हर जाति, धर्म, भाषा व प्रान्त के लोग मिलेंगे। यह गर्व की बात है कि इतनी विविधता होते हुए भी यह द्वीप एकता और भाईचारे की उत्कृष्ट मिसाल है। यहाँ के विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच हिंदी का एक रूप स्वत: ही संपर्क भाषा के रूप में उभर कर सामने आया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ तक कि यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के लोग जन-व्यवहार में हिंदी ही बोलते नजर आएंगे। जब भी हिंदी की बात होती है तो उत्तर-दक्षिण की बात आरंभ हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है, पर उस अंडमान-निकोबार की बात कोई नहीं करता, जहाँ हिंदी सर्वव्यापी है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित संघ शासित प्रदेश है। यहाँ स्थित इंदिरा प्वाइंट को भारत का सबसे दक्षिणतम छोर माना जाता है। जहाँ तमाम प्रमुख संस्थाओं में अंग्रेजी में भाषणबाजी/वक्तवय देना आम बात है, वहीं यहाँ पर सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी फल-फूल रही है। हिंदी यहाँ की सर्वप्रमुख भाषा है, यहाँ तक कि निकोबारी और ग्रेट अंडमानी आदिवासी और कुछ हद तक जारवा आदिवासी भी भलीभांति हिंदी समझ-बोल लेते हैं। इसके अलावा यहाँ निकोबारी, तमिल, बांग्ला, मलयालम और तेलुगु भी बोली जाती है। निश्चितत: एकता की भावना की यह धरोहर अनुपम और अनमोल है।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हिंदी सिर्फ संपर्क भाषा के रूप में नहीं बल्कि साहित्य के रूप में भी दिनों-दिन समृद्ध हो रही है। यहाँ कविता, कहानी, नाटक, गीत, संस्मरण, लेख व निबंध, लघुकथाएं, व्यंग्य, उपन्यास, बाल साहित्य, संस्मरण जैसी साहित्य की सभी विधाएँ प्रस्फुटित हो रही हैं। एक तरफ इन रचनाओं में स्थानीय सामाजिक परिवेश परिलक्षित होता है तो नई पीढ़ी के रचनाकार अपनी रचनाओं से समाज में चेतना की अलख जगा रहे हैं। अण्डमान में हिंदी साहित्य की एक दीर्घजीवी परंपरा है, जो काला पानी के दिनों से आरंभ होकर नित्य प्रवाहमान है। अंडमान की धरती को सौभाग्य प्राप्त है कि काला पानी के ही बहाने तमाम प्रखर पत्रकारों, संपादकों, लेखकों, कवियों ने इस धारा पर साँस ली और कुछ-न-कुछ रचा। कहते हैं वार्ताएँ-चर्चाएँ गीत-संगीत, नाटक और कविताएँ-कहानियाँ मुखरित होती हैं और अनंत में विलीन हो जाती हैं, किंतु छपी हुई पठनीय सामग्री विचारों तथा भावनाओं को कालातीत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंडमान-निकोबार की आदि-संस्कृति को सभ्य समाज के समक्ष लाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ॰ राम कृपाल तिवारी ने 'अंडमान-निकोबार की जनजातीय बोलियों का भाषिक अध्ययन' पुस्तक द्वारा इनसे न सिर्फ हिंदी पाठकों को जोड़ा बल्कि इससे जनजातीय संस्कृति और सरोकारों की पहुँच भी दूरगामी हुई। डॉ॰ तिवारी ने 'शोम्पेन हिंदी शब्दावली' का भी निर्माण किया है। 'अंडमान तथा निकोबार के आदिवासी और उनकी बोलियाँ' (सं॰ डॉ॰ व्यासमणि त्रिपाठी) एवं अंडमान तथा निकोबार की लोक कथाएं (सं॰ लीलाधर मंडलोई-जे॰ एस॰ राज) भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। श्री पुष्पोत्तम लाल 'वशिष्ठ' एवं डॉ॰ जयदेव सिंह ने स्थानीय बोली के भाषा वैज्ञानिक पहलू से संबंधित तमाम शोध-लेख रचे हैं। यहाँ के तमाम साहित्यकार देश की मुख्य धारा की पत्र-पत्रिकाओं में प्रतिष्ठापरक रूप में निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में तमाम संस्थाएं भी हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं उत्तरोत्तर वृद्धि में संलग्न हैं। इन संस्थाओं के तत्वाधान में यहाँ कवि सम्मेलन, मुशायरा, साहित्यकार-अभिनन्दन, साहित्य गोष्ठियां, परिचर्चा, नाटक, नुक्कड़ नाटक इत्यादि कार्यक्रम चलाते रहते हैं, जिससे हिंदी को एक भाषा एवं साहित्य दोनों रूपों में ऊर्जा प्राप्त होती है। यहां सर्वाधिक पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था के रूप में पोर्टब्लेयर के हिंदी साहित्य, संस्कृति व कला प्रेमियों और बुद्धिजीवियों द्वारा हिंदी साहित्य कला परिषद' का 12 मार्च, 1962 को गठन हुआ। परिषद द्वारा द्वीपों की एकमात्र हिंदी साहित्य पत्रिका 'द्वीप-लहरी' का अर्द्धवार्षिक प्रकाशन भी किया जाता है। यह पत्रिका मुख्यभूमि एवं द्वीपसमूह के बीच साहित्य-सेतु की भूमिका बखूबी निभा रही है। 'हिंदी साहित्य कला परिषद्' के अलावा भी यहां कई संस्थाएं सक्रिय हैं। इनमें आठवें दशक में 'नवपरिमल' संस्था का गठन हुआ। वर्ष 1998 में यहां 'चेतना' नामक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था का गठन किया गया। डॉ॰ गोविन्द सिंह पंवार के संयोजकत्व में 'राष्ट्रीय हिंदी अकादमी' भी हिंदी को इन द्वीपों में बखूबी समृद्ध रही है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु सम्यक् रूप में कार्य कर रही है। पोर्टब्लेयर स्थित जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय का हिंदी विभाग भी इस संबंध में गतिविधियां आयोजित करता रहता है।

हिंदी साहित्य और पत्रकारिता एक सिक्के के दो पहलू हैं। विभिन्न भाषाओं में यहां से लगभग 35 अखबार निकलते हैं, जिनमें अधिकतर टेबलायड आकार में साप्ताहिक या पाक्षिक हैं। पोर्टब्लेयर से प्रकाशित प्रमुख हिंदी समाचारपत्र हैं-अंडमान निकोबार द्वीप समाचार, द्वीप

\\192.168.3.1\E\2533HA

मंथन, अंडमान एक्सप्रेस, संपूर्ण आवाज, सागर, साहिल की ओर। इनमें सरकारी प्रेस द्वारा प्रकाशित 'द्वीप समाचार' प्रमुख है। गौरतलब है कि अंडमान-निकोबार में सरकारी प्रेस द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक 'द डेली टेलीग्राम्स' और हिंदी दैनिक 'अंडमान निकोबार द्वीप समाचार' समाचारों व सूचनाओं के प्रमुख स्रोत हैं। राजधानी पोर्टब्लेयर से प्रकाशित हिंदी अखबारों के अलावा हिंदी पत्र-पत्रिकाएं भी यहां उपलब्ध हो जाते हैं। मुख्य-भूमि से आने के कारण प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाएं यहां दुगुने-तिगुने मूल्यों पर उपलब्ध होती हैं। ऐसे में तमाम पत्र-पत्रिकाओं से यहां के लोगों को वंचित रह जाना पड़ता है। फिर भी साहित्य में अभिरुचि रखने वाले लोग तमाम पत्र-पत्रिकाओं से डाक-माध्यम द्वारा जुड़ जाते हैं। पोर्टब्लेयर में स्थित स्टेट लाइब्रेरी में भी हिंदी एवं अन्य भाषाओं की पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने को मिलती हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के बिना हिंदी का प्रचार-प्रसार अधूरा ही माना जाएगा। वर्ष 1980 के दशक में पोर्टब्लेयर में आकाशवाणी का केन्द्र खुला। हिंदी आकाशवाणी केन्द्र के रूप में इस केन्द्र से प्रसारित हिंदी प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों, साहित्यिक कार्यक्रम, हिंदी भाषा पाठ तथा संगीत के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये इन द्वीपों में हिंदी प्रचार व प्रसार को एक नई दिशा मिली है। यथाचर्चित आकाशवाणी के अतिरिक्त दूरदर्शन ने भी यहां हिंदी को समृद्ध किया है। लगभग सभी हिंदी चैनल्स यहां देखे जा सकते हैं। फिल्म-थिएटर न होने के कारण हिंदी फिल्में मात्र टी॰वी॰ चैनल्स पर उपलब्ध हो पाती हैं। 'भारतीय साहित्य अकादमी' के तत्वावधान में साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रायः हर वर्ष यहां कार्यक्रम होते हैं। तमाम दिग्गज हिंदी साहित्यकार अंडमान-निकोबार का भ्रमण कर हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि पैदा करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। हिंदी के प्रचार-प्रसार में सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि रामलीला, नौटंकी, मानस पाठ, भजन कीर्तन का भी महत्वपूर्ण स्थान हैं। ये विधाएं एक तरफ 'लोक' को संरक्षित रखती हैं, वहीं इनके माध्यम से लोगों का अपनी जमीं से जुड़ाव बना रहता है। उत्तर भारत से आकर अंडमान में रह रहे तमाम लोग इन विधाओं को रस लेकर देखते-सुनते हैं। निश्चितत: अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हिंदी की दशा और दिशा को देखकर कहा जा सकता है कि यहां हिंदी के विकास को लेकर अभी भी अनंत संभावनाएं हैं।

निदेशक डाक सेवाएं
इलाहाबाद परिक्षेत्र,
इलाहाबाद (उ॰प्र॰)-2110001
मो॰08004928599
ई-मेल: kkyadav.y@rediffmail.com

भारत की प्रमुख नदी घाटियां

क्रम संख्या	नदी घाटी	नदी थाला क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)
1.	सिन्धु (बॉर्डर तक)	321289
2.	(क) गंगा	861452
3.	(ख) ब्रह्मपुत्र	194413
4.	(ग) बराक और अन्य	41723
5.	गोदावरी	312812
6.	कृष्णा	258948
7.	कावेरी	81155
8.	सुवर्णरेखा	29196
9.	ब्रहमणी और बेतरणी	51822
10.	महानदी	141589
11.	पेन्नार	55213
12.	माही	34842
13.	साबरमती	21674
14.	नर्मदा	98796
15.	तापी	65145
16.	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां तापी से तादड़ी	55940
17.	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां तादड़ी से कन्याकुमारी	56177
18.	पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी और पेन्नार के बीच	86643
19.	पूर्व की ओर बहने वाली नदियां पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच	100139
20.	लूनी समेत कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	321851
21.	राजस्थान में अन्तर्देशीय नालियों का क्षेत्र	-
22.	म्यामार (बर्मा) एवं बांग्लादेश में बहकर जाने वाली छोटी नदी जल नालियां	36202

(साभार — पत्र सूचना कार्यालय)

\\192.168.3.1\E\2533HA

हिंदी सिनेमा और साहित्य

— साकेत सहाय

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कथनों के अनुसार ''साहित्य समाज का दर्पण है'' और सिनेमा भी समाज की मनोभावनाओं को एक अलग तरीके से ही चित्रित करता है। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि भले ही साहित्य एवं सिनेमा दो पृथक विधाएं हैं परंतु दोनों का पारस्परिक संबंध बहुत ही गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बनने की शुरुआत हुई तो इनका आधार साहित्य ही बना। भारत में बनने वाली पहली फीचर फिल्म दादा साहेब फाल्के ने बनाई, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक 'हरिश्चंद्र' पर आधारित थी।

भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक परंपरा वाले देश में सिनेमा की व्यापक पहुंच ने इसे लोगों के मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम बना दिया है और इसमें हिंदी का व्यापक योगदान है। वर्ष 1931 में पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' से लेकर आज तक सर्वाधिक फिल्में हिंदी भाषा में ही बनाई गईं हैं। आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पच्चीस से अधिक भाषाओं में फिल्में बनती हैं, जिनमें एक चौथाई से अधिक फिल्में हिंदी की होती हैं और इनके दर्शक संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। यही दर्शक वर्ग हिंदी की सार्वभौमिक पहुंच को मजबूती प्रदान करता है, जिससे हिंदी की पहुंच अखिल भारतीय होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी होती है।

अब प्रश्न उठता है हिंदी का कौन-सा स्वरूप हिंदी सिनेमा की अखिल भारतीय पहुंच बनाने में योगदान करता है — राष्ट्रभाषा, जनभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा। तो सहज जवाब आता है इसका जनभाषा वाला रूप अथवा सभी रूपों के सम्मिश्रण वाला रूप। कारण कि हिंदी सिनेमा की बात आते ही हम सभी के समक्ष वह सिनेमा आता है, जिसमें पात्रों की बातचीत भले ही हिंदी में होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कहानी का संबंध केवल हिंदी भाषा क्षेत्र से हो और यह भी जरूरी नहीं कि उस फिल्म का निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, अभिनेता-अभिनेत्री, संगीतकार आदि भी हिंदी भाषी हों। लेकिन उसका मूल रस समरस समाज का होता है। यहां समरस समाज से हमारा मतलब अगर भाषायी दृष्टि से देखें तो उस सर्वग्राह्य हिंदी से है जो बहुसंख्यक प्रदेशों, जातियों को स्वीकार्य हो। यही कारण है कि हिंदी सिनेमा ने भी उसी हिंदी को अपनाया।

हालांकि कई बार विद्वान इस तथ्य को गलत समझते हैं। उनके अनुसार साहित्यिक हिंदी को हिंदी सिनेमा में समुचित स्थान नहीं मिल पाया है, जिसे पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता है। फिर भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हिंदी सिनेमा देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना में व्यापक बदलाव लाया है और इसमें हिंदी के सभी रूपों का योगदान है। इन्हीं तथ्यों की वजह से हिंदी भारत के मुख्यधारा सिनेमा की स्वीकार्य भाषा बन चुकी है, जिसमें लिखित व अलिखित कहानियों, कथाओं, लघु कथाओं, साहित्यिक रचनाओं सभी का योगदान है। पर एक सच यह भी है कि हिंदी सिनेमा में साहित्यिक कृतियों पर सबसे कम सफल फिल्में बन पाई हैं। हालांकि, शुरुआती दौर में फिल्मों में विविधता के लिए फिल्मकारों ने साहित्य को स्थान देना शुरू किया। इसी के साथ हिंदी के लेखकों, फिल्मकारों को जगह मिलना शुरू हुआ। परंतु साहित्यिक फिल्मों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जिसके पीछे कई कारण माने जा सकते हैं। साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने के पीछे पहली शर्त है निर्माता-निर्देशक का रचना/कृति के मर्म तक पहुंचने के साथ ही लेखक/साहित्यकार के मानसिक बुनावट को भी समझना। तभी, तो फिल्मकार बाजार के दबाव और मनोरंजन की जरूरतों के बीच साहित्यकार की सोच के साथ भी इंसाफ कर पाएगा। तथापि, यह भी सत्य है कि यदि साहित्य को भी लोक पक्ष से जोड़कर फिल्में बनाई जाएं तो ये भी सफल होती है क्योंकि साहित्य का मतलब हमें केवल लिखित साहित्य से नहीं लगाना चाहिए और कई सफल फिल्मों के नाम इस दिशा में लिए भी जा सकते हैं।

हिंदी सिनेमा में हिंदी साहित्य की भूमिका प्रारंभ से रही है। चाहे कहानी की हो या पटकथा या गाने की। सभी में हिंदी का योगदान रहा है। व्ही॰ शांताराम, महबूब खान, ख्वाजा अहमद अब्बास, बिमल रॉय, राजकपूर, गुरुदत्त, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, श्याम बेनेगल, चेतन आनंद, गुलजार, सत्यजीत रॉय, कमाल अमरोही, मुजफ्फर अली जैसे फिल्मकारों ने सामाजिक दृष्टि से सोद्देश्यपूर्ण और कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण किया। इन फिल्मकारों ने इस बात का ध्यान रखा कि फिल्मों द्वारा जो संदेश वे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें लोकप्रिय ढंग से पहुंचाया जाए। इसके लिए जहां उन्होंने यथार्थवाद और पहले से चली आ रही मेलोड्रामाई शैली का संयोजन किया, वहीं उन्होंने फिल्म की भाषा, गीत, संगीत और संवादों पर भी खास ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने शास्त्रीय और लोक परम्पराओं का मिश्रण किया। इस बात का भी ध्यान रखा कि भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहु भाषायी देश है। अतः उन्होंने भारत की

\\192.168.3.1\E\2533HA

विभिन्न जातीय और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनी फिल्मों में समाहित करने का प्रयास किया और हिंदी को उच्च स्थान दिया।

हिंदी फिल्मों ने अपने को क्षेत्रीय और भाषायी संकीर्णता से दूर रखा। उन्होंने फिल्मों की कहानी को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया कि वे किसी एक क्षेत्र तक सीमित न दिखाई दें और यदि वे किसी क्षेत्र विशेष से संबद्ध दिखाई भी दें तो उसकी अपील अवश्य सार्वभौमिक हो। प्रसिद्ध फिल्मकार महबूब खान की प्रसिद्ध लोकप्रिय फिल्म 'मदर इंडिया' का उदाहरण लिया जा सकता है, जो गुजराती पृष्ठभूमि में बनी है, जिसे पात्रों की वेशभूषा से आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन फिल्म के किसी भी अंश में कोई पात्र या प्रसंग इस बात का संकेत नहीं देता कि उनका संबंध किसी खास क्षेत्र से है। लेकिन ऐसी सभी फिल्में बनी हिंदी में ही।

साठ के दशक के बाद हिंदी सिनेमा की यह परंपरा कमजोर होने लगी और व्यावसायिकता और सतही लोकप्रियता फिल्मों पर हावी होने लगी। इस बदलाव ने नए फिल्मकारों को सिनेमा की लोकप्रियता शैली का परित्याग करने को प्रेरित किया। इसमें समाज में हो रहे बदलाव का भी योगदान है क्योंकि साहित्य की तरह सिनेमा भी अपनी प्राणशक्ति समाज से ही प्राप्त करता है।

पिछले दो दशकों में भारतीय सिनेमा ने अपनी जातीय और लोक परंपरा को काफी हद तक भुला दिया है, जिसका असर भाषायी चेतना पर भी पड़ा है। पहले की तरह अब भारतीय फिल्मों का संबंध ग्रामीण या मध्यवर्गीय यथार्थ से लगभग खत्म-सा हो गया है। फिल्मों के विषय बदल गए हैं। आज बनने वाली अधिकतर फिल्मों में उस मध्यवर्ग का जीवन प्रस्तुत किया जाता है, जो महानगरों या विदेशों में रहता है। इस महानगरीय मध्यवर्ग का संबंध उस भारत से खत्म होता जा रहा है जो आज भी देश की कुल आबादी का 80-85 प्रतिशत है। लेकिन फिल्मों से यह बहुसंख्यक आबादी विलुप्त होती जा रही है।

इसका स्थान जिस मध्यवर्ग ने लिया है, उसके लिए भारत की विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का महत्व उतना ही है, जितना कि फैशन की दुनिया में एथनिक पोशाओं का होता है। इस वर्ग के लिए न साझा सांस्कृतिक परंपरा की कोई प्रासंगिकता है, न हिंदुस्तानी जबान की और न ही लोक परंपराओं की, जिसका असर बहुसंख्यक समाज की भाषा पर भी पड़ा है।

भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण की जन विरोधी नीतियों के वर्चस्व और साझा संस्कृति और लोक परंपराओं के विरुद्ध सक्रिय ताकतों के दबाव ने भारतीय सिनेमा की बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय परंपरा के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। साहित्य और अन्य कला माध्यमों के सामने भी ये चुनौतियां मौजूद हैं। परंतु, इन चुनौतियों के बीच हिंदी सिनेमा के साथ एक सुखद पक्ष यह भी है कि इनसे संघर्ष करने वाली प्रवृतियां आज भी सक्रिय हैं।

बाजारवाद, तकनीकी विकास, उदारवाद का व्यापक एवं स्पष्ट प्रभाव हिंदी सिनेमा पर देखा जा सकता है। जो हिंदी कभी भारतीय सिनेमा की प्राण तत्व मानी जाती थी उसका स्थान अब हिंग्लिश ने ले लिया है। शायद यह उस बदलते दौर का असर है, जिसने 5000 साल से ज्यादा पुरातन सभ्यता, जो कभी न बदलने का दंभ करती थी, उसे इस बाजारवाद ने एक झटकें में बदल दिया है। इसका असर सिनेमा और हिंदी भाषा पर भी पड़ा है।

प्रारंभ से ही भारतीय समाज में साहित्य की प्रखर भूमिका रही है। हमने रामायण, महाभारत, पंचतंत्र जैसी गाथाओं को मौखिक रूप से संरक्षित रखा। आज भी हमारे देश में हजारों वर्षों से लोकोक्तियां, मुहावरे जिंदा हैं क्योंकि हमारा देश श्रुति परंपराओं का देश रहा है। भारतीय सिनेमा ने भी प्रारंभ में इन्हीं परंपराओं, किस्सों-कहानियों पर फिल्में बनाने की परंपरा कायम रखी। अत: साहित्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका प्रारंभ से रही है। ऐसे में, उपर्युक्त परिस्थितियों से घबराए बिना हमें आगे देखने की आवश्यकता है।

वैसे भी भाषा का समाज के इतर कोई अस्तित्व नहीं होता। भाषा से किसी व्यक्ति और समाज का रिश्ता, उसके अस्तित्व से गुंथा हुआ है। भाषा उन्नत वही है, जहां समाज उन्नति की राह पर है। ऐसे में आवश्यकता है कि हिंदी सिनेमा को शिखर पर ले जाने वाले साहित्य (लिखित/अलिखित) के दोनों रूपों को पुष्पवित-पल्लवित करने की। जो हिंदी सिनेमा भाषायी व सांस्कृतिक अंतर्संबंधों की वजह से जानी जाती थी, जरूरत है इसकी पुनर्व्याख्या करने की। तभी हिंदी सिनेमा पुन: अपनी खोयी हुई विरासत को पा सकेगा तथा अपनी जड़ों को सिंचित कर पाएगा। इसके लिए कलमकारों को भी अपनी कलम को उस ओर मोड़ने की जरूरत है, जहां भारतीय समाज उठता-जागता है। कलमकारों को पुन: अपनी कलम उस ग्रामीण समाज की ओर मोड़नी होगी, जहां आज भी बहुसंख्यक समाज उठता-जागता है। तभी हिंदी भाषा और साहित्य के अंतर्संबंधों से भारतीय सिनेमा का यह विशाल वृक्ष बरगद का रूप ले पाएगा और हिंदी अपने एक और रूप में उन्नति पथ पर अग्रसर होगी।

प्रबंधक (राजभाषा)

राजभाषा विभाग, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
कॉरपोरेट कार्यालय, प्लॉट नं॰-05, सेक्टर-32,
गुड़गांव-122001
संपर्क: 91 8800556043
ई-मेल - hindisewi@gmail.com

\\192.168.3.1\E\2533HA

राष्ट्रभाषा का वर्तमान परिदृश्य और भविष्य

–मनीष कुमार सिंह

प्रत्येक राष्ट्र की एक भाषा होती है, जिसमें जन मानस भाव–अभिव्यक्ति एवं विचारों का सम्प्रेषण करता है। लौकिक आचरण ही नहीं अपितु अवचेतन में आने वाले ख्याल भी मातृभाषा में ही उद्धत होते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की भाषा उसकी बहुभाषिक संरचना के विवेक को समझने एवं उसकी भाषिक धरोहर तथा परम्परा के मूल स्रोतों को देखने–समझने–परखने की व्यापक संभावनाएं लिए हुए होनी चाहिए। हिंदी को इस कसौटी पर खरा उतरता देखकर ही 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से भारत की राजभाषा घोषित किया। इसका प्रस्ताव प्रसिद्ध तमिल विद्वान श्री गोपालस्वामी आयंगर ने किया था। हिंदी के पक्षपातियों में पट्टाभि सीतारमैया भी थे, जोकि अपने पत्रों पर हिंदी में पते लिखते थे। लोगों द्वारा आगाह करने के बाद भी कि ऐसा करने से संभवत: पत्र निर्दिष्ट स्थान पर न पहुंचे, उन्होंने ऐसा करना छोड़ा नहीं। न केवल तिलक, सुभाष और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे अहिंदी भाषी प्रदेशों के महापुरुष वरन् सुदूर तमिल प्रान्त में महाकवि सुब्रमणयम भारती भी हिंदी के पक्षधर थे। महात्मा गांधी, जिनकी मातृभाषा गुजराती थी, का कथन था कि बिना राष्ट्र भाषा के राष्ट्र गूंगा है।

भारत जैसे विशाल उपमहाद्वीपीय आकार के राष्ट्र में जहां भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधता हैं वहां एक बहुभाषा–भाषी व सहिष्णु संस्कृति ही लोगों को जोड़ने का काम कर सकती है। यहां सैंकड़ों भाषाएं एवं सहस्त्रों बोलियां प्रचलित हैं। जहां उत्तर भारत की अधिकांश भाषाओं यथा हिंदी, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी और कोंकणी की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है वहीं दक्षिण की भाषाओं तमिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयालम का स्रोत अवश्य भिन्न है परन्तु इनके विद्वानों एवं व्याकरणविदों ने संस्कृत और हिंदी से शब्दों को लेने में संकोच नहीं किया। जाहिर है कि यदि उत्तर भारत की अन्य भाषाएं हिंदी की सहोदर भगिनियां हैं, तो दक्षिण की भाषाएं इसकी धात्रेयी भगिनियां कही जा सकती हैं।

देश की बहुलवादी संरचना और हिंदी की सभी भाषा–भाषियों को जोड़ने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक प्रावधानों में इस भाषा की महत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया है। अनुच्छेद 343 में यह उल्लिखित है कि ''संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।'' अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है कि ''संघ का यह दायित्व है कि वह हिंदी का विकास इस तरह से करे कि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के विविध तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा बिना गुणवत्ता में कमी लाए हिंदुस्तानी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित अन्य भाषाओं के रूपों, प्रकारों एवं भावों को आत्मसात् करे तथा जहां भी आवश्यक हो या उपयुक्त लगे, प्रमुखत: संस्कृत तथा द्वितीयत: अन्य भाषाओं से अपने शब्दकोश को समृद्ध करे।'' इन्हीं संवैधानिक उपबंधों के तहत हिंदी को 26 जनवरी, 1965 को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने का निश्चय किया गया। परंतु तब तक स्वतंत्रता पूर्व का मतैक्य और राष्ट्रीय चेतना क्षीण हो चुकी थी। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण एवं भाषीय राजनीति का सूत्रपात हो चुका था। प्रारंभ में अनुच्छेद 343 (2) के द्वारा संविधान लागू होने के पंद्रह वर्ष पश्चात् तक अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में जारी रखने की बात कही गई थी। लेकिन भाषा को लेकर मचे बवंडर के कारण राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1963 के तहत् राजभाषा नियम, 1975 निर्मित हुआ जिसके अंतर्गत समय–समय पर हिंदी के अनुगामी प्रयोग के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।

करीब सात दशकों के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होगा कि स्वातंत्रोतर काल में राजभाषा संविधान–निर्माताओं की आकांक्षाओं, हिंदी–प्रेमियों तथा आम जनों की कसौटियों व उम्मीदों पर कहां तक खरी उतरी है। संभवत: अधिकांश लोगों को यह मालूम न हो कि हिंदी भारत से बाहर करीब सवा सौ से अधिक देशों में प्रयोग में लाई जाती है। अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी में पठन–पाठन का कार्य होता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली समझे जाने वाले देश का राष्ट्रपति अपने लोगों को हिंदी सीखने का सत्परामर्श देता है। विश्व में अंग्रेजी और मैंडरिन अर्थात् चीनी के साथ–साथ हिंदी भी सबसे ज्यादा बोली और प्रयोग में आने वाली भाषा है। परंतु अभी तक यह अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रैंच, स्पेनिश इत्यादि की भांति संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा होने के बावजूद भारत में हिंदी नहीं अपितु अंग्रेजी प्रशासन, चिकित्सा, न्यायालय, कूटनीति कार्य एवं प्रविधि की भाषा है। रोजगार से हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा नहीं बल्कि अंग्रेजी जुड़ी है। परिणामस्वरूप वर्तमान में हो रहे आर्थिक सुधार, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, आर्थिक प्रक्रियाओं तथा तमाम विकासात्मक कार्यकलापों से आम जनता काफी हद तक अनभिज्ञ है। फलत: विकास के लाभ भी महज चंद लोगों तक सीमित

\\192.168.3.1\E\2533HA

होकर रह जाते हैं। अधिकांश जनसंख्या को ये कार्य अभिजात्यपन की बू लिए प्रतीत होते हैं। यदि प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, नवीन प्रविधियों का ज्ञान विदेशी भाषा में दिया जाएगा तो जाहिर है कि जन-सहभागिता शून्य रहेगी। सार्वजनिक उपक्रमों की खस्ताहाली, उत्पादकता में कमी और बेरोजगारी का एक बड़ा कारण अपनी भाषा में कामकाज का अभाव है। विदेशी भाषा में दी जाने वाली विद्यार्थियों को तथ्यपूर्ण ज्ञान पचाने की बजाए अपना समय व ऊर्जा अटपटे शब्दों के उच्चारण व व्याकरण सीखने में लगाने पर विवश करती है।

एक स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकताएं एवं आकाक्षाएं किसी उपनिवेश से नितांत भिन्न होती हैं। पहले नौकरशाही के जिस 'इस्पाती ढांचे' का उद्देश्य अंग्रेजी राज्य को बरकरार रखना था अब एक लोकतांत्रिक देश में जन-सहभागिता को सुनिश्चित करना है। परंतु अपने पृथक संसार में कैद होने के कारण नौकरशाह इस दायित्व को निभाने में असमर्थ हैं। यह घोर सामाजिक-आर्थिक विषमता को जन्म देता है, जोकि विभिन्न सामाजिक विसंगतियों-बेरोजगारी, साम्प्रदायिकता, आपराधिक मनोवृत्ति और संकुचित क्षेत्रीयता का मार्ग प्रशस्त करती है। वस्तुत: हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की अस्मिता और समुचित स्थान का प्रश्न सामाजिक बदलाव से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तब होगी जब प्रशासन आचरण में सामाजिक परिवर्तन और जन-आकांक्षा परिलक्षित हो। हमारा प्रशासन प्रयोजन-मूलक होना चाहिए न कि सोपान-मूलक और यथास्थिति का समर्थक। स्वभाषा का मुद्दा विकास और जन-सहभागिता से हट कर नहीं है। ईमानदार करदाताओं के पैसे से शिक्षण संस्थाएं अंग्रेजी माध्यम के द्वारा होनहार डॉक्टर और इंजीनियर तैयार कर रही हैं, जो बेहतर विकल्प की तलाश में विदेशों का रुख कर लेते हैं। यदि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी तो इस 'ब्रेन ड्रेन, पर नियंत्रण पाया जा सकता है। परंतु इसके लिए विभिन्न भाषा-भाषी प्रांतों के बीच तालमेल और समझ, एक सुनियोजित योजना और भारतीय भाषाओं में स्तरीय पुस्तकों की उपलब्धि जरूरी है।

कुछ लोगों के अनुसार हिंदी कार्यालयों के लिए दुरूह भाषा है तथा इसके प्रयोग से भारत को अग्रिम राष्ट्रों की पंक्ति में नहीं लाया जा सकता है। इस कथन की असत्यता इससे उजागर होती है कि स्वयं विदेशी विद्वान संस्कृत को संगणक (कंप्यूटर) के लिए सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा मानते हैं क्योंकि वह फोनोटिक है यानी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। चूंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है इसलिए यह अंग्रेजी से ज्यादा वैज्ञानिक है। फ्रांस, जर्मनी, जापान तथा इटली जैसे स्वाभिमानी राष्ट्रों ने स्वभाषा में राष्ट्र-निर्माण और आधुनिक विश्व से नाता जोड़ने का कार्य किया। मुहम्मद गोरी जैसे विदेशी आक्रमणकारी के सिक्कों पर देवनागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक का उल्लेख वर्ष 1179 के एक अभिलेख में हिंदी में है। मराठों ने राजकाज में हिंदी का प्रयोग किया। बड़ौदा के शासकों ने प्रशासन कार्य हेतु 'शासन-कल्पतरु' नामक ग्रन्थ की रचना हिंदी में करवायी, ईस्ट इंडिया कम्पनी के काल में राजाज्ञाएं एवं अधिसूचनाएं हिंदी में जारी होती थीं।

वस्तुत: हिंदी को प्राविधिक और प्रशासन के लिए अनुपयुक्त एवं विद्रुपित करने में राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र का हाथ है। यदि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को आई॰जी॰आई॰ एयरपोर्ट ही कहना था तो इतने बड़े नाम की बजाए बस इंदिरा हवाई अड्डा कहना पर्याप्त था। इसी प्रकार रामकृष्णपुरम् को आर॰ के॰ पुरम कहने से बचाने के लिए मात्र परमहंस नगर कहा जाता तो बेहतर होता। 'वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक शब्दावली आयोग, 1954' द्वारा निर्मित पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नगण्य है। आज हिंदी भाषी भी अपनी अपकर्षता या हीनभावना के कारण अथवा झूठा रोब जमाने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। एक कुंठित मानसिकता और प्रतिष्ठा-मूलक भ्रम इसके पीछे निहित है। हिंदी और अंग्रेजी की भिन्न प्रकृति को ध्यान में रखे बगैर अनुवाद किया जाता है। संभवत: ऐसे अनुवाद को स्वयं अनुवादक भी कुछ समय बाद नहीं समझ पाएगा। आवश्यकता मध्यम मार्ग के अनुसरण की है। न तो शुद्धता और संरक्षण के नाम पर कतिपय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने से कतराए और न ही अनाप-शनाप शब्दों/वाक्यों को चलती का नाम हिंदी समझकर भाषा में शामिल करें। अंग्रेजी में 'सर' का कोई स्त्रीलिंग सुलभ न होने पर फ्रेंच भाषा के 'मादाम' को 'मैडम' के रूप में स्वीकार किया गया। वस्तुत: जो भाषा दूसरी भाषाओं की जितनी शब्दावली पचा सकती है वह कालांतर में उतनी ही समृद्ध होती है। भाषाविद् अल्बर्ट सी॰ काफ के अनुसार किसी भी भाषा की समृद्धि के पीछे उसकी अन्य भाषाओं के शब्दों को अंगीकार करने की क्षमता जिम्मेवार होती है। अंग्रेजी में ज्यादातर शब्द वे हैं, जो कभी ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और अन्य भाषाओं के थे।

हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारत की प्रगति सम्भव नहीं है—यह दलील कितनी आधारहीन है इसका परिचय इससे मिलता है कि हरित क्रांति, पल्स-पोलियो टीकाकरण अभियान की सफलता जनता को स्वभाषा में उन्नत बीजों, आधुनिक तकनीक तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के कारण हुई। अक्सर यह कहा जाता है कि राजा राममोहन राय जैसा समाज सुधारक, गोखले जैसा राजनीतिज्ञ, तिलक सदृश्य स्वाभिमानी बौद्धिक प्रतिभा और पटेल जैसा कुशल प्रशासक आंग्ल भाषा के माध्यम से प्राप्त शिक्षा में ही पल्लवित हुए थे। परंतु सभी के मौलिक चिन्तन और प्रेरणा का स्रोत मातृभाषा एवं भारतीय दर्शन था। जिन विद्वानों का यह तर्क है कि अंग्रेजी हिंदी की अपेक्षा अधिक समृद्ध है वे यह ध्यान रखें कि न

\\192.168.3.1\E\2533HA

केवल हिंदी बल्कि मराठी, बांग्ला इत्यादि दूसरी भारतीय भाषाओं के शब्दों की संख्या भी अंग्रेजी की तुलना में काफी ज्यादा है।

बात तनिक पुरानी हो गई है लेकिन है बिल्कुल प्रासंगिक। कुछ वर्ष पूर्व उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम॰एन॰ वेंकटचलैया और न्यायमूर्ति एस॰ मोहन की खण्डपीठ ने यह निर्णय दिया कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा केवल मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। इसके पीछे विद्वान न्यायधीशों की अनुभवी सोच और बाल-मनोविज्ञान निहित था। विदेशी भाषा में दी जा रही शिक्षा बच्चों को कतिपय कठिन विषयों-विज्ञान तथा गणित के प्रति आतंकित कर देती है। उनके अपरिपक्व मन-मस्तिष्क को एक अपरिचित भाषा के बोझ तले दबाना हमारी पाषाणता और असंवेदनशीलता के सिवा क्या है? मातृभाषा में दी गयी शिक्षा नौनिहाली में अपनी संस्कृति तथा परम्पराओं पर गर्व उत्पन्न कराएगी। संविधान के अनुच्छेद 350 (ए) के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं जुटाने का उत्तरदायित्व राज्यों तथा स्थानीय निकायों पर है। कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल करके एक स्तुत्य कार्य किया। अंग्रेजीपरस्त अभिभावकों द्वारा इसका तीव्र विरोध भी हुआ परंतु इससे राज्य सरकार का संकल्प कमजोर नहीं हुआ।

डच शासन की औपनिवेशिक दासता से मुक्त होने के बाद कई द्वीपों के समूह वाले देश इंडोनेशिया ने उन द्वीपों से शब्द और वाक्यांश लेकर अपनी भाषा बनाई लेकिन औपनिवेशिक भाषा को स्वीकार नहीं किया। लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहने के कारण आयरलैण्ड के कुलीन अपनी भाषा भूल चुके थे। आजादी मिलने के उपरांत उन्होंने आयरिश भाषा देश के किसानों और साधारण श्रमजीवियों से सीखी ताकि अपनी भाषा में काम किया जा सके। हम दूर क्यों जाए हमारे पड़ोसी देश बंगलादेश में संपूर्ण देश की भाषा बांग्ला है तो पाकिस्तान में जनसंख्या के महज कुछ प्रतिशत लोगों द्वारा बोली वाली भाषा उर्दू वहां की राजभाषा है। आजादी के सात दशक व्यतीत हो जाने के बाद भी यह तर्क दिया जाता है कि हिंदी आधुनिक विज्ञान के जटिल विषयों को वहन करने में समक्ष नहीं है। वे शायद अभी भी भारत को सांप और सपेरों का देश समझते हैं। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि हस्तलिपियों के युग में खलीफाओं के सहयोग के बल पर अरब में ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अरबी भाषा में उत्कृष्ट कृतियों का सृजन किया गया। इन्हीं ग्रंथों का लैटिन में अनुवाद होने के पश्चात् यूरोपीय नवजागरण की शुरुआत हुई। यह बात शायद कई लोगों को आश्चर्यजनक लगे कि एक समय इंग्लैण्ड फ्रेंच भाषा से इतना अभिभूत था कि न केवल राजकाज इस भाषा में होता था बल्कि संभ्रांत वर्ग अपना अभिजात्यपन प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी की बजाए फ्रेंच का प्रयोग करता था। जब कालांतर में फ्रेंच के स्थान पर अंग्रेजी लागू की गई, तो उसका भारी विरोध हुआ और उसके विपक्ष में वे सारे तर्क दिए गए, जो आज हमारे यहां हिंदी के विरोध में दिए जा रहे हैं।

आज एक प्रांत का निवासी किसी दूसरी भाषा बोलने वाले प्रांत में हिंदी में खुद को अंग्रेजी के मुकाबले ज्यादा सहज महसूस करता हैं। विदेशी पर्यटकों की सम्पर्क भाषा हिंदी ही है। संचार-माध्यमों तथा उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और मनोरंजन से जुड़ी शक्तियों ने हिंदी की विराट क्षमता और अधुनातन प्रणालियों में कोई अंतर्विरोध नहीं महसूस किया। जहां हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र विफल रहा वहीं ये नवीन घटक इस विषय में न तो संशय में हैं और न ही दोहरे मानदण्ड के शिकार। वैश्वीकरण और आर्थिक खुलेपन के युग में जनता तक पहुंचने का मार्ग उनकी भाषा से होकर गुजरेगा। भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि व्यक्ति की जीवन-शैली का निर्धारक भी है। किसी भाषा को अपनाने का अर्थ है उसकी परम्परा, सोच और संस्कृति को अपनाना।

अपने संवादपरक और बेहतरीन व्यवसायिक नजरिए की वजह से अंग्रेजी अपने विश्वचरित्र की रचना करने में कामयाब रही है। वर्तमान में हिंदी इसी चरित्र को अपनाती दिख रही है। न केवल कॉरपोरेट जगत हिंदीमय हो रहा है बल्कि कुछ वर्ष पूर्व तक मात्र खानापूरी में रत हमारा कार्यालयी महकमा भी भक्तिभाव से हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मना रहा है।

एफ-2, 4/273, वैशाली, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश, पिन-201010
मोबाइल: 9868140022

चाणक्य नीति

जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सदैव अच्छे लोगों को ही साथ करना चाहिए। समय आ पड़े तो मध्यम कोटि के लोगों की संगति कर लें, नीच लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए।

धन संचय करके बुरे समय के प्रति निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि धन बुरे समय में पता नहीं कब चला जाए। बुरे समय के लिए सूझबूझ पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।

\\192.168.3.1\E\2533HA

शब्दकोशः अनुवाद का सहयोगी उपकरण

प्रो॰ कृष्ण कुमार गोस्वामी

अनुवाद में चार गुणों की आवश्यकता होती है–(1) स्रोत भाषा का अपेक्षित ज्ञान, (2) लक्ष्य भाषा का उत्तमज्ञान, (3) मूल विषय का ज्ञान और (4) अभ्यास। इनमें से अभ्यास तो व्यक्ति-सापेक्ष है, किंतु स्रोत भाषा और लक्ष्यभाषा के ज्ञान के साथ-साथ विषय के ज्ञान के लिए साधनों और उपकरणों की आवश्यकता उसी प्रकार होती है, जिस प्रकार किसी भौतिक वस्तु के निर्माण के लिए औजारों और हथियारों की जरूरत होती है।

वास्तव में भाषाओं के अच्छे ज्ञाता होने के बावजूद भाषा के समस्त शब्दों के अर्थ प्रयोगों के ज्ञान की अपेक्षा किसी से नहीं की जा सकती। अतः स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय अनुवादक को कई कठिनाइयों का सामना करता पड़ता है। कई बार मूल पाठ अपेक्षाकृत अप्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है और उनके अनुवाद के लिए सही अर्थ खोजना आवश्यक होता है। कई बार किसी शब्द का अर्थ संदर्भ-विशेष में अलग छटा लिए होता है। अतः उसका समुचित और सटीक अर्थ सुनिश्चित करने का प्रयास होता है। इन स्थितियों में स्रोत भाषा के एक भाषीशब्द कोश की आवश्यकता पड़ती है।

मूल लेखक अपनी कृति में स्रोत भाषा के मानक रूप के स्थान पर कई बार उपभाषा अथवा बोली का प्रयोग कर देता है। इस प्रयोग के अर्थ के लिए संबद्ध उपभाषा अथवा बोली कोश का अध्ययन करना पड़ता है। साथ ही, सांस्कृतिक भिन्नता के कारण अनुवादक को कई बार मुहावरेदार प्रयोग में तथा भाषा प्रयोगों के पीछे सांस्कृतिक परंपरा होने के कारण उसमें स्पष्टता लानी पड़ती है, इसलिए उसे कभी-कभी संस्कृति कोश और पुराण कोश का अध्ययन करना पड़ता है।

स्रोत भाषा के शब्द का लक्ष्य भाषा में समतुल्य शब्द का ज्ञान न होने पर सामान्यतः द्विभाषी कोश की सहायता लेनी पड़ती है। किसी शब्द के अनेक पर्यायों में अर्थ का सूक्ष्म अंतर निहित रहता है और कई बार स्रोत भाषा के एक शब्द के लिए लक्ष्य भाषा में अनेक समतुल्य शब्द मिलते हैं। इस स्थिति में भाषा के शब्द का सूक्ष्म तथा सटीक अर्थ समझने के लिए और लक्ष्य भाषा समुचित समतुल्य पर्याय का चयन करने के लिए 'थिसॉरिस' तथा पर्याय कोश बहुत सहायक और उपयोगी सिद्ध होते हैं। विषय-विशेष या कार्यक्षेत्र की पारिभाषिक शब्दावली के लिए द्विभाषिक कोश के साथ-साथ विषय-विशेष का कोश अथवा संबद्ध पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है। इससे कई बार मानक पारिभाषिक शब्द का चयन करने में आसानी होती है। कई बार विषयवस्तु में कुछ ऐसी संकल्पनाएं भी आ जाती हैं, जो अनुवादक के लिए अपरिचित या अज्ञात होती हैं। इस कारण विषय के साथ पूर्ण न्याय न होने की संभावना रहती है। अतः किसी विषय की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए विश्वकोश या ज्ञान कोश (Encyclopeadia) और विषय से संबद्ध परिभाषाकोश उपयोगी भूमिका निभाते हैं।

उपयुक्त विवेचन से हम देखते हैं कि अनुवाद प्रक्रिया में एक भाषीकोश, उपभाषा कोश, बोली कोश, द्विभाषी कोश, थिसॉरिस, पर्यायकोश, मुहावरा और लोकोक्ति कोश, उच्चारण कोश आदि उपयोगी साधन हैं तो विषय का सम्यक् परिचय प्राप्त करने के लिए और विभिन्न संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए परिभाषा कोश, विश्वकोश, साहित्यकोश, पारिभाषिक शब्दावली आदि भी महत्वपूर्ण और सहयोगी उपकरण का कार्य करते हैं।

कोश से अभिप्राय शब्दों के क्रमबद्ध संग्रह, उनके अर्थ-निर्धारण और व्याकरणिक कोटियों से है। इसी संदर्भ में कोशविज्ञान और कोश-निर्माण-प्रकिया के विभिन्न पक्षों पर वर्ष 1960 में यूनेस्को के विशेषज्ञों में चर्चा-परिचर्चा हुई थी। इस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था। उस समिति की संस्तुति को देते हुए उसके संयोजक सी॰ सी॰ बर्ग ने कोश की परिभाषा दी है, कोश उन समाजीकृत भाषिक रूपों की व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध सूची है, जो किसी भाषा-भाषी समुदायों के वाक्-व्यवहार से संग्रह किए गए हैं और जिनकी व्याख्या कोशकार द्वारा इस प्रकार की गई हो कि योग्य पाठक प्रत्येक रूप का स्वतंत्र अर्थ समझ सके तथा उस भाषिक रूप के सामूहिक प्रकार्य और तथ्यों से अवगत हो सके।' इस प्रकार कोश की परिभाषा में (1) व्यवस्थित क्रमबद्धता, (2) वैज्ञानिक विधि का पालन, (3) भाषा-भाषी समुदाय, (4) कोशीय भाषा रूप-एक, समाजीकृत और दो, वाकव्यवहार (5) स्वतंत्र अर्थपरक व्याख्या, (6) संरचनात्मक अभिव्यक्ति और (7) योग्य पाठक आते हैं। इस दृष्टि से इस परिभाषा में पद्धति (1, 2), प्रकृति (3, 4) प्रकार्य (5,6) और हेतु (7) तत्वों का समावेश है। इसमें मुख्य रूप हैं कोशीय भाषा, जो समाजीकृत भाषा रूप और भाषा समुदाय के वाक्य व्यवहार से संबद्ध है। कोशकार को स्थिर या एक रूप और

\\192.168.3.1\E\2533HA

विचलनकारी या बहुरूपी स्थिति के बीच शब्दों के समस्त प्रयोग-क्षेत्रों की छानबीन करनी होती है तथा वस्तुपरक कसौटी के आधार पर ऐसे समाजीकृत रूपों का संग्रह करना होता है, जो संबद्ध भाषा-भाषी समुदाय के वाक्-व्यवहार के अंश है। इस प्रकार कोश निर्माण प्रक्रिया कोश निर्माण की कला और विज्ञान दोनों हैं। इसमें विभिन्न स्रोतों से एक भाषा की कोशगत सूचना एकत्रित की जाती है। तत्पश्चात् उस सूचना को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप दिया जाता है। इसमें पर्यायवाची और समध्वन्यात्मक जैसी अर्थगत सूचनाएं दी जाती हैं। कोश-विज्ञान मुख्यत: भाषा की शब्दावाली के सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन करता है और उसकी कोशगत संरचना का विवेचन प्रणाली के रूप में करता है। कोश का निर्माण अर्थ-ग्रहण की कठिनाइयां दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें अर्थ का निर्धारण किया जाता है। अर्थ-भेद का पता चलता है। वस्तुत: भाषा की आत्मा अर्थात् अर्थ का बोध कराना ही कोशकार का कार्य है। कोशकार स्रोतभाषा की इकाइयों के उपयुक्त समतुल्य लक्ष्यभाषा में देता है। इसी में अनुवाद का कार्य होता है। एक सुप्रसिद्ध विद्ववान रोमन याकोब्सना ने व्यापक संदर्भ में अनुवाद के तीन प्रकार अर्थात अंत:भाषिक, अंतराभाषिक और अंतरप्रतीकात्मक माने हैं। अंत: भाषिक अनुवाद में एक ही भाषा के तूफान, प्रवात, चक्रवात, आंधी, बवंडर, झांझावात आदि विभिन्न प्रतीकों के और अंतरभाषिक अनुवाद में कमल (Lotus), पानी (water), गाय (Cow) आदि दो भाषाओं के अलग-अलग प्रतीकों के स्थानपन्न या अंतरण की बात की है। कोश और अनुवाद के संदर्भ में एक भाषी कोश का संबंध अंत:भाषिक अनुवाद से है और स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में द्विभाषी कोश का संबंध अंतरभाषिक अनुवाद से माना जाता है। द्विभाषी कोश में दो प्रकार के प्रविष्टि शब्द होते हैं– अनुवादपरक समतुल्य और व्याख्यापरक समतुल्य। अनुवादपरक समतुल्य को लक्ष्य भाषा के वाक्य में एक कोशीय इकाई के रूप में रखा जा सकता है, किंतु व्याख्यापरक समतुल्य को कोशीय इकाई के रूप में सदैव नहीं रखा जा सकता।

कोश निर्माण करते हुए एक प्रविष्टि के लिए मुख्य समतुल्य शब्द के अतिरिक्त अन्य छटाएं भी दी जाती हैं, क्योंकि अनुवाद में मुख्य अर्थ के अतिरिक्त अर्थ छटाएं अधिक मिलती हैं। इस दृष्टि से अर्थ को देखने की आवश्यकता है। अर्थ के तो कई प्रकार हैं, किंतु यहां कोश के संदर्भ में केवल सात प्रकार के अर्थों का विवेचन करना उपयुक्त होगा:

(क) **बोधात्मक अर्थ :** यह मुख्य अर्थ है जो भाषिक इकाइयों और बाह्य वस्तुओं के बीच संबंध का परिणाम है; जैसे - कमल, पानी, गाय, कड़वा, टेढ़ा, खींचना। कोश में इस प्रकार के शब्दों की व्याख्या की जाती है अथवा उनके समतुल्य शब्द लक्ष्य भाषा में दिए जाते हैं।

(ख) **व्याकरणिक अर्थ :** यह व्याकरणिक प्रकार्य को बताते हैं; जैसे- ने, को, से, में, पर परसर्गों से व्याकरणिक अर्थ मिलते हैं। 'ने' का प्रयोग मुख्यत: कर्ता के साथ होता है और 'को' तथा 'से' परसर्गों का प्रयोग प्राय: कर्म और करणकारकों के साथ होता है। इसी प्रकार 'मुझ से खाना खाया गया' वाक्य में गया' मुख्य अर्थ' 'जाना' के संदर्भ में नहीं है वरन् 'पूर्णता' के लिए 'कर्मवाच्य' अर्थ भी मिलता है।

(ग) **संरचनात्मक अर्थ :** यह संप्रेष्य का वह पक्ष है, जिसका आधार भाषिक संरचना है। इसमें मुख्य अर्थ से अतिरिक्त अर्थ का संकेत मिलता है; जैसे - पंकज, जलज (कमल), षट्पद (भ्रमर), त्रिलोचन (महोदव) द्विभाषी कोश में इस प्रकार के शब्दों के समतुल्य रूपों को देना कठिन होता है।

(घ) **सामाजिक अर्थ:** इसमें भाषिक इकाई का संबंध परिवेशजन्य संदर्भ से है, जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों के साथ जुड़ा होता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम के एकवचन तू, तुम, आप वक्ता और श्रोता के सामाजिक संबंधों का परिचय देते हैं। दिवंगत, स्वर्गवास, बृह्मलीन, मृत्यु तथा मौत; गरीबखाना तथा अमीरखाना; बैठना और बिराजना आदि शब्दों में मुख्य अर्थ से भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थ मिलते हैं, जिनके समतुल्य रूपों के लिए द्विभाषीकोश में समस्या खड़ी होती है।

(ड़) **लक्षणापरक अर्थ:** यह बोधात्मक अर्थ का विकसित रूप है, जिसमें अर्थ मुख्यार्थ से अलग होता है; जैसे - पानी (चमक, इज्जत), गधा (मूर्ख), हीरा (बहुत अच्छा)। इसी प्रकार (1) लकड़ी टेढ़ी है' और (2) औरत टेढ़ी है' वाक्यों में वाक्य (1) में 'टेढ़ी' का मुख्य अर्थ है जो सीधी न हो और वाक्य (2) में 'टेढ़ी' का लक्षणापरक अर्थ है अर्थात झगड़ालू या लड़ाका।

(च) **शैलीपरक अर्थ:** इसमें भाषा की विभिन्न शैलियों के शब्द अर्थ मिलते हैं, जो उसके भाषायी रूपों का परिचय देते हैं; जैसे—बाप-पिता, मां-माता, चिट्ठी-पत्रा-खत, सुंदर-खूबसूरत। हिंदी की संस्कृतनिष्ठ शैली, अरबी-फारसी मिश्रित शैली (उर्दू) और सामान्य बोलचाल की शैली (हिंदुस्तानी) शैली के शब्द अलग-अलग भाषाभाषी के परिवेश की जानकारी देते हैं।

(छ) **क्षेत्रीय अर्थ:** इसमें भाषा के विभिन्न भौगोलिक रूपों अर्थात् विभिन्न बोलियों के आंचलिक पक्षों का परिचय मिलता है; जैसे - नेनुवा, तरोई, तथा तोरी; कुम्हड़ा तथा सीताफल; अरबी और घुइयां; लड़का, लौंडा और छोरा।

\\192.168.3.1\E\2533HA

कोश में यथासाध्य और यथाआवश्यक उपर्युक्त सभी प्रकार के अर्थ देने की अपेक्षा रहती है। इसमें शब्दों को देते हुए ऐसे समतुल्य दिए जाएं जिससे अनुवादक को भ्रम न हो। इसमें समतुल्य देने की व्यवस्था रहती है। पहले लक्ष्यभाषा के मानक रूप में स्रोतभाषा के शब्द के पर्याय को खोजना सही है। इसके बाद अन्य विकल्प दिए जाते हैं। कोश-निर्माण में यह अपेक्षा रहती है कि लक्ष्य भाषा के यथासंभव प्रचलित शब्द दिए जाएं। यदि प्रचलित शब्द उपलब्ध न हों तो क्षेत्रीय भाषाओं से समतुल्य लिए जा सकते हैं। यदि वे भी उपलब्ध न हों तो ऐसे शब्द दिए जाएं जो लक्ष्यभाषा में सार्थक हों।

एकभाषी कोश में समतुल्यों की या तो परिभाषा दी जाती है या उसकी व्याख्या की जाती है। द्विभाषी कोश का संबंध अनुवाद समतुल्य से है। कोशकार का अनुवादक होना भी अपेक्षित है। इससे अनुवाद - समतुल्य को रूपांतरण परीक्षण द्वारा जांचने में सहायता मिलेगी। स्रोतभाषा में एक वाक्य लिया जाए और उसका अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाए। इससे सही समतुल्य मिलने में कठिनाई नहीं होगी; जैसे—

(1) उसके गिलास में पानी नहीं है।

(2) उसके चेहरे पर पानी नहीं है।

इन दोनों वाक्यों में water और Lustre समतुल्य होंगे।

शब्द के मूल को ध्यान में रखने के कारण कोशकार कभी-कभी उसका ऐसा अर्थ भर देता है, जो वस्तुतः उसका नहीं होता। उदाहरण के लिए; अंग्रेजी शब्द To be Salver का कोश में अर्थ 'थूक या लार से आच्छादित' अथवा 'लारटपकना' अर्थ मिलता है, जबकि अनुवाद की स्थिति में प्रायः 'खुशामद करना' या 'चापलूसी' करना' अर्थ मिलने की पूरी संभावना रहती है। वास्तव में अनुवाद से जिस प्रकार की अभिव्यक्ति मिलती है, उसे कोश में कई बार दे पाना संभव नहीं होता। संदर्भ के अनुसार अर्थ-निर्धारण में अधिक सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए—

1. Use (क) प्रयोग, इस्तेमाल, (ख) लाभ, (ग) उद्देश्य।
2. Move (क) चलना, (ख) हिलना, (ग) प्रारंभ, (घ) प्रयास, (ड़) कमी।
3. Want (क) चाहना, (ख) इच्छा, (ग) मांग, (घ) आवश्यकता, (ड़) कमी।
4. Observation (क) अवलोकन, (ख) कथन, (ग) टिप्पणी, (घ) विचार, (ड) अनुभूति।
5. Operate (क) आपरेशन करना, (ख) चलाना, (ग) काम करना, (घ) लागू होना, (ड़) प्रभाव डालना, (च) सैनिक कार्रवाई।

भौगोलिक दृष्टि से जितने अधिक विस्तृत क्षेत्र में अर्थ मिलते हैं, वहां लक्ष्य भाषा का अर्थ देते हुए सर्तक रहना अपेक्षित है; जैसे— besiege का समतुल्य हरदेव बाहरी के शब्दकोश में 'छेंकना' दिया गया है। भोजपुरी में इसके अर्थ 'सुरक्षित करना' (बर छेंकना) और 'बाधा डालना' (मैं काम पर जा रहा था, उसने छेंक दिया) मिलते हैं। ब्रजभाषा में कहीं-कहीं वंचित रखना' के रूप में प्रयुक्त होता है। 'वह खूब पट्ठा था' वाक्य में 'पाट्ठा' के दो अर्थ मिलते हैं—एक जवान और दूसरा, कसरत करने वाला। इन दोनों अर्थों को इंगित करना आवश्यक है अन्यथा इसमें भ्रम पैदा होने की संभावना रहती है।

कोश-निर्माण में सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रयुक्तिपरक सीमाएं आती हैं। इनका सही समतुल्य अनुवाद के माध्यम से ही उपलब्ध हो पाता है; जैसे - चैत का महीना। 'चेत' को अंग्रेजी में देते हुए उसकी व्याख्या करनी होगी अर्थात् First month (lunar) of the Hindu Calender (March-April)। प्रयुक्तिपरक शब्दों में bed के मुख्य अर्थ - पलंग, शैया, चारपाई और खाट है, किंतु क्यारी (gradening) तह, तल (river) तथा आधार (base) के अन्य विकल्प भी मिलेंगे। Root शब्द वनस्पति में 'जड़' अर्थ देगा तो व्याकरण में 'धातु'। 'पद' शब्द के status (समाजविज्ञान), verse (साहित्य), post (प्रशासन), phrase (व्याकरण) आदि अर्थ-विभिन्न प्रयुक्तियों में उपलब्ध हैं। इसी के साथ-साथ प्रयोगधर्मी अर्थ भी अपने अलग वैकल्पिक समतुल्य लिए होते हैं। उदाहरण के लिए—

(1) बंदर छत पर कूद रहे हैं।

(2) मकड़ी का जाला छत पर है।

(3) मक्खियां छत पर बैठी हैं।

उपर्युक्त तीनों वाक्यों में 'छत' शब्द क्रमशः roof, ceiling अर्थ देते हैं, किंतु वाक्य (3) में roof और ceiling दोनों अर्थ संभव हैं। इसी प्रकार कोश के निर्माण में अनुवाद की उपयोगिता काफी अधिक हैं, जबकि अनुवाद में शब्दकोश कभी-कभी असफल हो जाता है। इसलिए कोशकार के लिए यह आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा के परंपरागत प्रयोगों को बनाए रखने तथा मूल के अर्थ की संपुष्टि करने के साथ-साथ अनुवाद समतुल्य को भी बनाए रखे। इसके अतिरिक्त कोशकार को चाहे लक्ष्य भाषा का काफी ज्ञान और अनुभव हो, उसे मूल भाषा के सूचक के बराबर सहायता लेते रहना चाहिए ताकि अनुचित प्रयोग के बचा जा सके और उसमें अनुवादकीय गंध न आ सके। वास्तव में अनुवाद और शब्दकोश अन्योन्याश्रित हैं। यदि कोशकार अनुवाद के लिए स्रोत भाषा के शब्दों के सही समतुल्य लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत कर देता है तो वह शब्दकोश को उपादेय और सार्थक बना देता है। इस प्रकार शब्दकोश अनुवाद को सही समतुल्य उपलब्ध कराने में एक अच्छे साधन और उपकरण के रूप में सहयोगी का काम करता है।

1764, औट्रम लाइन्स,
डॉ. मुखर्जी नगर, (किंग्जवे कैंप),
दिल्ली - 110 009

\\192.168.3.1\E\2533HA

त्रिआयामी योग – शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक

—राकेश शर्मा ''निशीथ''

व्यायाम जहां केवल शरीर पर अपना प्रभाव डालता है वहीं योग शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास पर अपना प्रभाव डालते हुए व्यक्तित्व का सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसम्बर, 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्ताव को कुल 193 देशों में से 177 देशों के समर्थन से अनुमति दी। यह पहली बार हुआ कि कोई प्रस्ताव इतने अधिक बहुमत और मात्र तीन महीने से कम समय में पारित हुआ। अपने प्रस्ताव में मोदी जी ने योग को वैश्विक स्तर पर अमल में लाने का आग्रह किया था। उन्होंने 27 सितम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि योग मस्तिष्क तथा शरीर, विचारों और क्रिया, संयम तथा पूर्णता, मानव एवं प्रकृति के बीच सद्भाव का समागम है। यह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र पल प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र योग को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में लाने के लिए विचार करे। साथ ही 21 जून को योग दिवस मनाने का भी प्रस्ताव दिया था। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यही है यह दिन उत्तरी गोलार्द्ध में सबसे बड़ा दिन होता है।

योग का अर्थ

योग मनुष्य के गुणों, ताकतों या शक्तियों का पारस्परिक मिलाप है। इसके माध्यम से मनुष्य की छिपी हुई शक्तियों का विकास होता है। योग शब्द संस्कृत भाषा के शब्द युज् से बना है। योग शब्द का शब्दिक अर्थ जोड़ना है जिसका मन, शरीर और इन्द्रियों को संगठित करके एक ओर लगाना। इसलिए शरीर तथा मन के संयोग को योग कहते हैं। योग की परिभाषा अन्य तरीकों से भी इस प्रकार की जा सकती है—अवचेतन मन और अचेतन मन को चेतन बनाने की विधि को योग कहा जा सकता है।

जिस प्रकार हम कोई कार्य जितना मन से करते है उतने ही उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं, सफलता पाते हैं और जब मनुष्य योग में दक्ष को जाता है तो उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। योग में सफलता पाने के लिए हमें साधु बनने या संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है, केवल जीवन में दृढ़ संकल्प, लगन और आत्मविश्वास की। यह धर्म, दर्शन, शारीरिक सभ्यता तथा मनोविज्ञान का समूह है। इसके द्वारा मानव का शरीर स्वस्थ तथा लचकदार बनता है। योग मार्ग द्वारा समाधि अवस्था में पहुंचने का प्रयास किया जाता है।

योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति इसे अपना सकता है क्योंकि योगी सर्वत्र तथा सब में परमात्मा को देखता है। उसका उद्देश्य अपने स्वरूप में स्थिति तथा सत्य की खोज है। हिंदू, ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख तथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का वहां कोई भेदभाव नहीं है। इसमें यह करना होता है कि व्यक्ति अपने सभी दोषों को धीरे-धीरे दूर करके संसार में आसक्तिरहित होकर बिखरे हुए मन को एकाग्र करके सभी द्वन्दों हर्ष-शोक, जय-पराजय, लाभ-हानि को समान समझकर, एक साम्य अवस्था को प्राप्त करें। योग के संदर्भ में परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने सेन्फ्रांसिसको में प्रवचन में कहा था, ''योग कोई धर्म नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, जिसका संबंध मानव शरीर एवं मन से है। चाहे व्यक्ति ईसाई, हिंदु, मुसलमान, बौद्ध धर्म का अनुयायी क्यों न हो, योग की विधि में कोई अंतर नहीं पड़ता।''

योग की उत्पत्ति और विकास

आजकल देश-विदेश में योगासन लोकप्रिय हो रहा है। इसका कारण इसकी उपयोगिता है। भारत में जिन्होंने योग किया वे योगी कहलाए। योगासन भारत के व्यायाम की प्राचीनतम विधि है। महर्षि पतंजलि को योग का प्रणेता माना जाता है। महर्षि पतंजलि का प्राचीन ग्रंथ पातंजल योगदर्शन योग शास्त्र का सबसे प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथ है। इसमें उन्होंने चार अध्यायों- समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद में 195 सूत्रों में योगदर्शन के सभी अंगों का वर्णन किया है। उन्होंने केवल एक ही वाक्य में मानवमात्र को चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का सूत्र दिया है। वह है योगश्चित: वृत्ति: निरोध। इसका अर्थ है योग वह है, जो देह और चित्त की खींच-तान के बीच मानव को अनेक जन्मों तक भी आत्मदर्शन से वंचित रहने से बचाता है। चित्त वृत्तियों का निरोध दमन से नहीं, उसे जानकर उत्पन्न ही न होने देना है।

योग दर्शन भारत की ही देन है। योग शब्द प्राचीन काल से प्रचलित है। हमारे संत-महात्माओं और पूर्वजों द्वारा सौंपी गयी धरोहरों में से एक है योग। योगशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। योग की कुछ मुद्राएं हड़प्पा कालीन अवशेषों से प्राप्त हुई हैं। यही नहीं सूदूर दक्षिणी अमरीका में मय संस्कृति के कुछ अवशेषों से भी योग की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए या सत्य एवं परमतत्व की

अनुभूति के लिए योगियों, ऋषियों और मुनियों ने अपने शरीर एवं चेतना पर विभिन्न प्रकार के गहन प्रयोग किए, जिससे कालक्रम में योग की बहु शाखा-प्रशाखाएं विकसित होती गईं जैसे - राजयोग, नादयोग, लययोग, क्रियायोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग और हठयोग।

कई प्राचीन सभ्यताओं में योग क्रिया का प्रमाणित दर्शन मिलता है। वेदों में योग का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद 1/18/7 में कहा गया है कि योग के द्वारा ही हवियों की समृद्धि और यज्ञ की वृद्धि होती है। योग के बिना कोई भी यज्ञ सिद्ध नहीं होता। अर्थववेद में योग की सिद्धि के लिए विघ्न उपस्थित न हों, इसके लिए इन्द्र देवता से प्रार्थना की गई है। वेदों के तीन भाग हैं कर्म काण्ड, उपासना काण्ड तथा ज्ञान काण्ड। कर्म काण्ड में कर्मों को कुशलापूर्वक करने को ही योग कहा गया है। उपासना काण्ड के अनुसार चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। ज्ञान काण्ड के अनुसार ज्ञान द्वारा जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना ही योग है। वेद का यह ज्ञान काण्ड ही वेदान्त अथवा उपनिषद कहलाता है। इस समय जितने उपनिषद उपलब्ध हैं उनमें से लगभग 21 पूर्णतया योग से संबंधित हैं। ये योगोपनिषद संग्रह के नाम से प्रकाशित भी हुए हैं।

रामायण काल का योग से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ योग वसिष्ठ है। इसे महा रामायण भी कहा जाता है। इसमें महर्षि वसिष्ठ श्री राम को उनकी किशोर अवस्था में वार्तालाप के माध्यम से दर्शन, ज्ञान, कर्म और योग का उपदेश देते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार योग का अर्थ है संसार सागर से पार होने की युक्ति। महाभारत से पता चलता है कि योग को सर्वप्रथम सिखाने वाले हिरण्यगर्भ देव अर्थात कपिल ऋषि थे। उन्हीं से आगे चलकर संसार में योग विद्या का प्रसार हुआ। व्यास जी ने लिखा है, योग का भाव समाधि है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं योगी ही नहीं योगेश्वर हैं। इस ग्रंथ में महर्षि व्यास ने इसके लगभग सभी अध्यायों में अनेक ज्ञानियों के मतों से योग का भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है। योग का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना बताया गया है। हमारी वृत्तियां जीवनभर बहिर्मुखी रहती हैं, इन्हें अन्तर्मुखी बना देना ही योग का उद्देश्य है।

मनुस्मृति में बारह अध्याय हैं। छठे अध्याय में जो वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन है, उसमें योग की विशेष रूप से चर्चा हुई है। मनु ने इन्द्रिय निग्रह को ही मुख्य योग कहा है क्योंकि इन्द्रियों पर नियंत्रण हो जाने से चित्त की वृत्तियों पर भी नियंत्रण हो जाता है और तब शांत तथा निर्मल हृदय से ही भगवान के दर्शन संभव है। इसमें मनु ने प्राणों के नियंत्रण को मुख्य योग माना।

महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने युग के प्रसिद्ध विद्वानों एवं दार्शनिकों के सामने अपनी शंकाएं रखीं थीं। जब उनके उत्तरों से उनका समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने तपश्चर्या और योग का रास्ता अपनाया। जैन धर्म में जैन आचार्यों ने योग का अर्थ जोड़ना लिया। उनका कहना था जिन-जिन साधनों से मोक्ष का योग होता है, उन सब साधनों को योग कहा जा सकता है। जैन ग्रंथों में ध्यान को ही योग माना है। जैन मतावलम्बी आत्मा को तीन प्रकार की मानते हैं। जो इस शरीर तथा संसार को सब कुछ समझता है तथा इसी माया मोह में फंसा है वह बहिरात्मा है। जो अपनी आत्मा में ही आत्मभाव से रमण करता रहता है, यम-नियम आदि का पालन करता है वह अन्तरात्मा है तथा जो कर्मों के फलों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त हो गया है वह परमात्मा है। और इसी परमात्मा को प्राप्त करने के साधन का नाम योग है।

पारसियों के धर्म को हम जरथोस्ती धर्म भी कहते हैं। पारसी मतावलम्बी के अनुसार सृष्टि की रचना करने के लिए ईश्वर ने अहुन वर (अहुन वइर्य) शब्द का उच्चारण किया था। इसी से सृष्टि की रचना हुई। पारसी विद्वानों के अनुसार इस शब्द में तीन रूप छिपे हैं ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग। ईसा मसीह के अनुसार प्रार्थना, निर्भयता तथा ईश्वर एवं मनुष्यों में प्रेम ये ही साधन है। इनसे मनुष्य ईश्वर का साहचर्य प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के संबंध में अधिक-से-अधिक जानकारी, उससे प्रेम, उन पर भरोसा और उनकी इच्छानुसार आचरण करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। ये ही योग साधन है, जिनसे मनुष्य अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। योग का अर्थ है परमात्मा से जुड़ जाना, एक हो जाना।

योग संबंधी भ्रांतियां

कभी-कभी योगासन को भी योग कहकर प्रचारित किया जाता है। जबकि अष्टांग योग की आठ सीढ़ियों में योगासन का क्रम तीसरी सीढ़ी है। योगासन स्वयं योग नहीं है यह योग का एक अंग मात्र है। योगासन योग नहीं है, यह तो योग तक पहुंचने की पूर्व तैयारी मात्र है। कुछ लोग प्राणायाम को ही योग समझते हैं और कुछ धौति, वस्ति तथा न्योलि आदि क्रियाओं को ही योग समझ बैठते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो शारीरिक तथा मानसिक बल को बढ़ाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो कुछ सिद्धियों की प्राप्ति तक पहुंच जाते हैं। किन्तु योग इन सबसे बहुत आगे है। आप जो अपने को समझते हैं, वास्तव में उससे आप सर्वथा भिन्न हैं, इस सर्वथा भिन्न तत्व को अनुभव कर लेना ही योग है। इसलिए योग को समझना और उस पर चलना प्रत्येक मनुष्य के लिए उसी के हित में आवश्यक एवं अनिवार्य है।

योग के प्रकार

योगशास्त्र एवं उपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग का वर्णन है। योग के प्रकार हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण और समाधि। इन्हें हम अष्टांग योग कहते हैं। योग के प्रथम चार अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम का दुनियादारी

में रहने वाले लोग अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्याहार, धारणा तथा समाधि का अभ्यास तो योगी, ऋषि या मुनि ही कर सकते हैं।

यम

जो जीवन गति को अवरुद्ध करे, स्वास्थ्य को चौपट करे तथा मृत्यु के मुख में समय से पूर्व ही ले जाए, वह सब यम हैं। यम से तात्पर्य है, मन को रोकना। यह वह आचरण है, जिसे उतार लेने पर व्यक्ति के स्वयं का, उसके संपर्क में आने वालों का तथा पूरे समाज का कल्याण हो। यम व्यक्ति को सामाजिक बनाता है तथा उसके व्यवहार को अनुशासित करता है। महर्षि पातंजलि के अनुसार यम की संख्या पांच हैं - अहिंसा, इसमें मन, वचन एवं कर्म या क्रिया से किसी की हिंसा न करना अहिंसा कहा जाता है। यहां तक कि वाणी भी कठोर नहीं होनी चाहिए। सत्य में, बोलने से पहले बोले जाने वाले विषय को अच्छी प्रकार से सोच-समझकर बोलना तथा मन, वचन, कर्म से कभी असत्य न सोचना, न बोलना, न करना सत्य कहा जाता है। आस्तेय में मन, वचन एवं कर्म या क्रिया से किसी का कुछ चोरी नहीं करना अस्तेय है। इससे धीरे-धीरे त्याग की भावना उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य में किसी भी प्रकार वीर्य (शक्ति) को क्षीण नहीं होने देना ब्रह्मचर्य है। सामान्य भाषा में ब्रह्मचर्य का तात्पर्य कामवृत्ति पर नियंत्रण कराना होता है। मैथुन से मन, वचन और कर्म से सर्वथा दूर रहना ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह का अर्थ है व्यक्ति को धन-संग्रह करने की अंधी दौड़ में सम्मिलित होने से रोकना। अपरिग्रह की वृत्ति अपनाने से लालच, ईष्या, कपट आदि सभी अवगुण निकट नहीं आते हैं।

नियम

नियम वे व्रत या आचरण हैं, जो व्यक्ति को आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूपों से निर्मल बनाते हैं। महर्षि पातंजलि के अनुसार शौच बाह्य तथा संतोष अभ्यान्तरण है जबकि तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्राणिधान क्रिया योग है। नियम पांच प्रकार के हैं - शौच का अर्थ पवित्रता से है। शौच दो प्रकार है - बाह्य शौच और अभ्यांतरण शौच। बाह्य शौच का अर्थ जल-मिट्टी से शरीर की, स्वार्थ त्याग से व्यवहार और आचरण की , न्यायोपार्जित द्रव्य से प्राप्त सात्विक पदार्थों की तथा पवित्रतापूर्वक आहार का सेवन बाह्य शौच है। अभ्यांतरण शौच का अर्थ हृदय तथा मन से राग-द्वेष, ममता, काम-क्रोध आदि की निवृत्ति की जाती है। संतोष का अर्थ है शरीर से श्रम द्वारा प्राप्त धन तथा सुख-साधन में तृप्ति का अनुभव करना। कम तथा अधिक धन तथा सुख-साधन के लिए दुखी न होना। तप को आम भाषा में तपस्या भी कहते हैं। इसमें शारीरिक तथा मानसिक सुखों का त्याग करके शरीर तथा मन को द्वन्द्व रहित करने को तपस्या कहा जाता है। योग साधक के लिए तप आवश्यक है किन्तु तप उतना ही करना चाहिए जिससे शरीर के वात, पित्त, कफ कुपित होकर शरीर को रोगी न बना दे। स्वाध्याय दो शब्दों के मेल से बना है। स्व का तात्पर्य स्वयं तथा अध्याय का तात्पर्य विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्त के लिए विद्याभ्यास, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, सत्संग, मंत्र जप, स्त्रोत पाठ आदि। स्वाध्याय से ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। ईश्वरप्राणिधान का अर्थ है ईश्वर की सत्ता में पूर्ण विश्वास करना। व्यक्ति दैहिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विविधताओं तथा अनेक प्रकार के क्लेशों से घिरा होता हैं इससे व्यक्ति में असंतोष बढ़ता है। यदि वह ईश्वर को साक्षी मानकर किसी भी कार्य को करता है तो उसे संतोष एवं शांति मिलती है और उससे उसे समाधि की प्राप्ति होती है।

आसन

महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र में आसन की परिभाषा दी है - स्थिरम् सुखम् आसनम् अर्थात योगासनों का अभ्यास साधना की स्थिति में दीर्घ काल तक सुखपूर्वक बैठने की योग्यता बढ़ाने के लिए किया जाता है। योगासन भी एक प्रकार से चिकित्सा का ही एक रूप है। इसकी यह विशेषता है कि इसकी सहायता से शरीर को स्वस्थ तथा सशक्त बनाये रखने के साथ-साथ मन को भी नियंत्रण में रखने की क्षमता भी प्राप्त होती है। आसन का तात्पर्य है शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियों में बदलना। शरीर न हिले, न डुले, न दुख, न चित्त में किसी प्रकार का उद्वेग हो वह आसन हैं। यह हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाता है। विभिन्न प्रकार के आसन वन्य प्रणियों की आकृति और चाल-ढाल के अनुसार होते हैं अत: उन आसनों के नाम भी मोर, वक, सांप, मत्स्य, बिच्छू, कुक्कर आदि पशु-पक्षियों के नाम पर होते हैं। आसन सिद्धि हो जाने से शरीर पर सर्दी, गर्मी आदि द्वन्द्वों का प्रभाव नहीं पड़ता।

घेरंड संहिता में सिर्फ चौरासी प्रकार के आसन बताए गए हैं तो कुडल्युपनिषद के ऋषि ने मुक्ति के लिए सिर्फ सिद्धासन और पद्मासन को पर्याप्त बताया। चिकित्सा की दृष्टि से 32 आसन को घेरण्ड ऋषि ने प्रमुख बताया है - शलभासन, मकरासन, उट्रासन, भुजंगासन, योगासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, मुक्तासन, भद्रासन, गोमुखासन, पद्मासन, वज्रासन, धनुरासन, शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, गोरक्षासन, पश्चिमोतासन, उत्कटासन, मत्स्येन्द्रासन, मयूरासन, संकटासन, कूर्मासन, उत्तानकूर्मासन, मण्डूकासन, उत्तानमण्डूकासन,कुक्कुटासन और संकटासन।

आसन के बिना योग की बात करना व्यर्थ है क्योंकि आसन का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर ही शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं और योग साधना में दृढ़ता आती है। आसन को दो वर्गों में विभाजित किया गया हैं - ध्यानासन का तात्पर्य है जो आसन ध्यान के लिए किया जाता है उसे ध्यानासन कहते हैं। इसमें प्रमुख हैं - पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, भद्रासन, सिंहासन। इन सभी में पद्मासन को ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जो आसन शारीरिक लाभ तथा रोगों के उपचार के लिए किया जाता है उसे स्वास्थ्यासन कहते हैं जैसे पद्मासन,

सिंहासन, चक्रासन, हलासन, गोमुखासन, शवासन, भुजंगासन, शीर्षासन, पश्चिमोतासन इत्यादि। महर्षि पतंजलि ने विश्व के सभी प्रकार के जीवों का सूक्ष्म अध्ययन कर एक-एक आसन चुना। इस प्रकार कुल आसनों की संख्या चौरासी लाख बताई जाती हैं लेकिन उन्होंने केवल एक आसन को चुनने का ही परामर्श देते हुए कहा है कि तुम्हारे शरीर की वह सुखद और सुविधाजनक स्थिति, जो तुम्हें अपने ही स्व रूप में अवस्थित करा दे, वहीं तुम्हारा योगासन है।

प्राणायाम

योग के आठ अंगों में से चौथा अंग है प्राणायाम। प्राण-आयाम से प्राणायाम शब्द बनता है। इसके द्वारा ही अंतरंग योग (प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) की प्राप्ति होती है। प्राण का अर्थ जीवनी शक्ति, जीवन, ऊर्जा एवं जीवनदायी वायु हैं, प्राण के मुख्य पांच प्रकार हैं, जिसकी चर्चा संभवत: सभी योग के ग्रंथों में की गई है। इन पांच प्राण के अलावा पांच उपप्राण भी हैं जो इस प्रकार हैं - प्राण वायु का स्थान हृदय, अपान वायु का स्थान गुदा, समान वायु का स्थान नाभि, व्यान वायु का स्थान संपूर्ण शरीर, उदान वायु का स्थान कंठ है। पांच उपप्राण इस प्रकार हैं नाग, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, कृंकल, इनका स्थान अस्थि चर्म है। महर्षि अरविन्द ने प्राण को चार भागों में बांटा है- निम्न प्राण, निम्नतर प्राण, उच्च प्राण, उच्चतर प्राण।

महर्षि पातंजलि ने अपने ग्रंथ पातंजल योग दर्शन में प्राणायाम के विषय में कहा है कि आसन सिद्धि हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। उन्होंने प्राणायाम के तीन भेद किए है रेचक, पूरक और कुम्भक। रेचक का अर्थ है श्वास को अंदर से बाहर निकालना। यह कार्य धीरे-धीरे एक लय में होना चाहिए। इसकी अंतिम अवस्था में फेफड़ें जहां तक संभव हो अधिक खाली होने चाहिए। पूरक में श्वास अंदर ली जाती है। इस अवस्था में फेफड़े पूरी तरह से हवा से भरे होने चाहिए। यह भी धीरे-धीरे होना चाहिए। कुंभक की अवस्था में श्वास की प्रक्रिया को रोक लिया जाता है इसकी दो दशा होती है पहले पूरक तथा रेचक के बीच तथा बाद में रेचक तथा पूरक के बीच की दशा में कुंभ होता। केवल कुंभक में योगदर्शन में उपर्युक्त वर्णित तीनों प्रकार के प्राणायमों के अतिरिक्त एक विशेष प्रकार का प्राणायाम होता है। इसके अनुसार बाह्य (रेचक) तथा अभ्यांतरण (पूरक) इन दोनों की गतियों का पूर्ण निरोध ही केवल कुंभक है। इसमें रेचक और पूरक की आवश्यकता नहीं होती।

प्राण की स्वाभाविक गति श्वास-प्रश्वास को रोकना प्राणायाम है। यह मनुष्य को इतना सामर्थ्यवान बना देता है कि यदि घातक गैसें वातावरण में फैल जाएं या व्यक्ति की नाक ही बंद कर दी जाए तो भी उसे कोई हानि न होगी। ऐसी अद्भुत क्षमता प्राप्त करना ही प्राणायाम का उद्देश्य है। सदियों से हमारी संस्कृति और रोजमर्रा के जीवन में प्राणायाम को प्रभावी माना गया है। अपनी आने-जाने वाली श्वास पर ध्यान देना न सिर्फ हमें शारीरिक बल्कि मानसिक विकारों से दूर रखती है बल्कि हमारे तनाव, बैचेनी और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकती है। प्राणायाम को योग दर्शन एवं योग विज्ञान में योगाभ्यास का प्रारंभिक सोपान कहा जाता है।

ज्यादातर लोग जब पीड़ा या तनाव में होते हैं तो उनकी सांसें उखड़ी रहती हैं। यह हमारे शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के किसी भी व्यायाम से हमारे मन में बेचैनी, अवसाद, गुस्से और घृणा से भरे नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद मिलती हैं। तनाव की स्थिति में एक या दो मिनट चुपचाप रहा जाए और बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाया जाए तो मन की व्यग्रता कम हो जाती है।

प्रत्याहार

प्रत्याहार का सामान्य अर्थ होता है - पीछे हटना, वापिस चलना, इन्द्रिय दमन करना, रोकना आदि लेकिन योग में इसका विशिष्ट अर्थ है कि जब इन्द्रियां अपनी बाहरी विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी हो जाती हैं उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात अपने-अपने विषयों का परित्याग करने वाली इन्द्रियां जो चित्त के स्वरूप-सी तदरूप हो जाती है, वही प्रत्याहार है। जिस समय यम, नियम और प्राणायाम के अभ्यास से शरीर शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है, मन और इन्द्रियां शांत हो जाती हैं तो एकाग्रता का विकास होता है। इससे प्रत्याहार की भूमिका तैयार होती है। इसके विषय में ज्योतिर्मयानन्द ने कहा है, ''प्रत्याहार का विशेष अर्थ यह है कि ध्यान के समय अपनी इन्द्रियों को इस प्रकार बाहरी वस्तुओं से पृथक कर लेना जिसे बहुत शोर के बीच भी आपका मन निश्चल रहे, आप किसी भी प्रकार की आवाज न सुन सकें।'' इसमें किसी ध्यान आसन जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन में बैठकर शरीर के 18 मर्म स्थानों में प्राण को अधारण करना प्रत्याहार कहलाता है। इसके अभ्यास से मन पूर्णत शांत हो जाता है और प्राण के साथ मन भी एकाग्र हो जाता है।

धारणा

महर्षि पातंजलि के अनुसार धारणा का अर्थ है - चित्त को किसी एक देश-विशेष (स्थूल या सूक्ष्म विषय) में स्थिर करना या बांधना। किसी एक वस्तु पर मन के चित्त को केंद्रित करना धारणा है। यह धारणाएं आंख खोलकर या आंतरिक मन से की जा सकती है। आंख खोलकर धारणा में कोई एक वस्तु जैसे जलती हुई मोमबत्ती, चन्द्रमा आदि अन्य वस्तुओं का धारणा करता है, जबकि आंतरिक मन के अंतर्गत साधक इन वस्तुओं को मन-ही-मन या आंतरिक मन से इन वस्तुओं की कल्पना करता है। जब मनुष्य इस धारणा में निपुणता या

दक्षता प्राप्त कर लेता है तो उनके शरीर में उन्नति शक्ति के उदय होने का आभास होता है।

आज भौतिक विज्ञान की उन्नति और औद्योगिक प्रगति के कारण मनुष्य एक यंत्रवत बन चुका है। इस कारण उनके तन-मन में तनाव दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। लोग अनिद्रा, चिंता व मानसिक असंतुलन आदि से ग्रस्त हो गए हैं। इस स्थिति में बचने का सर्वोत्तम उपाय के लिए ध्यान योग की साधना नितान्त आवश्यक है। ध्यान मन का विश्राम है और निद्रा शरीर का विश्राम। ध्यान जागृति है और निद्रा मूर्छा है। जैसे-जैसे ध्यान लगने लगता है वैसे-वैसे साधक तनाव से पूर्ण मुक्त होकर शांति का अनुभव करने लगता है। ध्यान का अर्थ है चित्त की एकाग्रता, चित्त की वृत्तियों का किसी एक विषय में स्थिर होना, उसकी चंचलता दूर होना।

ध्यान

ध्यान अष्टांग योग का सातवां अंग है। इसमें किसी एक विषय या पदार्थ पर एकाग्रचित होकर गहनता से विचार करना या एकाग्र होना ही ध्यान है। ध्येय, पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को समझना ही ध्यान है। इसकी दो अवस्था है। पहली है - अन्य सभी विषयों और विचारों का निषेध कर एक विषय या विचार पर लगातार चिंतन करना और दूसरा है समस्त विचारों से मन को मुक्त रखना। इसका विषय आध्यात्मिक भी हो सकता है और भौतिक भी। आत्मा व परमात्मा में ध्यान लगाना या गायत्री मंत्र पर ध्यान लगाना आध्यात्मिक है। किसी भौतिक विषय पर गहनतापूर्व विचार करना जैसे न्यूटन ने पेड़ से पृथ्वी पर गिरते हुए सेब पर विचार किया और गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को पाया भौतिक ध्यान है।

समाधि

समाधि अष्टांग योग का आठवां अंग है। इनमें वह स्थिति है जिसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय मिलकर एकाकार हो जाता है अर्थात ध्यान में जो चित्त की एकाग्रता की एकतानता हुई थी, वह बढ़ते-बढ़ते इतना अधिक बढ़ जाए कि तत्व मात्र ही बचे रहें। समाधि के तीन प्रकार बताए गए हैं - भक्ति समाधि में इन्द्रियों के कार्यों को रोककर मात्र परमात्मा के चरणों में मन लगातार ध्यान लगाना चाहिए। जब अभ्यास से ध्याता-ध्यान और ध्येय मिलकर एक हो जाएं, बुद्धि, स्मृति आदि सभी समाप्त हो जाएं तब वह भक्ति समाधि होती है। योग समाधि में आसन प्राणायाम के अभ्यास से जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर की ओर प्रवाहित होकर एक-एक कर छह चक्रों को भेदकर सातवें सहस्रचक्र में पहुंचकर वहीं लीन हो जाता है तब न स्मृति रहती है न नाद बचता है और न कोई क्रियाएं ही बची रहती है। जब वह स्वयं को भूल जाता है तो यही योगसमाधि होती है। ज्ञान समाधि में विभिन्न तात्विक चिंतन के आधार पर जब तक आत्मा-परमात्मा आदि की चिंतनधाराएं चलती रहती हैं और परमात्मा का ध्यान करने की लिए प्रक्रियाएं चलती रहती है तो यह ज्ञान समाधि होती है। इसमें मैं, तू, यह, वह आदि समाप्त हो जाता है और अपने आपको खोकर सहज स्वभाव की स्थिति प्राप्त होने पर वह ज्ञान समाधि कही जाती है।

अपने मन को एक ओर लगा देना या किसी एक विषय को धारण कर लेना ही धारणा कहलाता है। एक ओर ध्यान लगाने से मनुष्य में एक महान शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इससे उसके मन की इच्छा पूर्ण होती रहती है। अपने मन में ईश्वर को धारण कर अखंड रूप से या लंबे समय के लिए आसन में बैठे रहना समाधि कहलाता है। इसमें व्यक्ति इतना डूब जाता है कि उसे अपने शरीर तक का होश नहीं रहता। पूरी तरह भयमुक्त, समस्त समाधानों को अपने में समेटे हुए, वीतरागी स्थिति ही समाधि है। शरीर और आत्मा दो अलग-अलग पदार्थों के रूप में अपना अस्तित्व प्रदर्शित करें, माटी की यह देह अपने आप में चेतना की साक्षी बने, परंतु उसे न तो प्रभावित कर सके और न बांध ही सके, तब यह दृश्य शरीर सिर्फ समाधि का ही प्रतीक रह जाता है।

योग का महत्व

योग का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है क्योंकि इस दौरान पेट काफी हल्का होता है और नींद लेने के बाद शरीर काफी रिलेक्स होता है। शौच आदि के बाद व्यक्ति जब योग करता है तो उसे अन्य समय के अलावा अधिक लाभ होता है। योग स्वास्थ्य के लिए अनिवार्यतम ऊर्जाओं का स्रोत है, जो व्यक्ति योग प्रक्रिया का जीवन में अनुकरण करता है, वह स्वस्थ रहता है। इससे मनुष्य अपने जीवन को रोगों से मुक्त करने के साथ-साथ जीवन की चर्म सीमा तक पहुंच सकता है। योग एक बहुआयामी परिणाम देने वाली प्रक्रिया है। इसके एक अंश मात्र पर अमल करने से दर्जनों से अधिक लाभ एक साथ ही प्राप्त किए जा सकते हैं। प्राचीन भारत में योग तपस्वियों, योगियों एवं आम जन की दिनचर्या हिस्सा हुआ करता था। धीरे-धीरे बाहरी आक्रमणों एवं देश की अस्थिरता की स्थिति ने इसके महत्व को कम कर दिया और लोग अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति पर निर्भर हो गए।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि योग को पूरी दुनिया में फैलाना एवं स्थापित करना आवश्यक है। योग हमें अस्वस्थ होने से बचाता है जबकि दवाइयां हमें अस्वस्थ होने के बाद बचाती है। न्यूयार्क, वाशिंगटन, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों से लेकर एशियाई देशों के लोगों ने इसे अपनाया। आज ब्रिटेन से लेकर बर्मा तक की जेलों में कैदियों का तनाव कम करने के लिए योग की मदद ली जा रही है। योग कैदियों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। स्वीडन की जेल प्रणाली में तो एक राष्ट्रीय योग संयोजक की नियुक्ति भी की जाती है। बाकी चीजों के अलावा उनकी जिम्मेदारी जेल के पहरेदारों को योग शिक्षक बनाना भी होती है।

महात्मा गांधी भी योग प्रणाली को स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक मानते थे। योग का मानवीय शरीर के लिए बहुत महत्व है। यह हमें अरोग्य, सुन्दर और हृष्ट-पुष्ट बनाता है। योगाभ्यास द्वारा शरीर के सारे अंग अच्छी प्रकार से काम करने लगते हैं। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दिमागी संतुलन दूर होते हैं। धोति क्रिया से अमाशय की सफाई होती है और बस्ती क्रिया से अंतड़ियां साफ होती हैं।

योग द्वारा शरीरिक अंग सुदृढ़ होता है तथा आसनों द्वारा जोड़ों तथा हड्डियों का विकास भी होता है । रक्तचाप तीव्र हो जाता है। धनुर आसन तथा हल आसन रीढ़ की लचक बढ़ाने में सहायक है। इससे मनुष्य में शीघ्र बुढ़ापा नहीं आता। मयूर आसन से कलाई मजबूत होती है। पदम आसन करने से न तो कंधे में कूब पड़ता है और न ही पेट आगे की ओर ढलकता है। वक्र आसन से शुगर का रोग ठीक होता है। आजकल पीठ दर्द और कमर दर्द को बहुत ही सामान्य बीमारी माना जाने लगा है, लेकिन एक समय बाद यह दर्द बढ़ता जाता है और स्लिप डिस्क की बीमारी में बदल जाता है। इस बीमारी में ज्योतिष्टकासन, मत्स्य क्रीड़ासन, मकरासन, शलभासन, अर्धशलभासन, सरल भुजंगासन, सरल धनुरासन का अभ्यास करना चाहिए। शव आसन से मानसिक रूप से पुन: तरोताजा हो जाते हैं। शीर्षासन बुद्धि को तीव्र करने तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाता है।

योग बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए लाभदायक है शोधकर्ताओं का मानना है कि योग करने से डोपामाइन नामक केमिकल पैदा होता है। यह एकाग्रता और ध्यान बढ़ाने में मददगार है। वर्ष 2012 में अमेरिका में जर्नल ऑफ ऑक्युपेशनल थैरेपी के अपने अध्ययन में बताया कि योग से ऑटिस्टिक बच्चों में सुधार होता है। खड़े होकर, बैठकर और लेटकर आसन करने से शरीर की कई मांसपेशियों के समूह काम करते हैं। इससे बच्चों के बाडी पोश्चर में सुधार होता है। बच्चे कई घंटों तक डेस्क पर बैठते हैं। भुजंगासन करने से उनकी पीठ को आराम मिलता हैं। धनुरासन करने से आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है जो अधोमुखा शवासन से शरीर की स्ट्रेचिंग होने के साथ ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। वृक्षासन करने से बच्चों में संतुलन और सक्रियता आती है। ताड़ासन से उनका कद बढ़ता है और रीढ़ की हड्डी सीधी रहती हैं। शवासन बच्चों को तनाव से दूर करता है।

कमजोर, वृद्ध तथा कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों को लू लगने की आशंका अधिक होती है। यौगिक क्रियाओं के नियमित अभ्यास से लू लगने की आशंका बहुत कम हो जाती है। जो लोग पहले से ही यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते आ रहे हैं उन्हें लू नहीं लगती और यदि किसी कारण लू लग भी जाती है तो ऐसे लोग जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। लू लगने की स्थिति में यौगिक श्वसन का अभ्यास बहुत लाभदायक होता है।

योग के समय सावधानी

योग हमसे मानसिक तौर पर अधिक जुड़ा है। इसलिए ध्यान रखे कि इसका अभ्यास जल्दबाजी में न करे। पूरी चेतना के साथ योग करने से ही इसका पूरा लाभ मिलता है। कई लोग आसन न हो पाने से हताश हो जाते हैं और छोड़ने का मन बना लेते हैं। धैर्य रखें क्योंकि जैसे-जैसे आसन करते जाएंगे शरीर का लचीलापन बढ़ेगा व क्षमता बढ़ती चली जाएगी। योग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें—जो लोग लंबी बीमारी से उठे हों, गर्भवती महिलाएं और अत्यधिक शारीरिक कमजोरी होने पर विशेषज्ञ की सलाह व उनकी देखरेख में ही योगाभ्यास करें। नाड़ी शोधन गलत तरीके से करने से माइग्रेन हो सकता है। जलनेति प्रक्रिया नाक के दोनों तरफ न दोहराने पर सिर दर्द हो सकता है। पेट साफ न होने पर कपालभाति करने से पेट में दर्द और गैस बन सकती है। गठिया या पीठ दर्द है तो हलासन करने से दर्द बढ़ भी सकता है। सूर्य नमस्कार की एक साथ 12 मुद्राएं न करने से मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। योगा के 15 मिनट बाद ही पानी पीएं। अभ्यास से पूर्व या उस दौरान या मूत्र त्यागने की इच्छा हो तो आवेग को कभी भी न रोके।

विश्व योग दिवस के अवसर पर 191 देशों के 251 शहरों में कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसमें 20 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्रालय ने दो गिनीज रेकार्ड बनने की पुष्टि की है। पहला है कि इस दिन 35,985 लोगों ने राजपथ पर एक साथ योग किया और दूसरा है कि 84 देशों के लोगों ने इस योग सत्र में हिस्सा लिया। अभी तक एक साथ योग का रेकार्ड विवेकानंद केंद्र के नाम था, जिसने 19 नवम्बर, 2005 को ग्वालियर में एक कार्यक्रम में 29,973 लोगों ने हिस्सा लिया था। राजपथ पर 35 मिनट में 21 योगासन में हिस्सा लिया। पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने के लिए विशेष डाक टिकट तथा 100 तथा 10 रुपये के सिक्के भी जारी किए गए।

हिंदी भारत-भारती

आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल कमल के समान है, जिसका एक-एक दल एक-एक प्रान्तीय भाषा और उसकी साहित्य संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियां जिनमें सुन्दर साहित्य-सृष्टि हुई है, अपने-अपने घर में (प्रान्त में) रानी बन कर रहें और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्य मणि हिंदी भारत-भारती होकर बिराजती रहे।

-गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर

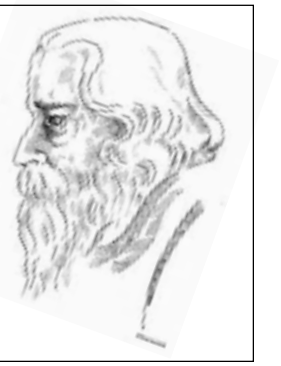

नई सदी का महिला कथा लेखन और स्त्री-विमर्श

डॉ॰ संदीप रणभिरकर

स्त्री का आत्मसंघर्ष अपनी निरंतरता में प्रत्येक युग में विद्यमान रहा है। परंपरागत दृष्टि से स्त्री के प्रति व्यवस्था का रवैया निश्चित मानदंडों, आदर्शों के नियत व्यवहारों से संचालित होता रहा है, जिसमें स्त्री को तय कर दी गयी भूमिका में निर्धारित आदर्श आचरण संहिता के अनुसार जीना है, जिसके निर्धारण का अधिकार शताब्दियों से पुरुष ने अपने पास सुरक्षित रखा है। बदलते समय में, बदलते सामाजिक संदर्भों में अपने अधीनस्थ की भूमिका, शोषण, असमानता से मुक्ति के प्रयत्न एवं दोहरे मानदंडों के बीच अपनी बदलती सामाजिक भूमिका के बावजूद स्त्री के प्रश्न नहीं बदले हैं। स्त्री, पुरुष और व्यवस्था से जुड़े स्त्री-प्रश्न जटिलतर होते गए हैं। स्त्री-विमर्श का सरोकार जीवन और साहित्य में स्त्री मुक्ति के प्रयासों से है। स्त्री की स्थिति की पड़ताल उसके संघर्ष एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति के साथ-साथ बदलते सामाजिक संदर्भों में उसकी भूमिका, तलाशे गए रास्तों के कारण जन्मे नए प्रश्नों से टकराने के साथ-साथ आज भी स्त्री की मुक्ति का मूल प्रश्न उसके मनुष्य के रूप में अस्वीकारे जाने का प्रश्न है। उसके मनुष्यत्व को स्वीकारना आज मानवता का सबसे बड़ा सवाल है।

स्त्री को अपने अस्तित्व के बोध ने विमर्श की प्रेरणा दी। आत्मसमर्पण के और पुरुष की एकाधिकारशाही के माहौल से स्त्री को बाहर लाने का श्रेय स्त्री-विमर्श को ही देना होगा। स्त्री-विमर्श और कुछ नहीं अपनी 'अस्मिता' की पहचान, 'स्व' की चिंता, 'अस्तित्व बोध' और अधिकार को जतलाने और बतलाने का विचार चिंतन है। यह सदियों से स्थापित पुरुष मानसिकता का तर्पण है भावुक स्त्री का समर्पण नहीं। जब भावना की अपेक्षा बुद्धि की कसौटी पर, विषमता की अपेक्षा समता की कसौटी पर, परंपरा की अपेक्षा आधुनिकता की कसौटी पर, संस्कृति की अपेक्षा कार्यशक्ति की कसौटी पर और लिंगात्मक की अपेक्षा गुणात्मक कसौटी पर व्यक्ति के मूल्यांकन का सूत्रपात होगा, तभी 'स्त्री-विमर्श' के चिंतन के लिए बल मिलेगा। वर्तमान स्त्री के बारे में प्रभा खेतान की मान्यता है कि ''आज स्त्री ने सदियों की खामोशी तोड़ी है। उसकी नियति में बदलाव है। उसके व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य, दर्शन, उसका मन-मिजाज सभी तो बदल रहा है।''[1] स्त्री से भीख मांगने की नहीं प्रतिरोध करने की अपेक्षा रखते हुए प्रभा जी कहती हैं- ''झूठे प्रलाप से, आरक्षण की भीख मांगने से कुछ होने जानेवाला नहीं। स्त्री को तो प्रतिरोध की भाषा सीखनी होगी।''[2]

महिला लेखन में प्रतिरोध का स्वर सुनायी देता है। इसकी अन्यतम उपलब्धि है कि इसने एक ओर नारी हृदय को विविध कोनों से परखकर ईमानदार अभिव्यक्ति प्रदान की और दूसरी ओर नारी को परंपरा पोषित मान्यताओं के पाश से मुक्त करके 'मानवी' के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारतीय आदर्शों में रची-बसी सती नारी के स्थान पर उस नारी का चेहरा सामने आया, जिसे अपनी महत्ता और अस्मिता पर गर्व था। महिला लेखन पुरुष की बंधी-बंधाई पूर्वाग्रह से संचित दृष्टि को त्यागकर नारी को व्यक्ति रूप में देखने का पक्षधर है जहां पुरुष सापेक्ष भूमिकाओं की सीमित परिधि से मुक्त होकर एक विशुद्ध नारी के रूप में उसकी पहचान संभव हो। वह नारी जिसके मन में अपनी शरीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुर्बलताओं के प्रति दया का भाव नहीं उपजता; देह, संस्कार, संवदेना और विवेक किसी भी स्तर पर वह अपना मूल्यांकन परंपरागत पुरुष निर्मित प्रतिमानों के आधार पर नहीं करती ।

महिला लेखन बहुआयामी होने के साथ-साथ इसमें स्वानुभूति की सघनता, विचारों की गहनता और विषय की रोचकता है। यह लेखन अतीत को ध्वस्त, वर्तमान से संघर्ष और सुखद भविष्य के सपने संजोने के लिए नारी को प्रेरित करता है। नारी समस्याओं को नहीं अपितु स्वयं नारी को ही कैनवास पर उतारकर पूर्णत: अंतरंग होकर उसे पुरुष के समकक्ष लाने की यह कोशिश वस्तुत: स्तुत्य है। नारी की वर्तमान स्थिति को लेकर आज की लेखिका के मन में असंतोष एवं आक्रोश है। सामाजिक वैषम्य से जन्मी पीड़ा को लेकर छटपटाहट है और मुक्ति की उत्कंठा उसके रोम-रोम में परिव्याप्त है।

जया जादवानी की यह पंक्तियाँ स्त्री-जीवन की वास्तविकता का दर्दनाक आख्यान है - ''यह जो हम आग की बातें लिखते हैं न, अपना आप जलाकर - क्या होता है इससे? दूसरे सिर्फ़ सेंकते हैं अपने आप को हमारी भट्ठी में और सिंककर बाहर चले जाते हैं - हलके गर्म कुरकुरे! राख होना तो हमारी नियति है। ''[3] जया जादवानी का समूचा लेखन प्रश्नों और व्याकुलताओं का समुच्चय है, जिसके मूल में है मुक्ति की कामना। 'फिर-फिर लौटेगा', 'जो नहीं है, वह' और 'मुक्ति' कहानियों के जरिए वे कुछ तीखे सवाल उठाती हैं कि ''यूं किसी के छुड़ाने से संसार छूट जाता है क्या? बल्कि वह हमारे अंदर और गहरा उतरता जाता है। न हासिल कर पाने का क्षोभ और पश्चाताप हमें उससे कभी मुक्त होने नहीं देता। ...एक नैसर्गिक क्रिया

से दूर भागने का मतलब क्या है – भय? घृणा?''[4] कि ''अगर मानव मानव से प्रेम नहीं करता तो यह किस तरह संभव है कि वह यकायक ईश्वर से प्रेम करने लगे''[5] कि क्यों गर्म की जाती है ''बार-बार तेल की कड़ाहियां – उस सच को जानने के लिए जिसके खिलाफ समूची सृष्टि खड़ी है?''[6] सिर्फ़ सवाल! जवाबहीन बींधते सवाल जिनका होना जवाबों को पाने और नए सवालों को जगाने की आस बंधाता है। मानवीय व्याकुलताओं से उगे इन सवालों के जवाब अंतर्मन से ही पा सकते हैं – नि:शब्द और नितांत अकेले। जया जी को पढ़ना अपने अन्दर की खामोशियों से गुफ्तगु करना है। अत्यंत खामोशी के साथ वे उन सभी सवालों को उकेरती हैं, जो इस खामोशी के पश्चात एक वैचारिक आंधी को जन्म देते हैं।

पंखुरी सिन्हा की स्त्री आत्मविश्वास से युक्त, निगूढ़ एकांत में अकेलेपन को भरपूर जीती निर्णय स्वतंत्र सबल स्त्री है। यह स्त्री विवाह संस्था के बाहर अपने लिए मुकम्मल जगह तलाश रही है। यह स्त्री चूंकि 'घर' से बेहद दूर अमेरिका की विदेशी भूमि पर है, भावनाओं पर नियंत्रण रखकर विदेशी कंपनियों की सख्त दुनिया में अपनी उपस्थिति जता देना चाहती है, सातों आसमान तक की ऊंची उड़ान भर लेने के हौसले और संसाधनों से भरपूर है, इसलिए नोस्टेल्जिया जैसी पलायनवादी भवुकताओं से परहेज करती है। आत्मानुशासन उसकी शक्ति है और प्रखर चिंतन उसकी स्ट्रेटजी। समर्पण शब्द उसके शब्द कोष में नहीं है। राष्ट्र की अवधारणा वह नहीं जानती। भारत में रहती तो हर भारतीय की तरह बात-बात में भारत में जन्मने के दुर्भाग्य को कोसती रहती, लेकिन विदेश में है। इसलिए राष्ट्रप्रेम के जज्बे से लबालब है। इसलिए यह स्त्री 'जयंती' नाम धरकर जब लंदन के संग्रहालय में कोहेनूर हीरा देखती है तो लुटे-पिटे अतीत के प्रति ग्लानि वर्तमान और भविष्य को बेहतर गढ़त देने की मिशनरी संकल्प में ढल जाती है। यह एक स्त्री की 'भारतीय' होने के साथ-साथ— 'स्त्री' होने की संश्लिष्ट प्रतीति भी है – अपने लिए चुनौतियों और संघर्ष की पीठिका तय करती । लेकिन क्या कोई भी लड़ाई अकेले फुटकर ढंग से लड़ी जा सकती है? जयंती के जुनून का भौतिक लालसाओं में स्खलन हर उस आन्दोलन के शिकस्त की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जो कड़े अनुशासन, कठोर संयम, उदार दृष्टि, गहन अंतर्दृष्टि, मानवतावाद ध्येय और अव्याख्येय जिद के अभाव में प्रतिरोध और प्रतिहिंसा का क्षणिक स्फोट बनकर रह जाता है।[7]

पंखुरी सिन्हा संभवतया पितृसत्तात्मक व्यवस्था की चूलें हिलाकर नई समाज व्यवस्था को गढ़ने वाले किसी भी स्त्री आन्दोलन की सफलता के प्रति विश्वस्त नहीं हैं। वे जिस स्त्री से परिचित हैं, वह 'योद्धा' नहीं, 'जयंती' हैं – आत्मरतिग्रस्त भौतिक इकाई। 'शत्रु का चेहरा' कहानी स्त्री आन्दोलन को तमाशा बनाती ऐसी ही जयंतियों पर करारी टिप्पणी है। कहानी हॉस्टल की सीधी-सादी छात्रा पर किए गए बलात्कार के विरोध में महिला संगठनों द्वारा निकाले गए जुलूस का बयान है जो धीरे-धीरे 'जलसा' बनता जा रहा है। ''हाथ के उठने और गिरने का जोश किसी योद्धा सरीखा नहीं, बल्कि खिलाड़ी की ऊर्जा प्रवाहित करने लगा। नारे लगाती हुई लड़कियाँ मुस्कराती हुई एक-दूसरे की ओर देख रहीं थी। ..कुछ इतनी बन-संवरकर आई थी कि लगता था किसी जलसे में जा रही हों। जुलूस पर धीरे-धीरे जलसे का भाव छा रहा था। यदि समूचे पर नहीं तो कुछ हिस्सों पर पूर्णत:।''[8] अपने से भागकर व्यक्ति पनाह लेना भी चाहे तो कहां ले? लेकिन अपनी दृष्टिहीनता के साथ क्या व्यक्ति अपनी ही बेचारगियों और दुर्बलताओं को डोल पीट-पीट कर उपलब्धियां बनाता नहीं फिरता? फिर मुक्तिकामी आन्दोलनों के बजाय क्यों नहीं स्त्री के अंतर्मन की बात की जाए – वह अंतर्मन जो खुद अपने लिए आचार- संहिता और जीवन शैली का निर्धारण कर समूची व्यवस्थाओं और वर्जनाओं को अंगूठा दिखा देता है।

मनीषा कुलश्रेष्ठ ने अपनी कहानियों में स्त्री जीवन के बेरंग सच एवं विद्रूपताओं को उद्घाटित किया है। 'कुरजां' ऐसी ही कहानी है जिसमें बाड़मेर की बीहड़ वीरानगियों में 'डायन' होने का शाप झेलती स्त्री है। कुरजां इस कहानी की नायिका है, जो निरंतर कर्मशील एवं संघर्षशील है। वह समूची सामाजिक व्यवस्था का अकेली होने के बावजूद डटकर विरोध करती है। लेखिका ने इस कहानी में अत्यंत तन्मयता के साथ रावलों की बर्बर सामंती मानसिकता, बालविवाह की परंपरा को जिलाए रखने की आग्रहपूर्ण हटधर्मिता का, शिक्षा-परिवहन और आधुनिकता के प्रभाव से कटे-छटे ग्रामीण समाज के अज्ञान और पिछड़ेपन का चित्रण करती हैं। पाठक यहाँ एक साथ दो पात्रों से संघर्ष की अपेक्षा करने लगता है – डायन के रूप में हाशिए का जीवन जीती बहादुर कुरजां और समर्पित शिक्षक के रूप में नई पीढ़ी का उद्बोधन करता मास्टर। कुरजां का संघर्ष जायज़ है। मास्टर जी में कुरजां के लिए सहानुभूति और संवेदना है लेकिन वह कुरजां के देह के लिए है, अपने हक़ और स्त्रीत्व के लिए लड़ती डायन कुरजां के संघर्ष के लिए नहीं। यहां पुरुष का वास्तविक रूप सामने आता है। मास्टर जी की सारी- 'सक्रियता' अर्थात कुरजां के बेटे को स्कूल में दाखिला दिलाना, कुरजां के झोपड़े के चक्कर काटना, बालविवाह के दौरान भैंसे के सड़े मांस की दावत खाने से फूड प्वाइज़निंग के शिकार लोगों को डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराना ताकि कुरजां को उन्मत्त भीड़ के कोप से बचाया जा सके आदि कुरजां को पाने के लिए है, कुरजां के बंधक पति की हत्या से लेकर हक के लिए लड़ती कुरजां को डायन घोषित करने के पीछे ठाकुरों के षड्यंत्र को जनसाधारण तक संप्रेषित करने के लिए नहीं। तब इस आत्मकेंद्रित और पाखंडी 'पुरुष' को लेकर परिवर्तन और क्रांति की कल्पना नहीं की जा सकती। कुरजां का पलायन कुरजां की विकल्पहीन मजबूरी बन जाती है।

शर्मिला बोहरा की कहानियों के केंद्र में भी 'स्त्री' है। किन्तु स्त्री की समस्याओं को लेकर वह ज्यादा बात नहीं करती अपितु स्त्री मानस को पूरे परिदृश्य के साथ गूंथकर रखती चलती है। उनकी नायिकाएं ठहरे जीवन की मंद गति में एक जीवंत लय-ताल के साथ चलती हैं। 'विदेशिनी' की पाखी हो, 'एक टूटी-फूटी कहानी' की 'मैं' या 'बूढ़ा चांद' की तूलिका-घटनाविहीन जीवन के प्रवाह में बहती जिंदगी की भीतरी बुनावट को उलटकर देखती हैं। उनकी स्त्री समाज-सत्य का सम्प्रेषण करती है और पुरुष अपनी तमाम आक्रामक पारदर्शिता के साथ स्त्री-शोषण की पुरानी परंपरा के पक्ष में प्रमाण जुटाता चलता है। अपनी अहम्मन्यता में-संबंधों की गरिमा, परिवार का अस्तित्व, सुखी-खुशहाल जीवन, मन का चैन-सब कुछ खो देता है। 'बूढ़ा चाँद' कहानी में कहानीकार ने एक आठ-नौ वर्षीया लड़की के मानस को पढ़ा है, जो गालियाँ देकर शाब्दिक हिंसा करती है। गालियाँ देना उसे अच्छा लगता है। गालियाँ यानी रामबाण औषधि यानी उचाट मन को बहलाने और गाढ़ी नींद लेने का प्रयास। तूलिका इसलिए गालियाँ बकती है क्योंकि उसे कोई प्यार नहीं करता। उसे विरासत में मिला है-आतंक, असुरक्षा, अकेलापन और गालियों का अम्बार। संवाद पुल है-सम्बन्ध, आत्मीयता और सम्वेदना के प्रसार का। इस पुल को बनाए बिना व्यक्ति अपने भीतर की मनुष्यता को कभी पा नहीं सकता। व्यवस्था के जड़ अनुशासन, परंपरा की कठोर जकड़न और सभ्य शालीन 'दिखावे' की कृत्रिम कवायत से संत्रस्त तुलिका के भीतर की तमाम उथल-पुथल विराम और शांती के दो पल पाना चाहती है ताकि अपनी ऊर्जा और चेतना को खंगालकर वह अपने सपनों को उर्ध्व रूप दे सके। उसकी पहली प्राथमिकता अपने को थहाना है। फिर परिवेश को गुनना, विड़म्बनाओं को चिन्हना, किन्हीं बेहतर विकल्पों की तलाश में जुटना जैसी प्राथमिकतायें उसे निरंतर सक्रिय और चिंतक बनाती हैं। उसके सामने रोज़ एक चुनौती आकर खड़ी होती है-अपने ही सीमाओं का अतिक्रमण कर आत्मविस्तार करना। जाहिर है सर्जनात्मकता उसके जीवन का मूलमंत्र बन जाती है-सृजन तो कलाओं का आधारबिंदु ही नहीं, ज्ञान-विज्ञान के तमाम अनुशासनों का प्रेरक बिंदु भी है। तुलिका के भीतर की सर्जनात्मकता इस बूढ़े चाँद के साहचर्य में ही संभव है, जिसका व्यक्तित्व अनुभव की गठरी में से निकालकर शीतल छाया ही नहीं देता मन को सुकून देने वाला मंद-मंद आलोक भी देता है जिसके सहारे विश्रांति और कर्मण्यता के मीठे अंतर्संबंध के मर्म को समझा जा सकता है।

लवलीन की नायिकाएं अधिक आक्रामक विद्रोही तेवर अपनाती हैं। 'स्वप्न ही रास्ता है' उपन्यास की अपरा प्रखरता और मेधा को अपनी स्त्रीत्व की दो आधारभूत विशेषताएं कह स्वयं को 'संपूर्ण स्त्री' मानने में संकोच नहीं करती। उसकी अपनी ही बुद्धिजीवी मित्रमंडली 'फिमो मस्कुलाइन फिमेल' कहकर भले ही उसका मजाक उड़ाये, तर्क-विचार और विश्लेषण से हर सम्बंध के स्थायित्व और भावना की गहराई नाप लेनेवाली अपरा सामान्य स्त्री नहीं है। जिसका जीवन-सत्य सिर्फ कर्म हो और आस्था का बिंदु भावनात्मक स्वतंत्रता-वहां प्रेम और मित्रता जैसी वैयक्तिक अनुभूतियों और सामाजिक संबंधों का जीवन भर हाशिए पर बने रहना नहीं चौंकाता। नारीवाद का भाष्य रचती अपरा आत्मसजग सम्पूर्ण स्त्री है। बेशक उसके अंतर्विरोध और दुर्बलताएं, मनोजगत के द्वंद्व और वासनाएं उसकी भीतर जी रही किसी अनाम असुरक्षित लड़की का बोध कराते हैं, लेकिन आत्मसाक्षात्कार कर अपरा में अपने इस दुर्बल अंश को चीन्हने का साहस है।[9] अपरा की जीवन को देखने और जीने की कुछ धारणाएं हैं। नारीवादी चिंतन से प्रभावित ये धारणाएं अपरा के अस्तित्व की मूल कारक हैं। किसी भी सामान्य युवती की तरह प्रेम और विवाह, बच्चे और गृहस्थी उसकी जीवन में रपटने वाली ढलानों का निर्माण नहीं कर सकते। अपरा ने विवाह संस्था के प्रति अपनी तिक्तता को डायरी में यों कलमबद्ध किया है-''विवाह में सच्ची भावना व एक-दूसरे के प्रति आपसी समझ और समभाव विकसित हो नहीं सकता। ''[10] यह अरुचि धीरे-धीरे उपहास और घृणा में बदलकर अपरा को कितना कटु और एकाकी बना रही है, खुद उसे एहसास नहीं। वह केवल इतना जानती है कि ''शादी बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट की गयी बीमा पॉलिसी है जिसमें किस्तों के रूप में स्वत्व गिरवी रखते जाते हैं।''[11] अपनी बात साबित करने के लिए अपरा के पास निजी और जागतिक अनुभवों की लम्बी श्रृंखला है। वह क्या कभी भूल सकती है 'परविार' कही जाने वाली वह संस्था जो लड़की होने के 'जुर्म' में उसे उसके छोटे भाई से हीनतर मानती रही? परिवार के स्नेह, देखभाल, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के आभाव का दंश झेल भी ले अपरा लेकिन जान-बूझकर दुत्कारने और नकारने की स्वाभाविक क्रियाएं किस तर्क और विश्वास के आधार पर स्वीकारे? इसीलिए जब बाहों में क्षितिज बांधने का अरमान हो और पावों में अलंघ्य दूरियां नापने की ललक हो तो क्यों नहीं विश्वास के सर्जित सपनों को हर मोड़ पर साकार होते देखे अपरा?

सुषम बेदी भी विवाह संस्था के क्रूर स्वरूप और पुरुष की पजैसिव मानसिकता को कटघरे में खड़ा करने की स्त्री-सुलभ चेष्टा करने लगती है। 'नवभूम की रसकथा' में प्रबुद्ध केतकी विवाह-विच्छेद के बाद प्रख्यात समाजशास्त्री तथा लेखिका के रूप में एकाकी जीवन जीते हुए परिपूर्ण है और आत्मतुष्ट भी। अपने से ही प्रबुद्ध आदित्य का साहचर्य प्रेम और दैहिक अंतरंगता की नैसर्गिक मांगों को उकसाता

अवश्य है, उन्हें स्थायित्व देने के लिए विवाह यानी 'प्यार की मौत' के विकल्प को स्वीकारना नहीं चाहती, खासकर उस स्वच्छंद समाज में जहाँ सुविधा और स्वतंत्रता का अनुपात जीवन की सभी भौतिक-शारीरिक-भावनात्मक जरूरतों को संचालित करता हो। घर में, होटल में, द्वीप भ्रमण के दौरान सुनियोजित दीर्घकालीन अवकाश में पति-पत्नि की तरह समर्पित सम्बन्ध को जीने की रागात्मकता में जो उन्मुक्तता है, वह विवाह के सूत्र में बंधे सम्बंध में नहीं। इसलिए मीरा की तरह केतकी भी बंधनहीन सम्बंध की पैरोकार है-''क्यों न रिश्ते ऐसे बने रहें कि जब पास आना चाहें तो पास आ जाएँ, और फिर वापिस अपने एकांत को लौट जाएँ?''[12] साथ ही उन्मुक्त संबंधों की आदी ''घबराहट होती है कि तुम मुझे सोख न लो। मैं खुद ही नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों है? पर यह जानती हूँ कि अपने आप को एक व्यक्ति के प्रति समर्पित करना मेरे बूते का नहीं है।''[13] ये नायिकाएं परंपरागत मानदंडों को तिलांजलि देकर अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने की हिमायती हैं।

स्त्री-पुरुष संबंधों में, खास तौर पर दांपत्य जीवन में पड़नेवाली दरारों का खुलासा 'यह खबर नहीं' उपन्यास में कमलकुमार ने किया है। अमृता और अविवेक का टूटता रिश्ता इस उपन्यास का प्रमुख बिंदु है। अनैतिक कार्यों से जुड़कर अविवेक अपना नाम सार्थक करता है। वह इतना संवेदनाशून्य हो गया था कि अमृता अपने बेटे के साथ मायके चली गई थी। वह मायके चली गई तो अविवेक, ''फोन पर, घर में, दफ्तर में धमकाता रहा। वह उसे बर्बाद करेगा। वह मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से उसे अपंग कर देगा। उस पर इतने मुकदमें करेगा कि उनका दिवाला निकल जायेगा। अगर पुलिस में उसने शिकायत की तो पुलिस को खरीदने में लगता ही कितना है? परिणाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। बुरे और असफल संबंधों की पीड़ा के साथ वह किसी भी स्थिति को हादसा बना दिए जाने के भय और आशंका से सहमती रहती थी।''[14] पढ़ी-लिखी होने के बावजूद गुलाम की तरह ससुराल में जीने के लिए विवश औरतों की संख्या कम नहीं है। अमृता जैसी युवतियां संख्या में कम हैं जो अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में पति से नाता तोड़कर ससुराल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं।

पर्दों की आड़ में अपना वर्चस्व बनाए रखने के चक्कर में कहीं-न-कहीं दिग्भ्रमित हो स्त्री भटक रही है चाहे वह 'इदन्नमम' की कुसुमा भाभी हो, 'अपने अपने कोणार्क' की कुन्ती हो या 'समय सरगम' की आरण्या। पुनर्जन्म में विश्वास के साथ आख्या कहती है-''कोई फिक्र नहीं, फिर पैदा होंगे। पैदा होने वालों की कमी नहीं, हम जैसों को तो आवागमन से छुटकारा नहीं पाना है। इस जन्म की प्रस्तुति का कुछ बेहतर करने के लिए दुबारा जन्म लेना ही होगा।'' जीवन को सार्थक बनाने की आकांक्षा रखनेवाली आरण्या की यह आवाज़ है। अपनी पहचान की माँग वाली आज की स्त्री में आत्ममंथन करने की क्षमता मौजूद है। 'कथा सतीसर' में मेधावी डॉक्टर की भूमिका निभानेवाली कात्या, दंगों में बलात्कृत होकर, सब कुछ खोकर, असहाय खड़ी तुलसी, राज्ञा, नसीम, खुर्शीद और नीलू ऐसे पात्र हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ती हैं। चंद्रकांता ने इन पात्रों के मानसिक तनाव के सूक्ष्म अंकन के जरिए कश्मीरी जीवन का कटु यथार्थ हमारे सामने रखा है। अपने स्वत्व से जुड़ी तमाम समस्याओं के प्रति आज की स्त्री सचेत है। स्त्री से जुड़े बिंदुओं की बारीकी के साथ तीव्र पहचान स्त्री ही करा सकती है। स्त्री-विमर्श का मतलब स्त्री-पुरुष की स्पर्धा की दौड़ नहीं है स्त्री की स्वयं की आलोचना भी है।

पुरुष वर्चस्ववाले समाज में स्त्री की अस्मिता की तलाश में लेखिकाएं सशक्त लेखन में लगी हुई हैं। वे नारी की यंत्रणा और उसकी सीमाओं को अनदेखा करने का दु:साहस नहीं करती लेकिन उसकी शक्ति और संयमित धैर्य पर उन्हें विश्वास है कि यह संघर्ष अवश्य सार्थक होगा। स्त्री अस्मिता से जुड़े प्रश्न उठानेवाले उनके स्त्री पात्र, स्त्री के यथार्थ की आवाज़ बुलंद करने में सक्षम हैं। स्त्री के व्यक्तित्व को परखने की यह दृष्टि निश्चित रूप से स्तुत्य है जहां पुरुष सापेक्ष भूमिकाओं से मुक्त होकर विशुद्ध नारी रूप में उसकी अस्मिता लौटाने का संकल्प विद्यमान है।

सन्दर्भ सूची:

1. प्रभा खेतान: उपनिवेश में स्त्री, पृ-53
2. वही, पृ-61
3. जया जादवानी : उससे पूछो, पृ-75
4. जया जादवानी : अभी-अभी जो चल कर गया है,-38
5. वही, पृ-39
6. वही, पृ-140
7. पंखुरी सिन्हा: किस्सा-ए-कोहनूर, पृ-75
8. वही, पृ-126
9. लवलीन' स्वप्न ही रास्ता है, पृ-12
10. वही, पृ-134
11. वही, पृ-139
12. सुषम बेदी : लौटना, पृ-171
13. सुषम बेदी : नवाभूम की रसकथा, पृ-81
14. कमल कुमार : यह खबर नहीं, पृ-65

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग
राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी,
किशन गढ़ जिला अजमेर-(राजस्थान)
मो. 8503891642

भारत का पर्यावरण चिन्तनः पृथ्वी का सुरक्षा कवच

—डॉ॰ मोहन चन्द तिवारी

अभी हाल ही में जारी ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार युनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, लंदन के शोधकर्ताओं ने चिंता जतलाई है कि वायुमंडल में ताप वृद्धि के कारण अंटार्कटिका में बर्फ की निचली परत तेजी से पिघल रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भारी परिवर्तन आ रहा है। इस जलवायु परिवर्तन के कारण संकेत ये भी मिल रहे हैं कि तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप पृथ्वी का समूचा वृष्टिचक्र गड़बड़ा सकता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है और नदियां जलविहीन हो सकती हैं। भूकम्प, भूस्खलन, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि छोटी-मोटी प्राकृतिक आपदाओं के पिछले पांच-छह वर्षों के रिकार्ड बताते हैं कि अंधाधुंध विकास के कारण आज हिमालय प्रकृति तनाव के दौर से गुजर रही है। पर्यावरण विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो हिमालय के ग्लेशियर अब ग्लोबल वॉर्मिंग के चपेट के कारण तेजी से पिघलने या टूटने की अवस्था में आ चुके हैं। हिमालय की यह ग्लोबल वॉर्मिंग से प्रभावित मौसम वैज्ञानिक संवेदनशीलता ने केवल भारत बल्कि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान सहित समूचे एशिया महाद्वीप के लिए चिंता का विषय है।

'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (यूएनईपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालय क्षेत्र के हिम ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहे हैं, उसके कारण 21वीं सदी के अंत तक भारत और पड़ोसी देशों की नदियां पानी न मिलने के कारण सूख जाएंगी। अभी हाल में एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 'आईसीआरएस' में देश-विदेश के वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि विश्व में 33 से॰ मी॰ प्रति वर्ष की दर से भूजल का स्तर गिर रहा है और वह जल रिचार्ज नहीं हो रहा। 'केन्द्रीय भूजल बोर्ड' के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 20 वर्षों में राजधानी दिल्ली का भूमिगत जलस्तर 8 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया है तथा वह जल स्तर एक फुट अर्थात् 30 से.मी. वार्षिक की औसत दर से कम हो रहा है। दिल्ली का यह भूमिगत जलस्तर अन्य राज्यों की तुलना में डेढ़ गुना तेज गति से कम हो रहा है जो दिल्लीवासियों के लिए विशेष चिंता का विषय है।

दरअसल, बाढ़, सूखा, भूकंप, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाएं पिछले अनेक वर्षों से यह चेतावनी देती आ रहीं हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यदि तुरन्त कोई उपाय नहीं किए गए तो सभी प्राणधारी जीवों सहित आज पृथ्वी का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है और लाखों-करोड़ों वर्षों से संरक्षित इस धरती को अंधविकासवाद का दानव लील भी सकता है। इतिहास साक्षी है कि मैसोपोटामिया, हड़प्पा तथा महाभारतयुगीन उन्नत सभ्यताएं भी केवल इसलिए विनष्ट हो गईं क्योंकि अपने युग की पर्यावरण विकृतियों से बचने का सुरक्षा कवच उन विकसित सभ्यताओं के पास नहीं था।

आधुनिक पर्यावरण विज्ञान की दृष्टि से ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह है कार्बन गैसों का उत्सर्जन। औद्योगीकरण, जंगलों की कटाई तथा असंतुलित विकासवादी योजनाओं के कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ग्लेशियर तेजी से पिघलते जा रहे हैं। दुनिया के तमाम देश ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से चिंतित तो हैं, किंतु इस समस्या से निपटने के लिए ये देश कोई ठोस उपाय नहीं निकाल पाए हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाया जा सके। पर्यावरण के बारे में उपभोक्तावादी सोच रखने वाले कोपेनहेगन जैसे विश्व पर्यावरण सम्मेलनों की चिंता केवल यहीं तक सीमित रही है कि विकसित राष्ट्रों की अंधविकासवादी योजनाओं की आपूर्ति के लिए गरीब तथा पिछड़े राष्ट्र अपने-अपने देशों के प्राकृतिक संसाधनों का संदोहन करते रहें, जिससे कि आर्थिक लाभ विकसित राष्ट्रों को हो और उन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उसकी भरपाई भी वे ही गरीब और पिछड़े राष्ट्र करें। बड़े राष्ट्रों की इसी उपनिवेशवादी नीति के कारण कोपेनहेगन सम्मेलन में जानबूझकर यह सहमति बनाई गई कि विकसित देश अपने यहां कार्बन गैसों के उत्सर्जन की मात्रा कम नहीं करेंगे और भारत जैसे देश इस काम में उनकी मदद करेंगे। चिंता का विषय यह भी है कि पर्यावरण विज्ञान का एक गौरवशाली इतिहास रखने वाला भारत जैसा देश भी कोपेनहेगन विश्वसम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का सही मायने में निदान और समाधान रखने में असमर्थ रहा है। आज वास्तव में यदि ग्लोबल वार्मिंग से उत्पीड़ित धरती को बचाना है तो भारतीय पर्यावरण चिन्तन के उस इतिहास पर भी दृष्टिपात करने की आवश्यकता है, जिसके कारण हर युग में धरती और उसमें रहने वाले धरती पुत्रों को देवासुर संग्राम की विभीषिका झेलनी पड़ती है।

पर्यावरण असंतुलन की समस्या केवल आज की समस्या नहीं बल्कि अंधविकासवादी राजतंत्र ने जब-जब रत्नगर्भा धरती का निर्ममता से दोहन करना चाहा तब-तब मानव सभ्यता को विनाश से बचाने के लिए पर्यावरणवादियों को धर्मयुद्ध लड़ना पड़ा है। 'स्कंदपुराण' में आई एक कथा के अनुसार वेणु के पुत्र पृथु ने प्रजा के बीच अपना

राजनैतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए पृथ्वी को खोद-पीट कर निर्ममता से लहुलुहान कर दिया। उसके उदर को चीरफाड़ कर बहुमूल्य रत्न और खनिज सम्पदा को अपने अधिकार में कर लिया। पृथ्वी के इस आर्थिक वैभव का उपभोग करने के लिए अनेक राजा उस पर अपना राजनैतिक दावा जतलाने लगे। पृथ्वी को ऐसा लगा जैसे किसी अबला स्त्री के साथ बल प्रयोग करके उसके सर्वस्व को छीन लिया गया हो। इस आमानवीय अत्याचार से संत्रस्त होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सृष्टि के संरक्षक ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई तथा जल में डूब कर आत्म विसर्जन की अनुमति मांगने लगी। एक सजग पर्यावरणवादी के रूप में कालिदास ने भी राजा पृथु द्वारा पृथ्वी दोहन की इस दु:खद घटना के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है। वस्तुत: उपनिवेशवाद की भावना से अंधविकासवादी तेवर जब राजतन्त्र में घुसने लगते हैं तो इस पर्यावरण विरोधी विचारधारा के तहत एक साथ कई लोगों का शोषण होने लगता है। सर्वप्रथम प्रकृति रूपा प्रजा का शोषण होता है, दूसरे प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी को दास भाव की यातना झेलनी पड़ती है और तीसरे प्रकृति के उदर से उत्पन्न प्राकृतिक संसाधनों के प्रति उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति का उदय होने लगता है। आधुनिक युग की ग्लोबल वार्मिंग की समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि भी प्रकृति के इसी उपभोक्तावादी सोच से जुड़ी है।

आज भारत सहित समूचे वैश्विक धरातल पर जल, जंगल और जमीन जैसे मूलभूत प्राकृतिक संसाधनों का इतनी निर्ममता से संदोहन किया जा रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक जलचक्र गड़बड़ा गया है। इससे कहीं जलाभाव के कारण सूखा पड़ता है तो कहीं अतिवृष्टि के कारण भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत के लगभग अस्सी प्रतिशत गांव कृषि एवं पेयजल के लिए आज भी भूमिगत जल पर ही निर्भर हैं परंतु बढ़ती आबादी तथा व्यावसायिक योजनाओं के कारण जल की मांग बढ़ती जा रही है तथा जलापूर्ति के स्रोत दिन-प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले इस जल संकट की समस्या का समाधान करने का कोई उपाय आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पास नहीं है क्योंकि इसी प्रौद्योगिकी ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग की परिस्थितियां उत्पन्न करके जल संकट की समस्या को गहराया है। ऐसी संकटकालीन परिस्थितियों में हजारों वर्ष प्राचीन भारतीय जलविज्ञान की संचेतना तथा वाटर हारवेस्टिंग तकनीकों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। जलविज्ञान की ये परम्परागत मान्यताएं प्राचीन होने के कारण आधुनिक संदर्भ में भले ही अप्रासंगिक लगती हों किंतु इस जलविज्ञान के उदर में प्रकृति संरक्षण का जो शाश्वत एवं वैज्ञानिक चिन्तन छिपा है उसे आज पर्यावरणानुकूल विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से आधुनिक और समयानुकूल बनाया जा सकता है। कूपों, वापियों, सरोवरों से संपोषित भारत का परंपरागत जलप्रबंधन ग्राम-स्वराज्य के विकेंद्रीकरण से संचालित जलप्रबंधन व्यवस्था है। मानसूनी वर्षा और विभिन्न नदियों को केंद्रीय जलभंडारण कूपों, वापियों, तालाबों आदि द्वारा संचालित वाटर हारवेस्टिंग तकनीकों के माध्यम से भूस्तरीय और भूगर्भीय दोनों प्रकार के जलस्तर को ऊपर उठाया जा सकता है।

जल प्रकृति की अमूल्य देन है। इस समूचे ब्रह्माण्ड में पृथ्वी ही एक ऐसा उपग्रह है जहां निरंतर रूप से जल की उपलब्धता के कारण मनुष्य तथा सभी प्रकार के जीव-जन्तु अपना जीवन धारण करते हैं। पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग तथा अन्धविकासवादी योजनाओं के दुष्परिणामों के कारण ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन का संकट गहराता जा रहा है। यह भी चिंता का विषय है कि भारत जैसे देश में जहां वृक्षों की पूजा होती है तथा जल संरक्षण की दृष्टि से जिनकी अहम भूमिका मानी जाती है, वहां आज केवल ग्यारह प्रतिशत वन क्षेत्र ही सुरक्षित रह गए हैं। जबकि यूरोप, अमेरिका, आदि विकसित देशों में आज भी तीन गुना और चार गुना ज्यादा वन क्षेत्र सुरक्षित हैं। यही कारण है कि वनों और वृक्षों के निर्ममतापूर्ण कटान से कहीं बाढ़ की स्थिति आ रही है तो कहीं सूखे का प्रकोप छाया हुआ है। भारत में जल के संकट का भी पर्यावरण वैज्ञानिक कारण वृक्षों और वनों की अंधाधुंध कटाई है। सूखा, बाढ़ और नदियों के गिरते जलस्तर से राहत पाने के लिए भारतीय जल विज्ञान की नीतियों पर चलते हुए कटे हुए वृक्षों और वनों को फिर से उगाना होगा। ये वृक्ष और जंगल भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठा सकते हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप को भी शान्त कर सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्य हो चुका है कि 50 से 500 मीटर का वन क्षेत्र 3 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में कमी लाता है। एक हैक्टेयर हरा-भरा जंगल 18 घन्टों में हमको 600 कि॰ग्रा॰ ऑक्सीजन देता है और 900 कि॰ग्रा॰ कार्बनडाई-ऑक्साइड को ग्रहण करके वातावरण के प्रदूषण को साफ करता है। 50 टन भार वाला एक वृक्ष वर्ष भर में एक टन ऑक्सीजन देता है। 50 वर्ष भी यदि यह वृक्ष जीवित रहा तो लाखों-करोड़ों रुपयों की ऑक्सीजन केवल एक वृक्ष से प्राप्त हो जाती है तथा भूमिगत जलस्तर को उठाने का जो कार्य वृक्ष गुप्त रूप से करता है उसका तो आकलन करना ही कठिन कार्य है।

विश्व पर्यावरण को नियंत्रित करने की दृष्टि से पर्वतराज हिमालय की प्रधान भूमिका को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' की विश्व पर्यावरण से संबंधित रिपोर्ट भी हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों के आधार पर ही बनाई गई है। आज प्राकृतिक संसाधनों का संदोहन करने वाली राज्य सरकारों ने अंधविकासवादी एवं पर्यावरण विरोधी शासन नीतियों को लागू करते हुए हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रित करने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है। अंधाधुंध वनों की कटाई, डायनामाइट विस्फोट से हिमालय की गिरि-कंदराओं की तोड़-फोड़ तथा

विशालकाय बांधों की पर्यावरण विरोधी योजनाओं से समूचे हिमालय पर्यावरण की पारिस्थिकी निरंतर रूप से बिगड़ती जा रही है तथा ग्लोबल वॉर्मिंग का राक्षस हिमालय के ग्लेशियरों को लील जाना चाहता है। इसलिए आज हिमालय के पर्यावरण की रक्षा को राजधर्म की चेतना से नहीं बल्कि राष्ट्रधर्म की अपेक्षा से प्रमुख वरीयता देने की आवश्यकता है। आज बिगड़ते हिमालय पर्यावरण को यदि बचाना है तो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2009 में 'गवर्नेंश फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इको सिस्टम-गाइडलाइन्स एण्ड बैस्ट प्रैक्टिसिज' की जो पर्यावरण संबंधी आचारसंहिता का प्रारूप तैयार किया है, उसे हिमालय क्षेत्र से जुड़े राज्यों को तुरन्त लागू करना चाहिए ताकि विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन कायम किया जा सके और केदारनाथ घाटी एवं कश्मीर हिमालय के जलप्रलय जैसी भयंकर प्राकृतिक आपदाओं से भी बचा जा सके।

प्रकृति क्या है? प्राकृतिक प्रकोप क्यों उभरते हैं? और उन प्राकृतिक प्रकोपों से मुक्ति का उपाय क्या हैं? ये कुछ ऐसे शाश्वत प्रश्न हैं, जिनका मानव अस्तित्व से गहरा संबंध है। 'दुर्गासप्तशती' नाम ग्रन्थ में इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतिक आपदाओं की दुर्गति से बचाने वाली 'दुर्गतिनाशिनी' -नवदुर्गा' की मातृभाव से उपासना करने का विधान आया है। 'दुर्गासप्तशती' का पर्यावरण वैज्ञानिक फलितार्थ यहीं है कि शुम्भ और निशुम्भ नामक खुंखार राक्षसों को महाशक्ति ने वध इसलिए किया क्योंकि ये असुर इंद्र की प्राकृतिक राज्य व्यवस्था ही अपने कब्जे में लेना चाहते थे। पर्यावरण विरोधी इन शक्तियों ने पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि प्राकृतिक तत्वों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। ऐसे संकटकाल में जब ब्रह्माण्ड की पूरी प्राकृतिक व्यवस्था आसुरी शक्तियों के हाथ में आने से असंतुलित होने लगी तो पर्यावरण की चिंता करने वाली देवशक्तियों ने हिमालय में जाकर विश्व पर्यावरण की रक्षा के लिए जगदंबा से प्रार्थना की-

'नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्म ताम्।।''
(दुर्गासप्तशती, 5.9)।

पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से पर्वतराज हिमालय की प्रधान भूमिका है। यह पर्वत मौसम नियंता होने के साथ-साथ विश्व पर्यावरण को नियंत्रित करने का भी केंद्रीय संस्थान है। हिमालय क्षेत्र के इसी राष्ट्रीय महत्व को उजागर करने के लिए ही देवी के नौ रूपों में हिमालय प्रकृति को 'शैलपुत्री' के रूप में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। विश्व सभ्यता के प्राचीनतम ग्रन्थ 'ऋग्वेद संहिता' के अनुसार भी हिमालय पर्वत महज एक मौसम तथा पर्यावरण का नियन्ता पर्वत मात्र नहीं बल्कि इसी पर्वत की गिरिकंदराओं में तपस्या करते हुए वैदिक ऋषि-मुनियों ने भारतीय संस्कृति के वैश्विक तथा सनातन मूल्यों की ज्ञानराशि प्रदान की। इसी हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, सरयु आदि नदियों के संगम तटों पर प्रकृति विज्ञान तथा उसके संरक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए-

'उपह्वरे गिरीणां संगथे च नदीनां, धिया विप्रो अजायत।।'
(ऋग्वेद, 8.6.28)।

उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र पर्यन्त अखण्ड 'भारतराष्ट्र' की जिस अवधारणा को पुराणों के युग में परिभाषित किया गया, उसकी पर्यावरण वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी यही थी कि समुद्र से हिमालय पर्यन्त मानसूनों की वार्षिक यात्रा के कारण हिमालय पर्वत तथा उसके तटवर्ती समुद्र विशेष रूप से महिमा मंडित हुए-

'यस्येमे हिमवन्तों महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः।।'
(ऋग्वेद, 10.121.4)।

भारत के प्राचीन पर्यावरण चिंतकों का मानना था कि प्रकृति माता के समान सभी प्राणियों को जन्म देती है और उनके पालन-पोषण की व्यवस्था भी करती है। इसलिए वह माता के समान वंदनीया है। परन्तु विडंबना यह है कि प्रकृति विरोधी कुपुत्र प्रकृति माता की गोद में बैठकर भी प्रकृति विध्वंश का उत्पात मचाते हैं, उसका उत्पीड़न और शोषण करते हैं तथा रत्नगर्भा वसुंधरा का पूरा दुग्ध एक बार में ही दोहन करके अन्य पृथ्वी पुत्रों को भूखा रखने की अर्थनीति का नियोजन करते हैं। यहीं से प्रारम्भ होता है देव-दानव युद्ध का महाताण्डव। भारत के पर्यावरण चिंतक प्रकृति की इस उपभोक्तावादी सोच का घोर विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि से प्रकृति को 'प्रकृतिः परमेश्वरी' के रूप में माता के समान पूज्य माना गया है। धरती को मां और स्वयं को उसका पुत्र मानने की वैदिक अवधारणा भारत के पर्यावरण विज्ञान का मूल विचार है। इसी पर्यावरण चेतना के फलस्वरूप भारत का पर्यावरणवादी गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सभी नदियों में भी मातृभाव के दर्शन करता है।

'भारतराष्ट्र' प्रकृतिनिष्ठ प्रकृति समाराधकों का एक प्राचीन राष्ट्र है। आज से आठ हजार वर्ष पहले ऋग्वेद में 'धर्म' की जो सनातन परिभाषा दी गई है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति और राष्ट्र यदि अपना भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास चाहता है तो उसे सर्वप्रथम ब्रह्माण्ड को संचालित करने वाले 'ऋत' एवं 'सत्य' नामक प्रकृति के नियमों तथा संसाधनों की रक्षा को अपना प्रधान 'धर्म' मानना होगा। वैदिक युग में ही भारत के प्राचीन पर्यावरणवादियों ने प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जान लिया था तथा पर्यावरण की सुरक्षा को मानवमात्र का मुख्य धर्म घोषित कर दिया-

'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन'
(ऋग्वेद, 10.90.16)

दरअसल, धरती को माता और द्युलोक को पिता मानने का पर्यावरणवादी विचार उसी धर्म का हो सकता है जो स्वरूप से

प्रकृतिमूलक हो। इसी प्रकृतिनिष्ठ भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उद्‌भव तथा विकास सिंधु, सरस्वती, सरयू आदि नदियों के तटों पर हुआ। ऋग्वेद में वायु-प्रदूषण को रोकने तथा शुद्‌ध वायु में जीवन धारण की क्षमता का विचार प्रकट हुआ है। ऋग्वेद के 'अरण्यानी' सूक्त में वृक्षों और वनस्पतियों के पर्यावरण वैज्ञानिक स्वरूप की विशेष व्याख्या की गई है। युनेस्को द्‌वारा वैदिक आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ 'ऋग्वेद' को विश्व धरोधर की सूची में शामिल किए जाने का मुख्य कारण भी यही है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी वर्तमान समस्या से निपटने का समाधान भी इसी ग्रंथ में संरक्षित है। ऋग्वेद में प्रतिपादित वैदिक धर्म ही विश्व का एकमात्र धर्म है, जिसका प्रवर्तक कोई पैगम्बर या धर्मगुरु नहीं बल्कि आधुनिक पर्यावरण का रूप धारण करने वाली प्रकृति की विविध शक्तियों से यह धर्म संचालित और नियंत्रित है। वस्तुत: अपने देश को तथा अपनी जन्मभूमि को मातृ-तुल्य मानने की अवधारणा का विकास ऋग्वेद के काल में ही हो चुका था। देश को मातृभूमि मानने की अवधारणा से देश के प्रति रागात्मक संबंध मजबूत होते हैं और एक ही धरती माता के उदर से उत्पन्न होने वाले (पृश्निमातर:) लोग आपसी भेदभावों को भुलाते हुए राष्ट्र-माता की संतान बनकर देश के विकास में जुट जाते हैं। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में 'पृथिवीमाता' का यह विचार दोहराया गया है –

'बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्' (ऋग्वेद, 1.164.33),
'द्यौर्व: पिता पृथिवी माता' (ऋग्वेद, 1.191.6)

अथर्ववेद के 'पृथिवीसूक्त' में वैदिक राष्ट्रवाद को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का मत है कि जब राष्ट्र में भयंकर अशान्ति हो तो उस समय अथर्ववेद के इस 'पृथिवीसूक्त' का पाठ करने से सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। कौषीतकी सूत्र के अनुसार देश अथवा राष्ट्र की समृद्‌धि के लिए अथर्ववेद के 'पृथिवीसूक्त' के पाठ का विशेष विधान बताया गया है। अथर्ववेद के अनुसार जिस देश में जो लोग रहते हैं उनके लिए वह देश मातृभूमि के तुल्य वन्दनीय है। जिस तरह माता के रक्तमांस से बच्चे का शरीर बनता है उसी तरह मातृभूमि में उत्पन्न होने वाले अनाज, पानी, हवा और वनस्पतियों से उन देशवासियों का पालन-पोषण होता है तथा उनमें पर्यावरण विज्ञान की राष्ट्रीय चेतना भी विकसित होती है। इसी कारण से अथर्ववेद में भूमि को माता तथा वहां के निवासी को उसका पुत्र बताया गया है –

'माता भूमि: पुत्रोहं पृथिव्या:' (अथर्ववेद, 12.1.12)

शुक्ल यजुर्वेद में प्रतिपादित राष्ट्र विषयक परिकल्पना में सर्वाधिक चिन्ता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति प्रकट की गई है, जिसमें कहा गया है कि हमारे राष्ट्र में समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार मेघों की वर्षा होती रहे। हमारा राष्ट्र फल, औषधि एवं अन्न से भरपूर होकर 'योगक्षेम' अर्थात् कुशल मंगल से सम्पन्न रहे –

'निकामे-निकामे न: पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नडओषधय:
पच्यन्तां योगक्षेमो न: कल्पताम् ।' (युजर्वेद, 22.22)

वर्तमान पर्यावरण संकट की चेतावनियों को देखते हुए भारतीय संस्कृति के पर्यावरण संरक्षण संबंधी वैदिक चिन्तन को आज पुन: ताजा करने की आवश्यकता है ताकि भारत ही नहीं समूचे विश्व के पर्यावरण की रक्षा की जा सके तथा धरती को ग्लोबल वार्मिंग की विभीषिका से बचाया जा सके। वेद हमें प्रकृति के साथ जीने तथा उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने की एक ऐसी पर्यावरण दृष्टि प्रदान करता है, जिसके अन्तर्गत स्वर्गलोक, अंतरिक्षलोक, पृथिवीलोक के पर्यावरण की शांति के साथ-साथ वनस्पति जगत्, देश जगत् आदि संपूर्ण ब्रह्माण्ड की पर्यावरण शान्ति का शुभ संकल्प सन्निहित है। वैदिक धर्म के अनुयायी आज भी इस विश्व पर्यावरण की शान्ति का पाठ प्रतिदिन करते हैं –

'द्यौ: शान्ति: अन्तरिक्ष ध्वंशान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्ति:,
ओषधय: शान्ति:। वनस्पतय: शान्ति: विश्वेदेवा: शान्ति:,
ब्रह्म शान्ति: सर्वं शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि।'
(यजुर्वेद, 36.17)

पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर,
संस्कृत विभाग, रामजस कालेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय
मो॰ : 9668592098, 8375879275

युवक और युवतियां अंग्रेजी और दुनिया की दूसरी भाषाएं खूब पढ़ें और जरूर पढ़ें। लेकिन उनसे मैं आशा करूंगा कि वे अपने ज्ञान का प्रसाद भारत को और संसार को उसी तरह प्रदान करेंगे, जैसे बोस, राय और स्वयं कवि रवीन्द्रनाथ ने प्रदान किया है। मगर मैं हरगिज यह नहीं चाहूंगा कि कोई भी हिन्दुस्तानी अपनी मातृभाषा को भूल जाए या उसकी उपेक्षा करे या उसे देखकर शरमाए अथवा यह महसूस करे कि अपनी मातृभाषा के जरिए वह ऊंचे-से-ऊंचा चिन्तन नहीं कर सकता है।

— महात्मा गांधी

पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती

–मीनू कुमार

पर्यावरण पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी जीव और निर्जीव के इर्द-गिर्द व्याप्त है। असल में जीवों के आसपास का परिवेश ही पर्यावरण है। पर्यावरण प्रदूषण पृथ्वी और वातावरण के भौतिक एवं जीववैज्ञानिक घटकों का इस हद तक संदूषित होना है कि सामान्य पर्यावरण प्रक्रियाएं बुरी तरह प्रभावित हो जाएं। असल में प्रदूषण पर्यावरण में संदूषकों का प्रवेश होना ही है, जिसके कारण मानव या अन्य जीवों को नुकसान या परेशानी होती है और वह पर्यावरण को भी हानि पहुंचाता है। संदूषण रासायनिक तत्वों या शोर, ऊष्मा या प्रकाश जैसी ऊर्जा के रूप में आ सकता है। पर्यावरण में जब यह संदूषक अपघटित होने की दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने लगते हैं तो ऐसी स्थिति को ही पर्यावरण प्रदूषित होना कहते हैं।

आसान शब्दों में कहा जाए तो पर्यावरण प्रदूषण उस समय होता है जब पर्यावरण नियत समय में मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न हानिकारक तत्वों (जैसे विषैली गैसों का उत्सर्जन) को शोधित या निष्क्रिय नहीं कर सकता। जब करीब पांच हजार वर्ष पहले मानव ने खाना पकाने के लिए आग का उपयोग करना सीखा तब से ही प्रदूषण शुरू हुआ। हालांकि पर्यावरण प्रदूषण प्राचीन समय से ही विद्यमान रहा है लेकिन 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के उदय के बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति तेल की खोज जैसी प्रौद्योगिकीय प्रगति लाई। इससे पूंजीवादी कारोबार पद्धति को बढ़ावा मिला, जिसमें उत्पादन लागत कम होती है, उत्पादन अधिक होता है और अधिक उपभोग किया जाता है तथा प्रदूषण भी अधिक होता है। लेकिन प्रौद्योगिकीय प्रगति के कारण ही हम पर्यावरण पर प्रदूषण के नकारात्मक असर को बेहतर ढंग से समझने में कामयाब रहे हैं। इन नकारात्मक प्रभावों को दूर करने को ही पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है।

हालांकि पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है लेकिन जैविक खेती को प्रोत्साहन देकर बहुत हद तक पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है।

जैविक खेती

साधारण शब्दों में कहें तो जैविक खेती ऐसी खेती है, जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बगैर की जाती है। जैविक खेती जीवित अवयव के तर्क पर चलती है, जिसमें सभी तत्व (मिट्टी, कृषि, पशु, कीट और किसान इत्यादि) एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़े रहते हैं। जैविक खाद्य उत्पादन खेती की ऐसी प्रणाली पर आधारित है जो कुदरती पारिस्थितिकी तंत्र का अनुकरण करती है। यह कीट एवं उपयोगी जीवों की आबादी को संतुलित रखती है तथा मृदा के उपजाऊपन को बरकरार रखती है और उसकी पुनः पूर्ति करती है।

जैविक खेती आमतौर पर मानकों से परिभाषित की जाती है, जिसमें इसके सिद्धांतों की व्याख्या होती है और यह भी जानकारी मिलती है कि कौन-सी विधियां और आदान जैविक खेती में वर्जित हैं। जैविक मानक न्यूनतम साझा आधार पर परिभाषित किए जाते हैं और ये इस बारे में कोई दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं कराते हैं कि आदर्श जैविक खेती प्रणाली किस तरह की दिखाई देनी चाहिए।

जैविक खेती ही क्यों?

'हरित क्रांति' की प्रारंभिक सफलता के बाद यह पुष्टि हो गयी कि इस तरह की खेती के प्राकृतिक संसाधनों (मिट्टी, पानी, जैव विविधता) और मानव स्वास्थ्य पर अनेक अनचाहे दुष्प्रभाव पड़ते हैं–

मिट्टी : बहुत-से क्षेत्र जो पहले कभी उपजाऊ थे, वे भू-क्षरण, लवणीकरण या मृदा के उपजाऊपन में ह्रास के कारण बेकार (अपक्षीय) हो गये।

पानी : स्वच्छ जल के संसाधन प्रदूषित हो गये अथवा कृषि रसायनों के बेहद इस्तेमाल और अत्यधिक सिंचाई के कारण उसका अत्यधिक दोहन किया गया।

जैव विविधता : अनेक जंगली और उगाए जाने वाले पादप तथा पशु प्रजातियां विलुप्त हो गई तथा प्राकृतिक दृश्य नीरस हो गए।

संसाधन : इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की खेती बाहरी आदानों के बेहद इस्तेमाल पर आधारित है तथा गैर-पुनर्नवीकरण योग्य संसाधनों से अत्यधिक ऊर्जा की खपत करती है।

ऋणग्रस्तता : सीमांत भूमि से कम उपज मिलने के कारण आदानों का अंधाधुंध इस्तेमाल बढ़ा और इससे छोटे और सीमांत किसान वित्तीय बोझ तले दबते गये।

जैविक खेती के फायदे

- मृदा संरक्षण एवं उपजाऊपन बरकरार रखना।
- जल का कम प्रदूषण (भूमिगत जल, नदियां, झीलें)।
- वन्य जीवों की सुरक्षा (चिड़ियां, मेंढक, कीट इत्यादि)।
- उच्च जैव विविधता, अधिक विविधतापूर्ण प्राकृतिक दृश्य।
- खेती-बाड़ी संबंधी पशुओं का बेहतर इंतजाम।
- गैर-पुनर्नवीकरण योग्य बाहरी आदानों और ऊर्जा का कम उपयोग।
- भोजन में कीटनाशकों के कम अवशिष्ट।

- पशु उत्पादों में कोई हार्मोन व एंटीबायोटिक्स नहीं।
- बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद (स्वाद, भंडारण विशेषताएं)।

बायो-डायनेमिक कृषि

बायो-डायनेमिक कृषि एक विशेष प्रकार की जैविक कृषि है। यह जैविक खेती के सभी सिद्धांतों और मानकों को पूरा करती है परंतु यह उससे भी एक कदम आगे है – बायो-डायनेमिक कृषि में खेती का आध्यात्मिक आयाम भी शामिल होता है। यह 'मानवविद्या' की परिकल्पना पर आधारित है, जो ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक रूडोल्फ स्टीनर ने 1920 में विकसित की थी। उसका उद्देश्य विज्ञान को नई दिशा देना था जिसमें प्राकृतिक चमत्कार और आध्यात्मिक आयाम का अवलोकन शामिल है। स्टीनर के शब्दों में ''आत्मा के बिना पदार्थ कभी नहीं और पदार्थ के बिना आत्मा कभी नहीं होती है।''

उत्पाद पर ''डिमीटर'' के लेबल के उपयोग से उपभोक्ता को यह आश्वासन मिलता है कि वह उत्पाद बायो डायनेमिक विधि से तैयार किया गया है।

जैविक खेती और पारंपरिक खेती

पारंपरिक खेती में किसी विशेष फसल की अधिकतम उपज लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह इस साधारण सोच पर आधारित होती है कि पौष्टिक तत्वों का उपयोग बढ़ाकर तथा कीट, रोग और खरपतवार घटाकर फसल की उपज बढ़ती है। जैविक खेती कृषि का साकल्यवादी रास्ता है। उच्च गुणवत्ता के माल के उत्पादन के अलावा प्राकृतिक संसाधनों, उपजाऊ मिट्टी, स्वच्छ पानी और संपन्न जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

पारंपरिक किसान वाणिज्यिक नजरिया अपनाते हैं और उनका उद्देश्य बाहरी आदानों के प्रयोग के जरिए उत्पादकता को अधिक-से-अधिक बढ़ाना होता है, जबकि जैविक किसान उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुदरत के सिद्धांतों का पालन करते हैं।

जैविक किसान

जैविक किसान फसल चक्रण के माध्यम से फसल के पौष्टिक तत्वों की व्यवस्था करते हैं, जिसमें संरक्षण फसलें शामिल हैं। इसमें कंपोस्ट के रूप में आमतौर पर पादप और पशु के जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। निराई-गुड़ाई और जुताई के समुचित तरीकों से मृदा संरचना, जैविक पदार्थ और मृदा के सूक्ष्म जैविक जीवन में सुधार होता है। खदानों के खनिज पदार्थ और कुछ सिंथेटिक तत्वों के इस्तेमाल की अनुमति होती है क्योंकि ये पौष्टिक तत्वों के अनुपूरक स्रोत हैं लेकिन यह सावधानी बरती जाती है कि मृदा, फसल और पानी दूषित न हो।

जैविक खेतों में कीट, नाशी कीट प्रबंधन

जैविक खेती प्रणाली फसल चक्रण, विविधिकरण, पर्यावास प्रबंधन, लाभदायक जीव जारी करने, सफाई और काल संयोजन जैसी जैविक और सांस्कृतिक तरीकों के उपयोग के जरिए कीट, नाशी कीट के नुकसान से फसल की सुरक्षा करती है। अमरीकी कृषि विभाग-यूएसडीए के राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम मानकों में जैविक और साबुन जैसे अपेक्षाकृत कुछ कम गैर-विषैले सिंथेटिक कीटनाशकों जैसे कुछ प्राकृतिक तत्वों की अनुमति दी गई है लेकिन कृषि योजना और राष्ट्रीय सूची में पाबंदियों के अनुरूप ही इनके प्रयोग की अनुमति है।

जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन

जैविक खेतों में सांस्कृतिक और यांत्रिक तकनीक से खरपतवार का प्रबंधन किया जाता है। फसल चक्रण से खरपतवार नष्ट होते हैं। मल्चिंग (पलवार से ढकना), निराई-गुड़ाई, जुताई, जल प्रबंधन और हाथ से खरपतवार उखाड़ना जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन की प्रमुख विधियां हैं। खरपतवार प्रायः मृदा संरक्षण, जैविक पदार्थ बढ़ाने और जैविक खेतों में प्राकृतिक शत्रुओं के लिए लाभदायक पर्यावास उपलब्ध कराने में मदद करते हैं।

जैविक खेती में फसल रोगों का प्रबंधन

जैविक पदार्थ में सुधार और जैविक गतिविधि से मृदा में पाए जाने वाले रोगों का प्रबंधन किया जाता है। फसल चक्रण, सफाई, काट-छांट तथा रोग रोधी किस्मों के चयन जैसी सांस्कृतिक, जैविक और भौतिक विधियाँ जैविक रोग प्रबंधन का अंग हैं। कृषि योजना और पाबंदियों के अनुसार उपयोग करने पर मानकों के तहत चिकनी मिट्टी जैसे प्राकृतिक तत्वों और कॉपर आधारित उत्पादों जैसे कुछ सिंथेटिक फफूंदनाशकों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।

जैविक पशुधन की पौष्टिक जरूरतें

सीमित मात्रा में अनुपूरकों और गतिविधियों के साथ चारे में सभी कृषि उत्पाद जैविक होने चाहिए। जुगाली करने वाले पशुओं के चारे की ज्यादातर जरूरत चरागाह से पूरी करनी चाहिए।

जैविक पशुधन की जीवन दशा

सभी जैविक पशुओं को बाहर घुमाने की जरूरत होती है उनको स्वस्थ जीवन दशा उपलब्ध करानी चाहिए। जुगाली करने वाले पशुओं को भी चरागाहों में घुमाने की जरूरत होती है।

प्रमाणित जैविक उत्पाद

'प्रमाणित जैविक उत्पाद' वे उत्पाद हैं जिनका उत्पादन, भण्डारण, प्रसंस्करण, रखरखाव और विपणन सुनिश्चित मानकों के अनुरूप किया जाता है तथा प्रमाणन निकाय उनको 'जैविक' उत्पाद के रूप में प्रमाणित करता है। जैसे ही कोई प्रमाणन निकाय जैविक मानकों के अनुरूप उत्पाद को प्रमाणित करता है वैसे ही उस उत्पाद पर 'जैविक' उत्पाद का लेबल लग जाता है।

जैविक मानक

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती को विभिन्न मानकों से नियंत्रित किया जाता है। यूरोपीय संघ में जैविक उत्पादन के लिए

EU 2092/91 विनियम, संयुक्त राज्य अमरीका में USDA NOP. जापानी बाजारों के लिए JAS और भारत के लिए NSOP मानक लागू हैं।

जैविक प्रमाणन के योग्य होने के लिए भूमि में लगातार तीन वर्ष तक फसल में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक-एक खेत को भी जैविक के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। हालांकि प्रमाणित होने के लिए खेत को विशिष्ट, परिभाषित सीमाओं और आसपास के खेतों से उड़कर तथा गैर-इरादतन दूषण से सुरक्षा के लिए बफर जोन में होना चाहिए। फार्म में जैविक और गैर-जैविक उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज के रिकॉर्ड की सुविधा की भी जरूरत होती है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जैविक खेती भले ही देखने में पर्यावरण संरक्षण का एकपक्ष नजर आए लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। जैविक खेती वायु, जल और जमीन के पर्यावरण को नुकसान से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज जिस तरह समूचे भारत में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि और फसलों की तबाही की घटनाएं बढ़ी हैं उससे जलवायु परिवर्तन से निपटना और पर्यावरण संरक्षण को महत्व देना और भी प्रासंगिक हो गया है। मार्च और अप्रैल जैसे गर्मी के महीनों में भारी रिकार्ड बारिश और पहाड़ों पर हिमपात की बढ़ती घटनाएं आने वाले बुरे दौर की ओर संकेत कर रही हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन देकर उस बुरे दौर को टालने और उससे निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत की जा सकती है।

बी-5/60 प्रथम तल
अनुपम एन्क्लेव, फेज-1
इग्नू रोड, नई दिल्ली-30

पिनकोड-पत्र का 'संवाहक'

पिन कोड क्या है?

पिन कोड पोस्टल इन्डेक्स नम्बर (पिन) कोड का संक्षिप्त नाम है। यह छह अंकों का विशिष्ट कोड है जो भारत में डाक वितरण करने वाले सभी डाकघरों को आवंटित किया जाता है। चूंकि एक कोड केवल एक ही डाकघर से संबंधित होता है इसलिए उस कोड का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि पत्र तेजी से ठीक डाकघर में पहुंच जाए।

यह कैसे कार्य करता है?

पिन कोड प्रणाली लागू करने के लिए पूरे देश को आठ पिन क्षेत्रों में बांटा गया है। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक क्षेत्र की पहचान संख्या और उसकी सीमा को दर्शाया गया है—

संख्या	क्षेत्र	इसके अंतर्गत आने वाले राज्य
1.	उत्तरी	दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर
2.	उत्तरी	उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड
3.	पश्चिमी	राजस्थान और गुजरात
4.	पश्चिमी	छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
5.	दक्षिणी	आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक
6.	दक्षिणी	केरल एवं तमिलनाडु
7.	पूर्वी	वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वोत्तर
8.	पूर्वी	बिहार और झारखण्ड

जैसा कि प्रारंभ में उल्लेख किया गया है कि पिन कोड छह अंकों की एक संख्या है। पहला अंक इन क्षेत्रों में से एक को दर्शाता है। दूसरा एवं तीसरा अंक मिलकर उस जिले को दर्शाते हैं जहां वितरण करने वाला डाकघर स्थित है। अगले तीन अंक उस विशेष डाकघर को दर्शाते हैं जहां पत्र का वितरण होना है। संक्षेप में पहले तीन अंक मिलकर उस छंटाई करने वाले या राजस्व जिले को दर्शाते हैं जहां पत्र को मूलतया भेजा जाना है। अंतिम तीन अंक उस वास्तविक डाकघर से संबंध रखते हैं जहां उस पत्र को अंततः वितरित किया जाना है। उदाहरण के लिए अगर कोई कोझिकोड, केरल के एक शहर में रहता है तो उस क्षेत्र के डाकघर का पिन कोड 673006 है। इसमें पहला अंक 6 यह दर्शाता है कि पत्र छठे पिन क्षेत्र-तमिलनाडु, पांडिचेरी एवं केरल के लिए है। 7 और 3 (कोड का दूसरा एवं तीसरा अंक) अंक यह दर्शाएंगे कि पत्र का गंतव्य स्थान ठीक-ठीक कोझिकोड (पूर्वनाम कालीकट) में है। अंतिम तीन अंक 006 यह सुनिश्चित करेंगे कि पत्र कोझिकोड में 006 नम्बर की छोटी बस्ती में स्थित विलाकुलम, में जाना है। अगर किसी पत्र पर पर्याप्त डाक टिकट लगे हों और उस पर पिन कोड ठीक तरह लिखा गया हो तो वह गंतव्य स्थान पहुंच जायेगा चाहे वह अलास्का हो या साइबेरिया से ही क्यों नहीं भेजा गया हो।

हम एक उदाहरण और लेते हैं। पत्र सूचना कार्यालय के लिए मदुरै में पिन कोड 625020 हैं यहां अंक 6 पिन क्षेत्र-तमिलनाडु, पांडिचेरी एवं केरल को दर्शाता है। अगले दो अंक 25 मदुरै जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि अंतिम दो अंक 20 मिलकर गांधीनगर डाकघर को दर्शाते हैं, जो पत्र सूचना कार्यालय, मदुरै को डाक वितरण करने वाला डाकघर है।

यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि मदुैरे, तमिलनाडु में गांधीनगर डाकघर को दी गई संख्या विशिष्ट है। भारत के किसी भी अन्य डाकघर के लिए यह संख्या नहीं हो सकती है। पिन कोड डॉयरेक्ट्री की जांच करने पर यह पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर मथुरा में वितरण डाकघर का बिल्कुल अलग पिन कोड-281001 है क्योंकि दोनों मंदिरों के शहरों के नामों में भ्रांति होने की संभावना रहती है। मथुरा के पिनकोड में 2 अंक पिन क्षेत्र के लिए है जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। 81 अंक मथुरा को दर्शाते है जबकि 001 मथुरा मुख्य डाकघर के लिए हैं।

साभार-पत्र सूचना कार्यालय

राजभाषा कार्यान्वयन में प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग–कितना कारगर

मंजुला वाधवा

भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के साथ ही राजभाषा अधिनियम, नियम बनाए गए, जिनके अंतर्गत पूरे देश में क्रमबद्ध रूप से हिंदी को सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, बैंकों, उपक्रमों आदि में लागू करने के उद्देश्य से हिन्दी पदों का सृजन किया गया है। वैसे तो प्रत्येक सरकारी/अर्द्ध–सरकारी संस्था का यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह भारत सरकार की इस नीति को लागू करने के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाए कि आजादी के 67 साल बीत जाने के बाद भी मानसिक गुलामी की जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, वे टूट पाएं, उनकी मानसिक चेतना, उनकी सोच, समझ एवं दृष्टिकोण को सकारात्मक आयाम प्राप्त हो कि वे हिंदी में बोलें, हिंदी में लिखें, राजकाज ही नहीं व्यक्तिगत कार्य भी हिंदी में करें। सच तो यह है कि संस्थागत प्रयास मात्र पृष्ठभूमि या 'केटेलिटिक एजेंट' की भूमिका के रूप में ही हो सकते हैं क्योंकि हर कार्मिक को स्वयं अपना 'कोलम्बस' बनना होता है तथा अपने आपको या अपने में बने 'नदी के द्वीप' को तलाश करना होगा। याद आ रही है मुझे एक पंक्ति:— मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमां नहीं है।

त्वरित गति से बदलते आजकल के आर्थिक और वैश्विक परिदृश्य में तुरंत निर्णय लेने और संस्थान को सफलता की सीढ़िया पर चढ़ाने के लिए उपयुक्त नेतृत्व का होना नितांत आवश्यक है। नेतृत्व से अभिप्राय है—दूसरों पर ऐसा प्रभाव डालना जो किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए वांछित हो यानी नेतृत्व प्रबंधन से बृहत्तर अभिव्यक्ति है। प्रबंधक संस्थान को प्रभावी तरीके से चला सकते हैं किंतु केवल नेतृत्वकर्ता ही संस्थान को बना सकते हैं। नेतृत्व से आशय केवल कार्यालय प्रभारी या ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों से नहीं है बल्कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अपने प्राधिकार/सीमा में संगठन का नेतृत्व करता है। फिर राजभाषा अधिकारी तो प्रत्येक संस्थान का वह व्यक्ति है, जिसमें उतनी नेतृत्व क्षमता होनी ही चाहिए जिससे वह अन्य स्टाफ सदस्यों, जिन्हें वर्षों से अंग्रेजी में दफ्तरी काम करने की आदत बनी हुई है, या जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से पढ़ाई करके भर्ती हुए हैं, से प्रसन्नतापूर्वक वांछित कार्य हिंदी में स्वेच्छा से करा सके। यानी असली नेतृत्व के गुण उसी राजभाषा अधिकारी या कर्मचारी में हैं जो स्टाफ सदस्यों को कार्य–निष्पादन में आवश्यक प्रोत्साहन देता है न कि हांकता है।

कुछ विद्वानों का विचार है कि किसी व्यक्ति में नेतृत्व संबंधी गुण जन्म–जात होते हैं परन्तु आधुनिक प्रबंध तकनीकों से यह सिद्ध हो चुका है कि नेतृत्व गुणों का विकास किया जा सकता है।

आधुनिक प्रबंध तकनीक में नेतृत्व गुणों को तीन भागों में बांटा गया है:—

शारीरिक गुण:—चूंकि एक सफल राजभाषा अधिकारी को अपने संपर्क में आने वाले सभी वर्गों के स्टाफ सदस्यों को प्रभावित करना होता है इसलिए यह जरूरी है कि वह चिड़चिड़े स्वभाव का न हो, उत्तरदायित्वों से बचने की कोशिश न करे, स्फूर्ति और सहनशीलता से निर्णय ले। यदि हिंदी अधिकारी कठिनाइयों के समय अपना धैर्य बनाकर स्थितियों पर नियंत्रण कर लेता है तो वह सही मायने में सफल नेतृत्वकर्ता है।

बौद्धिक गुण:—यदि राजभाषा अधिकारी विवाद आ जाने की स्थिति में शीघ्र, उपयुक्त व स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता रखता है तभी अपना नेतृत्व वह कायम रख सकता है अन्यथा खो देगा। बेहद जरूरी है कि हम अपनी मानिसक क्षमता और व्यापक सोच विकसित करें तभी हम द्वेष रहित, स्वतंत्र विचारधारा से परिपूर्ण सभी को स्वीकार्य निर्णय ले सकेंगे। इसके अलावा, सोने पर सुहागा होगा अगर हम में गुण–ग्राहकता भी हो यानी नए ज्ञान तथा विचारों को ग्रहण करने और प्रयोग लाने के लिए हम हरदम तत्पर रहें, समस्याओं के प्रति हमारा नजरिया वैज्ञानिक हो ताकि तथ्यों को क्रमबद्ध करके सही निर्णय हम यथाशीघ्र ले सकें।

मनावैज्ञानिक गुण:—

1. **व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति**—यह वह शक्ति होती है जो स्वत: अन्य व्यक्तियों के आदर व विश्वास को आकर्षित करती है। यह गुण चरित्र का वह भाग है जो कुछ तो जन्मजात जैसे स्वभाव, भावनाएं आदि होता है और कुछ शिष्टाचार, आचरण आदि से प्राप्त किया जा सकता है।
2. **सहकारिता:** नेतृत्वकर्ता राजभाषा अधिकारी वहीं है, जिसमें अधिक–से–अधिक लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता हो तभी वह अनुयायियों को संतुलन में रख पाएगा तथा उनकी संख्या में वृद्धि कर पाएगा। उसमें परिस्थितियों

के अनुसार समझौता करने, समायोजन करने तथा अनुकूलित होने की क्षमता होनी चाहिए।

3. **चातुर्य:** चातुर्य एक ऐसी चैतन्यशील मानसिक सत्ता है, जो इस विषय में सावधान करती है कि दूसरों से व्यवहार करते समय किस प्रकार तीक्ष्ण बुद्धि का तात्कालिक प्रयोग करते हुए स्थिति को अपने पक्ष में या अनुकूल बना लिया जाए। कुछ लोग इसका अर्थ धोखा, असत्यता और विश्वासघात से लगाते हैं जो सर्वथा गलत है। नेतृत्वकर्ता को अनिवार्य रूप से इस गुण का उपयोग करना चाहिए किंतु यह वज्र के समान है, इसका प्रयोग सावधानी के साथ करना चाहिए। सार यह है कि जिन्हें अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन का जिम्मा सौंपा गया है, वे अपने-अपने संस्थान के विशालकाय जहाज के चालक के समान हैं। उनके गलत निर्णय उनके कार्यालय की छवि को धूमिल कर सकते हैं तथा सही निर्णय सफलतापूर्वक मंजिल तक पहुँचा सकते हैं।

4. **उत्साह, साहस और लगन:** राजभाषा के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, कभी आपका मन इस बात पर आहत हो सकता है कि अमुक स्टाफ सदस्य हिंदी प्रतियोगिताओं में तो बढ़चढ़ कर भाग लेते हैं, इनाम जीतते हैं किंतु अपने डेस्क का कार्य हिंदी में बार-बार कहने पर भी नहीं करते। कभी आप खिन्न हो सकते हैं कि सारे जांच-बिंदुओं का पालन करने के बावजूद कार्यालय आदेश केवल अंग्रेजी में जारी कर दिया गया। कार्यालय के कुछ सदस्य नए-नए सुझाव देकर आपको आंकड़ों में फेर-बदल करने के लिए उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, किंतु हमें सर्वदा यह याद रखना होगा कि हमारा रास्ता कंटकाकीर्ण है परन्तु हमें इन कांटों पर चलते हुए अपना उत्साह, साहस और लगन बरकरार रखना होगा, न स्वयं में और न ही अपने सहकर्मियों, अधीनस्थों में निराशा का भाव आने दें।

सुनने की कला

अगर वाकई हम अपनी भूमिका सफल तरीके से निभाना चाहते हैं तो एक और बहुत अहम कला सीखनी होगी - कान देने और ध्यानपूर्वक सुनने में अंतर जानना और फिर ध्यानपूर्वक सुनने की कला विकसित करना। चूंकि राजभाषा अधिकारियों का वास्ता कार्यालय के हर वर्ग के स्टाफ सदस्यों के साथ पड़ता है और सभी के सहयोग के बिना उसका कार्य निष्पादन संभव नहीं सो सिर्फ अपनी बात को ही अंतिम सत्य न मानकर दूसरों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, आलोचना को स्वस्थ तरीके से स्वीकार कर बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास करने उसके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं और जरूरी तो नहीं कि ईश्वर ने यह कला भी हर इंसान को बराबर बक्शी हो। हां सीखने और निरंतर विकसित करने के लिए एक ईमानदार कोशिश तो की ही जा सकती है।

कायिक भाषा

इरविंग गॉफमैन ने कहा था, एक चुप खड़ा व्यक्ति, बिना एक भी लफ्ज बोले, अपनी कायिक भाषा के सहारे संप्रेषण कर सकता है। जॉन गुंटर ने फ्रेंकलिन रुजावेल्ट के बारे में बताते हुए कहा, 20 मिनट के अंदर ही रुजावेल्ट जी के फीचर्स से हैरानी, जिज्ञासा, डर, रुचि, चिंता, सहानुभूति, निर्णय, मजाक सभी कुछ जाहिर हो गया और तुर्रा यह कि उन्होंने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। क्या सिर्फ राष्ट्रपति ही बॉडी लेंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जी नहीं, हम सभी करते हैं - जब हम किसी से बात करते हुए ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं, तो क्या सहज ही जाहिर नहीं हो जाता कि हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं और जब नापसंद करते हैं, तो उसकी तरफ देखना तो दूर, उसके पास भी जाने से भी बचने लगते हैं, इसी तरह, बॉस से बात करते हुए जब कुछ लोग बार-बार पलके झपकाते हैं, कुर्सी की पीठ पर दोनों हाथ रखकर जवाब देते हैं तो उसकी बॉडी लेंग्वेज पल ही में उनकी आत्मविश्वास की कमी को झलका देती है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, बॉस राउन्ड पर अचानक आ जाएं तो तुरंत कमर सतर करके जल्दी-जल्दी कुछ लिखने लगते हैं और बीच-बीच में नीम-खुली निगाहों से यह भी देखते हैं कि बॉस खड़ें हैं या चले गए यानी बॉडी लेंग्वेज में यह सब आ जाता है - भंगिमा, आपकी कद-काठी, परिधान, हाथों की मुद्राएं, चेहरे के भाव, आपकी छुअन, बोलने का अंदाज वगैराह।

बेहतर होगा कि हम जरा ध्यान से एक मिनट के लिए आत्म निरीक्षण करें - रोजमर्रा के व्यवहार में हम कार्यालय में क्या-क्या करते हैं, हमें अपनी कमियाँ खुद-ब-खुद ही पता चल जाएंगी। पर देखना यह है कि आदर्श कायिक भाषा कैसी हो - जब आप बॉस से मिलने जाएं तो आत्म-विश्वास से भरपूर चेहरा होना चाहिए, शिष्टतापूर्ण मुस्कुराहट के साथ - साल की आखिरी तिमाही है, क्लोजिंग का दबाव है, और आप 'हिंदी कार्यशाला आयोजित करने का प्रस्ताव लेकर गए हैं ऐसे में अक्सर यही प्रतिक्रिया मिलती है - भई, मार्च खत्म होने दो, अभी तो संभव ही नहीं है, जवाब से हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे में आपको अपना तुरप का पत्ता छोड़ना ही होगा यानी क्लोजिंग के काम में मदद करने के लिए खुद ही न केवल चिंता व्यक्त करें बल्कि मदद का हाथ भी बढ़ा दें, कोरा आश्वासन नहीं बल्कि पुरजोर आग्रह 'मैं भी क्लोजिंग के काम में मदद करना चाहता हूँ', काम का दबाव तो आप पर बढ़ जाएगा किंतु आपने अपने उच्चाधिकारी के मन में हमेशा के लिए जगह बना ली और फिर कोई

कारण नहीं कि आपके द्वारा रखा गया कार्यशाला का प्रस्ताव अनुमोदित न हो।

हाँ कहलवाने की कला

कुछ हिंदी अधिकारी आपको अक्सर कहते मिलेंगे - दिन भर मीटिंगें होगी पर हिंदी के विकास का कोई प्रस्ताव आते ही बॉस बिदक उठते हैं - यकीनन, शिकायत सच्ची है, नतीजन झुंझलाहट लाजिमी परंतु राजभाषा सेवा में आने के साथ ही क्या हमें अच्छी तरह यह कटु सत्य पता नहीं होता कि ऐसी बाधाएं तो झेलनी ही होंगी, पर वह इंसान ही क्या जो चुनौतियों से घबरा जाए। जरूरत तो इस बात की है कि कुछ तरीके अपनाए जाएं कि आपका काम भी निकल जाए और सामने वाला नाराज भी न हो। आइए, गौर करते हैं उन बातों पर:-

क. **योजनाबद्ध तरीके से काम करिए**–कहते हैं मुद्दे पर सोचने और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने में लगाया गया समय ही समय का सदुपयोग है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप असफल होने की तैयारी में लगे हैं। बॉस या सहकर्मियों को पॉजिटिव, मददगार होना चाहिए यानी 'शुड' के बारे में सोचने की बजाए ऐसे तरीके सोचने में समय लगाना होगा, जिनसे उन्हें सकारात्मक, मददगार बनाया जा सके और यह अलग-अलग परिस्थितियों में अलग होंगे सही समय पर तीर किस दिशा में चलाना है लक्ष्य को बेधने के लिए - अगर इस पर पहले से आपने विचार कर लिया तो लक्ष्य सध ही जाएगा।

ख. **लक्ष्य निर्धारित करें:** किसी भी सृजनशील प्राणी के जीवन को दिशा देते हैं उसके तय किए हुए लक्ष्य। टेक्सास शहर के हंट ब्रदर्स से जब उनके इतने धनी होने का राज पूछा गया तो वह बोले' सबसे पहले आपको तय करना होगा कि आप वास्तव में जीवन में चाहते क्या हैं और फिर उसके अनुसार ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे जो विशिष्ट, यथार्थपरक, गणना-योग्य और पूरे किए जा सकने वाले हों'। आपका लक्ष्य है पिछले साल के मुकाबले कार्यालय में 25 फीसदी हिंदी पत्राचार बढ़ाना पर आपने कोई जांच बिंदु नहीं बनाए, बनाए तो उनपर निगरानी नहीं रखी, ऐसे डेस्कों का पता ही नहीं लगया जहां हिंदी पत्राचार बढ़ाने की पूरी गुंजाइश है, उस डीलिंग स्टाफ से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने, प्रेरित करने की कोई कोशिश नहीं की तो आपकी सोच या तो सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित हो कर रह जाएगी या कागजों में बन्द होकर ही दम तोड़ देगी।

ग. **प्राथमिकताएं तय करें:** इतालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेटो का 80-20 वाला सिद्धांत सर्वदा दिमाग में रखना होगा। उन्होंने कहा था - 80 प्रतिशत अच्छे परिणाम 20 प्रतिशत प्रयत्नों से ही आते हैं। अब अक्लमंदी तो इसी में होगी न कि उस 20 प्रतिशत की पहचान की जाए। पहचान हो जाए तो पूरी तवज्जो उन मदों को दीजिए, जिनसे सबसे ज्यादा अच्छे नतीजे मिलने की संभावना हो। प्रधान कार्यालय के आदेश हैं कि साल भर कार्यशालाएं की जाएं, हर तिमाही में कभी मूल, कभी प्रयोजनमूलक तो कभी कम्प्यूटर पर हिंदी प्रशिक्षण की कार्यशालाएं। आपके कार्यालय में ज्यादातर स्टाफ ऐसा है जिन्हें कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना नहीं आता तो ऐसे में आपकी प्राथमिकता और पूरा ध्यान क्या केवल कंप्यूटर प्रशिक्षण पर नहीं होना चाहिए। काम सारा कंप्यूटर पर होना है, अगर हिंदी साफ्टवेयर चलाना ही नहीं आता होगा तो भले ही आप मूल कार्यशाला चलाएं या प्रयोजनमूलक, उसका लाभ तो तुरंत मिलने वाला है नहीं।

घ. **लचीला दृष्टिकोण अपनाएं:** हिंदी में बिल्कुल रुचि न रखने वाले, प्रधान कार्यालयों या भारत सरकार के लक्ष्यों की परवाह न करने वाले यानी पूरी तरह नकारात्मक नजरिए वाले बॉस से काम निकलवाना है तो अपने में पहले से ज्यादा लोच पैदा करनी होगी। भले ही निर्धारित मानदंड कहते हों - 2 दिवसीय कार्यशाला, इतने घण्टे, इतने स्टाफ सदस्य - भूल जाइए, वह करिए जिसके लिए बिना वैर-विरोध के, बिना बॉस को नाराज किए आप कर पाएं, भले ही 3 दिन 2-2 घण्टे ही मिलें, अमली जामा पहना ही दीजिए - कुछ भी न होने से तो कुछ होना बेहतर है। अब देखिए, हमारे प्रधान कार्यालय ने साल भर लगातार हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित करने का नियम वार्षिक कार्यक्रम में भेजा हुआ है परन्तु हमारे वर्तमान प्रभारी अधिकारी का नजरिया विपरीत है तो क्या हुआ हम उनके कहे अनुसार प्रतियोगिताएं सिर्फ सितम्बर यानी हिंदी माह में करते हैं और साल भर कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यशालाएं करते हैं यानी प्रधान कार्यालय का तय किया लक्ष्य भी पूरा हो गया और हम बॉस के अनुकूल भी चले।

ङ **अपने बॉडी क्लॉक के अनुसार चलें:** दिन के जिस हिस्से में आप सबसे ज्यादा चुस्त-दुरूस्त रहते हों, उसी समय सर्वोच्च प्राथमिकता वाला काम कर डालिए-ऐसे में गलती कम होगी और परिणाम सकारात्मक मिलेंगे।

च. **सम्पूर्णत: सही बनने से बचें:** जानते हैं मलेशिया की संस्कृति में केवल देवताओं को परफैक्ट समझा जाता है। किसी भी चीज का निर्णय किया जाए उसमें कोई कमी छोड़ दी जाती है ताकि देवता नाराज न हो जाएं। प्रेस विज्ञप्ति 4 बजे आपके पास आती है, आधे घण्टे में उसका हिंदी रूपांतर

कंप्यूटर टंकित चाहिए, आपके उच्चाधिकारी को आप अनुवाद करते हैं, काटते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर सुधारते हैं यानी आपने डेढ़ घण्टा लगा दिया, उस दिन प्रेस विज्ञप्ति नहीं जा पाई और आपको खानी पड़ी डांट–ऐसा सही कार्य किस काम का। किसी शब्द की निकटतम हिंदी अभिव्यक्ति नहीं मिल रही–मान लीजिए शब्द है 'सब्सिडी'– ऐसे में बेहतर होगा आप देवनागरी में 'सब्सिडी' ही लिख दें।

'ना' **कहना भी सीखिए:** एक छोटा–सा एक अक्षर का शब्द 'ना' अगर जरूरत पड़ने पर आप कहना सीख जाएं तो अपने बड़े और दूरगामी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बहुत–से स्टाफ सदस्यों को कार्यसाधक ज्ञान दिलाने के लिए प्रशिक्षण करवाना है, कुछ आशुलिपिकों और टंककों को भी हिंदी टंकण या आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलवाना है, यहां तक कि धारा 3–3 का अनुपालन भी नहीं हो पा रहा, नियम 5 का पालन भी नहीं हो पा रहा यानी हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जा रहें है, ऐसे में अगर आप 2–2 पंक्तियों का अनुवाद करने में सारा समय लगे रहते हैं तो इस पर आपको तुरंत रोक लगानी होगी।

ज. **अपने आप को भी सराहें:** प्रधान कार्यालय की राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में आपने कार्यालय में उत्कृष्ठ कार्यान्वयन के लिए तृतीय पुरस्कार जीता है उपलब्धि छोटी ही सही, प्रशंसा के काबिल तो है ही, एक विदेशी विद्वान कूपर ने कहा था If we learn to balance excellence in work with excellence in play, fun and relaxation, our lives become happier, healthier and a great deal more creative.

सी–8 नाबार्ड आफिसर क्वाटर
8 सेनोटाफ रोड, टैयनामपेट, चैन्नई–600018
मो– 944364816

संक्षिप्त नेमी टिप्पणी

After adequate consideration	—	समुचित विचार के बाद
Forwarded for your opinion	—	आपकी राय जानने के लिए प्रेषित
Seen, Thanks	—	देख लिया, धन्यवाद
Early orders are solicited	—	शीघ्र आदेश देने का अनुग्रह करें
Keep pending	—	लंबित रखा जाए
In personal capacity	—	वैयक्तिक हैसियत से
Fix a date for the meeting	—	बैठक के लिए तारीख नियत करें
Please get it repaired soon	—	कृपया इसे शीघ्र ठीक करवा दें
For favour of necessry action	—	आवश्यक कार्रवाई के लिए
Required to be rectified	—	परिशोधन अपेक्षित है
Please verify	—	कृपया सत्यापन करें
To the best of knowledge and belief	—	जहां तक जानकारी और विश्वास है
For comments	—	टिप्पणी के लिए
Early action in this matter is rquested	—	अनुरोध है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करें

ऑनलाइन गोपनीयता

— क्षेत्रपाल शर्मा

इतने मनलुभावन आफर और होक्स कॉल आते हैं कि एक बार यदि आप उनके झांसे में आए, तो बहुत बड़ी रकम से हाथ धोना पड़ सकता है या किसी अन्य समस्या में उलझ सकते हैं। कंप्यूटर पर खरीदारी, भुगतान अब आम बात हो गई है। यदि यह स्टेन्ड एलोन है तो भी कुछ सावधानियां जरूरी हैं और यदि आपने साइबर कैफे का प्रयोग किया है तो भी विशेष रूप से सावधानियों का पालन निहायत जरूरी है। जो संक्षेप में इस प्रकार हैं:—

आप अपने कंप्यूटर पर हैं तो—

1. अपनी व्यक्तिगत जानकारी (यूजर आईडी एवं पासवर्ड) भूलकर भी किसी को न बताएं। न किसी डायरी में इनको व ए॰टी॰एम॰ पिन को दर्ज करें।
2. कंप्यूटर में 'कुकी' की व्यवस्था करना जान लीजिए। (कमोबेश कुकी एक बार विजिट की गई साइट को स्टोर कर लेती है)
3. साफ-सुथरा ई मेल रखें।
4. सोशियल नेटवर्किंग ट्विटर, फेसबुक आदि पर थोड़ी सावधानी बरते, जीओ-टैग संभालें। थोक के भाव ई-मेल न भेजें। अनजान व्यक्ति, पते से आने वाले ई-मेल को न खोलें, इसमें वाइरस होने का खतरा है।
5. नए दोस्तों/अनजान से निजता/निजी जानकारी शेयर न करे। बच्चे इस पर विशेष ध्यान दें। चैट आदि पर बने दोस्तों को आप नहीं जानते। उनके कहने पर न जाए। असल जिंदगी में वे क्या हैं, आप बहुत दूर बैठकर (कंप्यूटर स्क्रीन पर) नहीं जान सकते।
6. (अ) कोई आपको देख रहा है।

   (स्नूपवेअर सक्रिय करके रखा है क्या?)

   (ब) काम करने के बाद, कंप्यूटर बंद (ऑफ) कर दें।
7. आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाली साइटों से सावधान रहें। लालच (इनाम, डिस्काउंट) में न आएं।
8. स्पैम का जवाब न दे।
9. नेटस्केप/ई॰एक्स पर 'बंद ताले' का निशान देखें कि ब्राउजर सुरक्षित है। यह https/ से प्रारंभ होगी।

यदि साइबर कैफे में हैं

1. काम पूरा होने पर ब्राउजिंग हिस्ट्री मिटा दें।
2. पासवर्ड कभी भी सेव न करें।
3. बैंकिग, शापिंग या क्रेडिट/डेबिट कार्ड की जानकारी न दें।
4. टेम्परेरी फाइल मिटाएं।
5. मशीन पर काम समाप्त होते ही लॉग आउट के बाद एक बार पुन: यूजर आई डी में बिना मतलब xyz तथा पासवर्ड में 1, 2, 3, 4 टाइप करके, ब्राउजर चलाएं। तब मशीन लॉग-ऑफ (बंद) कर दें।

फोटो या वीडियो : मार्फ

1. बदनीयती से मार्फ किए फोटो या वीडियो फोरेन्सिक जांच के बाद पता चल जाता है।

(1) फाइल/फोल्डर छिपाना

(2) एनक्रिप्सन–(AE Scrypt और challenger फ्री है।) (फ्री साफ्टवेयर www.pgpi.org का प्रयोग करें।)

= वाई-फाई भी आटो कनेक्ट न हो। एनक्रिप्टेड हो।

= WPA 2 एवं WPA एनक्रिप्सन अपनाएं।

= वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) प्रयोग करें, लेकिन बैंकिंग/गोपनीय काम/कार्ड (एटीएम/क्रेडिट/डेबिट आदि) की डिटेल सिक्युर https:// पर ही दें। अन्यथा न दें।

= फायरवाल साफ्टवेअर प्रोग्राम प्रयोग करें। इसे on करना, देखना न भूलें। डिफाल्ट में यहॉ ऑफ होता है। एन्टीवायरस प्रयोग करें।

डाटा सुरक्षित इस तरह रखें

1. फायरवाल एवं एन्टी वायरस साफ्टवेयर से।
2. नियमित रूप से मशीन को स्कैन करें ताकि कोई (स्पाई) जासूसी-का साफ्टवेयर न आए। यह स्क्रीन सेवर के रूप में भी होगा।

3. साफ्टवेयर अपडेट रखें। डाटा का बैक अप लेकर रखें।

4. डिफाल्ट सेटिंग्स न रखें। इन्हें निष्क्रिय करें।

5. अप्रयुक्त एवं संदेहास्पद एप्लीकेसन्स हटा दें। जो हैं, वे किस काम आती हैं, जानकारी रखें।

6. अलग-अलग प्रयोगकर्ता खाते रखें।

7. सीधे हाथ पर '=' जाएं, 'सेटिंग्स' चुनें, 'एडवांस सेटिंग्स' चुने, अब ''प्राइवेसी'' खंड में ''कन्टेन्ट सेटिंग्स'' चुने, 'कुकीज' खंड में डाटा मेरे ब्राउजर प्रयोग तक ही रखें चुनकर थर्ड पार्टी 'कुकीज' डिस् एलाउ करें एवं 'पॉप अप' खंड में किसी भी साइट को पॉप अप की इजाजत न दें, सेट करें ✓ करें। अन्य जो 'सिफारिश' की है उसे मान लें। 'प्राइवेसी' खंड में ''फिसिंग और मालवेअर सुरक्षा' चेक ✓ करें।

बाउजर सुरिक्षत रखें

क्रोम	नोट: deity.gov.in पर यूबुन्टू
फायर फोक्स	(लाइनक्स) डाउनलोड सेक्सन
सफरी	में है एवं वेब एनीवेअर
इन्टरनेट एक्सप्लोरर	एप्लीकेसन भी है।

सेफ वैब www.freedom.net एवं www.safeweb.com के अलावा startpage भी है।

काम पूरा होने पर हिस्ट्री को ऑफ करें। न ही वेबसाइट ट्रेक करने की इच्छा जताने वाला बटन ऑन करें।

व्यापारिक हित

1. यह आप जान लें कि कुछ माइक्रोसोफ्ट आदि की वेबसाइटें आपकी जानकारी अन्य को बेचती हैं, यह उनका व्यापारिक हित है। यूजर के हित की उन्हें ज्यादा चिंता नहीं है।

2. यू आर एल पर यदि ''एच टी टी पी'' ही है तो आप ''एस'' आगे बढ़ाकर यू आर एल एड्रेस लिखें तब हिट करें।

3. आपकी पहचान के विवरण में आपका ''आई पी एड्रेस'' बंधा हुआ न हो।

4. कुछ कंपनी ऐसे ''स्पाई एप'' गेम, यूटिलिटी आदि कहकर देती हैं लेकिन वे सूचना एकत्र कर उस कंपनी को भेजते रहते हैं। जासूसी इसी तरह करते हैं। लेकिन www.lavasoft.de इस तरह के 'एप्स को दूर करता है।

5. जावा, जावा स्क्रिप्ट एवं 'एक्टिव x' को जासूसी करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अत: ब्राउजर कानफिगरेसन से (प्रीफरेन्स, सेटिंग्स या प्रापर्टीज से इन्हें ''डिसएबिल'' कर दें।

6. कुछ अदृश्य एप्स ''वेब बग्स'' यही काम करती है। ''पाप अप'' एलाऊ न करें। चाहें तो www.bugnosis.org से बग्स का पता लगाएं। थर्ड पार्टी ''कुकीज'' बग्स ही है, इन्हें हटाएं।

7. फाइल डिलीट कर देने भर से डिलीट नहीं हो जाती। इनकी समुचित जानकारी आपको होनी चाहिए।

मोबाइल सुरक्षित रखें

यह याद रखे कि (उपभोक्ता पहचान मोड्यूल क्लोन न बनने पाए।

बेसिक फोन	स्मार्ट फोन	
काल करने एवं	1. अपरेटिंग सिस्टम (एन्ड्राइड आदि)	मोबाइल फोन के सिक्युरिटी फीचर आन करें। पासवर्ड या 'पिन' देकर रखे। विश्वसनीय साफ्टवेयर ही डालें। आपरेटिंग सिस्टम को अपडेट, आटो मोड से करें।
	2. कैमरा	ब्लूटूथ प्रयोग करने के बाद सदैव आफ करें, इसे आन आडियो भी भीड़भाड़ वाली जगह पर न करें। वाई-फाई नेट के लिए एनक्रिप्टेड प्रणाली (पासवर्ड वाली) अपनाएं।
	3. एम एम एस	
वीडियो युक्त, मैसेजिंग की सुविधा	4. कॉल एवं वीडियो रिकार्डिंग	बैटरी के नीचे 15 या 17 अंकों वाला IME I नम्बर अलग डायरी में नोट करके रखें। मेक, मॉडल आदि के साथ।
	5. जी पी एस	
	6. दो सिम	
	7. एप्स	
	8. आटो अपडेट	यदि हो तो, जी पी एस पर रिमोट ट्रेकिंग एनेबल कर लें।
	9. सोशल नेटवर्किंग	
ज्यादा एप्स की वजह से बैटरी जल्दी समाप्त होती है।		पब्लिक वाई-फाई के इलाके में मोबाइल पर बैंकिंग कारोबार न करें। धोखा धमकी न दें और न ही धोखे व धमकी में आएं, चूंकि आई॰टी॰ एक्ट की परिभाषा व प्रावधान के अनुसार यह सजायोग्य अपराध है।

मोबाइल पर एप्स:

1. अनावश्यक एप्स न रखें।

2. ट्रस्टेड साइट्स से ही लें।

3. अपडेट करें। और जो बैटरी ज्यादा खर्च न करते हैं।

4. जिस एप्लीकेशन की जरूरत हो उसे तब एक्टीवेट करके काम करें। काम पूरा होने पर डिसएबिल कर दें।

5. ब्लाक जावा स्क्रिप्ट एक्जेक्यूसन को डिफाल्ट करें।

6. http:nosript.net इंस्टाल करें ताकि साइट की स्क्रिप्ट ही रन हो।

नेट सोशियल इंजीनियरी

दोस्ती जब टूटती है तो व्यक्ति, नीचा दिखाने की गलत हरकत करते हैं। आपके व्यापारी प्रतिद्वंदी प्रतियोगी, नाराज प्रेमी/प्रेमिका ब्लैकमेल करने या ठगने, आपके धन को हथियाने-हड़पने के लिए आपके मोबाइल से सूचनाएं चुरा या नष्ट कर सकते हैं। ई-मेल व वोइस मेल भी आप अपना चुना पासवर्ड देकर सुरक्षित करें। डिफाल्ट पासवर्ड को जरूर बदल दें।

आपके मोबाइल में सेंधमारी आपकी पीठ-पीछे चुपके से धोखे से, ब्लूटूथ से, ई-मेल से या सेटिंग्स (कनफिगरेंस) को बदलने से की जा सकती है। इसकी कानफिगरेसन दिन के प्रारंभ में देख लें कि कहीं ये कंप्रोमाइज तो नहीं कर ली गई हैं। वायरस प्रलोभन से, फ्री-साफ्टवेयर इन्स्टाल करने से आ सकते हैं। ये कोड/प्रोग्राम कुछ दिन निष्क्रिय रहने के बाद फोटो, पिक्चर या आंकड़े सेट से बाहर भेजना (चुपके से) शुरू कर देते हैं। आपके कमांड न देने पर भी कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, तब समझ लीजिए कि धीमी गति, ऊटपटांग काम करना इसके हैक होने के लक्षण हैं।

फेस बुक

1. फेसबुक का पासवर्ड परिवार के सदस्यों एवं करीबी मित्रों को भी हरगिज न बताएं।
2. विकल्प ई-मेल आई डी को सक्रिय करें।
3. मित्र कम बनाएं। एक बार मित्रता ''हां'' की तो वह व्यक्ति आपकी जानकारी फेसबुक से एकत्र कर सकता है। अनचाहे फोटो डाल सकता है।
4. यदि खाता हैक हो गया हो तो घबराएं नहीं, उसी कंट्रोल पर दो-तीन बार ''हेल्प'' बटन पर समस्या दर्ज करने पर मदद मिलेगी और पुनः कंट्रोल आपको मिल सकेगा।
5. अवांछित टिप्पणी अनावश्यक न करें (स्टाकिंग)।
6. गंभीर मामलों/अपराध एवं महिला-असम्मान (निंदा) की सूचना साइबर-पुलिस-सैल को सूचित करें।

एण्टी॰एम॰ मशीन पर पैसे का लेन-देन

एण्टी॰एम॰ मशीन पर जब आप पैसे का लेनदेन कर रहे हो; तब

1. कियोस्क में अकेले जाएं। अंदर जो दाखिल है उन्हें निकल आने दें। जिनकी बारी नहीं, उन्हें बाद में आने को कहें।
2. मशीन पर व्यवहार करना आपको सीख लेना चाहिए। इस काम में आप किसी अन्य की मदद न लें।
3. ''पिन'' संख्या किसी को भी "CANCEL" न बताएं।
4. व्यवहार समाप्ति पर "CANCEL" लाल बटन दबाकर, जरूर करें।
5. जल्दबाजी में कोई काम न करें।
6. कुछ लोग भीड़ करके खड़े हो जाते हैं। ये आई टी की जानकारी हासिल हुए भी हो सकते हैं जो हुनर का गलत इस्तेमाल करके, आपके कार्ड का ''क्लोन'' कर सकते हैं। भीड़ छंटने दें। देर भली। कैमरे (सी॰सी॰) लगे हैं, लेकिन अपनी धन हानि न होने दें।
7. अपना कार्ड अन्य को किसी भी हालत में सुपुर्द न करें। स्क्रीन अगर कोई हलचल न करे या काला पड़ जाए तो ''कैन्सिल'' बटन दबाकर मशीन पर काम न करें।
8. शुरू में कार्ड डालते ही थोड़ा काम/यथा पिन पर दी, आहरण की राशि भर दी। फिर कनेक्टिविटी चली गई हो तो लाल बटन पुनः दबाएं। घबराएं नहीं। लेनदेन निरस्त हो गया होगा। कठिनाई फिर भी है तो संबंधित बैंक शाखा से आवेदन दें एवं मिल लें।
9. अकेले घिर जाने एवं जोर जबरदस्ती की दशा में, संबंधित शाखा (बैंक) एवं पुलिस की सूचना में लाएं।
10. असाधारण मामलों में तकनीकी गेट-वे खराबी से कभी-कभी लेनदेन पूरा नहीं हो पाता। आप संबंधितों को सूचना सहायता के लिए अवश्य दें।
11. फर्जी फोन-काल, ई मेल (पता, नाम और आई॰पी॰ की स्पूफिंग) से बचें। एप्लीकेसन लेयर गेट वे, फायरवाल, एनक्रिप्सन सिग्नेचर एवं आनलाइन मदद इनसे बचने को ली जा सकती है। जांच करने को, यदि उस हैडर को उलट कर मेल भेजें, तो हो सकता है कि ''हैडर'' जो प्राप्त हुआ और ''जो मेल अब भेजा जा रहा है'' के एड्रेस में अंतर हो। ''साल्टिंग, बेट और स्विच'' एवं अन्य तकनीकी पहलू यहां चर्चा में नहीं लिए हैं।

19/17, शांतिपुरम, सासनीगेट
आगरा रोड़, अलीगढ़-202001
ई-मेल-kpsharma05@gmail.com

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर - महान क्रांतिकारी विचारक

जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय देश में राजनैतिक क्षितिज पर महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे समय में ही एक अन्य महान व्यक्तित्व था - विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर का। उन्होंने अपने नाम को सार्थक करते हुए रवि की ही भांति अपने युग को आलोक और ऊष्मा दी, साथ ही वे पूर्व एवं पश्चिम की खाई पर सेतु बांधने में सफल भी हुए। शायद ही कोई विषय ऐसा होगा जिस पर उन्होंने लेखनी न चलाई हो, यहां तक कि विज्ञान और भाषाशास्त्र पर भी। जिन-जिन विषयों पर उन्होंने लिखा उनमें से प्राय: सभी में उन्होंने चिंतन के नए पथ खोल दिए। उनका चिंतन बुद्धि पर आधारित था और किसी प्रतिभासम्पन्न चिकित्सक की भांति वे अपने देश के रोगों का ऐसा निदान करने में सफल हुए, जो कोई भी पेशेवर शिक्षाशास्त्री, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक अथवा राजनीतिज्ञ नहीं कर पाया।

उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्वबंधुत्व की तीव्र भावना से निरंतर परिवर्तन तथा नए प्रयोगों द्वारा रेखांकित किया। महाकाव्य को छोड़ दें तो साहित्यिक लेखन की ऐसी कोई विधा नहीं, जिस पर उन्होंने लेखनी न चलाई हो। चाहे उपन्यास हों, कहानियां हों, नाटक या रूपक हों, सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर लिखे निबंध हों, लोगों को लिखे गए पत्र हों, साहित्य समीक्षा हों, संस्मरणात्मक या आत्मकथात्मक लेख हों अथवा बालकृतियां हों, इन सभी विधाओं में रवीन्द्रनाथ सफलता के शिखर पर खड़े नजर आते हैं। उनका अधिकांश लेखन बांग्ला भाषा में है लेकिन उनकी प्रतिभा का आलोक अनुवादों के माध्यम से विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं तक पहुंचा। उन्होंने एक हजार से अधिक कविताओं तथा दो हजार से अधिक गीतों की रचना की।

गुरुदेव का जन्म सोमवार 7 मई, 1861 को कोलकाता के निकट जोड़ासांको में एक सम्पन्न, सरकार में प्रभावशाली और जागीरदार बनर्जी परिवार में हुआ था। उनके पितामह द्वारिकानाथ ब्रह्म समाज के लब्धप्राप्त नेता और पिता देवेन्द्रनाथ सामाजिक कुरीतियों के विरोधी थे। उन्होंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहां परम्पराएं व संस्कार थे तो आधुनिकता भी थी। भौतिकता की चकाचौंध थी तो अध्यात्मिकता का परिवेश था। रवीन्द्रनाथ ने लिखा था कि मेरा परिवार हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता एवं ब्रिटिश सभ्यता की त्रिवेणी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी और इसके कुछ ही समय बाद नार्मल स्कूल में हुई। शिक्षा का यह क्रम थोड़े ही दिनों तक चला। इसके बाद घर पर ही शिक्षक नियुक्त करके उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। वर्ष 1874 में उन्हें सेंट जेवियर स्कूल, कोलकाता में दाखिला दिलाया गया।

बचपन में सुनी हुई कहानियों ने उनकी कल्पना के पट खोल दिए थे और वे घंटों तरह-तरह की कल्पनाओं में डूबे रहते थे। अक्षर ज्ञान प्राप्त होते ही वे कविता लिखने लगे थे। वर्ष 1874 में उन्होंने अपनी प्रथम कविता ''अभिलाषा'' की रचना थी। यह कविता उनके पिता द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका ''तत्वबोधिनी'' में प्रकाशित हुई। बारह वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात् उन्होंने ''पृथ्वीराज पराजय'' नामक प्रथम नाटक लिखा। वर्ष 1874 में शेक्सपियर के नाटक ''मेकबेथ'' का बांग्ला में अनुवाद किया। वर्ष 1877 में वे पहली बार इंग्लैंड गए। ब्राइटन स्कूल में प्रवेश लेने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन किया। परन्तु पश्चिमी शिक्षा से असंतुष्ट होकर एक वर्ष पश्चात् स्वेदश लौट आए। परिवार के लोग चाहते थे कि रवीन्द्रनाथ कानून की पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर बनें, परन्तु उनका मन किसी और दिशा में खिंचा जा रहा था। वे लौटकर इंग्लैंड नहीं गए। उन्होंने अपने मन के अनुसार जीवन जीने का निर्णय लिया।

वास्तव में रवीन्द्र का किताबी शिक्षा से प्रेम नहीं था, वे तो कला के प्रति आकृष्ट थे और सदा कल्पना के रंगीन विश्व में भ्रमण करते रहते थे। जब वे मात्र 14 वर्ष के थे तभी से व्याख्यान, भजन, गान आदि के द्वारा लोगों में स्वदेश प्रेम की भावना उद्दीप्त तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों में अनुराग उत्पन्न करने लगे थे। उन्होंने ''हिंदू मेलार उपहार'' नामक एक कविता की रचना में भारत की दुर्गति से अधीर होकर लिखा था-

केन रे भारत केन तुइ हाय
आवार हासिस। हासिवार दिन
आछे कि एखनो ए घोर दु:खे।

अर्थात क्यूं रे भारत। क्यूं तू फिर हंस रहा है, इस घोर दु:ख में हंसने का दिन कहां रह गया है।

रवीन्द्र एक दर्शनिक थे, राजनीतिक पुरुष नहीं। राजनीति एवं राष्ट्रीयता के संबंध में उनके अपने विचार थे। किसी दल विशेष के साथ उनका संपर्क नहीं था। अपने ढंग से उन्होंने देश की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर विचार किया और समाधान के उपाय खोजे। ''साधना'' पत्रिका में, जो उनके ही संपादन में प्रकाशित होती

थीं, उन्होंने अनेक लेखों, कविताओं एवं कहानियों में अपने सामाजिक एवं राजनीतिक विचार व्यक्त किए। देशवासियों की दुख-दुर्दशा देखकर उनका हृदय इतना व्यथित हो उठा था कि उनके मन में अंतर्द्वन्द्ध होने लगा था। साधना की एक कविता में उन्होंने कहा—

एक बार फिराओ मारे लये जाओ
संसारेर तीरे हे कल्पने, रंगमयी!
दुलायोना समीरे-समीरे तरंगे तरंगे
और, भुलायो ना मोहिनी मायाय।

(अर्थात एक बार मुझे वापस बुला लो, ले चलो संसार के किनारे, हे कल्पनामयी! हे रंगमयी हवा और तरंग से मुझे हिलाना नहीं, अपनी मोहिनी माया से मुझे भुलाना नहीं)।

रवीन्द्र नाथ टैगोर भारत के विश्वप्रसिद्ध कवि, कहानीकार तथा उपन्यासकार तो थे ही, वे एक महान क्रांतिकारी विचारक भी थे। बहुत-से क्रांतिकारी और आंदोलनकारी उनके लिखे देश-भक्ति के गीतों को गा-गाकर आगे बढ़े और देश के लिए कुर्बान हो गए। उन्होंने देश में जागृति की एक नई लौ पैदा की। सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी टैगोर की रचनाओं से प्रेरणा पाते थे। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्र गीत वन्दे मारतम की धुन तैयार की थी और स्वयं 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया था। राष्ट्रगान जन-गण-मन के रचियता भी टैगोर ही हैं। वे ही बांगलादेश के राष्ट्रगान के रचियता हैं। उनके द्वारा रचित गीत सभाओं और जुलूसों में गाए जाते थे और उन्हें सुनकर दल-के-दल युवक देश-प्रेम की उन्मादकता से भर उठते थे । ये गीत थे -''सार्थक जनम आमार, जन्मेछि एई देशे'','' अमि भुवनमनमोहिनी'' आदि।

वर्ष 1893 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ और पिता की आज्ञानुसार वर्ष 1888 में वे अपनी जमींदारी के गांव सलायदा में रहने लगे। जमींदारी के प्रबंध में भी उन्होंने कुशलता का परिचय दिया। सयालदा में रहते हुए उन्होंने उत्तर बंगाल के गांवों का व्यापक भ्रमण किया और वह जनजीवन के प्रत्यक्ष संपर्क में आए। उन्होंने किसानों की दीन-हीन, असहाय अवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव किया। वर्ष 1898 में तिलक पर राजद्रोह के चलाए गए मामले के विरोध में कोलकाता के नगर भवन में आयोजित सभा में रवीन्द्रनाथ ने ''कण्ठ रोध'' शीर्षक लेख पढ़कर अंग्रेजों की प्रक्रियाशील नीति के विरुद्ध आवाज उठाई। वर्ष 1902 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की याद में उन्होंने ''स्मरण'' की रचना की। वर्ष 1905 में उनके पिता भी उन्हें छोड़कर चल बसे। फिर एक वर्ष में पुत्र का स्वर्गवास हो गया। उनका हृदय विषाद और वेदना का घर बन गया। उनकी काव्य रचनाओं में ''नौका डूबी'' और ''खेवैया'' में भावुक उद्‌गार प्रकट होते हैं। वर्ष 1910 में उन्होंने दूसरा विवाह, एक विधवा से किया, जो उन दिनों की रूढ़िवादी मान्यताओं की दृष्टि से बहुत बड़ी बात थी।

बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा संचालित ''बंगदर्शन'' मासिक पत्र उनके देहांत के बाद बंद हो गया था, जिसे रवीन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में पुनः प्रकाशित करना आरंभ किया। यह सत्साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति का एक प्रधान साधन के साथ-साथ राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध भी उठी एक आवाज थी। जुलाई, 1904 में एक सार्वजनिक सभा में कवि ने ''स्वदेशी समाज'' नामक अपना प्रसिद्ध निबंध पढ़ा, जिसमें रचनात्मक राष्ट्रीयतावाद की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। बंगभंग की सरकारी घोषणा होने पर उसके प्रतिवाद में कोलकाता में 7 अगस्त, 1905 को हुई विराट जनसभा में कवि ने ''अवस्था एवं व्यवस्था'' शीर्षक निबंध पढ़ा। इस सभा में अंग्रेजी माल के बहिष्कार की घोषणा की, राष्ट्रीय गीतों की रचना की, जो संपूर्ण बंगाल में गाए जाने लगे।

16 अक्तूबर, 1905 को जिस दिन बंगाल को दो भागों मे विभक्त किए जाने की घोषणा कार्यान्वित हुई, कवि ने राखी बंधन उत्सव का उपक्रम किया, जो विभक्त बंगाल की एकता का द्योतक है। इस अवसर पर उन्होंने ''राखी'' नाम से एक लोकप्रिय गीत की रचना की थी—

बांगलार माटी,
बांगलार जल
एक हउक एक हउक
एक हउक हे भगवान।

उनका एक अन्य गीत, जिसे भूमिगत क्रांतिकारी बड़े प्रेम से गाते थे और जिसे हम रवीन्द्रनाथ द्वारा क्रांतिकारियों को दिया गया संदेश भी मान सकते हैं, इस प्रकार है—

तेरी आवाज पे कोई ना आये तो फिर चल अकेला रे
फिर चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे
ओ तू चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे

तेरी आवाज पे कोई ना आये तो फिर चल अकेला रे
फिर चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे

यदि कोई भी ना बोले ओरे ओ रे ओ अभागे
कोई भी न बोले
यदि सभी मुख मोड़ रहे सब डरा करे
तब डरे बिना ओ तू मुक्त कंठ अपनी बात बोल अकेला रे

तेरी आवाज पे कोई ना आये तो फिर फिर चल अकेला रे
चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे

यदि लौट सब चले ओरे ओ रे ओ अभागे लौट सब चले
यदि रात गहरी चलती कोई गौर ना करे,
तब पथ के कांटे ओ तू लहू लोहित चरण तल, चल अकेला रे

यदि दिया न जले ओरे ओ रे ओ अभागे दिया ना जले
यदि बदरी आंधी रात में द्वार बंद सब करे
तब वज्र शिखा से तू हृदय पंजर जला और जल अकेला रे

ओ तू हृदय पंजर जला और जल अकेला रे
तेरी आवाज पे कोई ना आये तो फिर चल अकेला रे
फिर तू चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे

उन्होंने उत्कृष्ट कहानियों और कविताओं की एक परंपरा स्थापित करके मानसी, बलिदान, चित्रांगदा, सोनार तारी, चित्रा और उर्वशी आदि रचनाओं से चमत्कृत किया। रवीन्द्रनाथ टैगोर गद्य और पद्य साहित्य की दोनों विधाओं में रचना करने लगे थे। उन पर बंकिम की गद्य शैली और राजेन्द्र लाल के पांडित्य का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ''वाल्मीकि प्रतिभा'' नाट्य काव्य का मंचन भी किया। इसमें उन्होंने स्वयं वाल्मीकि का अभिनय किया। इसके दर्शकों में बंकिमचन्द्र चटर्जी भी शामिल थे।

टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध कृति साधना (1920) के अंतर्गत नियम और स्वतंत्रता की समस्या पर विस्तृत विचार किया। उनके अनुसार व्यक्ति के अस्तित्व के दो रूप हैं एक ओर उसका भौतिक अस्तित्व है, जो विश्वजनीन नियमों से बंधा है और अत: यहां वह अन्य व्यक्तियों के समान है , दूसरी ओर उनका आध्यात्मिक अस्तित्व है, जो उसे अन्य व्यक्तियों से पृथक और विलक्षण सिद्ध करता है। संपूर्ण सृष्टि का भार भी व्यक्ति की इस वैयक्तिकता को कुचल नहीं सकता। यह वैयक्तिकता मनुष्य की अमूल्य निधि है। जैसे बीज में संपूर्ण वृक्ष का रूप धारण करने की क्षमता निहित होती है, वैसे ही व्यक्ति में अपने विलक्षण व्यक्तित्व में विकास करने की क्षमता निहित होती है। इस विकास में मार्ग में आने वाली बाधाएं ही उसकी परतंत्रता या पांव की बेडियां हैं। उन्होंने अपनी कृति मानव धर्म (1931) में लिखा है, स्वतंत्रता के विकास का इतिहास मानव संबंधों के उन्नयन का इतिहास है। टैगोर परतंत्र भारत के नागरिकों को निरीह एवं दया के पात्र नहीं मानते थे। साम्राज्यवादियों एवं देशवासियों के विषय में उन्होंने इस प्रकार अपने विचार प्रकट किए-

जो अन्याय करे और जो अन्याय सहे
तब घृणा दोनों को ही तृण-सम दहे।

वर्ष 1911 में उनकी अमर कृति गीतांजलि बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुई। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने स्वयं ही किया। वर्ष 1912 में उन्होंने इंग्लैंड भ्रमण किया। अंग्रेजी अनुवाद के अध्ययन से जब इंग्लैंड के कवियों ने रवीन्द्र की प्रतिभा को परखा तो वे चकित रह गए। गीतांजलि में 103 गीतों का संग्रह है। भारत लौटने पर 13 नवम्बर 1913 में गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिलने की घोषणा के साथ ही, न केवल हिंदी और भारतीय भाषाओं में बल्कि अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई आदि विश्व की लगभग सभी प्रमुख भाषा में गीतांजलि और रवीन्द्रनाथ टैगोर की अन्य कृतियों के अनुवाद तेजी से होने लगे थे।

वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार के रूप में उन्हें जो प्रचुर धनराशि मिली थी, वह उन्होंने शांति निकेतन के अपने स्कूल को दान में देकर उस सहकारी कृषि बैंक में लगवा दी, जो उन्होंने अपनी जमींदारी में पहले स्थापित कर दिया था। इस प्रकार एक पंथ दो काज सिद्ध हुए। किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण मिलने लगा और स्कूल को एक निश्चित वार्षिक आय प्राप्त होने लगी।

रवीन्द्रनाथ टैगोर की मान्यता थी कि देश की समस्याओं का हल महंगी पाश्चात्य शिक्षा द्वारा नहीं अपितु ऋषि प्रणाली प्राचीन गुरुकुल परंपरा के पुनर्जीवन से ही हो सकता है। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन की बुनियाद रखी। शांति निकेतन के हिंदू बहुल क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद सौ वर्ष पहले वहां प्रत्येक पांच में से तीन शिक्षक ईसाई थे और महिलाओं को भी शिक्षण कार्य में प्रोत्साहित किया जाता था। इस विश्वविख्यात संस्था के विषय में नेहरू जी ने कहा था, ''जिसने शांति निकेतन नहीं देखा, उसने हिन्दुस्तान नहीं देखा।'' शांति निकेतन से तीन मील की दूरी पर वर्ष 1912 में उन्होंने श्री निकेतन की स्थापना की। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कृषि उद्योग व व्यवसाय का प्रशिक्षण देना था।

श्री निकेतन की स्थापना भी ग्राम संगठन के उद्देश्य से ही की गई थी। श्री निकेतन के कर्मचारियों से उन्होंने बार-बार कहा था,'' समग्र प्रदेश को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यदि दो या तीन ग्रामों को भी अज्ञानता और अक्षमता के बंधन से मुक्त कर सकूं, तो वही समग्र भारत के लिए एक आदर्श तैयार हो जाएगा। इन ग्रामों को संपूर्ण रूप से मुक्त करना होगा। ये कतिपय ग्राम ही मेरा भारतवर्ष है।''

रवीन्द्र संगीत की गणना आज भी बंगाल की लोकप्रिय संगीत शैलियों में होती है। इटली के कुछेक चित्रकारों ने तो उनके गीतों के आधार पर चित्र रचना तक ही है। गुरुदेव चित्रकला के पारखी भी थे। उन्हें अपने लेखों, कहानियों आदि में कभी-कभी काट-छांट करनी पड़ती थी, जिससे कागज पर विचित्र से आकार बन जाते थे। इन्हें देखकर उनके मन में चित्रकला के प्रति प्रेम जागा तथा लगभग 3,000 चित्र भी बनाए। उनके चित्रों में हमें प्रागैतिहासिक कला के अक्स दिखाई देते हैं। चित्रों में जहां भावों की प्रधानता है वहीं अनेक चित्रों में पूर्ण मानव आकृतियां नृत्य जैसी मुदाओं में है।

गुरुदेव का हृदय देशप्रेम की भावना से ओत-प्रोत था किंतु उन्हें संकीर्ण राष्ट्रीयता से घृणा थी। वे वसुधेव कुटुम्बकम को स्वीकार करते थे। अपने विश्व भ्रमण में उन्होंने इसी का संदेश देते हुए अनेक देशों की यात्राएं कीं-वर्ष 1913 में अमेरिका, 1916 में रंगून, सिंगापुर और हांगकांग होते हुए जापान गए, 1920 में फ्रांस, 1921 में हालैण्ड,

वैलजियम और न्यूयार्क होते हुए डेनमार्क गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चेकोस्लोवाकिया, चीन, इटली आदि अनेक देशों का भ्रमण किया। वे विदेशों में भारत के प्रतिनिधि माने जाते थे। उन्हें भारत का आध्यात्मिक दूत भी कहा जाता था। विवेकानंद की तरह रवीन्द्रनाथ ने भारतीय धर्म, अध्यात्म, दर्शन, शिक्षा और साहित्य की विशेषताओं को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया।

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य को भारतीय साहित्य से जोड़ने का कार्य किया। वे हिंदी के भक्त कवियों से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। उन्होंने कबीर की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद किया। सूर और तुलसी पर कविताएं लिखीं। विद्यापति से भी जुड़े रहे। उनकी कुछ कविताएं ब्रजबोली में भी हैं। उन्होंने हिंदी को बांग्ला से जोड़कर हिंदी के महत्व को नए सिरे से रेखांकन किया।

वर्ष 1940 में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तरफ से महान शिक्षा शास्त्री सर मौरिस ग्वायर ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन में आयोजित विशेष समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। कवि की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता में एक विराट आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्हें कई मानपत्र दिए गए। ''दि गोल्डेन बुक ऑफ टैगोर'' नामक अभिनन्दन ग्रंथ उन्हें अर्पित किया गया। कोलकाता के छात्रों ने भी कवि को अभिनंदित किया। संस्कृत कॉलेज के पंडितों ने उन्हें'' कवि सार्वभौम'' की उपाधि प्रदान की। गुरुदेव की विद्ववता से प्रभावित होकर कोलकाता, हिंदू (बनारस), ढाका, उस्मानिया और ऑक्सफोड (अमेरिका) विश्वविद्यालयों ने डी॰ लिट् की उपाधि से विभूषित कर सम्मान प्रकट किया।

19 सितंबर, 1940 को कवि ने कालिमपोंग के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचने के एक सप्ताह के बाद वह अचानक रोगग्रस्त हो गए और चिकित्सा के लिए कोलकाता लाए गए। स्वस्थ होने पर दिसम्बर में शांति निकेतन लौटे और वहां रहकर स्वास्थ्य लाभ करने लगे। वर्ष 1941 में गुर्दे का उनका पुराना रोग फिर उभर आया था। 14 अप्रैल, 1941 को शांति निकेतन में कवि का 80वां जन्म दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को उनकी अवस्था चिंताजनक हो उठी। 30 जुलाई को कोलकाता में कवि के वास भवन पर उनकी शल्य चिकित्सा हुई। जिस दिन उनकी शल्य चिकित्सा हुई, उस दिन मृत्यु का आभास पाकर उन्होंने मृत्यु विषय पर एक छोटी-सी कविता बोल कर लिखवाई और अपनी इच्छा प्रकट की कि यही गीत उनकी मृत्यु पर गाया जाए, जो इस प्रकार है-

सम्मुखे शांति-पारावार
भासाओ तरणी हे कर्णधार

अर्थात

सामने शांति पारावार
खोल दो नैया हे कर्णधार

इसके बाद दो दिनों तक उनकी दशा संतोषजनक रही लेकिन अचानक उनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ और रात भर बैचेनी का अनुभव करते रहे। 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में आपरेशन के बाद भारत का यह महान सपूत हमेशा के लिए हमारे से विदा हो गया। इस प्रकार जो दिव्य ज्योति अर्धशताब्दी से अधिक समय तक मानव जाति का पथ-प्रदर्शन करती आ रही थी वह सदा के लिए लोप हो गई। लाखों व्यक्ति कवि की शवयात्रा में सम्मिलित हुए।

रवीन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु का आघात महात्मा गांधी सह नहीं पाए और वे उनकी मृत्यु पर कह उठें,'' गुरुदेव की आत्मा अमर है और मृत होने पर भी वह जीवित है। भारत के द्वारा जगत की सेवा करने की उनकी आकांक्षा और इस रूप में सेवा करते हुए ही उन्होंने प्राण त्याग किया। उनका नाशवान शरीर नहीं रह गया है। किंतु उनकी आत्मा उसी प्रकार अमर है जिस प्रकार हमारी आत्मा। उनकी प्रवृतियां सार्वभौमिक थीं, आकाश में दिव्य, जिनके द्वारा वह जीवित हैं।''

प्रस्तुति-राकेश शर्मा ''निशीथ''

भारतेंदु विचार

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।

करहु विलम्ब न भ्रात अब, उठहु मिटावहु सूल।
निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबको मूल।।

विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार।
सब देसन से लै करहु, भाषा माहि प्रचार।

प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा कर यत्न।
राजकाज दरबार में, फैलावहु यह रत्न।

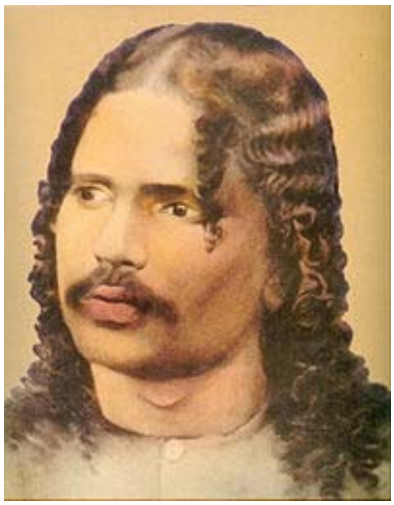

हिंदी के आदिकवि: सरहपाद

— राजेन्द्र परदेसी

हिंदी साहित्य के विकास काल को डॉ॰ रामकुमार वर्मा ने संधिकाल कहा है, क्योंकि इस काल में अपभ्रंश के गौरवशाली साहित्य और स्वाभाविक बोली में विकासित साहित्यिक शैलियों में संधि होती है। फलत: अपभ्रंश की रूढ़ साहित्यिकी शैली के साथ जनभाषा में सिद्ध और जैन कवि अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करने लगे। सिद्ध कवियों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम नाम सरहपाद का है, जिन्होंने अर्द्धमागधी अपभ्रंश भाषा में जन रुचियों के आलोक में अपनी रचनाएं दी।

सिद्ध कवियों का संप्रदाय बौद्ध-धर्म की विकसित एक श्रृंखला है। ईसा के प्रथम शताब्दी में जब कुमारिल और शंकराचार्य के दर्शन ने बौद्ध धर्म और उसमें फैली कुरीतियों पर आघात किया तब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बौद्ध धर्म ने अपना स्वरूप ही बदल कर दो भागों-हीनयान और महायान में परिणत हो गया। हीनयान बौद्ध धर्म का चिन्तन या सैद्धान्तिक पक्ष था और महायान व्यवहारिक पक्ष/महायान में सरल साधना से तंत्र और अभिचार का आश्रय लेकर सिद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई गई जिसके ही साधक सिद्ध नाम से जाने गए।

सिद्ध साहित्य का काल संवत् 750 से माना जाता है। सिद्धों की कुल संख्या चौरासी है, जिनमें अनेक सिद्ध काव्य रचना करने में समर्थ हुए। उनके आविर्भाव के पूर्व से ही बौद्ध धर्म में कुरीतियों ने अपना घर बना लिया था। इन कुरीतियों की विशालता और अन्तर्द्वंद्वताओं के फलस्वरूप ही सिद्धों का पदार्पण हुआ। उनकी चिंतन धाराएं कई शताब्दियों तक न केवल मागधी (मगही) वाङ्मय वरन् सम्पूर्ण हिंदी वाङ्मय को प्रभावित करती रही।

सिद्धों के कृतित्वों को उजागर करने का सर्वप्रथम श्रेय महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री को है। उनको वर्ष 1907 में नेपाल दरबार पुस्तकालय से सिद्धों के पचास पदों का संग्रह मिला जिसको उन्होंने बंगीय साहित्य परिषद्, कोलकाता द्वारा 'बोध गान ओ दोहा' के नाम से प्रकाशित कराया, उनके बाद प्रबोध चंद बागची ने कोलकाता संस्कृत सीरिज के अपने दोहा कोश में कुछ सिद्धों की रचनाएं प्रकाशित कराई। पुन: दास गुप्ता शशि भूषण ने ''आब्सक्योर रेलिजियस कल्ट्स'' में सिद्धों का परिचय दिया।

सिद्धों को पूर्ण प्रकाश में लाने का प्रयास महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा जो हुआ, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वे भूटान और तिब्बत से सिद्ध साहित्य का लिखित ग्रंथ खच्चरों पर लादकर भारत लाए। इन्हीं सामग्रियों के आधार पर धर्मवीर भारती ने 'सिद्ध साहित्य' और मंगल बिहारी शरण सिन्हा ने सिद्धों की सांध्य भाषा लिखी। इनके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रणेता रामचन्द्र शुक्ल और डॉ॰ रामकुमार वर्मा ने सिद्धों की रचनाओं पर प्रकाश डाला। परंतु मगही साहित्य के भारतेंदु डॉ॰ राम प्रसाद सिंह ने अपने काव्य खण्ड 'सरहपाद' (मगही में) में सरहपा के जीवन वृत के साथ उनके लोकधर्मी सिद्धान्तों एवं कर्ममूलक मानवधर्मी स्वरूपों का सविस्तार वर्णन किया है, जिसका विवेचन किया जा रहा है।

डॉ॰ विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपा का समय सं॰ 690 निर्धारित किया है। परंतु राहुल सांकृत्यायन के अनुसार वह सं॰ 817 में अर्विभूत हुए। इसी आधार पर डॉ॰ राम प्रसाद सिंह ने सरहपा का निधन 780 ई॰ माना है। ऐसे सिद्ध योगी गृहस्थ की उम्र सामान्यत: सौ वर्ष मान ली जाए तो उनका जन्म 7वीं शती के अंतिम दशक में होना निर्धारित हो जाता है। यही समय मगधराज धर्मपाल का भी है जिसके समकालीन सरहपा को बताया जाता है।

सरहपाद का जन्म बिहार राज्य के भागलपुर अनुमंडल के राज्ञी कसबा के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके बचपन का नाम सरोज था। नालंदा में आने पर बौद्धों की परंपरा में होने के कारण उनको राहुलभद्र और ब्रजयानी होने से सरोजब्रज कहा जाता था। किंतु सरह का शाब्दिक अर्थ होता है बाण (शर) बनाने वाला व्यक्ति बौद्ध होने से पहले ये बाण बनाने का काम करते थे। अत: उनको सरह भी कहा जाता था। बाद में आदर सूचक शब्द 'पाद' सरह में जोड़कर सरहपाद उनके शिष्यों ने बना दिया। सरोज (सरहपा) बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। उन्होंने प्रबुद्ध ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मणी व्यवस्था में रहकर घर में ही वेद, पुराण, उपनिषद्, गीता, रामायण, महाभारत, व्याकरण, संस्कृत साहित्य आदि का गम्भीर अध्ययन एवं मनन किया। किंतु किशोर मन ब्राह्मणवाद के रूढ़ि और आडम्बर से विचलित होने लगा। यह देखकर उनके माता-पिता ने उनकी शादी कर दी। परन्तु उनका मन परिवार में भी नहीं रम सका।

एक दिन वह चुपचाप घर से निकलकर नदी के किनारे पहुँच गए। देखा नदी का स्वच्छ जल स्वच्छंद और सहज रूप में प्रवाहित हो रहा है। प्रकृति के सभी प्राणी पशु-पक्षी, जीव-जन्तु और पेड़-पौधे अपने कार्य में सहज रूप से लगे हैं। मनुष्य भी क्यों नहीं इसी प्रकार सहज रूप में चलते हैं।

सरोज सहज कर्म को स्वीकार कर विरक्त हो गए। वह घूमते-घूमते नालंदा पहुँचे वहाँ के विश्वविद्यालय में द्वार-परीक्षा हुई। वह उत्तीर्ण हो गए। वहाँ के छात्र बने। अपना परम्परागत लिबास त्यागकर चीवर धारण किया। वह हरिभद्र के शिष्य बने और राहुलभद्र के नाम से पुकारे जाने लगे। हरिभद्र के शिक्षण और व्यवहार से वह अत्यधिक प्रभावित हो गए। शीघ्र ही कालिदास, वाणभट्ट आदि के संस्कृत साहित्य से परिचित राहुलभद्र बौद्ध-धर्म के भी अगाध पंडित बन गए।

फलत: अपना अध्ययन समाप्त कर नालंदा में ही शिक्षक के पद पर रहकर कार्य करने लगे। अध्यापन काल में ही वह कविता भी लिखने लगे। संस्कृत काव्य के अतिरिक्त अपभ्रंश-मागधी-मगही में भी उन्होंने कविता लिखी। उनका धर्म प्रचार भी मागही के माध्यम से होने लगा।

नालंदा में उनका संपर्क नागार्जुन शान्तरक्षित और दिङ्नाग जैसे उद्भट शिक्षकों तथा फाहियान और ह्वेनसांग जैसे विदेशी विद्वानों से संपर्क हुआ लेकिन तत्कालीन बौद्धों में कुरीतियां और आडम्बर घुस गये थे। वह सोचने लगे, भगवान बुद्ध की करूणा स्त्रियों के लिए नहीं हैं? उसकी छाया पाप है। चीवर धारण करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? यहाँ चीवर धारण करने से विशेष रूप से रहना पड़ता है। क्या यह सहज जीवन का विरोधी नहीं है? ऐसा आडम्बर तो हिंदु धर्म में भी है। तो दोनों में क्या अंतर है? अतएव सहजयान का मार्ग बनाना पड़ेगा।

राहुलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय छोड़कर राजगृह के एक ऐसे स्थान पर पहुँचे, जहाँ कुछ लोग सरकंडा से बाण बनाते थे। वहाँ उन्होंने देखा लोग प्रकृति के सुन्दरतम स्थान में रहकर सहज रूप से अपने-अपने कर्म में लगे हैं। उनकी जातियों में उन्होंने एक सुंदर किशोरी देखी, जो तरूण अवस्था में ही योगिन के रूप में अपना जीवन सहज रूप में व्यतीत कर रही है। उस पर राहुलभद्र मोहित हो गए। अंत में उससे शादी कर उसके साथ रहने लगे और सरह (बाण बनाने वाला) का सहज जीवन बिताने लगे। वहाँ के लोगों को अपना कर्म करने और सहज जीवन तथा कर्मयोग का उपदेश भी देने लगे। इस कारण बड़ी संख्या में उनके शिष्य बन गए और वह सरहपाद के नाम से विख्यात हो गए।

सरहपाद बहुश्रुत हो गए। अत: राजगृह के एक स्थान पर नहीं रहकर अपनी सरकन्या के साथ भ्रमण करने लगे। सर्वप्रथम तपोवन होते हुए बोधगया पहुँचे। वहाँ कुछ दिन ठहर कर दक्षिण की यात्रा करते हुए विदिसा पहुँचे। वहाँ के श्रीपर्वत पर नागार्जुन से उनका संपर्क हुआ। वहाँ अपने सहजयान का उपदेश दिया।

सरहपाद के सहजयान में सहजकर्म करते हुए सहज जीवन निर्वाह करने की प्रेरणा और नैरात्मा (शून्यता) एवं करूणा पर विशेष जोर है। यह सहज स्वाभाविक मानवधर्म सार कृत्रिम आडंबरों को छोड़कर सहज मानवीय गुणों का अनुपोषक है। बौध-धर्म करूणा से उपजा सत्य, अहिंसा और सदाचरण पर बल देता है और संघ शक्ति को स्वीकार करता है परन्तु गृहस्थ से अधिक संन्यास को मान्यता देता है इसके विपरीत सहजयान में संन्यास नहीं गृहस्थ को मान्यता दी गई है, यहीं पर सरहपाद का सहजयान बौद्धधर्म से बिलग प्रतीत होता है।

नैरात्म का अर्थ है शून्यता अत: जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। समरस है। वह सिद्ध है। सिद्धों में नैरात्म और करूणा का योग होता है, जिसकी अनुभूति से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। परम संतोष होता है। यही सहजयान का सार है।

सरहपाद का सहजयान बौधधर्म के महायान की शाखा है, जो ब्रजयान से यंत्रयान के रूप में विकसित हुई। उसी का फल है कि सिद्ध नाथ और ज्ञानाश्रयी अथवा संत साहित्य दर्शनीय है। सिद्धों की कुल संख्या चौरासी है। उनमें दस को राहुल जी ने सर्वाधिक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण माना है, जिनमें सरहपाद सर्वप्रथम है। डॉ॰ रामकुमार वर्मा ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी रचनाओं का प्रभाव उस काल के हिंदी साहित्य की परम्परा पर पड़ा है।

सरहपाद अधिकतर नालंदा, राजगृह और विक्रमशिला में रहे है। अत: उनके काव्यों की भाषा इन स्थानों और इनके आस-पास में रहने वाले बिहार के लोगों द्वारा बोली जाने वाली अर्धमागधी (मगही) अपभ्रंश है जिसको 'संधा' भाषा भी कही गई है।

सिद्धों ने जिस मगही भाषा का प्रयोग किया था, वह थोड़े परिवर्तन से आज भी वर्तमान है। डॉ॰ सम्पति अंर्याणी ने जो सरहपाद के दोहे को वर्तमान मागही भाषा में रूपांतरित कर उनकी भाषा को मगही के सन्निकट किया है। द्रष्टव्य है-

नगर बाहिरे डोम्बि तोहोरि कुडिया,
छाई-छई जाड़सो ब्राह्मण नाडिया।
अलो डोम्बि तोर संभ करिब न संग
निधिण कान्ह कपालि जोई लांग।

मगही—

नगर बाहरो डोम्बी तोहार कुटिया
छूइ-छूइ जाई से बाभनलडिया।
अरे डोम्बी तोरे साथ करबन संग,
निरधिन कान्ह कपाल जोगी लंग।

अत: यह कहना गलत न होगी कि सरहपाद ने जनभाषा मागधी में कविता लिखने की जो परम्परा प्रारम्भ की उसका ही प्रभाव हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में पूर्णरूपेण रहा। नाथपंथियों से लेकर कबीर आदि की कविताओं में सामाजिक रूढ़ियों और आडम्बरों के विरोध में जो अक्खड़नपन मिलता है वह सरहपाद की देन है। योग साधना

(शेष पृष्ठ 73 पर)

पारंगत - एक परिचय

— डॉ॰ जयप्रकाश कर्दम

हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के हिंदीतर भाषा-भाषी कर्मचारियों को सरकारी कामकाज करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान करने का कार्य वर्ष 1955 से अत्यंत गंभीरता एवं सफलतापूर्वक किया जा रहा है। प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ नामक नियमित व पत्राचार पाठ्यक्रमों के साथ-साथ अंशकालिक व गहन प्रशिक्षण तथा 'लीला' प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ के प्रशिक्षण का कार्य भी सम्पूर्ण देश में सतत् चल रहा है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से लाखों अधिकारी/कर्मचारी हिंदी भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन यह अनुभव किया जाता रहा है कि हिंदी कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं किंतु हिंदी लिखने का अभ्यास नहीं होने के कारण हिंदी लिखने से संबंधित मामलों में उनकी झिझक तथा शंकाएं पूरी तरह दूर नहीं हो पातीं। विशेषकर वित्त/विधि/नीतिगत मामले तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करना उनको कठिन-सा प्रतीत होता है। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की इस झिझक को दूर करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन-7 की स्वीकृत सिफारिश सं॰-16.7(क) द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में केंद्रीय सरकारी कार्मिकों को हिंदी में प्रवीणता दिलाने के उद्येश्य से अभ्यास पर आधारित 'पारंगत' नामक एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है।

इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा इस तरह तैयार की गईं है कि कार्मिक हिंदी में लिखने का अधिकाधिक अभ्यास कर सकें। अभ्यासोन्मुख इस पाठ्यक्रम को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हिंदी के प्रयोजनमूलक विभिन्न आयामों यथा-प्रशासन, वित्त, बैंकिंग, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी आदि दिशाओं में विकसित किया गया है।

पाँच अध्यायों में विभाजित इस पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को स्पष्ट करने के लिए प्रकरणों में बांटा गया है।

पहला अध्याय 'कार्यालयीन हिंदी के स्वरूप एवं पारिभाषिक शब्दावली' से संबंधित है। इस अध्याय में ध्वनि, शब्द, रूप व वाक्य स्तर पर मानक हिंदी के स्वरूप, कार्यालयीन हिंदी के स्वरूप तथा भाषागत सामान्य त्रुटियों की चर्चा की गई है। शासकीय कार्य संचालन की सुचारु व्यवस्था करने हेतु शासन में प्रयुक्त विभिन्न पत्रों का संक्षिप्त परिचय, पत्रों के नमूने व अभ्यास हेतु स्थितियाँ दी गई हैं। इस क्षेत्र के सटीक पारिभाषिक शब्द तथा अभिव्यक्ति हेतु आम प्रयोग के पदबंध भी दिये गए हैं।

द्वितीय अध्याय में सामान्य प्रशासन से जुड़े विविध पहलुओं की चर्चा की गयी है। कार्मिकों की नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक के प्रशासनिक मामलों, उनके आचरण एवं गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियमों, सेवा के हित लाभों व सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे विषयों की संक्षिप्त जानकारी देते हुए उनसे संबंधित पारिभाषिक शब्द व मसौदों के अभ्यास हेतु विविध स्थितियाँ दी गई हैं।

तृतीय अध्याय का शीर्ष 'वित्त' है। इसके अंतर्गत दिये गए विविध प्रकरणों में कार्यालय में वित्त और लेखा संबंधी मामलों यथा-वेतन, अग्रिम, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, वस्तुओं के क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित करना तथा अन्य वित्तीय मामलों से संपृक्त शब्दों तथा पत्राचार का अभ्यास करवाने के लिए अलग-अलग स्थितियाँ दी गई हैं ताकि कर्मचारी इस क्षेत्र से जुड़े विविध शब्दों की जानकारी प्राप्त कर अपना दैनंदिन कार्यालयीन कार्य सुचारु रूप से कर सकें।

चतुर्थ अध्याय को बैंकों की विशिष्ट कार्यपद्धति को स्पष्ट करने के लिए इंटर बैंकिंग, इंटरा बैंकिंग, गैर-बैंकिंग संस्थाओं/कार्यालयों तथा ग्राहकों के साथ पत्र-व्यवहार नामक प्रकरणों में विभाजित किया गया है। बैंकिंग प्रणाली में प्रयुक्त पत्राचार को राजभाषा हिंदी अथवा कार्यालयीन भाषा में किस प्रकार किया जाए इसका संक्षिप्त परिचय देते हुए अभ्यास पर ज़ोर दिया गया है ताकि बैंकर और जनसमूह में सम्प्रेषण सहज और सरल हो सके।

राजभाषा का कार्य केवल आंतरिक प्रशासन व्यवस्था तक सीमित नहीं है। कृषि से लेकर अन्तरिक्ष विज्ञान; इन्टरनेट से लेकर नेनो टेक्नोलोजी, ज्ञान-विज्ञान का हर क्षेत्र इसकी परिधि में आता है।

पंचम अध्याय में ज्ञान-विज्ञान के इस विशालतम क्षेत्र से जुड़े शब्दों आदि का विविध प्रकरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। विश्व की संकल्पनाओं, पद्धतियों, आविष्कारों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के सटीक पारिभाषिक शब्द तथा व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए आम प्रयोग के पदबंध भी दिए गए हैं।

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हिंदी में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, प्रशिक्षण देना एवं अभ्यास करवाना है ताकि हिंदी में कार्य करने की गति तेज हो सके।

यह अत्यंत गर्व का विषय है कि जुलाई, 2015 से हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत 'पारंगत' का प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। यह प्रशिक्षण गहन की पूर्णदिवसीय कक्षाओं में कुल 20 कार्यदिवसों तथा हिंदी शिक्षण योजना की दीर्घकालीन अवधि की कक्षाओं में कुल 160 घंटों में पूर्ण किया जाएगा।

'पारंगत' पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के प्राध्यापकों तथा सहायक निदेशकों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। जून माह में संयुक्त सचिव, राजभाष के मार्गदर्शन में गुवाहाटी में संस्थान के सभी क्षेत्रों के प्रशिक्षकों को 'पारंगत' का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कार्यरत अन्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकें।

जून 2015 में ही नई दिल्ली में हिंदी प्रध्यापकों के लिए आयोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के दौरान निदेशक (तकनीकी) राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में 'पारंगत' पाठ्यक्रम पर आधे दिन का विशेष सत्र आयोजित कर देश के विभिन्न भागों से आए हिंदी प्राध्यापकों एवं नई दिल्ली में तैनात सहायक निदेशकों को प्रशिक्षित किया गया।

जून, 2015 में ही मुंबई, चेन्नै, बैंगलुरु, हैदराबाद तथा कोलकाता केंद्रों पर भी 'पारंगत' का प्रशिक्षण देने के लिए सभी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए।

विश्वास है कि राजभाषा विभाग का यह प्रयास राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को नई दिशा प्रदान करेगा तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करेगा व हिंदी के प्रति एक सकारात्मक सोच का निर्माण करेगा।

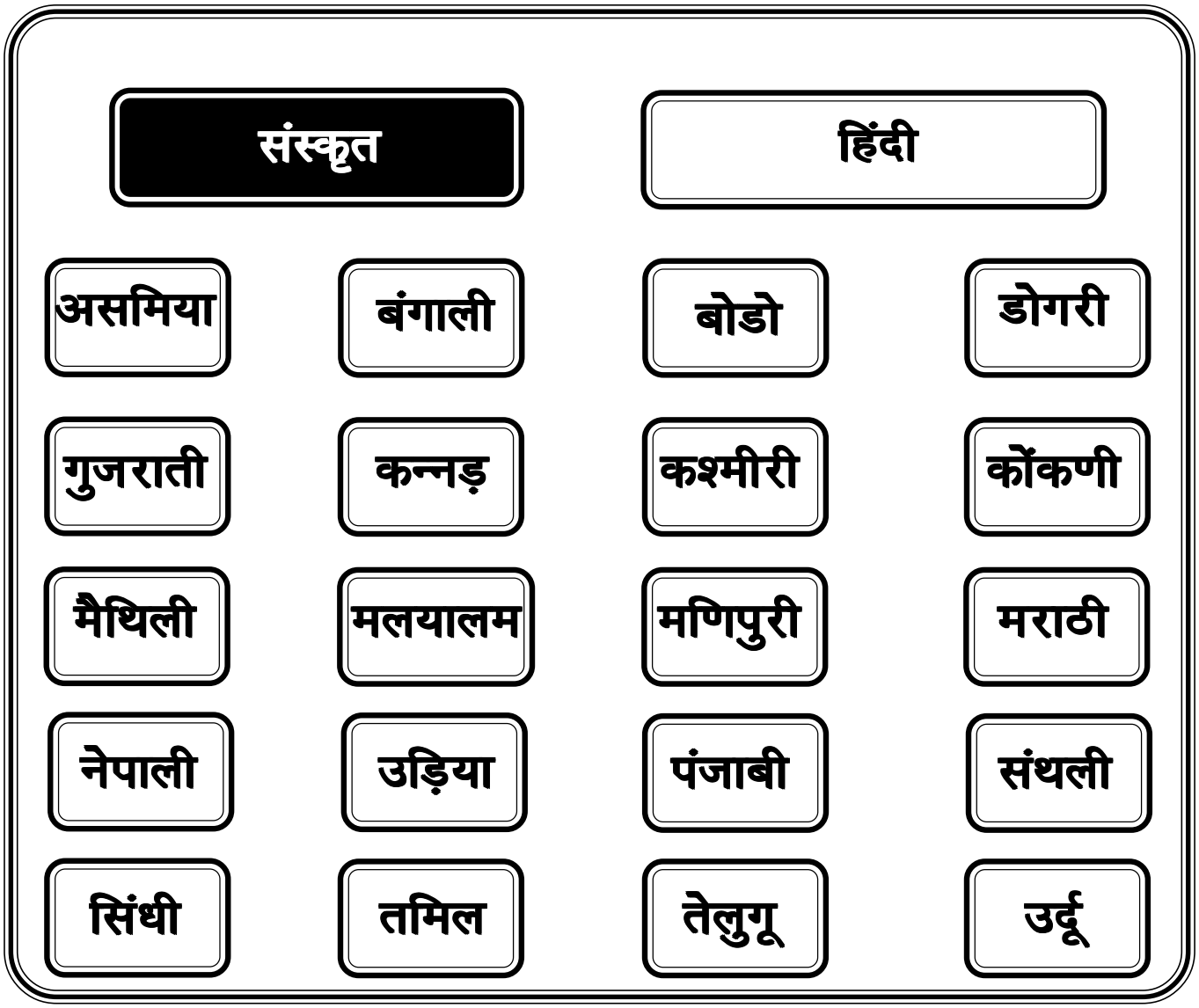

(क) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

पंजाब नेशनल बैंक, भिवानी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिवानी की द्वितीय बैठक श्री महेश चंद्र नराकास अध्यक्ष एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, भिवानी की अध्यक्षता में दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को पंजाब नेशनल बैंक, अग्रणी बैंक कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नई दिल्ली से श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) विशेष रूप से उपस्थिति थे। बैठक के प्रारंभ में श्री एन॰एस तंवर, वरि॰ प्रबंधक (राजभाषा), मंडल कार्यालय, रोहतक ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया व नराकास अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही शुरू की। अपने उद्‌बोधन में श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने भारत सरकार की राजभाषा नीति, नियम व नराकास की महत्ता तथा विभिन्न मदों के अंतर्गत हिंदी का कार्य करने पर प्रकाश डाला। भिवानी शहर में गृह मंत्रालय द्वारा नराकास का दायित्व पंजाब नेशनल बैंक को सौंपा गया है। अत: श्री महेश चंद्र, नराकास अध्यक्ष एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, भिवानी ने बैठक में सभी सदस्य कार्यालयों को कहा कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जोर-शोर से कार्य करें ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उप निदेशक, गृह मंत्रालय ने 2015-2016 के राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के विभिन्न मदों पर प्रकाश डाला तथा निर्धारित लक्ष्यों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी कार्यालय प्रमुखों/प्रतिनिधियों का आह्‌वान किया कि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाएं तथा लक्ष्यों को भी पार करें। श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने राजभाषा नीति, नियम, अधिनियम तथा विभाग के आदेशों एवं उनके क्रियान्वयन के बारे में सदस्य कार्यालयों को विस्तार से अगत कराया। यूनीकोड साफ्टवेयर पर चर्चा के दौरान नराकास अध्यक्ष ने अवगत कराया कि पहले सभी विभाग/कार्यालय अपने नियंत्रक कार्यालयों में तैनात राजभाषा अधिकारी की सहायता से अपने कार्यालयों में यूनीकोड इंस्टाल करवा लें। यदि फिर भी इस बारे में कोई दिक्कत आती है तो नराकास स्तर पर एक यूनीकोड प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी जाएगी।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिसार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिसार की वर्ष 2015-16 की प्रथम छमाही बैठक दिनांक 30 अप्रैल, 2015 को आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री अशोक कुमार सरोहा जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नई दिल्ली से अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र मेहरा भी उपस्थित हुए। बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सदस्य सचिव एवं सहायक निदेशक (राजभाषा) श्रीमती नीला मल्होत्रा ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए सभी को अपना परिचय अध्यक्ष महोदय को दने को कहा एवं बैठक की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु अनुरोध किया। तत्पश्चात् पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना सभी सदस्यों को दी गई। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तृत रूप से सभी मदों पर चर्चा की गई और कार्यक्रम की प्रति भी सबको फील्डर में उपलब्ध करवाई गई। वार्षिक कार्यक्रम में नियत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सार्थक प्रयास करने हेतु भी बैठक में अनुरोध किया गया। केंद्रीय विद्‌यालय हिसार की प्राचार्य सुश्री मंजू यादव ने समस्या बताई कि आजकल हर पत्र का जवाब फैक्स द्वारा तुरंत मांगा जाता है। अत: राजभाषा विभाग द्वारा कोई ऐसा साफ्टवेयर तैयार करवाया जाए, जिसमें पत्र का हिंदी अनुवाद तुरंत मांगा जाता है। अत: राजभाषा विभाग द्वारा कोई ऐसा साफ्टवेयर तैयार करवाया जाए, जिसमें पत्र का हिंदी अनुवाद तुरंत उपलब्ध हो सके चूंकि गूगल ट्रांसलेशन पर सटीक अनुवाद उपलब्ध नहीं हो पाता। अध्यक्ष महोदय ने सहमति जताते हुए कहा कि ये समस्या सभी कार्यालयों में है परंतु मशीन और मानव में यही अंतर है कि कंप्यूटर मानवीकृत मशीन है और आपके विचारों/भावनाओं को सही ढंग से अनुवाद को प्रस्तुत नहीं कर पाते, फिर भी प्रयास जारी है। इस संबंध में पत्र राजभाषा विभाग को लिख दिया जाएगा। यह सूचित किया गया कि पिछली बैठक में किए गए निर्णयानुसार नगर स्तर पर यूनिकोड में हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु एवं अन्य विषयों पर कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित है ताकि छोटे कार्यालय जो अपने स्तर पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन नहीं कर पाते उन्हें इस कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जा सकें। राजभाषा विभाग के प्रतिनिध श्री नरेन्द्र मेहरा जी ने केंद्रीय विद्‌यालय की प्राचार्य से इस कार्यशाला हेतु अपनी प्रयोगशाला उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया, जिसे उन्होंने सहर्ष माना लिया। अत: निर्णय लिया गया कि तिथि नियत कर सभी कार्यालयों को सूचित कर दिया जाएगा। श्री नरेन्द्र मेहरा जी अपने संबोधन में कहा कि बैठक में प्रथम बार इतनी उपस्थिति देखकर हर्ष हो रहा है। समिति का पोर्टल बन जाने से काफी कार्य उस पर ही संपन्न हो जाएगा, जिसमें आपका

(शेष पृष्ठ 73 पर)

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, चंडीगढ

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, चंडीगढ़ क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 को श्री प्रदीप आर सेठी, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उ॰प॰ क्षेत्र, चण्डीगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक आरंभ होने से पूर्व सदस्य सचिव ने समिति अध्यक्ष श्री प्रदीप आर॰ सेठी, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त तथा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व उ॰प॰ क्षेत्र में राजभाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ेगा। सर्वप्रथम पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों और तिमाही रिपोर्टों पर चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों को वर्ष 2015-16 के वार्षिक कार्यक्रम की प्रति उपलब्ध कराई गई और लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से कहा कि वे लक्ष्यों के अनुसार कार्रवाई करें। बैठक में संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली की प्रत्येक मद की जानकारी सदस्यों को दी गई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी अधिकारी इसके अनुसार कार्रवाई करें,ताकि संसदीय राजभाषा समिति के भविष्य में होने वाले किसी भी निरीक्षण में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। बैठक के समापन पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज की बैठक में हमने पिछली बैठक के निर्णयों और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा की है। संसदीय समिति ने अपने निरीक्षण कार्यक्रम बढ़ा दिए हैं और वे हिंदी के कार्य की गहन समीक्षा कर रहे हैं। समिति कभी भी हमारे किसी भी कार्यालय का निरीक्षण कर सकती है। अत: उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना है। जिन कार्यों को हम पहले से ही करवा करते हैं और जो कार्य आदेशों के अनुसार हिंन्दी में अथवा द्विभाषी होने चाहिए उन्हें तत्काल हिंदी में शुरू करवा दिया जाए। हर अधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि नियमों की पूरी तरह से पालना हो। जब किसी एक कार्यालय का निरीक्षण होता है तो उससे बड़े कार्यालय की भी जिम्मेवारी तय होती है। कई बार हम बैठकों में चर्चा करते हैं, निर्णय लेते हैं परंतु उन निर्णयों को लागू नहीं किया जाता। फिर निरीक्षण के दौरान बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अत: मैं चाहता हूं कि सभी अधिकारी राजभाषा के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझें और बैठकों के निर्णयों और आदेशों को लागू करें।

राष्ट्रीय प्रसारण व मल्टीमीडिया अकादमी, भुवनेश्वर

श्री प्रकाश कुमार पति, उपमहानिदेशक अभियांत्रिकी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 28 अप्रैल, 2015 को संपन्न हुई। अध्यक्ष महोदय के अनुदेशानुसार सदस्य सचिव ने पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को प्रस्तुत किया। पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी गई। बैठक में निम्नानुसार विचार-विमर्श किए गए और निर्णय लिये गये।11 अप्रैल, 2015 को संसदीय राजभाषा समिति की उप समिति द्वारा हमारे कार्यालय का निरीक्षण किया गया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह निरीक्षण अत्यंत सफल रहा। समस्त सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि संसदीय राजभाषा समिति के आदरणीय सदस्यों ने जो मार्गदर्शन दिए हैं, उसका पूरा-पूरा अनुपालन किया जाएगा। प्रोत्साहन योजना के बारे में चर्चा की गयी। सदस्य सचिव श्री गोपाल कुमार ने कहा कि प्रोत्साहन योजना इस कार्यालय में पहले से लागू है। हिन्दी में पत्राचार की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। सदस्य सचिव ने कहा हमारे यहां पत्राचार की प्रगति हुई है फिर भी निर्धारित लक्ष्य 55 प्रतिशत से कम है। अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि पत्राचार की स्थिति को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। सदस्य सचिव ने सभा को अवगत कराया कि वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम हमारे कार्यालय में प्राप्त हो गया है, उस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम की प्रति सभा में प्रस्तुत की। तदुपरांत बैठक में वार्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक मदों पर विस्तार से चर्चा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि समस्त अधिकारी/कर्मचारियों में परिचालित किया जाए। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कार्यालय में दो हिंदी समाचार पत्र जैसे ''सन्मार्ग'' और ''नवभारत टाइम्स'' मंगाया जाएगा।

आयकर आयुक्त, हिसार

आयकर आयुक्त, हिसार प्रभार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अप्रैल से जून तिमाही की बैठक 30 अप्रैल, 2015 को माननीय आयकर आयुक्त श्री अशोक कुमार सरोहा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए श्री दलबीर सिंह, प्रशासनिक अधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं अपने कार्यालय में हिंदी में हो रहे कार्यों की जानकारी सभी सदस्यों को दी। तत्पश्चात् उन्होंने सहायक निदेशक (राजभाषा) से आगे की बैठक की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया। सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सूचित किया कि हिसार प्रभार की जनवरी से मार्च

तिमाही की बैठक 17 मार्च, 2015 को आयोजित की गई थी। बैठक के कार्यवृत्त एवं लिए गए निर्णयों की सूचना सभी को 31 मार्च को भिजवा दिए गए थे। कहीं से भी कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त न होने पर सर्वसम्मति से बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई। यह भी सूचित किया गया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर न मिलने के कारण समेकित रिपोर्ट मुख्य आयकर आयुक्त, कार्यालय पंचकूला को भेजने में विलंब होता है। अत: प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 2 या 3 तारीख तक उक्त रिपोर्ट आयकर आयुक्त कार्यालय हिसार में भिजवा दी जाएं ताकि समेकित रिपोर्ट 5 तारीख तक मुख्यालय भिजवाई जा सके। धारा 3 (3) एवं राजभाषा नियम 5 का अनुपालन सभी कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करेन हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम की प्रति सभी सदस्यों को फोल्डर में उपलब्ध करवाई गयी और क्रमवार सभी मदों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आयकर सहायक आयुक्त श्री जितेन्द्र सिंह एवं आयकर अधिकारी, सिरसा सुश्री पूनम ने कार्यालय में हिंदी कार्य करने हेतु स्टाफ न होने की समस्या बताई। सहायक निदेशक (राजभाषा) ने इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखने हेतु कहा। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उन्होंने निदेश देते हुए कहा कि अभी वर्ष का आरंभ ही हुआ है और हमारे पास 11 माह का समय है। अत: हम निर्धारित टिप्पणी, पत्राचार इत्यादि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि अभी से सार्थक प्रयास करें तो लक्ष्य एक हद तक प्राप्त किए जा सकते हैं। विभागीय पत्रिका पल्लव के 11वें अंक हेतु रचनाएं भेजने के संबंध में भी सभी से अनुरोध किया गया ताकि पत्रिका का प्रकाशन समय पर संभव हो पाए। हिसार प्रभार हेतु हिंदी पुस्तकें खरीदने के संदर्भ में भी आयकर आयुक्त महोदय ने सहायक निदेशक (राजभाषा) को निदेश दिए। यह भी सूचित किया गया कि सभी कंप्यूटरों पर यूनीकोड को सक्रिय करने के संबंधी जानकारी कार्यशाला में दी गई है। अत: इसका उपयोग राजभाषा हिंदी में अधिक-से-अधिक कार्य कर लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। इस संदर्भ में यह भी सूचित किया गया कि मानक प्रपत्रों की सी॰डी॰ भी हिसार के 2-3 कंप्यूटरों पर लोड कर दी गई है जहां से अन्य इसे अपने कंप्यूटर पर ले सकते हैं तथा incometaxindia.gov.in पर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि कोशिश करने से हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी मिलजुलकर सहयोग की भावना से काम कीजिए तथा काम को बोझ न समझिए। भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाइए और कर लक्ष्य के साथ-साथ राजभाषा के लक्ष्यों को भी प्राप्त कीजिए।

आकाशवाणी, हैदराबाद

आकाशवाणी हैदराबाद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही की बैठक दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को मो॰ खमरूद्दीन, उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) एवं कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में उनके कक्ष में संपन्न हुई। सर्वप्रथम सदस्य सचिव ने समिति के अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। तदुपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। हिंदी अनुवादक ने दिनांक 28 जनवरी, 2015 को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त को पढ़कर सुनाया और उस पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्रवाई रिपोर्ट को सर्वसम्मति से समिति द्वारा पुष्टि की गई। बाद में, निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई और लिए गए निर्णय निम्न प्रकार हैं—हिंदी अनुवादक ने समिति को जानकारी दी कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में कार्यालय द्वारा क, ख तथा ग क्षेत्रों के साथ क्रमश: 61, 85.7 और 71.8 प्रतिशत पत्राचार हिंदी/द्विभाषी में किया गया जो औसतन 67.65 प्रतिशत है और पिछली तिमाही में यह 62.87 प्रतिशत था। पिछली तिमाही तथा निर्धारित लक्ष्य (ग क्षेत्र के लिए 55 प्रतिशत) की तुलना में इस तिमाही में हिंदी पत्राचार में हुई वृद्धि पर अध्यक्ष महोदय ने हर्ष व्यक्त करते हुए इसे आगे भी बरकरार रखने के लिए सभी सदस्यों से आग्रह किया। समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि रा॰भा॰ अधिनियम की धारा 3(3) जिसके अधीन सामान्य आदेश/कार्यालय आदेश/परिपत्र/ज्ञापन, संविदाएं, करार, अधिसूचनाएं आदि जैसे दस्तावेज द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) में ही जारी किए जाने चाहिए, का पूरी तरह से कार्यालय में अनुपालन किया जा रहा है और 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में कार्यालय से 417 ऐसे दस्तावेज द्विभाषी में जारी किए गए। समिति को सूचित किया गया कि रा॰भा॰ विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (ग क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत) की अपेक्षा कार्यालय में 31 मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही में 40.11 प्रतिशत टिप्पणियां हिंदी में लिखी गई हैं। सदस्य सचिव ने सदस्यों को सूचित किया कि कार्यालय में दो प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जा रही हैं। हिंदी अनुवादक ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि रा॰भा॰ विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निहित महत्वपूर्ण अनुदेश के अनुसार सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कार्यालय के सभी 48 कंप्यूटरों में यूनिकोड की सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई गई है और सभी अनुभागों के प्रयोगार्थ सभी कंप्यूटरों पर राजभाषा एकक द्वारा मानक द्विभाषी टेम्प्लेट भी उपलब्ध कराए गए हैं।

दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी

दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी के सभाकक्ष में दिनांक 20 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया। सर्वप्रथम उप महानिदेशक (अभि॰) महोदय ने सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस बैठक में स्वागत कर बैठक की कार्यसूची के संचालन का निर्देश दिया। अध्यक्ष महोदय ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। उन्होंने

कहा कि ''गरिमा'' नामक गृह पत्रिका के लिए जितने भी लेख हो, उनका 1 मई, 2015 को विमोचन करने के लिए कहा। हिंदी पुस्तकों की खरीददारी से अधिकारियों/कर्मचारियों को काफी फायदा पहुंचा है। सभी को फाइल कवरों में द्विभाषिक शब्द रखने के लिए कहा, ताकि राजभाषा के प्रयोग में कोई भी समस्या न हो। कार्यालयाध्यक्ष ने सदस्य सचिव को हिंदी में पत्राचार की और वृद्धि करने का सुझाव दिया ताकि हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी रिपोर्ट में बढ़ोतरी हो सके।

आकाशवाणी, कटक

श्री आनंदचंद्र सुबुद्धि, निदेशक अभियांत्रिकी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को संपन्न हुई। 8 जनवरी, 2015 को आयोजित तिमाही बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से पुष्टि के बाद हुए विचार-विमर्श और लिये गए निर्णय इस प्रकार हैं:- जनवरी-मार्च 2015 तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभाग अधिकारियों से आग्रह किया कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के अधिक-से-अधिक पत्राचार हिंदी में अवश्य करें। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा हुई। इसमें भी पत्राचार का लक्ष्य ''ग'' क्षेत्र के लिए 55 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न करने हेतु निर्णय लिया गया। सहायक निदेशक (रा॰भा॰) ने वार्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक मदों से सदस्यों को अवगत कराया। विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। हिंदी कार्यशाला के आयोजन के बारे में चर्चा की गयी। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चालू तिमाही के दौरान हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव दिया कि इस कार्यशाला को संयुक्त हिंदी कार्यशाला के रूप में क्षेत्रीय प्रसारण व मल्टीमीडिया अकादमी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाए। विज्ञापन प्रसारण सेवा के प्रतिनिधि डॉ॰ तपन दत्त ने कहा कि महानिदेशालय के निरीक्षण के बाद से कार्यालय में हिंदी कार्यान्वयन को गति मिली है। वि॰प्र॰से॰ के लगभग सारे कर्मचारी हिंदी में काम करने की दिशा में प्रयासरत हैं और आगे इस क्षेत्र में जरूर प्रगति होगी।

दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल

केंद्र में राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार बढ़ाने एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष महोदय श्री पी॰ सेतुमाधवन की अनुमति से हुई। बैठक का शुभारंभ समिति के सदस्य सचिव श्री आर॰एम॰ पोरवाल के स्वागत कथन द्वारा किया गया। सर्वप्रथम पिछली तिमाही बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। तत्पश्चात् इस संबंध में उपस्थित समिति सदस्यों को अवगत कराया। समिति ने सर्वसम्मति से सुझावों को अमल में लाने की पुष्टि की। अप्रैल-2015 के द्वितीय सप्ताह में 1. सरकारी कामकाज में सरल एवं सहज हिन्दी 2. हिंदी शिक्षण दशा और दिशा नामक विषयों पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए। उक्त विषयों के साथ सीजीएचएस चिकित्सा नियमों और आरटीआई के बारे में भी जानकारी दी जाए। केंद्र द्वारा प्रकाशित की जाने वाली हिन्दी पत्रिका ''दृष्टि'' में पूर्व की भांति प्रधान संपादक के रूप में श्री पी सेतु माधवन, निदेशक संपादक के रूप में श्री आर एम पोरवाल, सहायक निदेशक (राजभाषा) तथा संपादक मंडल में 1. समाचार अनुभाग से श्री विनोद नागर, उप निदेशक 2. कार्यक्रम अनुभाग से श्री एस॰एन॰ सिंग, सहायक निदेशक 3. अभियांत्रिकी अनुभाग से श्री एस॰के॰ सिंग, सहायक निदेशक तथा 4. प्रशासनिक अनुभाग से श्री ए॰के॰ श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी को रखा जाए। केंद्र द्वारा प्रकाशित की जानेवाली हिंदी पत्रिका ''दृष्टि'' का प्रकाशन ई-पत्रिका के रूप में किया जाए तथा उक्त पत्रिका को केंद्र की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। अंततः राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव श्री आर एम पोरवाल ने उपस्थित सभी समिति सदस्यों का आभार व्यक्त कर बैठक का समापन किया।

मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना

मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना प्रभार की 45वीं बैठक दिनांक 27 मार्च, 2015 को श्री बी॰बी॰ नानावटी, प्रधान आयकर आयुक्त, लुधियाना की अध्यक्षता में आयकर भवन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। सदस्य सचिव ने बताया कि पिछली बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को आयोजित करवाई गई थी, जिसके कार्यवृत्त मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय के अधीन सभी कार्यालयों को भिजवा दिए गए थे। उन्होंने बताया कि दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उन पर मदवार अनुवर्ती कार्रवाई है-पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विभाग के आंतरिक काम-काज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने एवं लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाने तथा सभी कार्यालयों/अधिकारियों के पत्र शीर्ष द्विभाषी ही बनवाए जाने के संबंध में पुनः निदेश जारी करवा दिए गए हैं। अधिकारियों द्वारा हिंदी के काम को बढ़ाने के लिए स्वयं पहल करने एवं निरंतर मॉनिटरिंग करते रहने के संबंध में भी निदेश जारी करवा दिए गए हैं। कुछ आयुक्त कार्यालयों से इस संबंध में कार्रवाई किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। वर्ष 2014-2015 के लिए पुस्तकालय के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित स्तरीय हिंदी पुस्तकों की खरीद कर ली गई है। इस वर्ष हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकें भी खरीदी गई हैं। 'राजभाषा रश्मि' गृह पत्रिका का 16वां अंक प्रकाशित करवाया जा चुका है। इस तिमाही में हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट सभी आयुक्त प्रभारों से समय पर प्राप्त हो गई थी, जिसे समेकित करके दिनांक 7 जनवरी, 2015 तक प्रधान मुख्य

आयकर आयुक्त चंडीगढ़ एवं आयकर निदेशालय, नई दिल्ली को भिजवा दिया गया।

कार्पोरेशन बैंक, दिल्ली

श्री नागराज शेट्टी, उप महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख, कार्पोरेशन बैंक, आंचलिक कार्यालय, दिल्ली की अध्यक्षता तथा डॉ॰ वेद प्रकाश दूबे, संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में दक्षिण स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा समिति की 55वीं विशेष बैठक आयोजित की गई । बैठक का शुभारंभ समिति के सदस्य सचिव एवं उप महाप्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक डॉ॰ जयंती प्रसाद नौटियाल ने बैठक के अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक श्री नागराज शेट्टी, विशेष अतिथि डॉ॰ वेद प्रकाश दूबे, संयुक्त निदेशक, श्री प्रदीप शर्मा, सचिव, संसदीय राजभाषा समिति तथा सभी उपस्थिति अधिकारियों का औपचारिक रूप से स्वागत किया। संबोधन में डॉ॰ वेद प्रकाश दूबे, संयुक्त निदेशक ने माननीय सचिव, राजभाषा विभाग, गृह विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र का संदर्भ दिया, जिसमें मार्च, 2015 तक आई॰टी॰ में पूर्ण रूप से हिंदी को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सदस्य बैंकों को महाप्रबंधक, आई॰टी॰ प्रभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया ताकि इस कार्य में यथाशीघ्र सफलता प्राप्त हो। उन्होंने केनरा बैंक की सहायता से उपरोक्त को लागू करने का सुझाव दिया। सदस्य सचिव, डॉ॰ जयंती प्रसाद नौटियाल, उप महाप्रबंधक ने समिति की गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि पिछली बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को समय पर भेज दिया गया था। उन्होंने यह भी सूचित किया कि उससे संबंधित कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात् समिति ने सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की।

आकाशवाणी केंद्र, जलगांव

आकाशवाणी केंद्र जलगांव में संपन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी, फरवरी, मार्च, 2015 तिमाही बैठक निदेशक (अभियांत्रिकी)/केंद्र प्रमुख श्री एस॰एम॰ बोदेले महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 7 मई, 2015 को संपन्न हुई। सर्वप्रथम अध्यक्ष एवं सचिव ने बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। इससे पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई। सचिव ने पिछली तिमाही के बैठक कार्यवृत्त सभी सदस्यों के सम्मुख मदवार सुझाव एवं निर्णय पर की गयी कारवाई प्रस्तुत की। समीक्षा के पश्चात् सदस्य सचिव ने जनवरी, फरवरी, मार्च 2015 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट से सदस्यों को अवगत कराया कि कार्यालय का पत्राचार लक्ष्य के समीप आ रहा है। अत: अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में ही किया जाए। इस तिमाही में पत्राचार रहा है 'क' क्षेत्र को - 80.92, 'ख' क्षेत्र को - 81.32, 'ग' क्षेत्र को - 87.25। नये सुझाव मद एवं निर्णय इस प्रकार रहें-समिति अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को धारा 3 (3) का ज्यादा प्रयोग करने का सुझाव दिया। स्थानीय पत्राचार हिंदी में ही किया जाए ताकि पत्राचार के प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सभी विभागों द्वारा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा भेजे जाने वाले ई-मेल का उल्लेख प्रेषण विभाग के रजिस्टर में किया जाना आवश्यक हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों के लिए हिंदी विशेष डायरी बनवाई जाए, जिसमें केवल हिंदी में प्राप्त पत्रों की प्रविष्टि की जाए। सहायक निदेशक कार्यक्रम ने सुझाव दिया कि बैठक में प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त पत्रों की संख्या तथा हर क्षेत्र में भेजे गये हिंदी/अंग्रेजी पत्रों की संख्या की जानकारी हिंदी विभाग प्रस्तुत करेगा ताकि पत्रों का सही आकड़ा मिल। यह जानकारी उपलब्ध डिस्पैच रजिस्टर और नये हिंदी रजिस्टर से हिंदी विभाग इकट्ठा करेगा। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जा रहे हैं या नहीं इस पर निगरानी रखी जाए। केंद्र प्रमुख ने सुझाव किया कि जून, 2015 में हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाए। बैठक के अंत में सभी सदस्यों के प्रति सचिव ने आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष जी की अनुमति से बैठक का समापन किया।

दूरदर्शन केंद्र, राजकोट

दूरदर्शन केंद्र राजकोट के कार्यालय प्रमुख के कक्ष में दिनांक 12 मार्च, 2015 केंद्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की (जनवरी-मार्च, 2015) तिमाही बैठक श्री अनिल भारद्वाज उप निदेशक अभियांत्रिकी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर हिंदी अधिकारी (प्र॰) एवं सदस्य-सचिव ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करने के पश्चात् पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए राजभाषा प्रयोग की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला और पहले से हिंदी पत्राचार बढ़ाने पर सदस्यों को बधाई दी। सचिव ने अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के संज्ञान में लाया कि 31 दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही में पत्राचार के प्रतिशत में पहले की तुलना में सुधार हुआ है। अध्यक्ष महोदय सहित कार्यक्रम अध्यक्ष व डॉ॰ विजयेश्वर ने हिंदी अधिकारी को स्पष्ट बताया कि ''क'' क्षेत्रों सहित दिल्ली, मुम्बई से लगभग सभी पत्र केवल अंग्रेजी में ही प्राप्त हो रहे हैं और हिंदी में पत्र भेजने पर उसकी कार्रवाई/उत्तर नहीं या देरी से प्राप्त होता है और अनेक बार दूसरे छोर से हिंदी पत्रों को अंग्रेजी में भेजने के लिए फोन भी अक्सर आते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदी में कार्य करना हमारे लिए ही आवश्यक है, क्या अन्य कार्यालयों/अधिकारियों के लिए नहीं। बैठक में सचिव ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक और सरकारी नियमों का क्रियान्वयन एवं अनुपालन सभी के लिए अनिवार्य और बाध्यकारी है। बैठक में प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम 2014-2015 के निर्धारित लक्ष्यों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सचिव ने हाल में हिंदी से संबंधित दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित बुद्धिजीवियों के प्रेरित लेखों से समिति-सदस्यों को अवगत कराया, जिसमें 180 वर्ष अर्थात् 1835 में

लार्ड मैकाले द्वारा भारतवासियों पर अंग्रेजी थोपने का विद्वेषपूर्ण सफल षड़यंत्र का पर्दाफाश करने के साथ देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को दर्शाया गया है। अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का धन्यवाद करके बैठक की इतिश्री की।

आकाशवाणी, सूरतगढ़

आकाशवाणी, सूरतगढ़ केंद्र में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (जनवरी-मार्च, 2015) दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को कार्यक्रम प्रमुख एवं केंद्राध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह बैठक राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रगति पर चर्चा एवं विचार हेतु रखी गई थी। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। आगे की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पिछली तिमाही की बैठक में लिए गए निर्णयों तथा उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करवाया गया। केंद्राध्यक्ष महोदय ने समस्त प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जा रहा है। कार्यालय के सभी नामपट्ट द्विभाषी हैं। रबड़ की सभी मोहरें भी द्विभाषी हैं। सदस्यों द्वारा आकाशवाणी, सूरतगढ़ का हिंदी भाषा में एक इलैक्ट्रिक बोर्ड बनाकर केंद्र के मुख्य द्वार पर लगाने का सुझाव दिया गया है। हिंदी के स्लोगन वाले बोर्ड भी बनवाने का प्रस्ताव भी दिया गया। भारत और राजस्थान के बढ़िया क्वालिटी के हिंदी भाषा के नक्शे कार्यालय में लगवाने संबंधी सुझाव भी दिया गया। महानिदेशालय, अपर महानिदेशक (अभि॰) नई दिल्ली एवं केंद्र निदेशक, जयपुर की रबड़ की मोहरें बनवाकर डायरी-डिस्पैच अनुभाग को उपलब्ध करवाने का सुझाव भी दिया गया है। प्रस्ताव पिछली तिमाही बैठक में रखा गया था। परंतु केंद्र पर पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण यह कार्य नहीं करवाया जा सका। केंद्राध्यक्ष महोदय ने चालू वित्तीय वर्ष में (2015-2016) में अगली तिमाही बैठक से पूर्व उपरोक्त कार्य करवाने का समिति के सदस्यों को आश्वासन देते हुए संबंधित अनुभाग को निर्देश दिये। केंद्राध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त सामान शीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु लेखपाल एवं सामान्य भंडार पाल को निर्देश दिए हैं। श्री रामस्वरूप वर्मा, सदस्य ने कार्यालय परिसर में हिंदी के स्लोगन लगाने हेतु प्रस्ताव दिया जिससे अध्यक्ष महोदय ने सहमत होते हुए कहा कि हिंदी स्लोगन प्रपत्र बनवाकर कार्यालय व स्टूडियो परिसर के मुख्य स्थानों पर लगाने चाहिए तथा केंद्राध्यक्ष महोदय ने चालू वित्तीय वर्ष में (2015-2016) में अगली तिमाही बैठक से पूर्व उपरोक्त कार्य करवाने का समिति के सदस्यों को आश्वासन देते हुए संबंधित अनुभाग को निर्देश दिये। केंद्राध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि कार्यालय में ज्यादा से ज्यादा पत्र हिंदी में जारी किए जाएं, जिससे हिंदी में कार्य करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। हिंदी में शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास और करने होंगे। यदि केंद्र पर हिंदी अनुवादक हो तो इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते रहने के आह्वान के साथ बैठक समापन की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हाजीपुर

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 49वीं बैठक दिनांक 16.4.2015 को श्री ए॰ के॰ मित्तल, महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर की अध्यक्षता में मुख्यालय के नए प्रशासनिक भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। श्री सुरेन्द्र कुमार ने समिति के अध्यक्ष व महाप्रबंधक श्री ए॰ के॰ मित्तल, विभागाध्यक्षों एवं मंडलों आदि से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसके पश्चात् उन्होंने पिछली बैठक दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 के उपरांत राजभाषा संबंधी किए गए प्रमुख कार्यकलापों की जानकारी दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि महाप्रबंधक महोदय और मुख्य राजभाषा अधिकारी के निर्देश और सभी सदस्यों की सलाह से पूर्व मध्य रेल पर राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में और वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य रेल पर राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में जहां कहीं भी कठिनाइयां आएंगी उन्हें आपसी सहयोग से दूर किया जाएगा। मुख्य राजभाषा अधिकारी सह मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर श्री अमरनाथ झा ने समिति के अध्यक्ष व महाप्रबंधक श्री ए॰ के॰ मित्तल व अपर महाप्रबंधक श्री दीपक दवे को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उन्होंने विभागाध्यक्षों एवं मंडलों आदि से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि पूर्व मध्य रेल पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार में तेजी लाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना था कि क्षेत्रीय रेल राजभाषा की इस बैठक में राजभाषा के प्रयोग-प्रसार की समीक्षा की जाएगी और कमियों को दूर करने का समुचित प्रयास किया जाएगा। पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के उपरान्त उप महाप्रबंधक (राजभाषा) सह सदस्य सचिव ने पिछली बैठक के प्रमुख निर्णयों पर अनुपालन की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराया। सदस्य सचिव ने सूचित किया कि आलोच्य तिमाही में कुल 369 बैठकों का आयोजन हुआ, जिनमें से 367 वार्तालाप/कार्यवाइयां पूरी तरह हिंदी में की गई। अध्यक्ष महोदय ने विभागीय बैठकों में वार्तालाप/कार्यवाइयां हिंदी/द्विभाषी में जारी करने का आदेश दिया। अपर महाप्रबंधक श्री दीपक दवे ने कहा कि इस रेल पर अधिकांश कार्य हिंदी में किए जाने चाहिए, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर पर यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में कार्य किया जाए ताकि एकरूपता के साथ कामकाज में तेजी आ सके। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से संबंधित विशेषकर ग्रुप-डी से संबंधित सभी आदेश-निर्देश, नियम व उपनियम अंग्रेजी के साथ-साथ सरल हिंदी में भी जारी किया जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड सुविधा उपलब्ध करायी जाए। सदस्य सचिव सह उप महाप्रबंधक/राजभाषा सुरेन्द्र कुमार द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार प्रकट करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति (क्षेरेराकास) की पहली बैठक दिनांक 25 मार्च, 2015 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री आर॰ के॰ गुप्ता की अध्यक्षत में संपन्न हुई। क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पदेन सदस्य सचिव एवं उप महाप्रबंधक/रा॰भा॰ डॉ॰ वरूण कुमार ने समिति के अध्यक्ष-सह-महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, मुराधि, समिति-सदस्यों, मंडलों, कारखानों से पधारे अपर मुराधियों, उप मुराधियों, उप निदेशक (हि॰श॰यो॰) गृह मंत्रालय एवं श्री एस॰के॰ दास, वरिष्ठ संरक्षा अधिकारी/हावड़ा मंडल का स्वागत किया। बैठक की शुरुआत में महाप्रबंधक ने पूर्व रेलवे के राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई पुस्तिका ''राजभाषा सहायिका'' का विमोचन किया। इस पुस्तक में विभागीय परीक्षाओं हेतु राजभाषा संबंधी प्रश्नों का संकलन किया गया है और हिंदी की भाषिक संरचना के मूलभूत पहलुओं की जानकारी दी गई है। महाप्रबंधक एवं अन्य सदस्यों ने पुस्तिका में दी गई सामग्री की प्रशंसा की। महाप्रबंधक ने पूर्व रेलवे की त्रैमासिक पत्रिका ''प्रतिबिम्ब'' का विमोचन किया तथा त्रैमासिक ई-पत्रिका ''पूर्वोदय'' का नेट-एक्टीवेशन किया। इस अवसर पर उन्होंने आसनसोल मंडल के अपर मुराधि के अनुरोध पर उनकी गृह पत्रिका ''रेल रश्मि'' का भी विमोचन किया। मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य इंजीनियर ''प्रमुई'' श्री ए॰के॰ झा ने समिति अध्यक्ष एवं सभी प्रतिभागी अधिकारियों का वर्ष 2015 की पहली बैठक में स्वागत किया। उन्होंने विगत तिमाही की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। महाप्रबंधक एवं समिति के अध्यक्ष ने अपर महाप्रबंधक, मुख्य राजभाषा अधिकारी, प्रमुख विभागाध्यक्षों, मंडलों/कारखानों के राजभाषा समन्वयक अधिकारियों, उप निदेशक (हि॰शि॰यो॰) गृह मंत्रालय का स्वागत करते हुए इस बात पर प्रसन्नता जताई कि हम भारत सरकार द्वारा हिंदी भाषा/टंकण आदि के संबंध में दिए गए लक्ष्य वर्ष 2015 के अंदर प्रशिक्षण को पूरा कर लेने की ओर अग्रसर हैं। समिति ने क्षेरेराकास की दिनांक 18.12.2014 को संपन्न पिछली बैठक के कार्यवृत्त की विधिवत पुष्टि की। पूर्व रेलवे में अब तक 35 कार्यालयों/अनुभागों को राजभाषा नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है। 876 अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए राजभाषा नियम 8 (4) के अंतर्गत व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए हैं। बैठक के अंत में तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें श्री स्वपन्न कुमार दास, वरिष्ठ संरक्षा अधिकारी, मंडल रेल प्रबंधक/हावड़ा ने ''एनडीआरएफ के साथ समग्र आपदा प्रबंधक का अभ्यास'' विषय पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। उन्होंने हावड़ा स्टेशन के निकट हुई एक रेल दुर्घटना को मॉडल के रूप में अपनाते हुए आपदा प्रबंधक टीम द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रिया-कलापों को स्लाइड के माध्यम से प्रदर्शित किया। स्लाइडों में घटनास्थल पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा राहत कार्य, खोजी कुत्ता का उपयोग कर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया जाना, मेडिकल टीम द्वारा सहायता व बचाव कार्य आदि दिखाए गए थे।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने श्री दास को उनके तथ्यपूर्ण प्रस्तुति के लिए सराहा। डॉ॰ वरूण कुमार, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) ने अंत में महाप्रबंधक को बहुमूल्य समय देकर इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने अपर महाप्रबंधक को उत्प्रेरक के रूप में रहने के लिए, मुराधि को इस बैठक के नेतृत्व, दिशा-निर्देश और सुझाव देने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों, मंडलों/कारखानों से पधारे अमुराधि/उमुराधि को अपने विभागों/कारखानों की स्थिति बताने के लिए और उप निदेशक, गृह मंत्रालय/कोलकाता को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु भी धन्यवाद दिया। तत्पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुम्बई

पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय में स्थापित राजभाषा विभाग द्वारा मुम्बई स्थित केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा का प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग बढ़ाने के लिए जनवरी से अप्रैल, 2015 की अवधि के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ मंडलों/कारखानों एवं स्टेशनों में भारत सरकार की राजभाषा नीति और रेलवे बोर्ड द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर जारी ओदशों के अनुसार राजभाषा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिनांक 23 अप्रैल, 2015 को श्री एस॰ के॰ सूद, महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे की अध्यक्षता में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधान कार्यालय के विभागाध्यक्षों, मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री जी॰ एस॰ टुटेजा, सभी छः मंडलों एवं छः कारखानों के अपर मुख्य राजभाषा अधिकारियों ने सहभागिता की। इस बैठक के दौरान प्रधान कार्यालय की गृह पत्रिका ''ई-राजहंस'' के 21वें अंक का महाप्रबंधक द्वारा विमोचन किया गया।

अनेक भाषाएँ हमारी, हिंदी इनमें सबसे प्यारी

श्रीमती पूनम जुनेजा संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नराकास बैंक, सूरत की विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) बेंगलूर राजभाषा शील्ड वितरण 2013–14

सिंडिकेट बैंक, बेंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय में नराकास (बैंक) बेंगलूर कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अंतर बैंक बैंकिंग शब्दावली प्रतियोगिता का आयोजन

नराकास (बैंक), बेंगलूर के तत्वावधान में केनरा बैंक कार्यालय द्वारा यूनिकोड प्रशिक्षण का आयोजन

केनरा बैंक, नागपुर द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह की एक झलक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूरू के तत्वावधान में हिंदी माह समारोह–2015 के सिलसिले में कार्पोरेशन बैंक द्वारा 04.08.2015 को आयोजित राजभाषा के व्यावहारिक पहलुओं पर संयुक्त कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री बिभाष कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक। साथ ही मंचासीन (बाईं ओर से) श्री अम्बरीष कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक तथा डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल, सदस्य–सचिव, नराकास, मंगलूरू एवं उप महाप्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, में हिंदी कार्यशाला

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, दिल्ली में संगोष्ठी का आयोजन

(ग) कार्यशालाएं

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कोलकाता

राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कोलकाता में दिनांक 23 मई, 2015 को संस्थान के हिंदी अनुभाग के प्रभारी अधिकारी श्री आर॰डी॰शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) की अध्यक्षता में ''राजभाषा हिंदी'' विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सत्राध्यक्ष श्री आर॰डी॰ शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सभी प्रतिभागियों तथा हिंदी विशेषज्ञ, डॉ॰ प्रदीप श्रीवास्तव, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग का स्वागत करते हुए सत्र आरंभ करने का अनुरोध किया। परिचयात्मक सत्र में डॉ॰ प्रदीप श्रीवास्तव ने विषय संबंधी सत्र शुरू करने के पहले राजभाषा विभाग का प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत प्रशिक्षण पर चर्चा करते हुए हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के पीछे कारण, हिंदी और राजभाषा का तुलनात्मक विवरण समेत राजभाषा का कार्यान्वयन स्वरूप, कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी/परिभाषिक शब्दों के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए कार्यालयीन टिप्पणी के प्रकारों को सविस्तार सोदाहरण देकर समझाया। इसके साथ ही साथ विशेषज्ञ डॉ॰ श्रीवास्तव ने हिंदी व्याकरण में लिंग संबंधी समस्याओं का निवारण किया और सविस्तार से बताया। प्रतिभागियों ने विशेषज्ञ से व्याकरण में आने वाले दिक्कतों पर सवाल उठाए, विशेषज्ञ ने उनके उत्तर देकर समाधान किया। कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों एवं बाहर से पधारे हिंदी विशेषज्ञ के प्रति श्री आर॰डी॰ शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला समाप्त हुई।

आकाशवाणी, कोलकाता

आकाशवाणी, कोलकाता केंद्र द्वारा दिनांक 16 अप्रैल, 2015 एवं 17 अप्रैल 2015 को युववाणी हाल में दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को कार्यशाला में हिंदी के प्रयोग में व्यावहारिक कठिनाइयां और उनका समाधान विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यशाला में डॉ॰ कामना कवयित्री हिंदी प्राध्यापिका द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला के प्रारंभ में केंद्र के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री उत्तम चंद साह ने व्याख्याता एवं सभी उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत किया। श्रीमती रीता भट्टाचार्य ने बहुत ही सरल तरीके से संज्ञा, लिंग, संयुक्ताक्षर आदि को वाक्यों से उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर प्रशिक्षणार्थियों की समस्याओं का हल किया। दिनांक 17 अप्रैल के कार्यशाला में डॉ॰ कामना कवयित्री ने वर्तनी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आदि को वाक्यों में लिखे जाने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से समझाया कार्यशाला की समाप्ति श्रीमती शिक्षा भट्टाचार्य, हिंदी अनुवादक के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात हुई।

नराकास (बैंक), बेंगलूर

दिनांक 25 अप्रैल को केनरा बैंक, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेंगलूर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर के तत्वावधान में केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर द्वारा (बैंक), बेंगलूर, के सभी सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन (बैंक), बेंगलूर की सदस्य-सचिव व केनरा बैंक की उप महाप्रबंधक श्रीमती सुलेखा मोहन द्वारा किया गया। श्रीमती सुलेखा मोहन ने यूनिकोड की आवश्यकता व उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डाला। श्री जी॰ अशोक कुमार वरि॰ प्रबंधक, केनरा बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं श्री अनिल कुमार केशरी, अधिकारी, केरना बैंक, राजभाषा अनुभाग, प्रधान कार्यालय ने विभिन्न सत्र चलाए। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने यूनिकोड का परिचय, प्रतिष्ठापन, हिंदी की-बोर्ड का प्रतिष्ठापन, यूनिकोड फांट्स, यूनिकोड पर टाइपिंग, यूनिकोड में उपलब्ध अन्य सुविधाओं से अवगत कराया। प्रशिक्षण के दौरान हैंड्स ऑन अभ्यास भी कराया गया। विजया बैंक की श्रीमती विजयलक्ष्मी पाटिल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर के सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने एवं हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं वर्ष पर आयोजित की जाती है। इसी सिलसिले में दिनांक 27 अप्रैल, 2014 को सिंडिकेट बैंक, प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में कार्यकलापों के लिए ''हिंदी वर्ग पहेली प्रतियोगिता'' का आयोजन हिंदी माध्यम से किया गया। इसमें विभिन्न बैंकों ने भाग लिया। सिंडिकेट बैंक, प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री वाई एन बाबू ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बेंगलूर के प्रतिनिधि के रूप में श्री अनिल कुमार केशरी, अधिकारी केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर उपस्थित थे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सिंडिकेट बैंक, प्रशिक्षण केंद्र के संकाय

सदस्य श्री जी॰वी॰एन॰ राव उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सिंडिकेट बैंक, प्रशिक्षण केंद्र की राजभाषा प्रभारी श्रीमती एस॰ आर॰ वैजंतीमाला द्वारा किया गया।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुरगांव, गोवा

इस बेस कार्यालय पर विगत तिमाही जनवरी-मार्च, 2015 के दौरान दिनांक 5 मार्च को ''यूनिकोड एवं कंप्यूटर पर हिंदी में काम'' विषय पर हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। हिंदी कार्यशाला में श्री पालित कुमार सौगत, हिंदी सहायक, गोवा शिपयार्ड लि॰, वास्को, गोवा को इस अवसर पर अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यशाला के आरंभ में संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक श्री डी. एम. अली ने आमंत्रित वक्ता का पुष्प गुच्छ भेंट का स्वागत किया एवं अपने संबोधन में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्यशाला का भरपूर लाभ उठाते हुए उसे अपने दैनिक कार्यालय कार्य में उपयोग कर हिंदी काम को बढ़ाने का आग्रह किया। आमंत्रित वक्ता श्री सौगत ने अपने औपचारिक संबोधन में यूनिकोड के उपायों एवं महत्व पर प्रकाश डाला एवं हिंदी कार्य को यूनिकोड के माध्यम से आसानी से करने के तरीकों से अवगत कराया। इस अवसर पर तिमाही के दौरान हिंदी में अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यालयीन कार्यकलाप के दृष्टिकोण से यह कार्यशाला महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हुई। एमएमई श्री शैलेन्द्र कुमार जायसवाल ने अंत में उपस्थिति का आभार प्रकट किया।

न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि॰

दिनांक 24 व 25 फरवरी, 2015 का कैगा स्थल में दो एक दिवसीय हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। दिनांक 24 फरवरी, 2015 को अधिकारियों की कार्यशाला का उद्घाटन श्री चंद्रप्रकाश सिंह, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) कैगा स्थल ने तथा 25 फरवरी, 2015 को कर्मचारियों की कार्यशाला का उद्घाटन श्री वी॰ के॰ ऋषि, अपर महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) कैगा स्थल ने विधिवत् दीप प्रज्वलित संविदा कर किया तथा समापन समारोह क्रमशः श्री आलोक शर्मा उप महाप्रबंधक (संविदा एवं सामग्री प्रबंधन) कैगा स्थल एवं श्री के॰ पार्थसारथी, वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन) कैगा स्थल, की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यालय मुंबई से आमंत्रित संकाय सदस्य श्रीमती सुरभि साली, प्रबंधक (राजभाषा), और श्री सूर्यकांत, प्रबंधक (राजभाषा) भी उपस्थित थे। दोनों दिन प्रथम सत्र में आमंत्रित संकाय सदस्य प्रबंधक (राजभाषा) श्रीमती सुरभि साली, मुम्बई ने ''सरकार की राजभाषा नीति'' पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया तथा द्वितीय सत्र में ''हिंदी वर्तनी और देवनागरी लिपि का मानकीकरण'' विषय पर जानकारी दी। श्रीमती अफरोजा बेगम एम॰ के॰ क॰ हिंदी अनुवादक ने दोनों कार्यशालाओं में ''विभाग से संबंधित शब्दावली'' के बारे में जानकारी दी और इसका अभ्यास भी करवाया। श्री ईश्वर सिंह क॰ हिंदी अनुवादक ने दोनों कार्यशालाओं में ''यूनिकोड'' प्रयोग करने के बारे में जानकारी दी।

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गुवाहाटी

कार्यालय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, असम परिमंडल, गुवाहाटी में दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को सम्मेलन कक्ष, मेघदूत भवन, गुवाहाटी में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री निरंजन कलिता तथा कनिष्ठ अनुवादक श्री बिबेकानंद ब्रह्म द्वारा राजभाषा नीति के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा हिंदी टिप्पणी तथा मसौदा लेखन विषय पर व्याख्यान दिया। कार्यशाला के द्वितीय सत्र माननीय निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय), असम परिमंडल, गुवाहाटी की अध्यक्षता में समापन हुआ। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को राजभाषा हिंदी के स्वरूप और प्रयोग पर महत्वपूर्ण जानकारी दी और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग हेतु सभी से आग्रह किया। अंत में निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) के कर-कमलों के द्वारा चयनित कर्मचारियों (हिंदी परीक्षा पास करने वाले) को नकद प्रोत्साहन पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली

दिनांक 30 मार्च, 2015 को दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली के प्रशासन अनुभाग के विभिन्न एकांशों में डेस्क कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत इन अनुभागों में राजभाषा हिंदी में संपन्न किए गए कार्यालय कार्य की समीक्षा की गई। राजभाषा हिंदी में होने वाले कार्य के अंतर्गत नामपट्ट, मोहर, संचिका, पत्रशीर्ष, संचिका के अंतर्गत की गई टिप्पणियां, पत्राचार आदि की समीक्षा की गई। समीक्षा के साथ-साथ इन अनुभाग के कर्मचारियों को राजभाषा नियमों की जानकारी भी दी गई तथा उनके कार्यस्थल पर ही जाकर उन्हें राजभाषा हिंदी में कार्य करने में असुविधा को दूर करने के उपाय भी बताए गए। इससे कई प्रकार की त्रुटियों को तुरंत दूर करने में सहायता मिली। इस कार्यशाला में व्यावहारिक स्तर पर कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। डेस्क कार्यशाला से विभिन्न अनुभाग में राजभाषा नीति के अनुपालन संबंधी जानकारी प्राप्त होने के साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक-से-अधिक कार्य हिंदी में करने की प्रेरणा मिलती है।

एम॰सी॰एफ॰, हासन

जनवरी-मार्च 2015 तिमाही के लिए मुख्य नियंत्रण हासन में 25 फरवरी, 2015 को एमसीएफ-हासन में कार्यरत तकनीशियन-बी, तकनीशियन-डी, व तकनीशियन-जी के लिए एक दिवसीय हिंदी

कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में सत्र संचालन के लिए सुश्री प्रियदर्शनी यू॰वी॰ सहायक निदेशक (राभा), बीएसएनएल, चिकमगंलूर को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला सत्र संचालन के दौरान उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से हिंदी कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला तथा कर्मचारियों को प्रायोगिक तरीके से हिंदी अपनाने संबंधी कई महत्वपूर्ण बातें बताई। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एस॰ परमेश्वरन, निदेशक, एमसीएफ ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कार्यालय के तकनीकी क्षेत्र के कर्मचारियों को विभिन्न भाषायी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ संपर्क करना पड़ता है और कभी-कभी कार्यालयीन कार्यों से दूसरे प्रदेशों में भी जाना पड़ता है, ऐसे में हिंदी ही एकमात्र संपर्क का साधन बनती है। उन्होंने हिंदी को सरल एवं सहज भाषा बताते हुए हिंदी को दिल से अपनाने की अपील की। साथ ही, अपने दैनंदिन कार्यालयीन कार्यों में ज्यादा-से-ज्यादा हिंदी प्रयोग करने का अनुरोध किया।

आकाशवाणी, इंदौर

आकाशवाणी, इंदौर में विगत 7 वर्षों के दौरान बोर्ड पर लिखे गए सुविचारों के संकलन ''सुविचार-3'' का विमोचन दिनांक 12 मार्च, 2015 को मुख्य अतिथि डॉ॰ योगेन्द्रनाथ शुक्ल, लघुकथाकार एवं हिंदी विभागाध्यक्ष, शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर के कर-कमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्राध्यक्ष श्री एस॰ के॰ कदम उपनिदेशक (अभियांत्रिकी) ने की। समारोह में डॉ॰ योगेन्द्रनाथ शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो एकाग्रता भंग नहीं करता बल्कि काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि हमारा भारत देश आध्यात्मिक विचारों से संपन्न है और हमारी सभ्यता पांच हजार साल पुरानी है। इसलिए आज पूरा संसार हमारी ओर देख रहा है। डॉ॰ शुक्ल ने कहा कि आज अपनी संस्कृति की रक्षा करना ही देशभक्ति है और यह भूमिका आकाशवाणी ने बखूबी निभाई है। उन्होंने आकाशवाणी इंदौर द्वारा प्रकाशित सुविचार-3 की प्रशंसा करते हुए कहा कि नि:संदेह आकाशवाणी ने यह एक अच्छा कार्य किया है क्योंकि यह एक संग्रहणीय प्रकाशन है और यह सुविचार पुस्तिका नई पीढ़ी के लिए अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करेगी। इस उपयोगी प्रकाशन के लिए डॉ॰ शुक्ल ने संपादक मंडल को हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एस॰ के॰ कदम उप निदेशक (अभि॰) ने कहा कि सुविचारों से हमारे शरीर को सकारात्मक प्रेरणा मिलती है। श्री एल॰ एल॰ पटेल, उप निदेशक (अभि॰) ने कहा कि जीवन में विचारों से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। हमें जिस प्रकार शरीर के लिए कसरत की जरूरत होती है, उसी तरह मानसिक स्वस्थता के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। श्री विश्वास केलकर कार्यक्रम निष्पादक ने कहा कि सुविचार हमारे जीवन में गागर में सागर भरने का काम करते हैं। श्री सुनील कुमार तिवारी समाचार संपादक का कहना था कि सृष्टि का कोई भी विकास हो, उसका मूल आधार विचार ही रहा है। विमोचन समारोह के उपरांत एक व्यावहारिक हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें कंप्यूटरों पर यूनिकोड संस्थापित किए जाने संबंधी कठिनाइयों के निदान विषयक प्रशिक्षण श्री मनोज कुमार शुक्ला, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक राज रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में स्थानीय मीडिया कार्यालयों सहित इस केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद

खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद में दिनांक 25 मार्च, 2015 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री कलालुद्दीन, प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद के साथ-साथ राज्य निदेशक श्री आर॰ के॰ चौधरी, उप निदेशक श्री एन॰ राजा प्रसाद आर्थिक अधिकारी श्री टी॰ आर॰ वी॰ प्रसाद तथा कार्यालय के अन्य राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री कलादुद्दीन जी को राज्य निदेशक श्री आर॰ के॰ चौधरी जी द्वारा पुष्प गुच्छ देकर किया गया। राज्य निदेशक श्री आर॰ के॰ चौधरी जी ने सभा की अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री आर॰ के॰ चौधरी जी ने बताया कि सभी कर्मचारियों को अधिक-से-अधिक काम हिंदी में करने का प्रयत्न करना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि यह सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का नैतिक कर्तव्य है कि वे अपना कार्यालयीन काम हिंदी में करें तथा इसे बोझ न समझकर मन से करें। राज्य निदेशक जी के व्यक्तव्य के पश्चात् मुख्य अतिथि श्री कलालुद्दीनजी ने हिंदी में काम करने के लिए कुछ आसान सूत्र उपस्थित सभी कर्मचारियों को बताया। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री के उदय किरण ने इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन दिया।

दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट

दूरदर्शन केंद्र, राजकोट दिनांक 30 अप्रैल, 2015 को कार्यालय स्टाफ के लिए राजभाषा हिंदी से संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें स्टाफ-सदस्यों व अधिकारीगणों ने लाभ लिया। कार्यशाला में अतिथि-वक्ता डॉ॰ बलवंतभाई जानी पूर्व उपकुलपति उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय पाटण के थे और कार्यशाला का विषय था भारत की राजभाषा कैसी हो राष्ट्रभाषा हिंदी या विदेशी भाषा अंग्रेजी। प्रथमत: केंद्र के कर्मनिष्ठ छायाकार एवं हिंदी वाचस्पति डॉ॰ विजयेश्वर मोहन ने कार्यशाला का कुशल संचालन करते हुए अतिथि वक्ता का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने हेतु कार्यालयाध्यक्ष दौरे पर होने के कारण वरिष्ठ अभियंता श्री एच॰ एस॰ गोस्वामी जी से अनुरोध किया। तत्पश्चात् केंद्र के प्रभारी हिंदी अधिकारी, श्री एस॰ के॰ शर्मा ने राजभाषा कार्यशाला

की नीतिगत आवश्यकता, उद्देश्य व महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि हिंदी प्रयोग की प्रगति का कार्यशाला एक घटक है अत: इसमें भाग लेना सभी सरकारी सेवकों के कर्तव्य ड्यटी का एक अनिवार्य अंग भी है। उक्त विषय पर संबोधन से पहले श्रोताओं को अतिथि वक्ता का यशस्वी परिचय बताया।

अतिथि वक्ता ने अपने संबोधन में अवगत कराया कि स्वतंत्रता से पहले विदेशी शासकों की भाषा हम पर थोपी हुई थी परंतु आज अपनी राजभाषा हिंदी होने पर भी हमारा प्रशासन विदेशी भाषा अंग्रेजी की दासता एवं मोह से स्वतंत्र नहीं है। वक्ता ने इसका मुख्य कारण राज व्यवस्थाओं की हिंदी प्रयोग के प्रति उदासीनता-शिथिलता और बच्चों को शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से देना बताया, जो राजभाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषाओं को तोड़कर भावी पीढ़ी को अंग्रेजी के बोझ से कुंठित कर रही है। भले ही, हिंदी आज भारत की राजभाषा के अतिरिक्त विश्व की दूसरी मुख्य भाषा के रूप में विद्यमान है और संसार की प्रथम भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित होने की ओर हिंदी अग्रसर है। अपनी विलक्षण प्रकृति, सरलता, सहजता, सुबोधता जैसे गुणों के फलस्वरूप ही विश्व पटल पर हिंदी अग्रसर है जिसे कोई महाशक्ति नहीं रोक पाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता केवलमात्र तमाम सरकारी कामकाज हिंदी में आरंभ करने की है। भाषणों की नहीं अपितु स्वयं हिंदी का प्रयोग बढ़ाने भर की है। बस इतना-सा प्रयास करने से ही समस्या का पूर्णत: समाधान होकर, भारत को हो रही दशकों पुरानी ग्लानी का अंत करने की सफलता प्राप्त होने और अंग्रेजी की गुलामी से भी भारत को मुक्ति प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। कार्यक्रम अनुभाग की ओर से डॉ॰ शलेश टेवानी कार्यक्रम निष्पादक ने इस प्रेरक, बहुमूल्य, उपयोगी और महत्वपूर्ण उद्बोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सब दिए गए मार्गदर्शन और सुझावों पर अमल करके कार्यालय कार्य में पूर्णतया हिंदी प्रयोग करने के लिए कृत संकल्पित है। अंत में डॉ॰ विजयेश्वर ने अतिथि सहित उपस्थित सभी जनों को हार्दिक धन्यवाद अर्पित किया।

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, देहरादून

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, सहसपुर, देहरादून में दिनांक 27 मार्च, 2015 को **''राजभाषा नीति तथा कार्यालयीन संदर्भ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्दों की अर्थ विवेचना''** विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में श्री गुरु प्रसाद जोशी, प्रशिक्षण अधिकारी (हिंदी), केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला की अध्यक्षता कार्यालय प्रभारी डॉ॰ हरीश चंद्रा, वैज्ञानिक-घ ने की। कार्यशाला में श्री गुरु प्रसाद जोशी, प्रशिक्षण अधिकारी (हिंदी), ने सर्वप्रथम संघ की राजभाषा नीति को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कोई भी नीति व नियम हम तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक वे हम से जुड़े न हों। नियमों को थोपकर हम किसी भी नीति का अनुपालन नहीं करवा सकते हैं। इससे पूर्व कार्यालय के वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी) श्री कमल किशोर बंडोला ने हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यशालाओं के माध्यम से हमें जो सीखने को मिलता है, उससे हमारी झिझक दूर होती है। हमें हिंदी में काम करने के लिए एक दिशा मिलती है तथा हम अपना काम सुगमतापूर्वक करने में समर्थ बनते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कार्यालय प्रभारी डॉ॰ हरीश चंद्रा, वैज्ञानिक-घ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम संघ की राजभाषा नीति कार्यशाला का अनुपालन करें। कार्यशाला में इस केन्द्र के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा देहरादून स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड की अन्य इकाइयों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ॰ विपिन बिहारी श्रीवास्तव, वैज्ञानिक-ग ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ॰ पंकज तिवारी, वैज्ञानिक-घ द्वारा दिया गया।

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद

दिनांक 27 मार्च, 2015 को दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला ''व्याकरण और कार्यायलीन हिंदी'' विषय पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजन किया गया। केंद्र के उप महानिदेशक (अभि॰) डॉ॰ रामनाधम ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों से कार्यशाला के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए आग्रह किया। कार्यशाला में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की हिंदी प्राध्यापक (रा॰भा॰) श्री मो॰ कमालुद्दीन ने व्याकरण और कार्यलयीन हिंदी विषय पर व्याख्यान दिया।

एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद

एनएमडीसी मुख्यालय, हैदराबाद के सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री रूद्रनाथ मिश्र द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2015 को एनएमडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापट्टनम में राजभाषा के ग्रामीण प्रयोग से संबंधित निरीक्षण किया गया तथा उक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों के लिए डेस्क प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसी प्रकार मुख्यालय की और से सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) द्वारा बचेली काम्पलेक्स, बैलाडीला काम्पलेक्स, एनआईएसपी, नगरनार एवं एनएमडीसी ग्लोबल एक्सप्लोरेशन केन्द्र, रायपुर का दिनांक 16 से 19 मार्च, 2015 तक राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निरीक्षण किया गया तथा अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों के लिए हिंदी में डेस्क प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें दैनिक कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा कंप्यूटर में यूनीकोड के माध्यम से हिंदी कार्य करने के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई।

सूक्ष्म लघु व मध्य उद्यम विकास संस्थान, मुजफ्फरपुर

केंद्र सरकार की राजभाषा के नीति के अनुपालन, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुपालन एवं वार्षिक कार्यक्रम 2014-2015 के कार्यान्वयन में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास संस्थान, मुजफ्फरपुर में दिनांक 31 मार्च, 2015 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री पवन कुमार सिंह, सहायक निदेशक (आ॰अ॰)/नामित राजभाषा अधिकारी के द्वारा सदस्यों के स्वागत से हुआ। एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन संस्थान के निदेशक, श्री आर॰ पी॰ वैश्य ने किया। सर्वप्रथम उन्होंने कार्यशाला कार्यक्रम में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने केंद्र सरकार की नीति के अनुपालन, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुपालन एवं वार्षिक कार्यक्रम 2014-2015 के कार्यान्वयन संबंधी बिंदु पर विशेष रूप से चर्चा की। कार्यालय के श्री पवन कुमार सिंह, सहायक निदेशक (आ॰अ॰)/नामित राजभाषा अधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में निदेशक महोदय द्वारा हिंदी के प्रयोग के प्रति जागरूकता एवं कार्यालय के क्रिया-कलापों के प्रति किए गए मार्गदर्शन का हर संभव प्रयास करने पर बल दिया। अंत में, श्री पवन कुमार सिंह, सहायक निदेशक (आ॰अ॰)/ नामित राजभाषा अधिकारी ने कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

पृष्ठ 59 का शेष

में भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उकेरा है वह भक्तिकालीन काव्यों का प्रबल आधार बना है और कृष्णभक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है उसकी प्रेरणा का सूत्र भी इनके साहित्यों में मिलता है।

वस्तुत: सरहपाद ने एक महान प्रगतिशील चिंतक के रूप में धर्म, दर्शन, समाज, भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में नई क्रांति और मानवधर्मिता का मार्ग प्रशस्त किया। उनमें बुद्ध की करूणा और मानवियता का ऐसा परिपाक था जिसमें आने वाली पीढ़ी के लिए दिव्य संदेश भरा था। उसी का अनुरकण कर नाथपंथियों एवं कबीर पंथियों ने अपना आधार परिपुष्ट किया। इस प्रकार कह सकते है कि सरहपाद हिंदी-साहित्य के संधि-काल के एक ऐसे सिद्ध कवि है, जिन्होंने अपने साहित्य में हिंदी-साहित्य अपभ्रंश की अनेक विशेषताओं को धरोहर के रूप में समाविष्ट किए हुए हैं जिससे हिंदी साहित्य के क्रमिक विकास का सूत्र ज्ञात होता है।

44-शिव विहार
फरीदीनगर, लखनऊ-226015
मो. 09415045584

पृष्ठ 62 का शेष

सहयोग अपेक्षित है। आप अपने कार्यालयों में प्रशिक्षण हेतु शेष बचे कर्मचारियों का डाटा भी भिजवाएं ताकि हिसार में प्रशिक्षण केंद्र खोलने हेतु केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान से बात की जा सके। अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में बैठक में उपस्थित समिति के सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र मेहरा का स्वागत किया और बैठक में अधिकतम उपस्थिति पर अपनी बधाई दी। उन्होंने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सब अपनी व्यस्त दिनचर्चा में से समय निकाल कर यहां पर उपस्थित हुए जिस पर उन्हें प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने श्री हरिवंशराय बच्चन की पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहा कि ''कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।'' सभी के कोशिश करने से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरुआत छोटे-छोटे प्रयासों से ही होती है।

पश्चिम रेलवे, मुम्बई

मुम्बई स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा का प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे की अध्यक्षता में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30 अप्रैल, 2015 को श्री एस॰के॰ सूद, महाप्रबंधक की अध्यक्षता में पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय चर्च गेट, मुम्बई में राजभाषा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के दौरान नराकास के सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में नराकास के 93 सदस्य कार्यालयों के विभागाध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान नराकास द्वारा आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को अध्यक्ष द्वारा नकद पुरस्कार राशि तथा योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हिंदी प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका निभाने वाले सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान वर्ष 2014-15 की अवधि में राजभाषा में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करने वाले नराकास के तीन सदस्य कार्यालयों 1. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा बोर्ड-3, 2. प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र, 3. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय को अध्यक्ष द्वारा राजभाषा शील्ड और प्रशस्तिपत्र प्रदान करके पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुम्बई की गृह पत्रिका राजभाषा प्रवाह के 7वें अंक का अध्यक्ष द्वारा विमोचन किया गया।

समारोह/सम्मेलन/संगोष्ठी

कार्पोरेशन बैंक, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली

दक्षिण स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा समिति द्वारा आयोजित राजभाषा संगोष्ठी तथा 55वीं बैठक शनिवार दिनांक 28, फरवरी, 2015 को कार्पोरेशन बैंक की मेजबानी में आंचलिक कार्यालय दिल्ली में संपन्न हुई। श्रीमती पूनम जुनेजा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की गरिमामयी उपस्थिति एवं उनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरंभ में श्री नागराज शेट्टी, उप महा प्रबंधक एवं अंचल प्रमुख, कार्पोरेशन बैंक आंचलिक कार्यालय दिल्ली ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि संयुक्त सचिव (रा॰ भा॰) महोदया की गरिमामयी उपस्थिति में पहली बार ऐसा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में माननीया संयुक्त सचिव महोदया श्रीमती पूनम जुनेजा ने पिछले 33 (तैंतीस) वर्षों से दक्षिण स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए गए सक्रिय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य को उजागर करते हुए कहा कि आज की यह संगोष्ठी संसदीय समिति के निर्देश के अंतर्गत आयोजित की जा रही है, इसमें राजभाषा संसदीय समिति की अपेक्षाओं और उनके कार्यान्वयन पर चर्चा की जाएगी। इन विषयों पर लिए जाने वाले सत्र और आपसी विचार-विमर्श से बैठक में भाग लेने वाले राजभाषा प्रभारी लाभान्वित होंगे और राजभाषा कार्यान्वयन को एक नई दिशा मिलेगी। दिल्ली जैसे क्षेत्र में तो हिंदी जन-जन की भाषा बनी हुई है। हर क्षेत्र में, हर विभाग में हिंदी का ही बोलबाला है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए दक्षिण भारत के महान व्यक्तियों जैसे श्री सी॰ राजगोपालाचारी, श्री सुब्रमण्यम भारती, श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने अपना समर्थन दिया था। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रति लगाव के कारण ही दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का प्रारंभ 1918 में किया गया, जो दक्षिणी राज्यों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार कर रही है। उन्होंने समिति की महत्ता को स्थापित करते हुए कहा कि दक्षिण स्थित बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में एक जैसी समस्याएं हैं, जिसके हल के लिए यह समिति गठित की गई है। यह ऐसा मंच प्रदान करती है जो भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करती है। हिंदी की स्वीकार्यता के बारे में उन्होंने कहा कि यह गलत धारण है कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध किया जाता है। प्रथम बार चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा की परीक्षाएं आयोजित की गई, जिनमें अधिकतर तमिलनाडु निवासियों ने अच्छे अंकों के साथ परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं। देश भर में हिंदी का प्रचार एक समान किया जा रहा है। देश की एकता, अखण्डता बनाए रखने में हिन्दी का विशेष योगदान है। यह तब्दीली स्वागत योग्य है। संयुक्त सचिव महोदया ने समिति के सदस्यों से यह चिंतन करने के लिए प्रेरित किया कि कई वर्षों से ''ग'' क्षेत्र के लिए पत्राचार का लक्ष्य 55 प्रतिशत है। क्या इसमें वृद्धि लाने की गुंजाइश है। कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने इसका विधिवत् उद्घाटन किया।

राजभाषा हिंदी के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1949 में हुई गणना के अनुसार देश के 2 प्रतिशत लोगों को अंग्रेजी की जानकारी है। अत: 98% पर अंग्रेजी नहीं थोपी जा सकती है। श्रीमती सुलेखा मोहन, उप महा प्रबंधक, केनरा बैंक ने, डॉ॰ वेंकटेश्वर राय, मुख्य प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक, श्री सुरेश तू॰ राठौर, सहायक महा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, श्री कुलदीप सिंह चौहान, मुख्य स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, डॉ॰ विष्णु भगवान, सहायक महा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने अपने बैंक में आयोजित राजभाषा संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने हिंदी को प्रौद्योगिकी से जोड़ने का सुझाव दिया। बैठक में उपस्थित सभी राजभाषा प्रभारियों ने यह राय व्यक्त की कि वित्तीय सेवाएं विभाग की निगरानी में बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन काफी प्रभावी ढंग से हो रहा है। श्री वेद प्रकाश दूबे, संयुक्त निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय की प्रशंसा में सभी ने व्यक्त किया कि उनके मार्गदर्शन में हिंदी को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन को एक नई दिशा मिली है। सभी ने श्री दूबे जी को उनके मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के लिए बधाई दी। डॉ॰ जयन्ती प्रसाद नौटियाल, उप महा प्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ संगोष्ठी संपन्न हुई तथा दक्षिण स्थित बैंकों की 55वीं विशेष बैठक आरंभ हुई।

भारतीय कपास लिमिटेड शाखा कार्यालय, राजकोट

भारतीय कपास निगम लिमिटेड शाखा कार्यालय राजकोट में दिनांक 26 मार्च, 2015 को श्री मोहित शर्मा शाखा प्रबंधक की अध्यक्षता में ''सरकारी कामकाज में सरल एवं सहज हिंदी'' तथा ''सामाजिक मीडिया में हिंदी के प्रयोग की संभावनाएं'' विषय

पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री संतोष कुमार शर्मा कार्यालय प्रबंधक (राजभाषा) ने शाखा में हो रहे हिंदी राजभाषा संबंधी कार्यों की जानकारी दी। राजभाषा संगोष्ठी में प्रथम सत्र के अतिथि वक्ता के रूप में श्री दीपक पंडया राजभाषा अधिकारी, दूरसंचापर राजकोट ''सरकारी कामकाज में सरल एवं सहज हिंदी'' विषय पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। यह एक सरल भाषा है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। राजभाषा संगोष्ठी में दूसरे सत्र के अतिथि वक्ता के रूप में श्री पी॰ बी॰ सिंह राजभाषा अधिकारी, पश्चिम रेलवे, राजकोट उपस्थित थे। ''सामाजिक मीडिया में हिंदी के प्रयोग की संभावनाएं'' विषय पर अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन श्री संतोष कुमार शर्मा कार्यालय प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा किया गया एवं आभार ज्ञापन श्री रजत जैन लेखाधिकार द्वारा किया गया।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, दिल्ली

दिनांक 13 मार्च, 2015 को विाकस अयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में डॉ॰ विचार दास, पूर्व निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को आमंत्रित किया गया था। संगोष्ठी में क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र. कार्यालय, क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केंद्र, ओखला के कर्मचारियों सहित कार्यालय के लगभग 60 कार्मिकों ने भाग लिया। संगोष्ठी में डॉ॰ विचार दास, पूर्व निदेशक ने ''सरकारी कामकाज में सरल एवं सहज हिन्दी'' पर अपने विचार व्यक्त किए। चर्चा के दौरान श्री अशोक कुरील, सहायक निदेशक द्वारा पूछा गया कि कार्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान होते हुए भी अधिकतर कार्मिक अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। इस पर अतिथि वक्ता द्वारा बताया गया कि यह हमारी मानसिकता है कि हम हिन्दी के बजाए अंग्रेजी के प्रयास को अधिक तरजीह देते हैं, हिंदी में काम करने में हमें शर्म महसूस होती है किंतु हमें इसी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है इसके लिए हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी। हमें यह निश्चय करना होगा कि हम आज से ही हिंदी में कार्य करना आरंभ करेंगे तभी हम इस वातावरण में परिवर्तन ला सकेंगे। अतिथि वक्ता द्वारा बताया गया कि कार्यालय में प्रयोग करते हुए हमेशा सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ताकि 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के अलावा 'ग' क्षेत्र के कार्मिकों को भी पत्र का मसौदा समझ आ सके। चर्चा के दौरान अतिथि वक्ता ने सभी कार्मिकों से अपील की कि वे अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग आरंभ करें, पत्रों में सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग करें, जिन शब्दों के हिंदी अर्थ न समझा आएं उन्हें अंग्रेजी में ही लिख दिया जाए, पत्र में ज्यादा लंबे वाक्य न बनाकर छोटे वाक्य बनाए जाए ताकि पत्र प्राप्त करने वाले को पत्र का अर्थ भली-भांति समझ में आ सके।

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, मेरठ

अंचल कार्यालय मेरठ की मवाना शाखा में राजभाषा कक्ष द्वारा पुस्तकालय का गठन किया गया। पुस्तकालय का उद्घाटन मंगलवार 17 मार्च, 2015 को श्री एस एस मिश्रा, उप महाप्रबंधक अंचल कार्यालय मेरठ द्वारा किया गया। इस अवसर पर मवाना शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं गणमान्य ग्राहकों को भी आमंत्रित किया गया। पुस्तकालय उद्घाटन के साथ-साथ शाखा में 'युवाओं और महिलाओं में बचत की आदत' विषय पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शाखा प्रबंधक श्री श्याम सिंह सहित अन्य कर्मचारियों ने विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके इतर ग्राहकों को बैंकिंग के विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर

दिनांक 05 अप्रैल, 2015 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में एक राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्थान के राजभाषा विभागाध्यक्ष प्रो॰ डी॰ के॰ गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा राजभाषा विषयक प्रावधानों की जानकारी दी। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में इस संगोष्ठी का विषय था-हिन्दी एवं हिन्दीतर भाषा साहित्य में सेतु निर्माण के संदर्भ। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता थे सुरेन्द्र नाथ कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो॰ प्रेम शंकर त्रिपाठी जी। आपने अपने संबोधन में कहा कि आज का आयोजन राजभाषा विभाग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों के सहयोग से आयोजित किया जाना अत्यंत ही सुखद है और भविष्य में हिंदी का उज्जवल भविष्य होगा, ऐसी आश्वस्ति देता है। बाबा नागार्जुन को उद्धृत करते हुए युवाओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि ''सेतु बनो, प्रज्ञा-प्रयन्त के मध्य, शांति को सर्वमंगला हो जाने दो, खुश होंगे हम, यदि निर्बल बाहों का उपहास तुम्हारा क्षणिक मनोरंजन करता हो, खुश होंगे हम''।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी और अन्य भाषाओं की भूमिका की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर में नारा चलता था कि ''सब मिल बोलो एक जुबान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान'' और उस समय से ही हिंदी देश के समस्त भू-भाग, भाषाओं एवं संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करती आ रही है। हिंदी के प्रख्यात कवि स्व॰ गिरिजा प्रसाद माथुर की कविता को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कविता आज की संगोष्ठी के विषय पर संपूर्ण टीका है। कवि गुरु रवीन्द्र नाथ के लेखन से उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कवि गुरु ने भारतीय भाषाओं को शतदल की संज्ञा दी है, जिसमें हर पंखुरी महत्वपूर्ण है और संपूर्ण शोभा का अंग है और हिंदी उन सबको

समेकित करती हुई पूरे देश में भाषाई और सांस्कृतिक सेतु निर्माण का काम कर रही है। महात्मा गांधी के 27 दिसंबर, 1947 को कोलकाता में दिए व्याख्यान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बापू कह रहे थे कि आज की सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम भारतीय भाषाओं की ओर मुड़ें और हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करें। हमारे प्रांतों की कार्रवाई प्रांतीय भाषा में और राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई हिंदी में होनी चाहिए।

अंत में प्रो. त्रिपाठी जी ने कहा कि हमारे अंदर अंग्रेजी के प्रति ललक नहीं होनी चाहिए, भाषा के रूप में अंग्रेजी बनी रहे किंतु हम अपनी भाषाओं की अपेक्षा न करें, आत्महीनता से मुक्त हों, हमने स्वयं ही अपनी भाषाओं की भारतेंदु के ''बलिया व्याख्यान'' एवं प्रताप नारायण मिश्र के स्वप्नों के भाव के विपरीत दुर्दशा की हुई है, और हिंदी भाषा क्षेत्रों के बच्चे भी अशुद्ध हिंदी बोलकर खिलखिलाते हैं और मां-बाप गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है और इसे हिंदी कम आती है। हमें इस आत्महंता दुर्दशा को बदलना होगा और अपनी प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग में लाते हुए सशक्त करना होगा। संगोष्ठी के बाद विद्यार्थियों की साहित्यिक संस्था ''प्रौद्योगिकी साहित्यिक समूह'' एवं ''आवाज'' तथा राजभाषा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ''काव्यांजलि'' का आयोजन किया गया, जिसमें श्री संगम तीर्थराज, श्री अनमोल त्रिपाठी, श्री विकास दुबे, श्री अनुपम कुमार, श्री दीपक रजक, श्री शैलेश कुमार विद्यार्थियों ने काव्य पाठ किया। प्रो. सोमेश कुमार, प्रो. एच.एन. मिश्रा, प्रो. जे. के.झा, प्रो. उदय कुमार ने अतिथियों को संस्थान स्मृति चिह्न प्रदान किए।

केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, राँची

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, राँची में दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रारम्भ में संस्थान के श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने प्रतियोगिता का स्वागत करते हुए संगोष्ठी के आयोजन के औचित्य पर प्रकाश डाला एवं कहा कि तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को सुस्थापित करने की दृष्टि से यह आयोजन महत्वपूर्ण है। संस्थान के निदेशक डॉ. आलोक सहाय ने मंगलदीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का विधिवत् उद्घाटन किया। उपस्थित वैज्ञानिकों/अधिकारियों एवं पीजीडीएस के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ज्यादातर वैज्ञानिक हिंदी भाषी हैं और वे मूल से हिंदी में सोचते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिंदी माध्यम से वैज्ञानिक संकल्पनाओं के प्रस्तुतिकरणों की दृष्टि से यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुखद संयोग है कि संगोष्ठी में अहिंदी भाषी वैज्ञानिक भी शोध-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रस्तुत शोध-पत्रों के निष्कर्षों पर अनुसंधान हेतु आगामी कार्य-योजना बनायी जाएगी एवं जन-साधारण की भाषा हिंदी में तकनीकी साहित्य सृजन के कार्य को और आगे बढ़ाया जायेगा। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भवेशानंद, सचिव, रामकृष्ण मिशन ने सह विचार व्यक्त किया कि नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए ही हम सुदीर्घ एवं सतत विकास कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने शोध-पत्र प्रस्तुतकर्ता प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

एनएमडीसी, हैदराबाद

एनएमडीसी, हैदराबाद में 11 फरवरी, 2015 में एनएमडीसी की विभिन्न परियोजनाओं तथा कार्यालयों में कार्यरत् राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री संदीप तुला, अधिशासी निदेशक (का.एवं प्र.) द्वारा किया गया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने सभी राजभाषा अधिकारियों से राजभाषा प्रयोग के लिए नवोन्मेषी उपाय करने तथा राजभाषा प्रयोग में विभागों को आने वाली परेशानियों और रुकावटों को उनके कार्यस्थल पर ही जाकर हल करने का निदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पी. विजयकुमार, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), बेंगलूर ने अपने संबोधन में भारत सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के संचालन के दौरान सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री रूद्रनाथ मिश्र ने एनएमडीसी में राजभाषा की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि एनएमडीसी प्रत्येक वर्ष अपने सभी कार्यालयों/परियोजनाओं के राजभाषा अधिकारियों के लिए सम्मेलन का आयोजन करता है। उन्होंने सभी राजभाषा अधिकारियों से एनएमडीसी को राजभाषा कार्यान्वयन के शिखर पर ले जाने का आग्रह किया।

दो वर्णों के मेल अथवा योग से उनके रूप और ध्वनि में जो अंतर अथवा विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। यह अंतर अथवा विकार कभी एक वर्ण में तथा कभी दो वर्णों में होता है। कभी-कभी तो दोनों के स्थान पर सर्वथा एक तीसरा वर्ण आ जाता है।
जैसे-अन्न + अभाव = अन्नाभाव, जल + आशय = जलाशय, विद्या + अर्थी = विद्यार्थी,
विद्या + आलय = विद्यालय, देव + इंद्र = देवेंद्र, चंद्र + उदय = चंद्रोदय।

फा॰सं॰ 12012/03/2015-राभा (नीति)
भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग
दिनांक 22 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के कर्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नया पाठ्यक्रम ''पारंगत'' लागू किए जाने के बारे में।

संसदीय राजभाषा समिति के 7वें प्रतिवेदन के सिफारिश संख्या 16.7 (क) पारित राष्ट्रीय आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत: निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मिकों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास पर आधारित पाठ्यक्रम 'पारंगत' लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. यह पाठ्य वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू किया जाएगा। इसकी कक्षाएं कार्यालय समय में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग द्वारा संचालित की जाएंगी।

3. **पात्रता:—**

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कर्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे।

4. **पाठ्यक्रम की विषय वस्तु:—**

I. ''पारंगत'' पाठ्यक्रम मुख्यत: अभ्यास आधारित होगा, जिसमें कुल प्रशिक्षण समय का 80 प्रतिशत समय अभ्यास के लिए एवं 20 प्रतिशत समय सैद्धांतिक पाठ्यक्रम चर्चा के लिए निर्धारित होगा।

II. पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित पाठ होंगे:—

1. प्रशासन 2. वित्त 3. बैंकिंग 4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 5. पारिभाषिक शब्दावली।

5. यह पाठ्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दो व्यवस्थाओं के अंतर्गत चलाया जाएगा।

I. प्रथम व्यवस्था में यह कार्यक्रम गहन रूप से 20 कार्यदिवसों (160 घंटे) में पूरा होगा।

II. द्वितीय व्यवस्था में इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 1 घंटा अथवा एकांतर दिवसों में 1.5 घंटों की कक्षाएं होगी। इस व्यवस्था में यह पाठ्यक्रम 5 माह में पूरा होगा।

पाठ्यक्रम संबंधी कैलेंडर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया जाएगा।

6. **परीक्षा:—**

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत आधार पर परीक्षा ली जाएगी।

* * *

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती का अंक-141वां (अक्टूबर-दिसम्बर, 2014) प्राप्त हुआ। पत्रिका में समाविष्ठ सभी सामग्री पठनीय, ज्ञानवर्द्धक एवं उच्च स्तरीय है। रचनाओं में विशेषकर डॉ. राकेश शर्मा का लेख **दक्षेस राष्ट्र और उनकी प्रमुख भाषाएं-एक विमर्श**, डॉ. एम.एल. गुप्ता आदित्य का लेख **भाषा प्रौद्योगिकी तथा एंटरप्राइजेज साफ्टवेयरों में हिंदी की प्रगति**, डॉ. प्रभूलाल चौधरी का लेख **नागरी लिपि की वैज्ञनिकता एवं व्यावहारिकता**, डॉ. रजनी गुप्ता का लेख **हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता**, श्री भगवान वैद्य प्रखर का लेख **मीडिया लेखन: स्थिति और संभावनाएं**, श्री मनोज श्रीवास्तव का लेख **कैसे हो स्वच्छ भारत** तथा श्री कैलाशनाथ गुप्त का लेख **रक्षा मानव अधिकारों की** विचार प्रधान, सामयिक एवं चिंतनशील लेख हैं। पत्रिका के श्रेष्ठ संपादन, संकलन हेतु संपादक मंडल बधाई का पात्र है।

एम. ए. आब्दी, उप महालेखाकार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

राजभाषा भारती का अंक-141अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद। पत्रिका का मुख पृष्ठ, साज-सज्जा बहुत आकर्षक है। आपके द्वारा राजभाषा भारती का नियमित प्रकाशन हिंदी के प्रचार-प्रसार की दिशा में निश्चित ही एक सार्थक एवं सराहनीय प्रयास है। पत्रिका की ई-कॉपी या पीडीएफ आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराकर आप इसे अधिकाधिक पाठकवर्ग तक पहुंचा सकते हैं। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु आपको शुभकामनाएं।

डॉ. राकेश शर्मा, हिंदी अधिकारी,
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा

आपके कार्यालय, द्वारा प्रेषित पत्रिका राजभाषा भारती के अंक-141 प्राप्त हुआ। प्रस्तुत पत्रिका में साहित्यिक मनीषियों ने राजभाषा के प्रति सकारात्मक पक्ष को अपनाते हुए, भौतिकवादी संस्कृति से कोसों दूर रहकर मानवीय, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का सफल संगम स्थल पर लाने का सफल प्रयास किया है।

पी के सेनगुप्ता, कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड

राजभाषा भारती का अंक-141 वां पढ़कर प्रसन्नता हुई कि हिंदी के विकास हेतु कितना कार्य हो रहा है। यद्यपि नागरी लिपि को अनेकानेक विद्वान पूर्ण विज्ञान संगत तथा श्रेष्ठतम घोषित करते हैं, किंतु चलती अंग्रेजी ही है। हमें आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली बनना होगा तभी हम अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि तथा अस्मिता की रक्षा कर सकेंगे।

विश्वमोहन तिवारी, एयरवाइस मार्शल (सेवानिवृत्त)

राजभाषा भारती का 141 वां अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका की साज-सज्जा एवं मुद्रण सराहनीय है। अनेक लेख विशेष सराहनीय हैं। पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपादक मंडल को बधाई व पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

हरीश चंन्द्र माखीजा, भारतीय लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान

राजभाषा भारती का 141वां अंक प्राप्त हुआ। भूमंडलीकरण के दौर में भाषा, साहित्य, समाज एवं संस्कृति का प्रभाव, भाषा और बोलियों के साथ-साथ नागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं व्यावहारिकता की पड़ताल विद्वान लेखकों द्वारा करना समीचीन है। स्वच्छता मिशन एवं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार बल्लभ भाई पटेल आदि आलेख भी पाठकों को प्रभावित करते हैं। आपके कुशल संपादन में पत्रिका की सार्थकता नि:संदेह प्रशंसनीय है।

विजय प्रकाश बेरी, हिंदी प्रचारक पब्लिकेशंस, वाराणसी

राजभाषा भारती का 141 वां अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख अत्यंत रोचक, आकर्षक एवं पठनीय हैं। अस्तु डॉ. रजनी गुप्ता का **हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता**, रमणिका गुप्ता का **एकता में अनेकता का सच** एवं मनोज श्रीवास्तव का **कैसे हो स्वच्छ भारत** विशेष तौर पर समसामयिक एवं ज्ञानवर्द्धक लगे। पत्रिका के लेखकों एवं प्रकाशक को हार्दिक धन्यवाद।

मोहन झा, नगालैण्ड पल्प एंड पेपर कं. लि., नगालैंड

राजभाषा भारती का 141 वां अंक प्राप्त हुआ। मुद्रण पूर्व के अंकों की भांति बेमिसाल है। चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत जानकारियां जीवंत हो उठी हैं। पत्रिका के सभी लेख एवं रचना उच्च कोटि के हैं। विशेषकर हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता शीर्षक से लिखा हुआ लेख बहुत ही रोचक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना शीर्षक से जो लेख है वो इस योजना के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाने वाला है। संपादक मंडल को मेरी और से हार्दिक बधाई।

आशुतोष चटर्जी, आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता

राजभाषा भारती का 141 वां अंक प्राप्त हुआ। आपने हिंदी भाषा का जन-धन की भाषा का रूप देकर कार्य प्रणाली को आसान कर दिया है। जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष लौह पुरूष को याद करके भारत के निर्माता के शौर्य को किया है। इस पत्रिका दृवारा अपने पुनर्जीवित सुझाव एवं समस्याओं का प्रस्तुत करने में अधिक

आसानी होती है। हिंदी को राजभाषा के रूप में अग्रेषित करना आपके द्वारा एक सराहनीय एवं साहसपूर्ण योगदान है।

सुश्री पी. भारत लक्ष्मी, प्रधान डाकघर, नई दिल्ली

राजभाषा भारती का 141वां अंक प्राप्त हुआ। संस्कृति की संवाहक- भाषा और बोलियां ज्ञानवर्द्धक लेख लगा। जिस दौर में प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान समाज का ताना हर तरफ सुनने-पढ़ने का मिल रहा है वहां यह लेख पढ़कर सुकून मिला कि कम भाषा ओर बोलियों पर पुरुषवादी होने का आरोप नहीं मढ़ा जा सकता। वैसे तो पूरा अंक ही पढ़ने लायक है। इधर पत्रिका के कई अंक कवर, डिजाइन एवं कागज के हिसाब से भी बेहद आकर्षक हो रहे हैं।

प्रदीप कुमार, पीटीआई बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली

हमारे द्वारा संचालित जिला स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय से समुदाय के प्रत्येक वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं। राजभाषा भारती के अंकों की पुरानी प्रतियों के साथ नियमित रूप से भेजने का कष्ट करें।

हरिहर प्रसाद, शहीद बच्चन पुस्तकालय, सिवान

राजभाषा भारती का अंक 140 प्राप्त हुआ। महामहीम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी महानुभव ने हिंदी दिवस 2014 को दिए भाषण हिंदी में ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान-विज्ञान संबंधी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध होगी। हमारे देश के साहित्यकार निरंतर हिंदी वाड़मय को समृद्ध करते जा रहे हैं। यह भारत सरकार के राजभाषा विभाग के ही सुप्रयास को सिद्ध करता है। अत: राजभाषा विभाग से जुड़े सभी विद्वतवरों का अभिनंदन है।

डॉ॰ रा॰ प॰ रामनरेश, खारगोन, मध्य प्रदेश

राजभाषा साहित्यिक पत्रिका है, बहुत खूबसूरत, ज्ञानवर्धक एवं संपूर्ण भारत वर्ष की, भारतीय भाषाओं में हिंदी की श्रेष्ठता, ज्येष्ठता की वकालत करती हुई पत्रिका अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गई है। संपूर्ण लेख अपने ज्ञान-विज्ञान एवं मनोविज्ञान, खोज विज्ञान से भरी पत्रिका है।

डॉ॰ राजेश्वरी चौधरी, देवभूमि, उत्तराखण्ड

राजभाषा भारती का 141वां अंक प्राप्त हुआ, इस पत्रिका में साहित्य, विज्ञान, कहानी, कला, कविता, चिकित्सा संबंधी, स्वच्छ भारत अभियान लेख, राजभाषा संबंधी कार्यालय की गतिविधियां यानी प्रकाशित सभी लेख ज्ञानवर्धक तथा भावचित्रों से कार्यक्रम की प्रत्यक्ष झलक प्रतीत होती है। पत्रिका के सफल संपादन हेतु मेरा साधुवाद।

बी॰एस॰ शांताबाई, चामराजपेट, बेंगलूर

राजभाषा भारती का 141वां अंक प्राप्त हुआ, इस पत्रिका में साहित्य, समाज विज्ञान और चिकित्सा आदि लेख भी उच्च कोटि की है। राजभाषा विषयक गतिविधियों की सचित्र प्रस्तुति के राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियों का पूरा अवलोकन होता है। इस अंक की रोचक और ज्ञानवर्द्धक प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई।

अवधेश कुमार, सहायक प्रबंध, सेल

राजभाषा भारती का 141वां अंक प्राप्त हुआ। भाषायी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सरोकारों से भरपूर यह पत्रिका हमारी रिफाइनरी के पुस्तकालय के लिए धरोहर है। पत्रिका में प्रकाशित प्रत्येक लेख ज्ञानवर्धक, प्रेरणाप्रद, रोचक एवं प्रशंसनीय है। राजभाषा भारती के उत्कृष्ट एवं सारगर्भित प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।

पी॰ए॰ जोस, महाप्रबंधक, मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि॰

हम इस बात के आभारी हैं कि राजभाषा भारती के अक्तू॰, दिसम्बर, 2014 अंक में आपने मेरा लेख ''रक्षा मानव अधिकारों की'' छापा है। आपकी पत्रिका में सभी लेख व सामग्री उच्च कोटि के होते हैं, जो राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन में काफी सहायक सिद्ध होते हैं।

के॰एन॰ गुप्त, डी ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली

राजभाषा भारती का 141वां अंक प्राप्त हुआ। नि: संदेह यह पत्रिका केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है तथा वर्तमान अंक भी सूचनापरक, ज्ञानवर्द्धक एवं सुरुचिपूर्ण है।

एस॰ के॰ दास, उप सेनानी, आईटीबीपी, शिलांग

उक्त पत्रों के अतिरिक्त अनेक पाठकों के पत्र हमें और भी प्राप्त हुए हैं किंतु स्थानाभाव के कारण हम उनके पत्रों को छाप नहीं रहे हैं। उनमें से कुछ पाठकों के नाम इस प्रकार हैं:—

डॉ॰ कान्ति भूषण पाण्डेय, वैज्ञानिक एवं राजभाषा अधिकारी, भावनगर; डॉ॰ वी॰ एलुमलै, चेन्नाई; किशोर तारे, भोपाल; सुश्री डीनू रानी, जी॰, हिंदी अधिकारी, बेंगलूर; रुद्रनाथ मिश्र, सहायक महाप्रबंधक, हैदराबाद; रामनाथ शानभाग, वरिष्ठ प्रबंधक, मंगलूर; जगदीश प्रसाद, वरि॰ प्रबंधक, केनरा बैंक, हरियाणा; राम प्रकाश शर्मा, कनि॰ कार्यपालक राजभाषा, गुवाहाटी; संतोष कुमार वर्मा, कनि॰हि॰ अनुवादक, रांची; श्री सोवन सिंह, उप प्रबंधक, नई दिल्ली; पी॰ वर्डफैर्ड, ईटानगर।

प्रपत्र - 4 (देखिए नियम-8)

प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचार-पत्रों का पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम 'राजभाषा भारती' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1. प्रकाशन स्थान	नई दिल्ली
2. प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3. मुद्रक का नाम	प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली
4. क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय
5. प्रकाशक का नाम व पता	सहायक संपादक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एन॰डी॰सी॰सी॰-2, भवन, चौथा तल बी विंग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष: 011-23438137
6. संपादक (पदेन) का नाम व पता	संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एन॰डी॰सी॰सी॰-2, भवन, चौथा तल बी विंग, नई दिल्ली-110001
7. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	अप्रयोज्य

मैं, राकेश शर्मा 'निशीथ' घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह॰/-

प्रकाशक का हस्ताक्षर

'हिंदी भारत मां की बिंदी' की सीडी का लोकार्पण

माननीय श्री किरेन रीजीजू, गृह राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 28-08-2015 राजभाषा विभाग द्वारा प्रस्तुत लघु कहानियां, प्रश्नोत्तरी एवं शब्द पहेली का लोकार्पण

पं.सं. 3246/77 आई एस एम एन 0970–9398

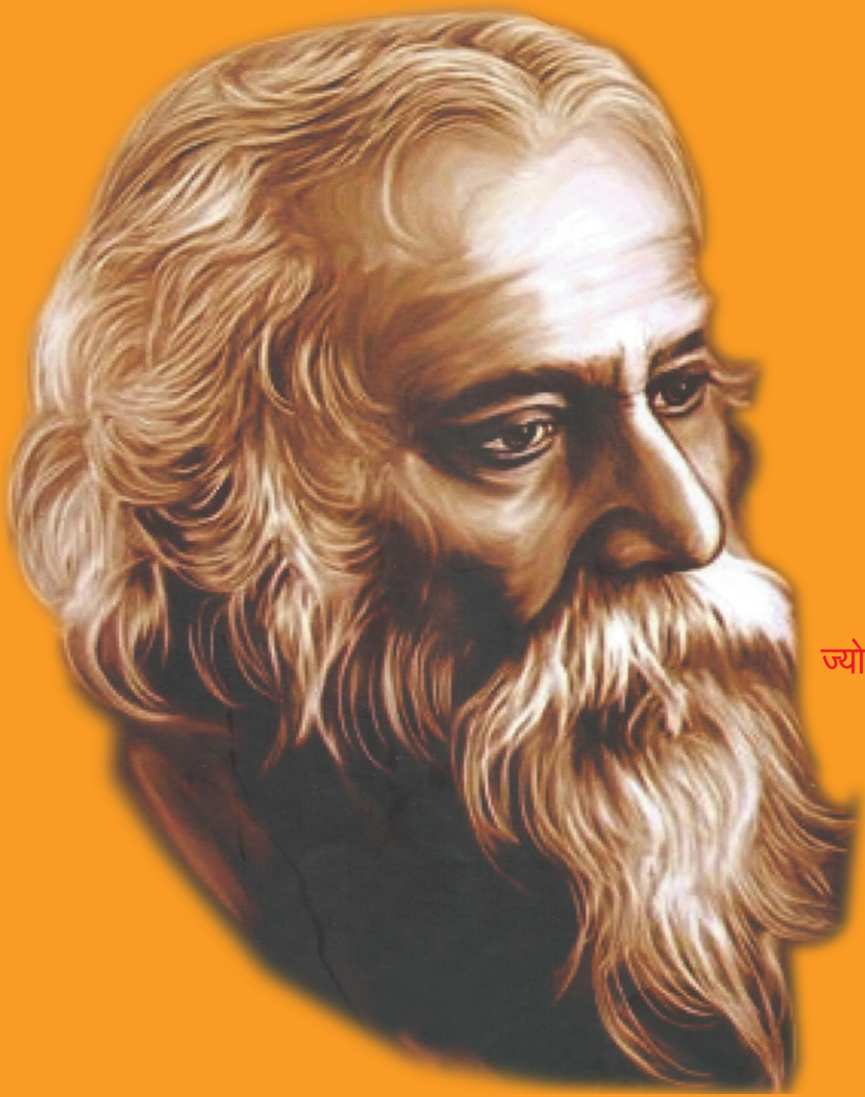

“रवीन्द्रनाथ टैगोर”

ऐक्ला चौलो

ज्योदि तोर दाक शूने केयू ना आशे, तौबे, ऐक्ला चौलो रे।
ऐक्ला चौलो, ऐक्ला चौलो, ऐक्ला चौलो रे।।
ज्योदि केयू कौथा ना कौय, ओड़े ओड़े ओ अभागा,
ज्योदि शौबाई ठाके मूख फिराये, शौबाई कौरे भोये,
तौबे पौरान खुले, ओ तूयी मुख फूटे,
तौर मोनेर कौथा, ऐक्ला बौलो रे..........।
ज्योदि शौबाई फीरे जाए, ओड़े ओड़े ओ अभागा,
ज्योदि गोहोन पौथे, जाबार काले केयू,
फीरे न चाय–तौबे पौधे काँटा,
ओ तूयी रौक्तोमाखा, चौरोन, ऐक्ला दौलो रे..........।
ज्योदि आलो ना धौरे, ओड़े ओड़े ओ अभागा,
ज्योदि झौर–बादोले आँधार राते,
दुयार–दय–धीरे–तौबे बज्रा नौले,
आपौन बुकेर पांजोर जालीये,
नीये ऐक्ला ज्ब्लौ रे..........।
ज्योदि तोर दाक शूने
कोयू ना आशे तौबे, ऐक्ला चौलो, ऐक्ला चौलो,
ऐक्ला चौलो, ऐक्ला चौलो, ऐक्ला चौलो रे।।

egkicU/kd] Hkkjr ljdkj en.kky;] feUVk jkM] ub fnYyh }kjk efnrA